खंड ६— अंक—३६
४ सितम्बर, १९५६ (मंगलवार)

लोक-सभा
वाद-विवाद

भाग १—प्रश्नोत्तर)

सत्यमेव जयते

1st Lok Sabha
(XIII Session)

(खण्ड ६ में अंक २१ से अंक ४० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली

पच्चीस नये पैसे (देश में)

एक शिलिंग (विदेश में)

238—L.S. 56

विषयसूचि

(भाग १—खंड ६—अंक २१ से ४०—१३ अगस्त से ८ सितम्बर, १९५६)

पृष्ठ

अंक २१—सोमवार, १३ अगस्त, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ९९४ से १००४, १००६ से १००८, १०१० से १०१२ १०१५, १०१६, १०१८, १०१९, १०२१, १०२२, १०२५ और १०२६ . . . . . ६०१–२२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १००५, १००९, १०१३, १०१४, १०१७, १०२०, १०२३, १०२४, १०२७ से १०२९ और १०३१ से १०४९ ९२३–३४

अतारांकित प्रश्न संख्या ६०४ से ६११ और ६१३ से ६५२ . . ९३४–४९

दैनिक संक्षेपिका ९५०–५३

अंक २२—मंगलवार, १४ अगस्त, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०५०, १०५१, १०५३, १०५४, १०५६ से १०५८, १०६०, १०६१, १०६४, १०६५, १०६७, १०६८, १०७१ से १०७५ १०७७ से १०७९ और १०८१ . . . . ९५५–७५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०५२, १०५५, १०५९, १०६२, १०६३, १०६६, १०६९, १०७०, १०७६, १०८०, १०८२ से १११३ और ७७७ . . . . . ९७५–९१

अतारांकित प्रश्न संख्या ६५३ से ६७९ . . . ९९१–१००

प्रश्नों के उत्तरों की शुद्धि १०००

दैनिक संक्षेपिका १००१–०४

अंक २३—गुरूवार, १६ अगस्त, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १११४, १११६ से ११२० ११२२ से ११२८, ११३२ से ११३८, ११४०, ११४२ से ११४४ और ११४७ . . १००५–२५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १११५, ११२१, ११२७, ११२९, से ११३१, ११३९ ११४१, ११४५, ११४६ और ११४८ से ११६१ . . १०२५–३४

अतारांकित प्रश्न संख्या ६८० से ७३० . . . . १०३४–६०

दैनिक संक्षेपिका १०६१–६४

पृष्ठ

अंक २४—शुक्रवार, १७ अगस्त, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ११६३ से ११६९, ११७१, ११७२ और ११७४ से ११८४ . . . . . १०६५–८६

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ९ और १० . . . . १०८६–८८

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ११६२, ११७०, ११७३, ११८५ से ११९१ और ११९३ से १२०३ . . . . . १०८८–९४

अतारांकित प्रश्न संख्या ७३१ से ७३९ और ७४१ से ७६९ . . १०९५–११०६

दैनिक संक्षेपिका ११०७–०९

अंक २५—सोमवार, २० अगस्त, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२०८, १२११, १२१४, १२१६, १२१७, १२१९, १२२४, १२२५, १२२८ से १२३४, १२३७ से १२४० और १२४४ . ११११–३२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२०४ से १२०७, १२०९, १२१०, १२१२, १२१३ १२१५, १२१८, १२२० से १२२३, १२२६, १२४२, १२४३ और १२४५ से १२५३ . . . . . ११३२–४०

अतारांकित प्रश्न संख्या ७७० से ८०५ और ८०७ . . ११४०–५३

दैनिक संक्षेपिका ११५४–५७

अंक २६—बुधवार, २२ अगस्त, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२५४ से १२५६, १२५८ से १२६०, १२६२, १२६३ १२६५, १२६७, १२६९ से १२७२, १२७४, १२७५ और १२७८ से १२८० . . . . . ११५९–७९

अल्प सूचना प्रश्नसंख्या ११ . . . . ११८०–८२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२५७, १२६१, १२६४, १२६६, १२६८, १२७३, १२७६, १२७७, १२८१ से १२९१, १२९३ से १३०० और ११९२ . . . . . ११८२–९०

अतारांकित प्रश्न संख्या ८०८ से ८२० और ८२२ से ८५५ . ११९०–१२०४

दैनिक संक्षेपिका १२०५–०७

पृष्ठ

अंक २७—गुरूवार, २३ अगस्त, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३०१ से १३०५, १३०७, १३११, १३१२, १३१६, १३१३, १३१९, १३२२ से १३२५, १३२७, १३४० और १३२९ से १३३२ . . . . . १२०९–२८

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १२ . . . १२२९–३१

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३०६, १३०९, १३१०, १३१४, १३१५, १३१७ १३१८, १३२०, १३२१, १३२६, १३२८, १३३३, से १३३८, १३४१ और १३४२ . . . . . १२३१–३७

अतारांकित प्रश्न संख्या ८५६ से ८८४ . . १२३७–४९

दैनिक संक्षेपिका १२५०–५२

अंक २८—शुक्रवार, २४ अगस्त, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३४३ से १३४८, १३५० से १३५२, १३५५, १३५७, १३६०, १३६१, १३६४, १३६५, १३६८, से १३७२ और १३७४ से १३७७ . . . . . १२५३–७५

कुछ आपत्तिजनक बातों के बारे में अध्यक्ष के विचार . १२७५–७७

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३४९, १३५३, १३५४, १३५६, १३५८, १३५९ १३६२, १३६३, १३६६, १३६७, १३७३ और १३७८ से १३९७ . १२७७–८६

अतारांकित प्रश्न संख्या ८८५ से ८८९ और ८९१ से ९३३ . . १२८६–१३०३

दैनिक संक्षेपिका १३०४–०७

अंक २९—शनिवार, २५ अगस्त, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३९८, १४००, १४०१, १४२८, १४०२ से १४०५ १४०७, १४०९ से १४१२, १४१५, १४१८ और १४१९ १३०९–२८

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३९९, १४०६, १४०८, १४१३, १४१४, १४१६ १४१७, १४२० से १४२७ और १४२९ से १४४९ . १३२८–३९

अतारांकित प्रश्न संख्या ९३४ से १०१२ . . . १३३९–७०

दैनिक संक्षेपिका १३७१–७५

पृष्ठ

अंक ३०—सोमवार, २७ अगस्त, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १४५२, १४५४ से १४५९, १४६१ से १४६५, १४७०, १४७१, १४७३, १४७५ से १४७७, १४७९ और १४८० . १३७७–९९

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १३ और १४ . . १३९९–१४०३

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १४५०, १४५१, १४५३, १४६०, १४६६ से १४६९ १४७२, १४७४, १४७८ और १४८१ से १४८९ . . . १४०३–१०

अतारांकित प्रश्न संख्या १०१३ से १०३३ और १०३५ से १०६१ . १४१०–२७

दैनिक संक्षेपिका १४२८–३०

अंक ३१—मंगलवार, २८ अगस्त, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १४९०, १४९२, १४९१, १४९३, १४९४, १४९६ से १५००, १५०२, १५०७ से १५०९, १५१२ और १५१३ . . १४३१–५१

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १५ . . . . . १४५१–५३

अल्प सूचना प्रश्न के उत्तर में सभा-पटल पर रखे गये विवरण के बारे में १४५३

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १४९५, १५०१, १५०३ से१५०६, १५१०, १५११ १५१४ से १५२० और १५२२ से १५३२ . १४५३–६२

अतारांकित प्रश्न संख्या १०६२, १०६३, १०६५ से १०६९, १०७१ से १०७३ और १०७५, से १०८५ . . . . १४६२–६९

दैनिक संक्षेपिका १४७०–७३

अंक ३२—गुरुवार, ३० अगस्त, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १५३४, १५३६, १५३७, १५३९ से १५४५, १५५२ १५५३, १५५८ से १५६१, १५६३, १५६४ और १५६६ से १५६८ १४७५–९६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १५३३ १५३५, १५३८, १५४६ से १५५१, १५५४ से १५५७, १५६५, १५६९ से १५८१ और १५८३ से १५८५ . १४९७–१५०७

अतारांकित प्रश्न संख्या १०८६ से ११७४ . . . १५०७–३९

दैनिक संक्षेपिका १५४०–४५

पृष्ठ

अंक ३३—शुक्रवार, ३१ अगस्त, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १५८६ से १५९२, १५९४ से १६०१, १६०३, १६०४, १६०६ १६०८, १६०९ और १६१२ . . . १५४७–६९

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १६ . . . . १५६९–७१

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १५९३, १६०२, १६०५, १६०७, १६१०, १६११ और १६१३ से १६२९ . . . . १५७१–७९

अतारांकित प्रश्न संख्या ११७५ से १२११ . . . १५७९–९३

दैनिक संक्षेपिका १५९५–९७

अंक ३४—शनिवार, १ सितम्बर, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १६३० से १६३९, १६४३, १६४४, १६४६ से १६४८ १६५०, १६५३, १६५४, १६५६, १६५७ और १६६०से १६६२ १५९९–१६२१

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १६४० से १६४२, १६४५, १६४९, १६५१, १६५२ १६५५, १६५८, १६५९ और १६६३ से १६८१ . . १६२१–३०

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १७ . . . . १६३०–३१

अतारांकित प्रश्न संख्या १२१२ से १२५० . . . १६३१–४३

दैनिक संक्षेपिका— १६४४–४६

अंक ३५—सोमवार, ३ सितम्बर, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १६८२ से १६८७, १६८९ से १६९४, १६९६, १६९८ से १७०१ और १७०३ से १७०७ . . . १६४७–६९

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १८ और १९ . . . . १६६९–७२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १६८८, १६९५, १६९७, १७०२, १७०८ से १७२१ १६७३–७८

अतारांकित प्रश्न संख्या १२५१ से १२८७ . . . १६ ८–९

दैनिक संक्षेपिका १६९४–९६

पृष्ठ

अंक ३६ —मंगलवार, ४ सितम्बर, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १७२२ से १७३०, १७५२, १७३३ से १७३५, १७३७ से १७४० और १७४२ से १७४४ . . . १६९७–१७२०

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १७३२, १७३६, १६४१, १७४५ से १७४७, १७४९ से १७५१, १७५३ से १७६१ और १७६३ से १७६८ . . १७२०–२९

अतारांकित प्रश्न संख्या १२८८ से १३२९ . . . १७२९–४१

दैनिक संक्षेपिका १७४२–४५

अंक ३७—बुधवार, ५ सितम्बर, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १७६९ से १७७८, १७८० से १७८३, १७८५, १७८६ और १७८८ से १७९१ . . . १७४७–६९

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १७७९, १७८४, १७८७, १७९२ से १७९७ और १७९९ से १८१४ . . . . . १७६९–७८

अतारांकित प्रश्न संख्या १३३० से १३६७ . . . १७७८–९५

दैनिक संक्षेपिका— १७९६–९९

अंक ३८—गुरुवार, ६ सितम्बर, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १८१५ से १८२१, १८२५, १८२६, १८२९, १८३० और १८३२ से १८३६ . . . . १८०१–२०

अल्प सूचना प्रश्न संख्या २० . . . . १८२०–२१

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १८२२ से १८२४, १८२७, १८२८, १८३१, १८३७ से १८६३ और १८६५ से १८६९ . . . १८२२–३३

अतारांकित प्रश्न संख्या १३६८ से १४१९ . . . १८३३–५२

दैनिक संक्षेपिका १८५३–५६

पृष्ठ

अंक ३९—शुक्रवार, ७ सितम्बर, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १८७०, १८७२ से १८७९, १८८२ से १८८६ और १८८८ से १८९३ . . . १८५७–७८

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १८७१, १८८०, १८८७ और १८९४ से १९०३ . १८७९–८३

अतारांकित प्रश्न संख्या १४२० से १४४९ . . १८८३–९३

दैनिक संक्षेपिका — . . . १८९४–९६

अंक ४०—शनिवार, ८ सितम्बर, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १९०४, १९०९ से १९१२, १९१४ १९१६, १९१८ १९१९ १९२१, १९२४ से १९२७ और १९३० से १९३४ . १८९७–१९१८

प्रश्नों के लिखित उत्तर —

तारांकित प्रश्न संख्या १९०५ से १९०८, १९१३, १९१५, १९२०, १९२२ १९२३, १९२८, १९३५ से १९४१, १९४३ और १९४४ . १९१८–२४

अतारांकित प्रश्न संख्या १४५० से १४७९ और १४८१ से १४८८ . १९२४–३८

दैनिक संक्षेपिका १९३९–४१

भा० स० मु० ना० —वि०३—२४२ लोक सभा ५६—२३-४-५८—१९०

लोक-सभा

मंगलवार, ४ सितम्बर, १९५६

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई।

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

भू-बंधक बैंक

†*१७२२. **श्री श्रीनारायण दास** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देहात में ऋण संबंधी सर्वेक्षण प्रतिवेदन में दिये गये सुझावों के अनुसार, भू-बंधक बैंकों के ऋण-पत्रों के लिये एक प्रभावोत्पादक बाजार उत्पन्न करने के लिये भारत के रक्षित बैंक तथा राज्य बैंक ने क्या कार्य-वाही की है ?

†**राजस्व और प्रतिरक्षा व्यय मंत्री (श्री अ० चं० गुह)** : एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ११, अनुबन्ध संख्या १**]

कनाडा को प्रतिनिधि मंडल

†*१७२३. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री २३ फरवरी, १९५६ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १९५ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उस प्रतिनिधि मंडल ने, जो प्रतिरक्षा विज्ञान संबंधी समस्या पर चर्चा करने के लिये कनाडा गया था, कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है; और

(ख) यदि हां, तो वह किस प्रकार का है ?

†**प्रतिरक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी)** : (क) जी हां। भारतीय प्रतिनिधि मंडल ने एक संक्षिप्त प्रतिवेदन तैयार किया है जिसमें सम्मेलन में चर्चा के दौरान उठाये गये विषयों की मुख्य बातें दी हुई हैं। प्रतिरक्षा विज्ञान संबंधी राष्ट्र मंडलीय मंत्रणा समिति के विचार विमर्श का मुख्य प्रतिवेदन भी उसके कार्यकारी दल ने भाग लेने वाले सभी राष्ट्र मंडलीय देशों में भेज दिया है।

(ख) प्रतिवेदन में, जो गोपनीय है, सम्मेलन में उठाये गये अनेक प्रतिरक्षा विज्ञान विषयों के संबंध में सिफारिशें दी हुई हैं।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : इस प्रतिनिधि मंडल ने जो प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है, क्या उसमें भारत की प्रतिरक्षा विज्ञान समस्याओं का कोई खास निर्देश है या वह सामान्य रूप का ह ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री त्यागी :** उसमें किसी एक देश की प्रतिरक्षा समस्याओं का उल्लेख नहीं है। विज्ञान सभी प्रतिरक्षा शस्त्रास्त्रों और अन्य विषयों के लिये एक सा है। वह एक वैज्ञानिक सम्मेलन था और उस में सामरिक नीतियों आदि के बारे में कोई चर्चा या निर्णय नहीं किया गया था।

†**सरदार इकबाल सिंह :** क्या इस प्रतिनिधि मंडल ने नाभिकीय शस्त्रों के प्रयोग पर भी विचार किया है ?

†**श्री त्यागी :** इस सम्मेलन में उठाये गये विषय गुप्त रखे जाते हैं और उसके विस्तार बताना मेरे लिये संभव न होगा। अनेक राष्ट्र मंडलीय देश इस विषय को गुप्त रखते हैं।

†**श्री वेलायुधन :** कहा जाता है कि भारत ने राष्ट्र मंडलीय परामर्श-प्रतिरक्षा सम्मेलन में भाग लिया था। क्या राष्ट्रमंडल के किसी एशियाई देश ने उसमें इस कारण भाग नहीं लिया था कि उसे बगदाद समझौता या उत्तर अटलांटिक संधि संगठन के बारे में मतभेद था ?

†**श्री त्यागी :** लंका और रोडेशिया तथा न्यासालैंड के संघ को छोड़ कर सभी राष्ट्रमंडलीय देशों ने उसमें भाग लिया था।

†**श्री वेलायुधन :** क्या भारत ने किसी खास कारणों से इस सम्मेलन में भाग लिया था, जब कि बांडुंग सम्मेलन में भाग लेने वाले एक दूसरे देश लंका ने उसमें भाग नहीं लिया ?

†**श्री त्यागी :** हम सम्मेलन में सहयोग की भावना से जाते हैं और हम वहां की चर्चाओं से लाभ उठायेंगे।

†**श्री क० कु० बसु :** क्या भारत ने राष्ट्रमंडल के बाहर किसी प्रतिरक्षा विज्ञान सम्मेलन में भाग लिया था ?

†**श्री त्यागी :** उस संबंध में अभी मेरे पास कोई जानकारी नहीं है।

ग्रामीण शिक्षा संस्थाओं के लिये पाठयक्रम

†*१७२४. **पंडित द्वा० ना० तिवारी :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या ग्रामीण शिक्षा संस्थाओं के लिये कोई एकीकृत पाठ्यक्रम अंतिम रूप से निर्धारित किया गया है ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :** जी हां।

†**पंडित द्वा० ना० तिवारी :** इस पाठ्यक्रम की मुख्य मुख्य बातें क्या हैं और वह साधारण पाठ्यक्रम से किस प्रकार भिन्न है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** मैं पाठ्यक्रम की एक प्रति सभा पटल पर रख दूंगा। पाठ्यक्रम बनाने में समिति का मुख्य दृष्टिकोण यह था कि हमारे ग्रामीण क्षेत्रों की विशिष्ट परिस्थितियों को ध्यान में रखा जाये।

†**अध्यक्ष महोदय :** एक प्रति पुस्तकालय में रख दी जायेगी क्योंकि जो कुछ सभा पटल पर रखा जाता है, उसे छापना पड़ता है।

†**पंडित द्वा० ना० तिवारी :** विभिन्न राज्यों में कितनी ग्रामीण शिक्षा संस्थाएं स्थापित की गयी हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : कुल १० शिक्षा संस्थायें हैं जिनको ग्रामीण शिक्षा संस्थाओं में परिवर्तित करने के लिये हमने अनुदान दिये हैं।

†**श्री ब० स० मूर्ति** : क्या पाठ्यक्रमों के बारे में राज्य सरकारों से परामर्श किया गया है और यदि हां, तो उनके संबंध में उनकी क्या प्रतिक्रिया है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : जी नहीं।

†**श्रीमती सुषमा सेन** : क्या लड़कियों के लिये कोई विशेष स्कूल हैं और यदि हां, तो क्या ग्रामीण क्षेत्रों में उनके लिये कोई अलग पाठ्यक्रम बनाया गया है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : जी नहीं।

†**श्री मादिया गौडा** : क्या यह पाठ्यक्रम वही है जो श्रीमाली समिति ने मोटे तौर पर तैयार किया था और यदि वह उससे भिन्न है तो किस प्रकार ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : वह पाठ्यक्रम मोटे तौर से उन्हीं बातों पर आधारित है जिन बातों का समिति ने सुझाव दिया था।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : क्या ग्रामीण शिक्षा संस्था के पाठ्यक्रम से वर्तमान ग्रामीण शिक्षा पर प्रभाव पड़ेगा या केवल उस ग्रामीण शिक्षा पर, जिसे ग्रामीण क्षेत्रों में अब शुरू किया जायेगा ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : माननीय सदस्य को स्मरण होगा कि विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने ग्रामीण विश्वविद्यालयों की स्थापना की सिफारिश की थी। फिर एक दूसरी समिति ने संपूर्ण प्रश्न पर अच्छी तरह विचार किया और यह सुझाव दिया कि ग्रामीण विश्वविद्यालयों के स्थान पर ये ग्रामीण शिक्षा संस्थाएं स्थापित की जायें और उन सिफारिशों के आधार पर ही ये संस्थाएं स्थापित की जा रही हैं। मैं माननीय सदस्य का प्रश्न ठीक ठीक नहीं समझ सका।

†**श्रीमती कमलेन्दुमति शाह** उठीं —

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं अब और अनुपूरक प्रश्नों के लिये अनुमति नहीं दूंगा। मैं पहले ही कई प्रश्नों के लिये अनुमति दे चुका हूँ।

अन्तर्राष्ट्रीय ज्योतिषिक संघ

†*१७२५. **श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५५ में भारत ने अन्तर्राष्ट्रीय ज्योतिषिक संघ में क्या अंशदान दिया है ;

(ख) उस अवधि में संघ ने क्या क्या मुख्य काम किये हैं ; और

(ग) क्या उस विषय पर कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है ?

†**प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) से (ग). अपेक्षित जानकारी देने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ११, अनुबंध संख्या २**]

†**श्री कृष्णाचार्य जोशी** : कोडाइकनल वेधशाला में क्या खास काम करने का विचार है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री के० दे० मालवीय** : मैं इस प्रश्न के लिये सूचना चाहता हूँ ।

†**श्री कृष्णाचार्य जोशी** : अन्तर्राष्ट्रीय ज्योतिषिक संघ के प्रतिवेदन के कब तक प्राप्त हो जाने की आशा है ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : कार्यवाही का संक्षिप्त विवरण हमें मिला है । विस्तृत प्रतिवेदन की अभी प्रतीक्षा की जा रही है ।

ईसाई बनाये गये लोग

†*१७२६. **श्री भीखा भाई** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री ४ अप्रैल, १९५६ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ११७६ के उत्तर के सबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५५-५६ में राजस्थान में कितने व्यक्ति ईसाई बनाये गये ;

(ख) क्या इस विषय की जांच करने के लये एक जांच समिति नियुक्त करने के बारे में सरकार को कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ; और

(ग) सरकार ने इस विषय में क्या कार्यवाही की है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : (क) यह जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

(ख) और (ग). कुछ सुझाव प्राप्त हुए हैं किन्तु उनके अनुसार कार्यवाही करना आवश्यक नहीं समझा गया है ।

†**श्री भीखा भाई** : अनुसूचित क्षेत्रों के लिये अलग आंकड़े क्या हैं ?

†**श्री दातार** : मैने बताया है कि जानकारी उपलब्ध नहीं है । अनुसूचित क्षेत्रों के बारे में मैं कोई जानकारी नहीं दे सकता ।

†**श्री भीखा भाई** : जब पहले इसी तरह के प्रश्न का उत्तर दिया गया था, तब मैं ने आंकड़ों के लिये एक दूसरे प्रश्न की सूचना दी थी । यद्यपि मुझे आश्वासन दिया गया था, फिर भी आंकड़े नहीं दिये गये हैं ।

†**श्री दातार** : मैं फिर कहता हूं कि आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं । हम नहीं जानते कि कितने लोगों का धर्म परिवर्तन किया गया है और क्या उनके संबन्ध में कोई गड़बड़ी है ?

†**श्री भीखा भाई** : ये आंकड़े कब तक उपलब्ध कराये जायेंगे ?

†**श्री दातार** : जानकारी इकट्ठा करने में कठिनाई होती है ।

†**श्री ब० स० मूर्त्ति** : क्या सरकार को ऐसे कोई समाचार मिले हैं कि धर्म प्रचारक इन में से कुछ जातियों को ईसाई बनाने के लिये डरा धमका रहे हैं ?

†**श्री दातार** : मेरे माननीय मित्र ने अभी कहा है कि राजस्थान के कुछ भागों में बलपूर्वक धर्म परिवर्तन किया गया है । हमने पूछताछ की है । राज्य सरकारों को संतोष है कि कोई बलपूर्वक धर्म परिवर्तन नहीं हुए हैं ।

†**श्री तिम्मय्या** : क्या सरकार ने धर्म प्रचारकों की कार्य प्रणाली की जांच करने के लिये मध्य प्रदेश सरकार द्वारा नियुक्त की गई समिति का प्रतिवेदन देखा ह ? उन सुझावों के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री दातार** : सरकार ने प्रतिवेदन देखा है। किन्तु किंसी प्रतिक्रिया के लिये अभी समय नहीं आया है। पहले उसका परीक्षण करना राज्य सरकारों का काम है और यदि आवश्यक हो तो वे भारत सरकार से कह सकती हैं।

†**श्रीमती अ० काले** : क्या पिछले ५ वर्षों में ईसाइयों की संख्या में वृद्धि हुई है ?

†**श्री दातार** : पिछले पांच वर्षों के आंकड़े मेरे पास नहीं हैं। जनसंख्या गणना के आंकड़े हैं।

†**श्री नंद लाल शर्मा** : किन किन जगहों पर ये धर्म परिवर्तन खुशी से किये जा रहे हैं ?

†**श्री दातार**: यही मेरी कठिनाई है। कुछ भागों में बलपूर्वक धर्मपरिवर्तन के कुछ आरोप लगाये गये हैं। जब हम जांच करते हैं तो इन आरोपों को निराधार पाया जाता है।

†**श्री नंद लाल शर्मा** : मैंने पूछा था कि किन किन स्थानों पर ये धर्मपरिवर्तन हो रहे हैं ?

†**श्री दातार** : उन स्थानों के नाम बताना मेरे लिये संभव नहीं है। यह प्रश्न, जिस पूर्व धारणा पर आधारित है, वह गलत है।

ईसाई धर्म प्रचारक

*१७२७. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत के ईसाई धर्म-प्रचारकों को विदेशों से प्रति वर्ष लगभग ३० करोड़ रुपये की जो धन राशि मिल रही है, उसमें से २४ करोड़ रुपये केवल अमेरिका देता है।

गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार): माननीय सदस्य १३–१२–५४ और २१–५–५६ को तारांकित प्रश्न संख्या क्रमश: १०७३ और २३९२ के संबंध में दिये गये उत्तरों की ओर ध्यान दें जिनसे मालूम होगा कि सारे विदेशों से आई कुल रकम किसी भी साल में ९.१३ करोड़ से अधिक नहीं हुई। इसमें अमरीका से मिली रकम कभी ६.९१ करोड़ से ज्यादा नहीं हुई।

†**अध्यक्ष महोदय** : इस प्रश्न का उत्तर अंग्रेजी में दिया जाये।

[उत्तर अंग्रेजी में पढ़ा गया।]

†**श्री ब० द० पांडे** : क्या सरकार जानती है कि मेरे प्रदेश में, खासकर तिब्बत सीमान्त पर, अनेक अमेरिकी धर्म प्रचारक हैं और वे धर्म प्रचार कार्य के अलावा वहां की राजनीति में भाग लेते हैं ? क्या सरकार उन पर दृष्टि रखती है या नहीं ?

†**श्री दातार**: यदि दृष्टि रखने का अवसर उत्पन्न हुआ तो ऐसा किया जायेगा। किन्तु मैं माननीय सदस्य से प्रार्थना करूंगा कि वे उस जानकारी को जांच लें, जो अधिकतर कही सुनी होती है और इसलिये निराधार होती है।

†**श्री ति० सु० अ० चेट्टियार** : जब पहले एक प्रश्न पूछा गया था तब बताया गया था कि प्राप्त धन राशियों में से कुछ धन राशि विशिष्ट रूप से ईसाई धर्म प्रचार के प्रयोजनों के लिये प्राप्त हुई है। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि विदेशों को या विदेशी अभिकरणों को भारत में ईसाई धर्म प्रचार करने की अनुमति नहीं है, क्या इस ओर ध्यान दिया जायेगा कि इस प्रयोजन के लिये कोई धन प्राप्त न हो ?

†**श्री दातार** : धन प्राप्त होता है। भारत के रक्षित बैंक द्वारा रखे गये आंकड़ों से यही जानकारी हमें मिली है। यह धन किस प्रयोजन के लिये खर्च किया जाता है यह बताना संभव नहीं है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री ति० सु० अ० चेट्टियार** : माननीय मंत्री ने पहल एक उत्तर में कुछ आंकड़े दिये थे और कहा था कि कुछ अंश धर्म प्रचार के लिये प्राप्त हुआ था।

†**श्री दातार** : जहां तक इस बात का संबंध है, संभवत: श्री म० च० शाह ने उस प्रश्न का उत्तर दिया था।

†**श्री ति० सु० अ० चेट्टियार** : आपके पास वह उत्तर तो होगा।

†**श्री दातार** : धर्म प्रचार और अन्य प्रयोजनों के लिये कोई अलग अलग राशि नहीं है।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य अध्यक्ष की ओर देखें जिससे कि सारी सभा उत्तर सुन सके।

†**श्री अ० म० थामस** : क्या यह सच है कि भेजी गयी इस धन राशि का अधिकतर भाग चिकित्सा संस्थाओं, पूर्व संस्थाओं और शिक्षा संस्थाओं को चलाने के लिये खर्च किया जाता है?

†**श्री दातार** : मैंने बताया है कि यह धन धर्म प्रचार के कार्यों पर खर्च की जाती है।

†**श्री अ० म० थामस** : यद्यपि यह धन राशि धर्म प्रचार कार्य के लिये भेजी जाती है, उसका अधिकांश चिकित्सा तथा अन्य पूर्व संस्थाओं के लिये भेजा जाता है।

†**श्री दातार** : यह संभव है, मैं इतना ही कह सकता हूं।

†**श्री ब० स० मूर्ति** : धर्म प्रचार के लिये तथा शिक्षा और चिकित्सा सेवाओं के लिये इन धर्म प्रचारकों को जो विदेशी सहायता प्राप्त होती है, क्या उसकी कोई अलग अलग सीमा है?

†**श्री दातार** : इस संबंध में वित्त मंत्रालय जिस नियम का अनुसरण करता है, मैं उसे बता देता हूं। विनिमय विनियमों के अधीन, विनियोजन प्रयोजनों के लिये प्राप्त धन के अतिरिक्त, विदेश से कोई धन प्राप्त करने पर कोई निर्बन्धन नहीं है।

†**श्री कौट्टुकपल्ली** : ईसाई धर्म के २००० साल बाद, भारत में ईसाई लोग कितने प्रतिशत हैं?

†**श्री दातार** : माननीय सदस्य १९५१ की जन संख्या गणना के आंकड़े देखें।

†**श्री कौट्टुकपल्ली** : वे केवल ३ प्रतिशत हैं।

अमरिका में भारतीय छात्रों द्वारा पारित किया गया संकल्प

†*१७२८. { **श्री गिडवानी** :
श्री कृष्णाचार्य जोशी :
श्रीमती जयश्री :
श्री संगण्णा :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि अमेरिका में भारतीय छा त्रों के एक सम्मेलन में इस सुझाव का एक संकल्प पारित किया गया था कि भारत के सभी विश्वविद्यालयों में अंग्रेजी ही शिक्षा का माध्यम रहे और वाशिंगटन स्थित भारतीय राजदूत ने उस सम्मेलन का उद्घाटन किया था?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)**: अमेरिका में मध्य-पश्चिमी विश्वविद्यालयों के भारतीय छात्रों के एक सम्मेलन में छात्र वक्ताओं ने भारतीय विश्वविद्यालयों में भाषा समस्याओं का निर्देश किया था किन्तु कोई संकल्प पारित नहीं किया गया था। सम्मेलन के उद्घाटन के लिये भारतीय राजदूत को निमंत्रित किया गया था। उन्होंने निमंत्रण स्वीकार किया था और सम्मेलन का उद्घाटन किया था।

†**श्री गिडवानी** : सम्मेलन बुलाने का क्या उद्देश्य था ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : विदेश में छात्रों के ये सम्मेलन अनेक शिक्षा संबंधी तथा सांस्कृतिक समस्याओं पर चर्चा के लिये समय समय पर आयोजित किये जाते हैं।

†**श्री गिडवानी** : संकल्प में कहा गया था कि विश्वविद्यालयों में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी रहना चाहिये। क्या भारतीय राजदूत का इस सम्मेलन से सम्बद्ध होना राजभाषा नीति के जो संविधान के अनुच्छेद ३४३ में दी हुई है, विरुद्ध नहीं है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : मैंने बताया है कि इस सम्मेलन ने कोई संकल्प पारित नहीं किया। छात्रों ने केवल भाषा समस्या का कुछ निर्देश किया था।

श्री मा० ला० द्विवेदी : क्या एक राजदूत के लिये यह मुनासिब है कि जहां पर संविधान के संबंध में कोई निर्णय हो चुका हो, उस संबंध में जानबूझ कर ऐसी बातों में हिस्सा ले जो कि संविधान में लिखी हुई बातों के प्रतिकूल हों ?

डा० का० ला० श्रीमाली : मेरी समझ में नहीं आया कि यहां संविधान का क्या प्रश्न उठता है। विद्यार्थियों का एक कंवेंशन हुआ, उस कंवेंशन का विषय था "भारत में उच्च शिक्षा का परिवर्तनशील रूप", वहां विद्यार्थियों ने कुछ भाषा के संबंध में जिक्र किया। राजदूत उसका उद्घाटन करने गये थे। मैं नहीं समझता कि इसमें उन्होंने कौन सी अवैधानिक कार्रवाई की।

श्री नन्द लाल शर्मा : क्या मैं जान सकता हूं कि अम्बैसेडर ने अपनी कौन सी पालिसी स्वीकार की है ?

डा० का० ला० श्रीमाली : वे वहां पर उद्घाटन करने गये थे, उन्होंने वहां पर क्या भाषण दिया, इसकी पूरी रिपोर्ट मेरे पास नहीं है। लेकिन मैं नहीं समझता हूं कि इसमें उन्होंने कोई अवैधानिक कार्रवाई की।

†**अध्यक्ष महोदय** : अगला प्रश्न। यह संयुक्त राष्ट्र संघ का संकल्प नहीं है। अमेरिका में कुछ छात्रों ने एक संकल्प पारित किया। सरकार उससे बाध्य नहीं है।

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : कोई संकल्प पारित नहीं किया गया था।

†**श्री नन्द लाल शर्मा** : प्रश्न यह था कि सम्मेलन में राजदूत ने कौन सा पक्ष लिया था ?

†**अध्यक्ष महोदय** : उन्होंने केवल सम्मेलन का उद्घाटन किया था।

†**श्री नन्द लाल शर्मा** : क्या उन्होंने हिन्दी का या अंग्रेजी का समर्थन किया था ?

†**अध्यक्ष महोदय** : इस संकल्प को अधिक महत्व देने का कोई लाभ नहीं है।

†**श्री नन्द लाल शर्मा** : वही तो हम जानना चाहते हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

गुन्तूर में पुरातत्त्वीय वस्तुओं का मिलना

+

† *१७२९. { श्री च० रा० चौधरी :
श्री श० व० ल० नरसिंहम् :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आंध्र में गुन्तूर जिले के नरसरावपेट ताल्लुक के पेटलूरीपलेम नामक गांव में कुछ प्राचीन सिक्के पाये गये हैं ;

(ख) क्या इस विषय की ओर जिला कलेक्टर का ध्यान आकर्षित हुआ है ;

(ग) यदि हां, तो उन सिक्कों को प्राप्त करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ; और

(घ) ये सिक्के किस समय चलते थे ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : (क) हां श्रीमान्।

(ख) हां श्रीमान्।

(ग) गुन्तूर के कलेक्टर से, जिसके पास ये वस्तुएं पड़ी हुई हैं, कहा गया है कि वह उनका विवरण भेजे ताकि यदि सरकार को इन सिक्कों की आवश्यकता हो, तो वह उन्हें प्राप्त करने के लिये आवश्यक कार्यवाही कर सके।

(घ) केन्द्रीय पुरातत्व विभाग ने अभी उन सिक्कों की जांच नहीं की है, किन्तु कलेक्टर ने उन्हें ईसा की दूसरी या तीसरी शताब्दी का बताया है।

†**डा० रामा राव** : आज के पत्रों में एक समाचार में यह कहा गया है कि नागार्जुनसागर की खोज में, ईसा की दूसरी शताब्दी के रोम के किसी सम्राट् का सिक्का पाया गया है। क्या यह उसी खोज का उल्लेख है ?

†**डा० म० मो० दास** : मैंने अपने मूल उत्तर में कहा है कि हमने इन सिक्कों की जांच नहीं की है। हमने विस्तार के बारे में कलेक्टर को लिखा है जिसके पास ये सिक्के पड़े हुए हैं।

†**श्री ब० स० मूर्त्ति** : कलेक्टर ने किस आधार पर यह निश्चय किया कि ये सिक्के द्वितीय शताब्दी के हैं ? क्या यह किसी विश्वविद्यालय के प्रोफेसर या अथवा किसी पुरातत्व शास्त्री की राय थी ?

†**डा० म० मो० दास** : मुझे पता नहीं कि कलेक्टर ने यह निश्चय किस आधार पर किया संभवतः यह केवल अनुमान है। जब तक केन्द्रिय पुरातत्व विभाग के विशेषज्ञों द्वारा उन सिक्कों की जांच न कर ली जाये, तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता।

†**श्री च० रा० चौधरी** : क्या केन्द्रीय पुरातत्व विभाग के पास गुन्तूर के कलेक्टर से ऐसी कोई सूचना आई है कि ये सिक्के कितने हैं, उन्होंने कितने सिक्के एकत्र किये हैं और उन्हें एकत्र करने के लिये उनके द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

†**डा० म० मो० दास** : इस समय, वे सिक्के कलेक्टर के पास हैं। हमने उन्हें लिखा है कि वे उनके बारे में विस्तृत जानकारी भेजें। इसके अतिरिक्त हमने अपने सर्कल अधीक्षक से कहा है कि वे उस स्थान या स्थानों को देखें जहां ये सिक्के पाये गये हैं और उन सिक्कों की जांच भी करें।

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री च० रा० चौधरी** : क्या यह सच है कि सिक्के इकट्ठे करने और उन गांव वालों से जिन्होंने उन्हें पाया था, उन्हें प्राप्त करने के बजाय, कलेक्टर ने वे सब सिक्के उनसे खरीदना प्रारम्भ कर दिया ?

†**डा० म० मो० दास** : मैं आपके प्रश्न को नहीं समझा ।

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या सरकार को विदित है कि कलेक्टर ने ये सिक्के उन गांव वालों से इकट्ठा करने के बजाय जिन्होंने उन्हें पाया था, उन्हें अपने लिये अथवा सरकार के लिये खरीदना प्रारम्भ कर दिया ?

†**डा० म० मो० दास** : मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूं कि इन मामलों में १८७८ का भारतीय निखात निधि अधिनियम लागू होता है । यह अधिनियम राज्य सरकार द्वारा प्रशासित किया जायेगा ।

पटना के पास खुदाई

†*१७३०. **श्री विश्वनाथ राय** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि हाल ही में पटना के पास की गई खुदाई में ऐतिहासिक महत्व की वस्तुएं निकली हैं ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : हां श्रीमान् ।

†**श्री विश्वनाथ राय** : क्या उस सम्पूर्ण क्षेत्र में और खुदाई शीघ्र ही की जायेगी ?

†**डा० म० मो० दास** : यह खुदाई जे० पी० जायसवाल गवेषणा संस्था नामक एक गैर-सरकारी संस्था द्वारा की जा रही है । हमें पता नहीं कि वे और खुदाई करेंगे या नहीं ।

†**श्री विश्वनाथ राय** : क्या सरकार उस क्षेत्र में और अधिक खुदाई के लिये आर्थिक सहायता देना चाहती है ?

†**डा० म० मो० दास** : यदि सरकार से इस बारे में प्रार्थना की जाये, तो वह इस पर विचार करेगी । अधिकांश अन्य मामलों में जहां इस प्रकार की संस्थायें ऐसा ही उपयोगी कार्य कर रही हैं, सरकार से प्रार्थना करने पर उन्हें आर्थिक सहायता दी जाती है ।

†**श्री विश्वनाथ राय** : क्या सरकार के पास ऐसी कोई जानकारी है कि ये वस्तुएं किस समय की हैं ?

†**डा० म० मो० दास** : सब मिलाकर वहां ६०० वर्ष ईसा पूर्व से लेकर आधूनिक युग तक पांच विभिन्न युगों की वस्तुएं पाई गई हैं ।

†**श्री भागवत झा आजाद** : वहां कौन कौन सी वस्तुएं मिली हैं ?

†**डा० म० मो० दास** : उसकी एक लम्बी सूची है । यदि मुझे अनुमति दी जाये तो उसे पढ़ सकता हूं । अधिकतर काले रंग के मिट्टी के बर्तन मिले हैं जिन में उत्तरी भारत में प्रचलित आकार की तश्तरियां और प्याले भी हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : जिसे उसमें दिलचस्पी है, वह जाकर देख सकता है । उन सब वस्तुओं का नाम यहां पढ़ने की जरूरत नहीं है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री भागवत झा आजाद** : मैंने उसके लिये कहा भी नहीं है।

†**अध्यक्ष महोदय** : अगला प्रश्न संख्या १७३२ ।

† **श्री अ० म० थामस** : पता नहीं मेरा प्रश्न १७३१ इसमें क्यों नहीं है, आज सवेरे मुझे सूचना दी गई है कि उसे १७५२ के साथ मिला दिया गया है किन्तु मेरा प्रश्न पहले आना चाहिये। उस प्रश्न तक पहुंचने का समय शायद नहीं मिल सकेगा। प्रश्न संख्या १७५२ को १७३१ के साथ मिलाया जाना चाहिये था।

†**अध्यक्ष महोदय** : शायद वह पहले प्राप्त हुआ होगा और माननीय सदस्य को इसका पता नहीं है।

†**श्री अ० म० थामस** : यदि वह पहले आया था तो उस की बारी मेरे प्रश्न से पहले आनी चाहिये थी।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं मालूम करूंगा। मैं दोनों प्रश्नों की अनुमति दिये देता हूं ।

†**श्री अ० म० थामस** : मैं समझता हूं कि उस प्रश्न तक पहुंचने का समय नहीं मिल सकेगा। यदि समय मिल सके तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य यहां आयें और बैठें। क्या मैं इसका निर्णय नहीं कर सकता ? मैं श्री अ० म० थामस और श्री अच्युतन दोनों को अपना प्रश्न करने की अनुमति देता हूं। प्रश्न संख्या १७३१।

†**डा० म० मो० दास** : वह तो प्रश्न संख्या १७५२ के साथ रखा गया है।

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या माननीय मंत्रियों को पता नहीं है कि उन्हें किस प्रश्न का उत्तर देना है ?

†**श्री दातार** : १७५२ का उत्तर मैं दे सकता हूं। प्रश्न संख्या १७३१ उनका है।

†**अध्यक्ष महोदय** : गृह-कार्य मंत्री दोनों का उत्तर दें।

त्रावणकोर-कोचीन में बेकारी

†*१७५२. { **श्री अच्युतन** :
श्री अ० म० थामस : }

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बेकारी के बारे में रिपोर्ट देने के लिये त्रावनकोर-कोचीन सरकार द्वारा नियुक्त की गई समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है ;

(ख) उसकी मुख्य उपपत्तियां और सिफारिशें क्या हैं ;

(ग) क्या सरकार ने उन पर कोई निश्चय किये हैं ; और

(घ) यदि हां तो वे क्या हैं उन के आर्थिक पहलू क्या हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : (क) से (घ). समिति ने अन्तिम रिपोर्ट २७ जुलाई १९५६ को प्रस्तुत कर दी थी। उसकी सिफारिशें विचाराधीन हैं।

†**डा० राम सुभग सिंह** : प्रश्न संख्या १७३१ का क्या हुआ ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : वह हमारी सूची में नहीं है।

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या माननीय मंत्री के पास उसका उत्तर है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : जी नहीं। वह हमारी सूची में नहीं है।

†**अध्यक्ष महोदय** : दोनों एक साथ मिला दिये गये हैं। माननीय सदस्य अब अनुपूरक प्रश्न पूछ सकते हैं। श्री अच्युतन।

†**श्री अच्युतन** : समिति की रिपोर्ट के बारे में निष्कर्ष पर पहुंचने और इस योजना को लागू करने में राज्य सरकार को कितना समय लगेगा ?

†**श्री दातार** : संभवत: एकाध महीने में निश्चय हो जायेगा। जहां तक लागू करने का प्रश्न है, उसमें कुछ वर्ष लगेंगे क्योंकि उसके संबंध में बहुत सी कार्यवाही की जानी होगी।

†**श्री अच्युतन** : इस योजना को लागू करने में कुल कितना खर्च होगा और उसमें कितने व्यक्ति नियोजित किये जायेंगे ?

†**श्री दातार** : मैं माननीय सदस्य से प्रार्थन करता हूं कि वह एक महीने तक प्रतीक्षा करें। तब तक सारी योजना प्राप्त हो जायेगी।

†**श्री अ० म० थामस** : क्या समिति ने उस राज्य में शिक्षित व्यक्तियों की बेकारी का भी कोई अनुमान लगाया है और इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इस रिपोर्ट के प्राप्त न होने के कारण शिक्षित व्यक्तियों में बेकारी दूर करने की अनेक योजनाओं को अन्तिम रूप नहीं दिया जा सका है, सरकार इस रिपोर्ट पर कब विचार करेगी ?

†**श्री दातार** : यहां पर मैं यह बताना चाहता हूं कि समिति ने इस विषय के वित्तीय पहलुओं पर भी विचार किया है। निर्णय किये जाने के बाद, उसे लागू करने का उपबन्ध स्वत: ही किया जायेगा।

†**श्री ब० स० मूर्त्ति** : औचित्य के हेतु मैं यह कहना चाहता हूं कि श्री अ० म० थामस का प्रश्न संख्या १७३१ था और श्री अच्युतन का संख्या १७५२। श्री थामस का प्रश्न पहले था क्योंकि वह छपा हुआ है और उसका उत्तर तैयार किया गया था। जब श्री थामस का नाम इस प्रश्न के साथ नहीं है तो उनका नाम प्रश्न संख्या १७५२ के साथ होना चाहिये था। अत: क्या ऐसे करने से एक माननीय सदस्य को उनके अधिकार से वंचित नहीं किया जा रहा है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : वही बात फिर उठाई गई है। पता नहीं माननीय सदस्य अभी सुन रहे थे या नहीं। श्री थामस ने यह प्रश्न स्वयं उठाया था। उन्हें अपने पक्ष का समर्थन करने के लिये किसी वकील की जरूरत नहीं है। प्रश्न संख्या १७५२ में श्री अच्युतन के बाद श्री थामस का नाम भी दिया गया है। शायद माननीय सदस्य की सूची में शुद्धि नहीं की गई है।

†**श्री ब० स० मूर्त्ति** : मेरा प्रश्न यह है कि जब प्रश्न संख्या १७३१ में श्री अ० म० थामस का नाम नहीं दिया गया तो फिर उसे प्रश्न संख्या १७५२ में शामिल क्यों नहीं किया गया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : मेरी सूची में उसे शामिल किया गया है। शायद माननीय सदस्य की सूची में नहीं किया गया है।

†**श्री पुन्नूस** : राज्य में बेकार शिक्षित व्यक्तियों की नवीनतम संख्या कितनी है ? समिति की सिफारिश के अलावा, राष्ट्रपति का शासन लागू होने के बाद क्या वहां कोई अन्य योजना लागू की गई है या लागू की जा रही है ?

†**श्री दातार** : कुछ दिन पहले यह उत्तर दिया गया था कि सरकार ने बेकारी दूर करने के लिये पहले ही कुछ कार्यवाही प्रारम्भ कर दी है। माननीय सदस्य ने जो आंकड़े मांगे हैं, वे मेरे पास नहीं हैं।

†**श्री राघवैया** : यदि उन सब योजनाओं को, जिन की समिति ने सिफारिश की है, क्रियान्वित किया गया तो बेकार शिक्षित व्यक्तियों में से कितने प्रतिशत को रोजगार मिल सकेगा ?

†**श्री दातार** : समिति की रिपोर्ट में जो कुछ कहा गया है उसके बारे में माननीय सदस्य को अभी से अनुमान नहीं लगाना चाहिये।

बर्मा को ऋण

†*१७३३. **श्री रा० प्र० गर्ग** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बर्मा के लिये स्वीकृत २० करोड़ रुपये के ऋण में से अब तक कितनी रकम वास्तव में उसे दी गई है ?

†**राजस्व और प्रतिरक्षा व्यय मंत्री (श्री अ० चं० गुह)** : बर्मा ने ऋण में से अभी तक कोई रकम नहीं ली है।

†**श्री रा० प्र० गर्ग** : यह ऋण किन शर्तों पर स्वीकृत किया गया है ?

†**श्री अ० चं० गुह** : शर्तें विशेष नहीं हैं। बर्मा १९५९ से लेकर १९६२ तक २॥ करोड़ रुपया प्रति किश्त के हिसाब से छः माही किश्तों में इसे अदा करेगा। अर्द्ध वार्षिक सूद भी दिया जायेगा जिसकी दर ४ प्रतिशत प्रतिवर्ष होगी। बर्मा इस रकम को किसी भी समय ५० लाख रुपये के गुणक में ले सकता है किन्तु अब उसने सारी रकम इस महीने में एक साथ लेने का निश्चय किया है।

†**अध्यक्ष महोदय** : पचास लाख रुपये के गुणक में ?

†**श्री अ० चं० गुह** : जी हां। कुल ऋण २० करोड़ रुपये का है।

†**श्री रा० प्र० गर्ग** : बर्मा को यह ऋण किस रूप में दिया जा रहा है ? क्या हम पूंजी अथवा उपभोक्ता की वस्तुओं का निर्यात करेंगे या हम डालर अथवा पौंड विनिमय देंगे ?

†**श्री अ० चं० गुह** : बर्मा इस ऋण का जितना अंश वह चाहे पौंड क्षेत्र की मुद्रा में बदल सकेगा किन्तु डालर मुद्रा में नहीं।

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि हम ने पौंड संसाधन से पहले ही बहुत सी रकम ले ली है, सरकार बर्मा को पौंड के रूप में ऋण दे कर पौंड संसाधन से और अधिक रकम लेने के लिये कहां तक तयार है ?

†**श्री अ० चं० गुह** : सरकार ने यह ऋण मंजूर करने से पहले इन सब बातों पर अवश्य ही विचार किया होगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री रा० प्र० गर्ग** : मेरा प्रश्न यह था कि क्या हम बर्मा को पूंजी माल अथवा उपभोक्ता की वस्तुएं देंगे ?

†**श्री अ० चं० गुह** : यह ऋण नकद दिया जायेगा ।

†**श्री मात्तन** : बर्मा के साथ एक व्यापारिक समझौते का प्रस्ताव है । क्या वह भी इस ऋण से संबंधित है और यदि हां, तो क्या उसमें झींगुर मछलियों का निर्यात भी सम्मिलित है ?

†**श्री अ० चं० गुह** : माननीय सदस्य ने इसका उल्लेख एक और अवसर पर भी किया था । यह ऋण किसी व्यापारिक समझौते का भाग नहीं है । उस मामले के बारे में बातचीत एक अन्य मंत्रालय द्वारा की जाती है ।

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : क्या सरकार को पता है कि इस ऋण का उपयोग किस प्रकार किया जायेगा ? क्या उससे बर्मा उपभोक्ता की वस्तुएं खरीदेगा या इस देश की कोई अन्य वस्तुएं, जिनमें उस की रुचि हो ?

†**वित्त तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री कृष्णमाचारी)** : मेरे माननीय सहयोगी ने कहा है कि रुपया नकद दिया जायेगा । उस का उपयोग बर्मा सरकार की इच्छा पर निर्भर है ।

अफगानिस्तान को पुरातत्त्वीय प्रतिनिधि मंडल

†***१७३४. श्री क० कु० दास** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल ही में अफगानिस्तान को जो पुरातत्वीय प्रतिनिधि मंडल भेजा गया था, उसका मुख्य उद्देश्य क्या था ;

(ख) प्रतिनिधि मंडल ने अफगानिस्तान में कौन से पुरातत्वीय स्थानों और अवशेषों की खोज की ;

(ग) प्रतिनिधि मंडल द्वारा भारत में कौन सी पुरातत्वीय अथवा प्राचीन वस्तुएं लाई गईं ;

(घ) इस प्रतिनिधि मंडल की यात्रा पर भारत सरकार का कितना रुपया खर्च हुआ; और

(ङ) क्या उसे सड़क के रास्ते पाकिस्तान से गुजरते समय कठिनाइयां पेश आई थीं ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : (क) मुख्य उद्देश्य अफगानिस्तान में ऐतिहासिक और पूर्वऐतिहासिक स्थानों की खोज करना था ।

(ख) दल द्वारा देखे गये स्थानों के नाम का एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट ११, अनुबंध संख्या ३**]

(ग) प्रतिनिधि मंडल ने उन स्थानों से, जिन का उस ने दौरा किया था कुछ बर्तन और उनके टुकड़े भारत लाया है ।

(घ) लगभग ३७,००० रुपये ।

(ङ) नहीं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री क० कू० दास** : अफगानिस्तान ही अभियान भेजे जाने के लिये क्यों चुना गया ?

†**डा० म० मो० दास** : पुरातत्वीय अभियान के लिये अफगानिस्तान इसलिये चुना गया था कि भारत के अफगानिस्तान से बड़े निकट सम्बन्ध हैं। इसके अतिरिक्त जब आर्य भारत आये तब वह अफगानिस्तान के द्वारा ही आये थे तथा उनकी सभ्यता के सर्वाधिक पुराने अवशेष नहीं पाये जा सकते थे । एक अन्य कारण भी है। प्राचीन साहित्य में अफगानिस्तान गांधार कहलाता था तथा गांधार कला जो चीजें हमें यहां प्राप्त ह तथा जो अफगानिस्तान में प्राप्त हैं उनमें बड़ी समानता है ।

†**श्री स० चं० सामन्त** : क्या अफगानिस्तान से गवेषणा कार्य करने के लिये भी कोई निमंत्रण मिला था ?

†**डा० म० मो० दास** : जहां तक मुझे ख्याल है, नहीं मिला था। कुछ वर्ष पूर्व हमने एक शिष्टमंडल भेजा था। अफगानिस्तान में पाये गये महत्त्वपूर्ण पुरातत्व अवशेष तथा भारत में पाये गये इन अवशेषों के निकट सम्बन्ध हमारे पुरातत्व शास्त्री जानते हैं।

†**श्री नन्दलाल शर्मा** : अफगानिस्तान में शिष्ट मंडल किन विशेष क्षेत्रों को गया था ? क्या मैं जान सकता हूं कि शिष्टमंडल तक्षशिला गया था तथा उस क्षेत्र को भी उसने देखा था ?

†**डा० म० मो० दास** : जहां तक तक्षशिला का सम्बन्ध है, इसकी पूर्णतया खुदाई हो चुकी है तथा उसके सबन्ध में हम सब कुछ जानते हैं यद्यपि वह अब पाकिस्तानी क्षेत्र हैं।

जहां तक इस शिष्ट मंडल द्वारा देखे गये स्थानों का सम्बन्ध है जो विवरण सभा-पटल पर रखा गया है उसमें लगभग पैंतीस स्थानों के नाम दिये हैं। सूची सभा पटल पर है।

†**श्री क० कु० बसु** : क्या खुदाई कार्य में, हमारे शिष्ट मंडल को अफगान सरकार से अथवा किसी उनके किसी विशेषज्ञ से कोई सहयोग प्राप्त हुआ था अथवा उसको अपने विशेषज्ञ पर पूर्णतया निर्भर रहना पड़ा ?

†**डा० म० मो० दास** : अफगानिस्तान विशेषज्ञ इस शिष्टमंडल से सम्बद्ध थे। परन्तु जहां तक सहयोग का सम्बन्ध है, शिष्टमंडल के एक सदस्य ने हमें बताया था कि वह अफगान जनता की मित्रता से तथा यथासंभव सुविधायें देने की अफगान सरकार की उत्सुकता से बड़े प्रभावित हुये ।

बीमा पालिसियों पर भारत-पाकिस्तान करार

†*१७३५. { **सरदार इकबाल सिंह**
सरदार अकरपुरी :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बीमा पालिसियों के सम्बन्ध में भारत और पाकिस्तान के बीच कोई करार हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री (श्री म० च० शाह)**: (क) तथा (ख). मार्च, १९५५ में कराची में हुए भारत पाकिस्तान सम्मेलन में यह तय हुआ था कि निष्क्रान्त सम्पत्ति विधि के अधीन दोनों ओर से बीमा पालिसियों सम्बन्धी दावों के बारे में कोई प्रतिबन्ध नहीं रखा जाना चाहिये। १–११–१९५५ को जारी किये गये प्रेस नोट में इसका ब्योरा दिया गया है।

†**सरदार इकबाल सिंह**: पाकिस्तान में जो हिन्दू और सिख रह गये हैं उनकी कितनी और कितने मूल्य की पालिसियां हैं ?

†**श्री म० च० शाह**: मुझे पालिसियों की संख्या नहीं मालूम है। यह जानकारी यदि मेरे माननीय मित्र चाहें तो मैं एकत्र करने के पश्चात् उन्हें दे सकता हूं।

†**सरदार इकबाल सिंह**: इस सम्मेलन में बीमा पालिसियों से सम्बन्धित और किन किन विषयों पर चर्चा हुई थी तथा क्या निर्णय किया गया था ?

†**श्री म० च० शाह**: उक्त सम्मेलन में यह तय हुआ था कि पाकिस्तान अथवा भारत में रह जाने वाली पालिसियों की अवधि पूरी हो जाने पर बीमा कराने वालों को उनके दावों की राशि का भुगतान करने के बारे में कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया जाना चाहिये।

†**श्री रा० प्र० गर्ग**: इस नये जीवन बीमा निगम के बन जाने से उन लोगों की पालिसियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा जो पाकिस्तान से प्रव्रजन कर गये हैं और जिनके दावों का अभी तक निबटारा नहीं हुआ है ?

†**श्री म० च० शाह**: चाहे कोई भारत से पाकिस्तान चला गया हो अथवा पाकिस्तान से भारत, जहां तक वैयक्तिक दावों और पालिसियों का सम्बन्ध है इन पर कोई भी अन्तर नहीं पड़ेगा।

†**श्री गिडवानी**: उक्त सम्मेलन के निर्णयों को कार्यान्वित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

†**श्री म० च० शाह**: महाभिरक्षक[1] तथा अभिरक्षक को निदेश देने वाला एक यह प्रेस नोट हमने पहले ही जारी कर दिया है कि उन बीमा कराने वालों के दावों के भुगतान पर कोई प्रतिबन्ध नहीं होना चाहिये जिनकी पालिसी की अवधि पूरी हो चुकी हो अथवा उन लोगों के लिये कोई प्रतिबन्ध नहीं होना चाहिये जो उन बीमा कराने वालों के वंशज हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है और जिनके मामले में दावे देय हैं।

†**श्री भागवत झा आजाद**: क्या करार हो जाने के पश्चात् और प्रेस नोट जारी की जाने के बाद करार कार्यान्वित किया गया है, और यदि हां, तो क्या ऐसा करने में कोई कठिनाई जान पड़ी है ?

†**श्री म० च० शाह**: जहां तक भारत का सम्बन्ध है उसके बारे में कोई कठिनाई नहीं है। जहां तक पाकिस्तान का सम्बन्ध है हम नहीं जानते कि उसने निदेश जारी किये हैं अथवा नहीं। किन्तु दावों के भुगतान पर प्रतिबन्ध लगाने के सम्बन्ध में हमें कोई शिकायत अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।

सेठ अचल सिंह: क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि इण्डियन यूनियन (भारतीय संघ) में रहने वाले लोगों की कितने रुपये की पालिसिज पाकिस्तान में हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Custodian General.

†**श्री म० च० शाह** : पाकिस्तान में कितने रुपये की पालिसियां ऐसी हैं जिनकी अवधि पूरी हो चुकी है, इसके मेरे पास आंकड़े नहीं हैं ।

†**श्री नन्दलाल शर्मा** : इन आंकड़ों को एकत्र करने में माननीय मंत्री कितना समय लेंगे ?

†**सरदार इकबाल सिंह** : हमने पाकिस्तान से न जाने कितने करार किये किन्तु पाकिस्तान ने उन्हें कार्यान्वित नहीं किया । क्या सरकार इस बात का कोई रिकार्ड रखती है अथवा आंकड़े तैयार करती है जिनके द्वारा वह यह बता सके कि कोई करार जो अन्तिम रूप से किया जा चुका हो, जिसमें यह भी सम्मिलित है, पाकिस्तान द्वारा कार्यान्वित न किया जाता है ?

†**श्री म० च० शाह** : जहां तक इस मामले का सम्बन्ध है अर्थात अवधि पूरे होने वाले दावों तथा वे दावे जिनका भुगतान किया जाने वाला है, उन पर लगाये गये प्रतिबन्धों के सम्बन्ध में, जैसा कि मैं पहले ही कह चुका हूं किसी भी पक्ष से हमें कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है ।

†**श्री नन्दलाल शर्मा** : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य यह जानना चाहते थे कि पाकिस्तान में जो पालिसियां हैं उनके बारे में आंकड़े एकत्र करने में कितना समय लगेगा ?

†**श्री म० च० शाह** : हमें इस मामले का निर्देश निगम को करना पड़ेगा जो यथाशीघ्र ये आंकड़े एकत्र करेगा ।

आधुनिक विचारधाराओं की पुस्तकें

*१७३७. **श्री विभूति मिश्र** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार किसान और मजदूरों के अध्ययनार्थ सस्ते दामों पर आधुनिक विचारधाराओं की पुस्तकें उपलब्ध कराने की कोई योजना बना रही है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी स्थूल रूपरेखा क्या है ?

शिक्षा उपमंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) जानकारी इकट्ठी की जा रही है

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

श्री विभूति मिश्र : मैं यह जानना चाहता हूं कि जब जानकारी प्राप्त की जा रही है, तो फिर प्रश्न के भाग (ख) का प्रश्न क्यों नहीं उत्पन्न होता है ?

डा० का० ला० श्रीमाली : प्रश्न का भाग (क) यह है—

> क्या यह सच है कि सरकार किसान और मजदूरों के अध्ययनार्थ सस्ते दामों पर आधुनिक विचारधाराओं की पुस्तकें उपलब्ध कराने की कोई योजना बना रही है ?

उसका जवाब यह दिया गया है कि जानकारी इकट्ठी की जा रही है, क्योंकि जहां तक मुझे मालम है, मिनिस्ट्री (मंत्रालय) के पास कोई ऐसी योजना नहीं है, लेकिन सम्भव है कि इसका सम्बन्ध दूसरी मिनिस्ट्रीज से हो । उनसे इस सम्बन्ध में जानकारी इकट्ठी की जा रही है । जब तक वह जानकारी इकट्ठी नहीं की जाती, तब तक भाग (ख) का प्रश्न कैसे उठ सकता है और इसीलिये उत्तर में कहा गया है कि उस योजना की स्थूल रूपरेखा का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री विभूति मिश्र : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार किसी ऐसी योजना पर विचार कर रही है कि किसानों और मजदूरों के लिये सस्ते दामों पर आधुनिक विचारधाराओं की पुस्तकें निकाली जायें? आखिर इसमें जानने की बात क्या रह गई है ?

डा० का० ला० श्रीमाली : अभी तक हमारे पास इसकी कोई जानकारी नहीं है कि अलग अलग मिनिस्ट्रीज में इसके सम्बन्ध में क्या काम हुआ है। मुमकिन है कि हैल्थ मिनिस्ट्री (स्वास्थ्य मंत्रालय) में ऐसी कोई योजना विचाराधीन हो या एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री कोई ऐसा काम कर रही हो। यह जानकारी हम इकट्ठी कर रहे हैं। जब वह इकट्ठी हो जायगी, तो इसके मुताल्लिक जो कुछ भी इत्तिला होगी, वह टेबल पर रख दी जायगी।

†**श्री डाभी** : प्राचीन विचारों से मित्रता रखने वाले आधुनिक विचारों की विशेषतायें क्या हैं ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : यह माननीय सदस्य ही बता सकते हैं।

श्रीमती कमलेन्दुमति शाह : अभी माननीय मंत्री ने कहा है कि बेपढ़े गांव वालों और मजदूरों के लिए किताबें तैयार करने की योजना बन रही है। मैं यह जानना चाहती हूं कि सरकार द्वारा एडल्ट एजूकेशन (प्रौढ़ शिक्षा) को बन्द करने के विषय में इलाहाबाद से नोटिस निकाले जाने के बाद किताबों की क्या जरूरत पड़ेगी।

डा० का० ला० श्रीमाली : सोशल एजूकेशन (समाज शिक्षा) का प्रोग्राम चल रहा है लेकिन जो प्रश्न उठाया गया है, वह जरा भिन्न है।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : क्या शिक्षा मंत्रालय ने 'आधुनिक विचार' के बारे में अपने दृष्टिकोण का स्पष्टीकरण किया है और क्या सामाजिक शिक्षा प्रकाशन योजना के अधीन आधुनिक विचारों पर उसने कोई पुस्तकें प्रकाशित की हैं ?

†**श्री कामत** : सिद्धान्त पर भी।

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : जहां तक मैं समझ सका हूं माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि क्या वैज्ञानिक दृष्टिकोण से किसानों और मजदूरों के लिये कुछ साहित्य सृजन करने का प्रयत्न किया गया है; 'आधुनिक विचारों' से सम्भवतः उनका तात्पर्य किसानों के हित के लिये वैज्ञानिक दृष्टिकोण से विभिन्न समस्याओं का समाधान करना है।

†**अध्यक्ष महोदय** : सभी माननीय सदस्य पौराणिक और आधुनिक क्या है, यह जानते हैं। किन्तु वह यह जानना चाहते हैं कि पुराना और आधुनिक विचार क्या है। यदि वे स्वयं भार लें तो किसानों को शिक्षित करने के लिये क्या करेंगे ? अतः यह प्रश्न उचित नहीं है।

रिक्शा चलाने वालों की गिरफ्तारी

†***१७३८. श्री दशरथ देव** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत मास में अगरतला में लगभग १८ रिक्शा चलाने वाले गिरफ्तार किये गये थे; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण थे ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : (क) २२ जुलाई, १९५६ को अगरतला में १७ रिक्शा खींचने वाले गिरफ्तार किये गये थे।

(ख) ये लोग विदेशी राष्ट्रजन थे जिनके पास पारपत्र नहीं थे।

†**श्री कृष्णाचार्य जोशी** : ये विदेशी राष्ट्रजन किन देशों के थे ?

†**श्री दातार** : ये पाकिस्तानी राष्ट्रजन थे।

आसाम में आदिम जाति के लोग

† *१७३९. **श्री देवेन्द्रनाथ सर्मा** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आसाम को १९५४-५५, १९५५-५६ और १९५६-५७ में अनुसूचित आदिम जाति के लोगों के आर्थिक उत्थान के लिये सहायताअनुदान के रूप में कितनी राशि दी गई है; और

(ख) उसमें से वर्षवार कितनी राशि व्यय की गई ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : (क) तथा (ख). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ११, अनुबन्ध संख्या ४**]

†**श्री देवेन्द्रनाथ सर्मा** : विवरण में आदिम जाति के लोगों की आर्थिक अवस्था सुधारने के लिये स्वीकृत की गई राशि स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई गई है। क्या उद्योगों के विकास के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा कुछ राशि विशेष रूप से स्वीकृत की गई है जिससे आदिम जाति के लोगों की आर्थिक अवस्था सुधारने में प्रत्यक्ष सहायता मिले ?

†**श्री दातार** : जहां तक कुटीर उद्योगों का सम्बन्ध है, कुछ राशि स्वीकृत की गई है। इसके अतिरिक्त रेशम कीट पालन, बुनाई, पशु चिकित्सा, सहकारिता और कृषि ऐसे विषय हैं।

†**श्री देवेन्द्रनाथ सर्मा** : क्या उन आदिम जाति क्षेत्रों में उद्योगों का विकास करने का कोई विचार है जिनमें बहुत से प्राकृतिक संसाधन पाये जाते हैं ?

†**श्री दातार** : सरकार की यही नीति है। संविधान के अनुच्छेद २७५ के अधीन केन्द्र जो अनुदान देता है उसमें से अन्य चीजों के साथ सरकार इनका भी विकास करना चाहती है।

†**श्री देवेन्द्रनाथ सर्मा** : क्या इस प्रकार का कोई निश्चित प्रस्ताव तैयार किया गया है ?

†**श्री दातार** : बहुत सी चीजें हैं। ये बड़ी स्पष्ट हैं और जो विषय मैं अभी बता चुका हूं वे इन्हीं विभिन्न विषयों से सम्बन्धित हैं। कुछ योजनायें भारत सरकार पहले ही स्वीकृत कर चुकी है।

†**श्रीमती खोंगमेन** : विवरण से विदित होता है कि केन्द्रिय सरकार द्वारा स्वीकृत सम्पूर्ण राशि का उपयोग नहीं किया गया है। राज्य सरकार को सहायता अनुदान के रूप में दी गई सम्पूर्ण राशि का उपयोग न कर सकने में क्या कठिनाइयां हैं जब कि और अधिक अच्छी कृषि तथा अन्य कार्य के लिये प्रोत्साहित करने के रूप में बहुत कुछ काम करना रहता है ?

†**श्री दातार** : माननीय सदस्य देखेंगे कुछ कठिनाइयों, विशेषकर टेक्निकल कर्मचारी वर्ग के पर्याप्त संख्या में न मिलने के कारण कुछ थोड़ी सी राशि का उपयोग नहीं किया जा सका और वह व्यपगत हो गई। कभी कभी सामान भी समय से नहीं मिलता। केवल ये ही कारण हैं किन्तु सम्पूर्ण रूप से वह अधिकांश राशि व्यय कर रही ह।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री हेडा** : ऐसे मामलों में राज्य सरकारों द्वारा भेजी गई योजनाओं की जांच करने में विलम्ब होने से निधियों का उपयोग न कर सकने में केन्द्रीय सरकार कहां तक उत्तरदायी है ?

†**श्री दातार** : पहले कुछ विलम्ब हुआ था। अब विलम्ब नहीं होने पाता और स्वीकृति दे दी जाती है। साधारणत: योजनायें भी समय से प्राप्त हो जाती हैं।

श्री तिम्मय्या खड़े हुए

†**अध्यक्ष महोदय** : यह आसाम के आदिम जाति के बारे में है, मैसूर के बारे में नहीं। माननीय सदस्य को प्रश्न पूछने के लिये अनुमति देने में मुझे कुछ भी आपत्ति नहीं है। किन्तु अभी हमारे पास और बहुत से प्रश्न हैं।

†**श्री तिम्मय्या** : मुझे एक सामान्य प्रश्न पूछना है।

†**अध्यक्ष महोदय** : पूछिये।

†**श्री तिम्मय्या** : क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा आदिम जातियां और अनुसूचित जातियों के लोगों के उत्थान के सम्बन्ध में प्रत्येक राज्य में किये गये कार्यों के बारे में राज्य सरकारों से कोई प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या वह प्रतिवेदन सभा-पटल पर रखा जायेगा ?

†**श्री दातार** : मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि प्रतिवेदन वर्ष के अन्त में प्राप्त होते हैं। ये सारे प्रतिवेदन एकत्रित करके अनुसूचित जाति और अनुसूचित आदिम जाति के आयुक्त के प्रतिवेदन में प्रकाशित कर दिये जाते हैं।

भारतीय प्रशासनिक सेवा

†***१७४०. श्री काजरोल्कर** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार भारतीय प्रशासन सेवा के लिये विशेष भर्ती में राजनीतिक पीड़ितों को अधिमान[1] अथवा सुविधा देने का विचार करती है; और

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)**: (क) तथा (ख). जी नहीं। भारतीय प्रशासन सेवा (विशेष भर्ती) परीक्षा, १९५६ के लिये निर्धारित अधिकतम आयु सीमा ४० वर्ष में राजनीतिक पीड़ितों के लिये छूट देकर ४३ वर्ष कर दी है।

†**श्री काजरोल्कर** : भारतीय प्रशासन सेवा में विशेष भर्ती के लिये कितने राजनीतिक पीड़ितों ने आवेदन पत्र भेजे हैं ?

†**श्री दातार** : इस समय मैं उसके आंकड़े नहीं बता सकता क्योंकि अभी ही आवेदन की तिथि समाप्त हुई है जब कि आवेदन पत्र छांटने में कुछ समय लगेगा।

†**श्री वेलायुधन** : क्या यह सच नहीं कि प्रतियोगितात्मक परीक्षा के लिये बनाये गये नियमों के एक पैराग्राफ विशेष में यह भी लिखा हुआ है कि जो लोग प्रतियोगितात्मक परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं होंगे उन्हें भी मौखिक परीक्षा के लिये बुलाया जा सकता है ?

†**श्री दातार** : माननीय सदस्य देखेंगे कि इस प्रकार के विनियमों की व्यवस्था अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवारों के लिये की गई है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Preference

†**श्री वेलायुधन** : मैं इस समय अनुसूचित जाति के लोगों के बारे में नहीं पूछ रहा हूं। मैं यह पूछ रहा हूं कि जब इस प्रकार की चीज जारी की गई है तो क्या इससे प्रतियोगिता की भावना समाप्त नहीं हो जाती ?

†**श्री दातार** : इससे वह भावना समाप्त नहीं हो जाती। एकाध कोई ऐसा मामला हो सकता है जिसमें उम्मीदवार नियम की टेक्निकल आवश्यकताओं को पूरा न कर सके। सामान्य रूप से यह चीज बिल्कुल लागू नहीं होगी।

†**श्री कामत** : इस विशेष भर्ती के लिये आवेदन पत्रों के बारे में क्या सरकार के पास शिकायतें अथवा रिपोर्टें आई हैं कि कुछ राज्य सरकारों ने अपने अधीन कार्य करने वाले कर्मचारियों के आवेदन पत्र केन्द्रीय सरकार के पास भेजने से इन्कार कर दिया और क्या यह भी सच है कि रेलवे तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय जैसे केन्द्रीय मंत्रालयों ने भी इस विशेष भर्ती के लिये अपने कमचारियों द्वारा आवेदन करने के सम्बन्ध में वास्तविक रोक लगा दी है ?

†**श्री दातार** : जब इस प्रश्न पर अन्तिम विचार किया गया था तो सरकार ने भारत सरकार के सभी मंत्रालयों तथा विभागों को परिपत्र जारी कर दिये थे जो राज्य सरकारों के पास पहुंच भी गये हैं। उसमें यह कहा गया है कि कुछ ऐसे मामलों को छोड़ कर, जिनमें सरकार अथवा विभाग अध्यक्ष इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि सरकार की सेवा के हित में उस व्यक्ति विशेष का रहना आवश्यक है, सामान्यतः अन्य आवेदन पत्र भेज दिये जायेंगे।

†**श्री जांगड़े** : क्या यह सच नहीं कि रेलवे मंत्रालय से आने वाले सारे आवेदन पत्र रेलवे बोर्ड द्वारा इस बहाने पर रोक दिये गये कि कार्य कुशलता पर प्रभाव पड़ेगा ?

†**श्री दातार** : मुझे यह बात नहीं मालूम। यह तो सामान्य रोक है।

†**श्री घूसिया** : क्या सरकार ने 'राजनीतिक पीड़ित' की परिभाषा की है अथवा वे व्यक्ति जो पीड़ित हैं अथवा जिन पर अभियोग चलाया गया था और सजा हुई थी और जो विभिन्न राजनीतिक दलों में कार्य कर रहे हैं वे भी राजनीतिक पीड़ित समझे जायेंगे ?

†**श्री दातार** : राजनीतिक पीड़ित की परिभाषा बहुत समय बीता तब की गई थी। राजनीतिक पीड़ित वह होता है जिसको उसके राजनीतिक कार्य-कलापों के कारण वंचित कर दिया गया है अथवा प्रतियोगितात्मक परीक्षा में जिसे भाग लेने से मना कर दिया गया है, अथवा जिसे सरकारी सेवा होते हुए राजनीतिक कार्यों में भाग लेने के लिये दण्ड दिया गया था अथवा उसके राजनीतिक कार्य कलापों के कारण जिसे सेवा से हटा दिया गया था।

†**श्री घूसिया** : मेरे प्रश्न के बाद वाले भाग का उत्तर नहीं दिया गया है।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं पुनः प्रश्न पूछने की अनमति नहीं दे सकता।

†**श्री गिडवानी** : क्या इस भारतीय प्रशासन सेवा की परीक्षा की तारीख कुछ आगे बढ़ा दी गई है ?

†**श्री दातार** : मैं पहले ही बता चुका हूं कि परीक्षा इस वर्ष दिसम्बर में होने वाली है।

एक माननीय सदस्य खड़े हुए

†**अध्यक्ष महोदय** : अगला प्रश्न। जब मैं देखता हूं कि एक ही प्रश्न को बार-बार पूछने की भावना आ गई है तो मैं अगले प्रश्न को लेना पसन्द करता हूं।

---

†मूल अंग्रेजी में

खनन तथा धातुकर्म[1]

†*१७४२. **श्री च० रा० नरसिंहन :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि सरकार दक्षिण के विश्वविद्यालयों में और विशेषतया मद्रास विश्वविद्यालयों में खनन तथा धातुकर्म सम्बन्धी पाठ्यक्रम चालू करने के लिये कोई विशेष कार्यवाही कर रही है, खास कर जब कि निवेली लिगनाइट और सलेम बाक्साइट परियोजनाओं के बाद अब दक्षिण में खनिजों का एक बड़े पैमाने पर विकास होने जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इस कार्यवाही का विस्तृत विवरण क्या है ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० म० मो० दास)**: (क) तथा (ख). अपेक्षित सुचना सम्बन्धी एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है [**देखिये परिशिष्ट ११, अनुबन्ध संख्या ५**]

†**श्री च० रा० नरसिंहन्** : विवरण में यह कहा गया है कि ऊरगाम, गुडूर और मद्रास तथा अन्य कई स्थानों पर डिग्री तथा नेशनल सर्टीफिकेट कोर्स शुरू किये जा रहे हैं । क्या मैं जान सकता हूं कि यह कोर्स किस शैक्षणिक वर्ष से प्रारम्भ होगा ?

†**डा० म० मो० दास** : सम्भवतया अगले वर्ष से । और, अगर वर्तमान कालिजों वाले इस वर्ष से ही इसका प्रबन्ध कर सकेंगे तो वे इसी वर्ष से ही दाखिला प्रारम्भ कर सकते हैं। हमने पाठ्यक्रम चालू करने का निश्चय तो कर ही दिया है।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : उसमानिया विश्वविद्यालय में इसके लिये २५ विद्यार्थियों को लेने का निश्चय किया गया था किन्तु उन्हें अभी तक दाखिल नहीं किया गया है। क्या इन विश्वविद्यालयों को इन कोर्सों के पढ़ाने के लिये जो वित्तीय सहायता दी गई है उसके अतिरिक्त इन्हें कुछ अनुभवी अध्यापकों के रूप में भी केन्द्र द्वारा कोई और सहायता दी जायेगी ?

†**डा० म० मो० दास** : लोगों को वहां भेजने में बड़ी कठिनाइयां हैं । हमें अनुभवी तथा अर्ह[2] अध्यापकों की उपलब्धि में पर्याप्त कठिनाई हो रही है। यदि इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार उनकी किसी प्रकार से सहायता करने में समर्थ हो सकेगी तो वह अवश्य उनको वित्तीय सहायता आदि देने के लिये तैयार रहेगी ।

†**श्री जांगड़े** : क्या शिक्षा मंत्रालय उन सभी राज्यों को जो खनन तथा धातुकार्मिक कालिज खोलना चाहते हैं; सहायता देगा ?

†**डा० म० मो० दास** : निश्चय ही; केन्द्र सभी राज्य सरकारों की सहायता करना चाहता है। किन्तु, यहां पर केन्द्रीय सरकार ही पहले कदम उठा रही है।

हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड

†*१७४३. **श्री त० ब० विट्ठल राव** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी जर्मनी की एक फर्म से हिन्दुस्तान एयर क्राफ्ट लिमिटेड में सवारी डिब्बों की उत्पादन क्षमता को जो १५ डिब्बे प्रतिमास है २५ डिब्बे प्रतिमास तक बढ़ाने के लिये नया संयंत्र लगाने के लिये जो बातचीत हो रही थी क्या वह पूर्ण हो चुकी है; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या विवरण है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Metallurgy.

[2]Qualified.

†**प्रतिरक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी)** : (क) तथा (ख). जी हां। हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड और पश्चिमी जर्मनी की एक फर्म में सम्पूर्ण प्रकार के डिब्बे बनाने का एक करार हुआ है। हमारा यह विचार है कि इस कारखाने की उत्पादन क्षमता को ३०० डिब्बे प्रतिवर्ष तक बढ़ा दिया जाये। पश्चिमी जर्मनी की यह फर्म हमें इस सम्बन्ध में डिजाइन, आवश्यक टेकनीकल विवरण, तथा टेकनीकल सहायता देगी तथा इस कारखाने में वास्तविक उत्पादन को बढ़ाने के लिये इसके आयोजन तथा विस्तार कार्यों में भी सहायता देगी। यह हिन्दुस्तान एयर क्राफ्ट द्वारा जर्मनी में भेजे गये कुछ व्यक्तियों को भी जर्मनी में अपने यहां प्रशिक्षण देगी। इन सेवाओं के लिये इस फर्म को उत्पादन के हिसाब से कुछ रायल्टी दी जायेगी। प्रारम्भ में यह फर्म हमें मशीनरी के लिये कुछ आवश्यक उपकरण भी देगी। इसके लिये इसे पृथक मूल्य दिया जायेगा।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : यह रायल्टी कितने वर्षों तक दी जायेगी ?

†**श्री त्यागी** : कदाचित यह संविदा ५ वर्ष तक जारी रहेगा।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : इस परियोजना पर कुल कितना रुपया व्यय होने का अनुमान लगाया गया है ?

†**श्री त्यागी** : लगभग ४ करोड़ रुपये।

†**श्री बंसल** : उनको कितने प्रतिशत रायल्टी दी जायेगी ?

†**श्री त्यागी** : यह रायल्टी भिन्न भिन्न है। हमारे संविदा में लम्बी-चौडी शर्तें हैं। उसके अनुसार यह उत्पादन के अनुसार भिन्न भिन्न है। किन्तु मैं इस समय ठीक ठीक आंकड़े नहीं बता सकता।

†**श्री भागवत झा आजाद** : इस करार के अनुसार यह कारखाना कब तक और डिब्बे बनाने लगेगा ?

†**श्री त्यागी** : मैं इसकी ठीक ठीक तिथि नहीं बता सकता हूं। किन्तु कार्य शीघ्र ही प्रारम्भ हो जायेगा। वास्तव में हम अब भी सवारी डिब्बे बना रहे हैं, किन्तु इस समय केवल उनका ऊपरी ढांचा ही तैयार किया जाता है।

†**श्री म० शि० गुरुपादस्वामी** : क्या पेराम्बूर कारखाने में प्राप्त अनुभव का हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट में उपयोग नहीं उठाया जा सकता है ?

†**श्री त्यागी** : हमने यह करार रेलवे बोर्ड के परामर्श से ही किया है। उनका एक स्विस फर्म से कुछ सम्पर्क है। उन्होंने ही यह परामर्श दिया है कि हिन्दुस्तान में इस सम्बन्ध में एक दूसरी फर्म भी होनी चाहिये।

†**श्री बंसल** : क्या हमारा सम्पूर्ण डिब्बे बनाने के लिये पहले से ही एक स्विस फर्म के साथ करार नहीं है। यदि हां, तो फिर उसी कार्य के लिये एक अन्य विदेशी फर्म के साथ करार करने की क्यों जरूरत पड़ गई है ? भारत सरकार एक ही वस्तु के निर्माण के लिये और कितनी देर तक विदेशी सहयोग पर निर्भर रहना चाहती है ?

†**श्री त्यागी** : क्योंकि पेराम्बूर का कारखाना बढ़ती हुई मांग को पूरा नहीं कर सका है इसलिये हमें यह प्रबन्ध करना पड़ा है। हमारा उद्देश्य विदेशी फर्मों को यहां लाना नहीं है, प्रत्युत हम उनसे निर्माण तथा व्यवस्था सम्बन्धी कुछ बातें भी जानना चाहते हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री बंसल** : इस में प्रश्न का उत्तर कहीं नहीं दिया गया है।

†**अध्यक्ष महोदय** : अब प्रश्न काल समाप्त हो गया है।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : श्रीमान् हमने कुछ देरी से प्रश्न प्रारम्भ किये थे।

†**अध्यक्ष महोदय** : अच्छा ठीक। श्री चेट्टियार।

†**श्री ति० सु० अ० चेट्टियार** : माननीय मंत्री महोदय ने यह कहा है कि उत्पादन के अनुसार रायल्टी दी जायेगी। क्या मैं जान सकता हूं कि इसकी अधिकतम तथा न्यूनतम सीमा क्या होगी ?

†**श्री त्यागी** : इस प्रश्न के लिये मुझे अलग से सूचना चाहिये।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : वर्तमान कारखाना दो पाली के हिसाब से कार्य कर रहा है और यह प्रतिमास १५ सवारी डिब्बे बनाता है। यदि हम इसमें दो के स्थान पर तीन पाली शुरू कर देते तो क्या इसकी क्षमता नहीं बढ़ सकती थी ?

†**श्री त्यागी** : जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं हम इस समय केवल डिब्बों का ऊपरी हिस्सा ही बना रहे हैं; किन्तु अब हम सम्पूर्ण डिब्बे बनाना चाहते हैं। अतः अब हम एक नये प्रकार की व्यवस्था करने जा रहे हैं।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : समाचार पत्रों में आज ही यह समाचार छपे हैं कि इस कारखाने में पहिये नहीं बनाये जायंगे अतः यह सम्पूर्ण डिब्बों का निर्माण कैसे हो सकता है ?

†**श्री त्यागी** : माननीय सदस्य को सदा ईन समाचार पत्रों पर निर्भर नहीं रहना चाहिये क्योंकि उन में सदा सही सूचना नहीं होती है।

†**श्री बंसल** : हमने पहले भी सम्पूर्ण डिब्बे बनाने के लिये करार किया था। अगर अब इस नये कारखाने में भी वही तरीका अपनाया जाना है तो हम पहली ही जानकारी का क्यों नहीं लाभ उठा सकते हैं ?

†**श्री त्यागी** : मैं पहले बता चुका हूं कि हमने यह कार्य रेलवे बोर्ड के परामर्श से किया है उन्होंने यही अच्छा समझा है कि क्योंकि देश की सारी आवश्यकताएं एक ही कारखाने से पूरी नहीं की जा सकतीं अतः देश में दो फर्म होनी चाहियें। इस प्रकार क्षमता को बढ़ाने के लिये उन्होंने दूसरे कारखाने के लिये एक स्वतन्त्र पार्टी से ही बातचीत करना अच्छा समझा है।

वित्त मंत्रालय का पुनर्गठन

† ***१७४४. श्री वोडयार** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि सरकार ने वित्त मंत्रालय के पुनर्गठन पर विचार किया है;

(ख) यदि हां, तो किन कारणों से तथा इस नये गठन की क्या रूपरेखा होगी;

(ग) क्या अब प्रत्येक मंत्रालय में वित्त मंत्रालय की ओर से एक वित्तीय सलाहकार होगा; और

(घ) इस नई व्यवस्था के अनुसार वित्तीय सलाहकार के क्या कर्तव्य होंगे ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री (श्री म० च० शाह)** : (क) वित्त मंत्रालय व्यय के नियंत्रण तथा वित्त सम्बन्धी मंत्रणा का बराबर पुनर्विलोकन करता रहता है ।

(ख) तथा (ग). वित्त मंत्रालय तथा व्यय करने वाले मंत्रालयों में अधिक सहयोग लाने के लिये, तथा वित्तीय प्रस्तावनाओं का अधिक शीघ्रता से यापन करने के लिये और मंत्रालयों में वित्तीय क्षमता बढ़ाने के लिये, उनके व्यय विभागों के प्रमुखों को वित्तीय सलाहकार के रूप में नामोद्दिष्ट किया गया है । इसी प्रकार वित्तीय उपसलाहकारों की संख्या भी बढ़ा दी गई है ताकि प्रत्येक प्रमुख मंत्रालय को वित्तीय विषयों में सलाह देने के लिये एक पूर्णकालिक वरिष्ठ अधिकारी की सेवाएं प्राप्त कराई जा सकें ।

(घ) वित्तीय सलाहकार तथा उसके कार्यालय के कार्य व्यय करने वाले मंत्रालयों को किसी प्रस्तावना के वित्तीय पहलुओं पर परामर्श देना है । वह ऐसे प्रस्तावों को तैयार करने से लेकर उनके सरकार द्वारा स्वीकृत किये जाने तक प्रत्येक स्तर पर उनकी सहायता करेगा तथा वित्त मंत्रालय के प्रतिनिधि के रूप में उसे विभिन्न स्तरों पर उसके विषय में व्यय करने के सम्बन्ध में स्वीकृति देने का अधिकार होगा । इस प्रकार वह उसके प्रक्रिया सम्बन्धी नियमों के यथोचित देखभाल करेगा ।

†**श्री वोडयार** : क्या यह पुनर्गठन एपलबी रिपोर्ट की सिफारिश पर किया जा रहा है ?

†**श्री म० च० शाह** : इसका उस रिपोर्ट से कोई सम्बन्ध नहीं है । मंत्रिमंडल ने इस सम्बन्ध में कुछ विषयों पर चर्चा की थी और यह उसके निश्चयों के अनुसार ही किया जा रहा है ।

†**श्री भागवत झा आजाद** : प्रत्येक मंत्रालय के लिये एक नया वित्तीय सलाहकार नियुक्त करने की जो यह योजना बनाई गई है क्या इसका मंत्रालयों को वित्तीय विषयों में कुछ ढील देने की योजना से कोई सम्बन्ध है अथवा क्या यह एपलबी की रिपोर्ट के कारण बनाई गई है ?

†**वित्त तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री कृष्णमाचारी)** : यह विषय बड़ा ही सीमित है । इस विषय को कुछ वर्ष पहले प्रारम्भ किया गया था ताकि वित्तीय नियंत्रण में कुछ अधिक आसानी हो सके तथा कुछ लम्बित फाइलों का शीघ्रता से यापन[1] किया जा सके । विभागों को पुनर्गठित करने के प्रसंग में यह पहली सीढी है । हो सकता है बाद में कुछ अन्य वस्तुओं पर भी विचार किया जाये और तदनुसार और नये परिवर्तन किये जायें ।

†**अध्यक्ष महोदय** : अब प्रश्नकाल समाप्त होता है ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम

†*१७३२. **श्री नि० बि० चौधरी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अभी तक भारत को अन्तर्राष्ट्रीय निगम से कोई सहायता मिल सकी है;

(ख) क्या इस प्रकार प्राप्त धन के विनियोजन की कोई योजना बनाई गई है;

(ग) निगम द्वारा भारत को किन शर्तों पर धन मिलेगा अथवा मिला है; और

(घ) इस प्रकार के विनियोजनों के लिये सरकार का क्या उत्तरदायित्व है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Disposal.

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : (क) यह निगम अभी २४–७–१९५६ को बना है, हमने अभी तक कोई विनियोजन नहीं किया है।

(ख) यह निगम केवल गैर-सरकारी उद्योगों को ही ऋण देगा। अतः उसके रुपये से विनियोजन के लिये सरकार द्वारा कोई योजना बनाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) अभी तक निगम द्वारा ये शर्तें आदि तय नहीं की गई हैं।

(घ) अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम जो भी विनियोजन करेगा उसके लिये सरकारों का कोई भी उत्तरदायित्व नहीं होगा। किन्तु विदेशी मुद्रा विनियमन नियमों के अतिरिक्त प्रत्येक विदेशी विनियोजन पर भारत सरकार की अनुमति लेना आवश्यक है। अतः ऐसा कोई भी विनियोजन करने से पहले भारत सरकार की इजाजत लेनी होगी।

व्यावहारिक प्रशिक्षण वृत्तिका योजना

†*१७३६. **श्री मु० इस्लामुद्दीन** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५६–५७ में व्यावहारिक प्रशिक्षण वृत्तिका[1] योजना के प्रशिक्षार्थियों के लिये कितने छात्रावास बनाने का प्रस्ताव है; और

(ख) ये किन स्थानों पर बनाये जा रहे हैं तथा बनाने का विचार है ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : (क) और (ख). इस मामले पर अभी विचार किया जा रहा है।

बन्द किये गये नोट

*१७४१. **श्री बलवन्त सिंह मेहता** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि राजा छाप नोटों के बन्द होने के बाद से जनता इन नोटों के साथ ही एक रुपये वाले सिक्कों को बदलने के लिये बैंकों और डाकघरों में ले जा रही है, किन्तु सुविधाओं के अभाव में उनकी प्रार्थनायें पूरी नहीं की जा रही हैं; और

(ख) इस कठिनाई को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

राजस्व और प्रतिरक्षा व्यय मंत्री (श्री अ० चं० गुह) : (क) अनुसूचित बैंकों, डाकघरों आदि द्वारा राजा छाप नोटों और सिक्कों को लेने से इनकार किये जाने का कोई मामला सरकार के सामने नहीं आया। वास्तव में, इन नोटों का चलन २८ अक्टूबर १९५६ से बन्द होगा। सरकार ने २८ अप्रैल १९५६ को जो अधिसूचना निकाली थी उसमें इस बात की व्यवस्था है कि २८ अक्टूबर १९५६ के बाद ऐसे नोट केवल रिजर्व बैंक आफ इण्डिया के निर्गम विभाग (इश्यू डिपार्टमेंट) की शाखाओं, राजकोषों तथा उप-राजकोषों और स्टेट बैंक आफ इण्डिया, हैदराबाद स्टेट बैंक और मैसूर बैंक लिमिटेड की, रिर्जव बैंक आफ इण्डिया के एजेंटों के रूप में काम करने वाली, शाखाओं में ही बदले जायेंगे।

(ख) यह प्रश्न उठता ही नहीं।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

†*१७४५. **श्री वि० घ० देशपांडे** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने दिल्ली विश्वविद्यालय के अध्यापकों के पारिश्रमिक निर्धारित करते हुए, जिन अध्यापकों के पास डाक्टरेट की डिग्री थी, उनको दो विशेष वृद्धियां दी हैं;

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Practical Training Stipends.

(ख) यदि हां, तो सम्बद्ध कालिजों समेत विश्वविद्यालय में कुल कितने डाक्टर हैं तथा उनमें से कितने को यह लाभ दिया गया है;

(ग) क्या कुछ को यह लाभ नहीं दिया गया है, और यदि हां, तो क्यों; और

(घ) क्या यह सच है कि नवीन निर्धारण के अंतर्गत आने वाले व्यक्तियों की प्रथम वृद्धि की तिथि, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने जुलाई, १९५६ निश्चित की है तथा इसका दिल्ली विश्वविद्यालय के कई व्यक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : (क) जी हां, ये वृद्धियां उन अध्यापकों को दी गई हैं जिन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय में नियुक्ति के समय अथवा इसके किसी सम्बद्ध कालिज में डाक्ट्रेट की डिग्री प्राप्त की हो।

(ख) और (ग). ४४ डाक्टरों में से ४१ को लाभ मिला है। विश्वविद्यालय प्राधिकारी शेष ३ व्यक्तियों के मामलों पर विचार कर रहे हैं।

(घ) क्योंकि सम्बद्ध कालिजों के अध्यापकों का वेतन १ जुलाई १९५५ से पुनरीक्षित किया गया है इसलिये अगली वृद्धि, उनके मामले में प्रत्येक वर्ष की जुलाई में होगी। इसी प्रकार विश्वविद्यालय के अध्यापकों की अगली वृद्धि प्रत्येक वर्ष की पहली अप्रैल को होगी क्योंकि उनके वेतन १ अप्रैल १९५६ से पुनरीक्षित किये गये थे। इस प्रकार के मामलों में, योजना लागू करने की कोई भी तिथि क्यों न हो, कुछ व्यक्तियों पर उनका अवश्य प्रतिकूल असर पड़ेगा। परन्तु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने एक सिद्धान्त निकाला है जिससे कम से कम गड़बड़ी हो।

वैज्ञानिक और प्राविधिक शब्दावली

***१७४६. श्री भक्त दर्शन** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वैज्ञानिक और प्राविधिक शब्दों की हिन्दी शब्दावली तैयार करने में अब तक कितना व्यय हुआ है और निश्चित काम के पूरे होने तक कितनी राशि व्यय होने की आशा है।

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)**: गैर-सरकारी सदस्यों के सफ़र भत्ते और दैनिक भत्ते के रूप में, पारिभाषिक शब्दावली के काम पर लगे हुये लोगों के वेतन पर और हिन्दी पुस्तकालय के लिये पुस्तकें खरीदने आदि पर अब तक कुल मिला कर लगभग ५,४१,६०० रुपये खर्च हुये हैं। अनुमान है कि १९६० तक—जब कि यह काम पूरा हो जाने की आशा है—लगभग तीन-चार लाख रुपया प्रतिवर्ष और खर्च होगा।

भारतीय पुलिस सेवा (आई० पी० एस०) के वेतन क्रम

†***१७४७. श्रीमती अ० काले** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री ३१ मार्च, १९५६ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १०३६ के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि मामला किस प्रक्रम पर है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : मामले पर अभी विचार किया जा रहा है।

करारोपण सुधार

†***१७४९.** { **श्री सैं० वे० रामस्वामी** :
सरदार इकबाल सिंह :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार न भारतीय करारोपण सुधारों पर प्रो० काल्डर के प्रतिवेदन पर विचार कर लिया है।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या सरकार ने उनके सुझावों को स्वीकार कर लिया है; और

(ग) यदि हां, तो उनको लागू करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†**राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री (श्री म० च० शाह)** : (क) प्रतिवेदन की जांच की जा रही है।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

जल उपकर इकट्ठा करना

†***१७५०. श्री मैथ्यू** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत कई वर्षों की जल उपकर बकाया धनराशि को एक साथ लेने के विरोध में क्या त्रावणकोर-कोचीन के किसानों से कोई प्रतिनिधान प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस पर क्या कार्यावाही की गई है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** :(क) और (ख). प्रश्न कदाचित लिफ्ट सिंचाई से सींची जाने वाली भूमि के पानी पर उपकर के संबंध में है। १ अप्रैल, १९५० से जल उपकर की दरें २५ रुपये प्रति एकड़ निश्चित कर दी गई हैं। परन्तु पहली सरकार ने, जनता के प्रतिनिधानों पर कर इकट्ठा करना रोक दिया था। शिकायतों की सावधानी से जांच की गई तथा यह पाया गया कि कर की दरों को कम नहीं किया जा सकता है। कर इकट्ठा करने को रोकने के आदेश १४ मई, १९५६ को वापस ले लिये गये तथा कर की बकाया राशि को उगाहने के आदेश जारी कर दिये गये। कर इकट्ठा करने को रोकने के आदेश वापस लेने के विरुद्ध प्रतिनिधान मिले हैं। इन पर सामान्य नियमों के अन्तर्गत विचार होगा।

दिल्ली में बम विस्फोट

†***१७५१. डा० सत्यवादी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री जुम्मा मस्जिद दिल्ली के निकट बम फटने की जांच के संबंध में १८ जुलाई, १९५६ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ९८ के भाग (ख) के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि मामला किस स्थिति पर है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : जांच अभी पूरी नहीं हुई है तथा तेजी से की जा रही है।

असिस्टेंट के पद की परीक्षा

†***१७५३. श्री ब्रजेश्वर प्रसाद** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार, असिस्टेंट के पद की अगली परीक्षा कब करने का विचार कर रही है;

(ख) क्या सरकार ने, इसको नियमित वार्षिक परीक्षा बनाने की योजना बनायी है

(ग) क्या यह सच है कि गत वर्ष सरकार द्वारा घोषित १० रिक्त स्थानों के लिये, लगभग ५०० अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों को ले लिया गया है तथा उनका इस से भी अधिक लोगों को लेने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : (क) और (ख). भरती किये जाने वाले असिस्टेंटों की संख्या कितनी है तथा कितने समय के पश्चात् भरती होनी चाहिये यह बात समय-समय पर सरकार को होने वाली आवश्यकता पर निर्भर है। आवश्यकताओं का अगला पुनरीक्षण १९५७ के प्रारंभ में किया जायेगा।

(ग) और (घ). इस परीक्षा के परिणामस्वरूप भरे जाने वाले रिक्त स्थानों की संख्या के संबंध में घोषणा अप्रैल, १९५५ में की गई थी तथा सरकार द्वारा निर्धारित संख्या उस समय की आवश्यकताओं पर आधारित थी। परन्तु परीक्षा के परिणाम मई १९५५ में मिले। उस समय तक द्वितीय पंचवर्षीय योजना बना ली गई थी तथा विभिन्न मंत्रालयों तथा संम्बद्ध कार्यालयों में बड़े पैमाने पर विस्तार कार्य हुआ। कितने ही अस्थायी पद विभिन्न मंत्रालयों में स्थायी बना दिये गये। परिणामस्वरूप अप्रैल, १९५५ की सूचना से असिस्टेंटों के पद के लिये रिक्त स्थानों की संख्या बहुत अधिक पायी गयी।

इसलिये सरकार ने इस परीक्षा के परिणामस्वरूप अर्हता प्राप्त प्रथम ४०० अभ्यार्थियों को स्थायी नियुक्ति देने का निर्णय किया। इसके अतिरिक्त इस पद में अस्थाई तौर पर ४०० अभ्यर्थी नियुक्त किये जायेंगे।

युद्ध सामग्री कारखाने

†*१७५४. **ठाकुर युगुल किशोर सिंह :**
श्री अस्थाना :
बाबू रामनारायण सिंह :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय कानपुर तथा अन्य स्थानों के युद्ध सामग्री के कारखाने कितनी सामर्थ्य से काम कर रहे हैं;

(ख) क्या इनकी पूर्ण सामर्थ्य के अनुसार इन से काम लेने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ग) यदि हां, तो कब से ?

†**प्रतिरक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी)** : (क) सारे कारखाने को चलाने के लिये एक शिफ्ट में जितने मजदूरों की आवश्यकता है उसकी तुलना में वास्तव में जितने मजदूर नियुक्त हैं— इस बात के आधार पर कानपुर के युद्ध सामग्री के कारखाने में अनुमानतः औसत सामर्थ्य का उपयोग निम्न है :—

छोटे शस्त्रास्त्रों का कारखाना	५० प्रतिशत
हार्नेस तथा सैडलरी कारखाना	७५ प्रतिशत
आयुध कारखाना	६७ प्रतिशत
आयुध तथा पैराशूट कारखाना	६४ प्रतिशत

(ख) आयुध कारखानों की सामर्थ्य का उपयोग मुख्यतया सैन्य आवश्यकताओं संबंधी आर्डरों पर आधारित है। सैन्य आर्डरों का भार कम होने से जब भी सामर्थ्य अप्रयुक्त रही तभी इस का उपयोग व्यापारिक कार्यों जैसे रेलवे तथा सरकारी विभागों के कामों के लिये किया जाता है।

---

†मूल अंग्रेजी में

परन्तु, फिर भी युद्ध सामग्री कारखानों में कुछ विशेष संयंत्र हैं जिनका सैल्म कार्यों के अतिरिक्त अन्य उपयोग नहीं किया जा सकता है।

(ग) आपातकाल में ही शक्ति का पूर्ण उपयोग संभव है। साधारण समय में कुछ अप्रयुक्त सामर्थ्य भी आपातकाल के लिये रखी जाती है।

नागपुर में रिजर्व बैंक का भवन

†*१७५५. **मुल्ला अब्दुल्ला भाई** : क्या **वित्त** मंत्री ९ अप्रैल, १९५६ को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या ८३१ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागपुर में, भारत के रिजर्व बैंक का भवन पूर्ण हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस निर्माण पर कुल कितना व्यय किया गया है ?

†**राजस्व और प्रतिरक्षा व्यय मंत्री (श्री अ० चं० गुह)** : (क) जी हां।

(ख) अभी लेखों को अंतिम रूप नहीं दिया गया है परन्तु कुल व्यय लगभग ७५ लाख रुपये होने की संभावना है। इसमें भूमि का मूल्य ५,३९,०८१ रुपये शामिल नहीं है।

अस्पृश्यता

†*१७५६. **श्री रामचन्द्र रेड्डी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अस्पृश्यता अधिनियम को लागू करने के लिये तथा हरिजन कल्याण के विकास के लिये अस्थाई रूप से प्रचारक नियुक्त किये गये थे;

(ख) यदि हां, तो इस कार्य के लिये कितनी धनराशी कितने समय के लिये स्वीकृत हुई है तथा अब तक कितनी धनराशि व्यय हुई है; और

(ग) क्या इन प्रचारकों की सेवायें समाप्त की जा रही हैं अथवा समाप्त की जा चुकी हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : (क) भारत सरकार प्रचारक नियुक्त नहीं करती है। इनको राज्य सरकारों तथा कुछ गैर-सरकारी संगठनें प्रत्येक वर्ष नियुक्त करते हैं। केन्द्रीय सरकार केवल इस कार्य के लिये अनुदान देती है।

(ख) जिन वर्षों की जानकारी की अपेक्षा है यदि वह वर्ष बताये जायें तो अपेक्षित जानकारी एकत्रित की जायेगी तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी।

(ग) नियुक्त करने वालों के संबंध में बताया जाये तो यह जानकारी भी एकत्रित की जायेगी तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी।

अहमदाबाद की स्थिति

†*१७५७. **श्री कामत** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ८ से १५ अगस्त, १९५६ की अवधि में अहमदाबाद में सैनिक पुलिस अथवा सैनिक अथवा दोनों ही बुलाये गये थे; और

(ख) यदि हां, तो इसका उद्देश्य क्या था ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)**: (क) और (ख). ९ अगस्त को अहमदाबाद में 'फ्लैग मार्च' किया गया था। कुछ सैनिकों को बिजली घर तथा वाटर वर्क्स की दखभाल के लिये लगाया गया था। और किसी कार्य के लिये सैनिक नहीं लगाये गये थे।

चीनी विद्यार्थी

†*१७५८. **श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत भारतीय विश्वविद्यालयों में **चीन** के कितने विद्यार्थी अध्ययन कर रहे हैं ; और

(ख) किन किन विश्वविद्यालयों में वह अध्ययन कर रहे हैं ?

†**शिक्षा उप मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) ११।

(ख) अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रोपिकल मैडिसिन, कलकत्ता तथा जमियामिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली।

तम्बाकू उत्पादन शुल्क

†*१७५९. **श्री भीखा भाई** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उदयपुर डिविजन में तम्बाकू के उत्पादन शुल्क को कम करने के संबंध में कोई प्रतिनिधान प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) क्या यह सच है कि उसी राज्य में विभिन्न डिविजन में उत्पादन शुल्क अलग अलग है ?

†**राजस्व और प्रतिरक्षा व्यय मंत्री (श्री अ० चं० गुह)** : (क) जी हां।

(ख) दिल्ली कलेक्टोरेट के उदयपुर डिविजन में उत्पन्न तम्बाकू की 'सुखो औखो' किस्म पर कर निर्धारण के संबंध में प्रतिनिधान प्राप्त हुए थे क्योंकि वह व्यवहार योग्य समझी गई थी तथा बीड़ी के निर्माण में भी बहुत मामूली मात्रा में इसका उपयोग किया जा रहा है। उपयोग के आधार पर कर मूलतः प्रति पौंड १४ आने निश्चित किया गया था परन्तु बाद में प्रतिनिधान प्राप्त होने पर दिल्ली कलेक्टोरेट के कुछ भाग में कर घटा कर ६ आने कर दिया गया। इसी प्रकार की किस्म, जो 'औखो बुखो' कहलाती है तथा उत्तरी गुजरात में बोई जाती है, उस पर कर १४ आने प्रति पौंड लिया जाता था परन्तु बाद में प्रति पौंड ६ आने कम कर दिया गया था।

(ग) तम्बाकू पर, बीड़ी बनाई जा सकती है अथवा नहीं इस आधार पर कर निर्धारित किया जाता है। विभिन्न कार्यों के लिये, विभिन्न क्षेत्रों में कुछ मध्यम किस्म भी उपयोग में लाई जाती है। इसलिये इन क्षेत्रों में, उपयोग के अनुसार कर भी अलग अलग है।

विदेशों में भारतीय अध्यापकों का प्रशिक्षण

†*१७६०. **श्री० दी० चं० शर्मा** :
श्री क० कृ० दास :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५४–५५ में राज्यवार केन्द्रीय सरकार की योजनाओं के अधीन कितने भारतीय अध्यापक विदेश भेजे गये;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या १९५६–५७ में भी कुछ अध्यापक विदेश भेजे गये थे ; और

(ग) यदि हां, तो कब तथा किन राज्यों से ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : (क) से (ख). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [**देखिय परिशिष्ट ११, अनुबन्ध संख्या ६**]

भारत-पाकिस्तान बैंकिंग करार

†*१७६१. **श्री गिडवानी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या २४ तथा २५ जुलाई, १९५६ को भारत-पाकिस्तान बैंकिंग करार की क्रियान्वित समिति का सम्मेलन कराची में हुआ था ; और

(ख) यदि हां, तो एक देश ने दूसरे देश को निष्क्रान्तों के बैंक लेखों के स्थानांन्तरण के संबंध में समिति ने क्या निर्णय किये हैं।

†**राजस्व और प्रतिरक्षा व्यय मंत्री (श्री अ० चं० गुह)** : (क) जी हां।

(ख) समिति की बैठक के पश्चात् जारी किया गया प्रेसनोट सभा पटल पर रखा जाता है। [**देखिय परिशिष्ट ११, अनुबन्ध संख्या ७**]

तेल शोधन का कारखाना

†*१७६३. **श्री मु० इस्लामुद्दीन** :
श्री विभूति मिश्र :

क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार सरकार ने बिहार में प्रस्ताविक तेल शोधन के कारखाने को स्थापित करने के अपने दावे को प्रस्तुत किया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उनका दावा स्वीकार कर लिया है ?

†**प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) बिहार सरकार से एक प्रस्ताव मिला है कि नई तेल शोधन का कारखाना बिहार में स्थापित किया जाये।

(ख) इस प्रश्न पर अभी तक कोई निर्णय नहीं किया गया है।

बेसिक हिन्दी व्याकरण

*१७६४. **श्री भक्त दर्शन** : क्या **शिक्षा** मंत्री ३ मई, १९५६ के तारांकित प्रश्न संख्या १८९८ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि बेसिक हिन्दी व्याकारण प्रकाशित करने के बारे में अभी तक कितनी प्रगति हो चुकी है ?

शिक्षा उपमंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : बुनियादि हिन्दी व्याकरण का अंग्रेजी संस्करण प्रेस में है और आशा है कि वह दो-तीन महीने के भीतर छप जायेगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

प्रारूप निर्वाचक नामावली

†*१७६५. **ठाकुर युगल किशोर सिंह :**
श्री अस्थाना :
बाबू राम नारायण सिंह :

क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिये कि अधिक से अधिक निर्वाचकों के नाम निर्वाचक नामावली में पंजीबद्ध किये जायें, विधान मंडलों के वर्तमान सदस्यों को प्रारूप निर्वाचक नामावली की एक-एक प्रति देने की प्रस्थापना पर विचार कर लिया है ?

†**विधि कार्य मंत्री (श्री पाटस्कर)** : जी हां, सरकार का विचार संसद् या राज्य विधान मंडलों के विद्यमान सदस्यों को प्रारूप निर्वाचक नामावलियों की एक-एक प्रति देने का नहीं है ।

विश्वविद्यालय के अध्यापकों का वेतन

†*१७६६. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री राम कृष्ण :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न विश्वविद्यालयों के अध्यापकों के लिये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा क्या नया वेतन-क्रम नियत किया गया है ; और

(ख) क्या यह सच है कि भारत सरकार ने नये वेतन-क्रम को लागू करने के खर्च में आधा खर्च देने को कहा है ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा म० मो० दास)** : (क) और (ख). सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ११, अनुबन्ध संख्या ८**]

विदेशी धर्म-प्रचारक

†*१७६७. **श्री कृष्णाचार्य जोशी :**
श्री संगण्णा :
श्री भीखा भाई :
श्री हेम राज :
श्री बादशाह गुप्त :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में विदेशी ईसाई धर्म-प्रचारकों की भारत विरोध गति-विधियां बढ़ रही हैं ; और

(ख) यदि हां, तो स मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : (क) भारत सरकार के पास जो जानकारी उपलब्ध है, उसके अनुसार प्रश्न में व्यक्त की गयी धारणा के लिये कोई तथ्यपूर्ण आधार नहीं है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

---

†मूल अंग्रेजी

अन्तर्राष्ट्रीय नाटक समारोह

†*१७६८. { **सरदार इकबाल सिंह :**
सरदार अकरपुरी :

क्या **शिक्षा** मंत्री ४ अप्रैल, १९५६ के तारांकित प्रश्न संख्या ११६७ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने इस वर्ष पेरिस में होने वाले अन्तर्राष्ट्रीय नाटक समारोह में भाग लेने का निश्चय इस बीच कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० म० मो० दास)**: (क) स वर्ष पेरिस में होने वाले अन्तर्राष्ट्रीय नाटक समारोह में भाग न लेने का निश्चय किया गया।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

सरकारी स्कूलों की योग्यता छात्रवृत्तियां

†१२८८. **श्री भीखा भाई** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अभी तक ऐसे कितने विद्यार्थियों को सरकारी स्कूलों की योग्यता छात्र वृत्तियां मिली हैं जिनके माता पिता या अभिभावक सरकारी और अर्द्ध-सरकारी कार्यालयों में काम करते हैं।

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : १२०।

खनन इन्जीनियरिंग संस्थायें

†१२८९. **श्री राम कृष्ण** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करगे कि :

(क) द्वितीय पंच वर्षीय योजना में भारत में खनन इन्जीनियरिंग संस्थायें स्थापित करने की योजना पर क्या अन्तिम निश्चय कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो योजना की मुख्य मुख्य बातें क्या हैं ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** :(क) और (ख). मांगी गयी जानकारी का एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ११, अनुबन्ध संख्या ९**]

सम्पदा शुल्क

†१२९०. **श्री कर्णी सिंहजी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ३१ मार्च, १९५६ तक राजस्थान में, विशेषतया बीकानेर डिवीजन से संबंधित संपदा शुल्क के कितने मामले पंजीबद्ध हुये ; और

(ख) कितने मामले निबटा दिये गये और उनसे कितनी धन राशि इकट्ठी हुई ?

†**राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री (श्री म० च० शाह)** : (क) और (ख). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ११, अनुबन्ध संख्या १०**]

त्रावणकोर-कोचीन में गैर सरकारी स्कूलों के अध्यापक

†१२९१. **श्री मैथ्यू** : क्या **शिक्षा** मंत्री ३१ जुलाई, १९५६ के तारांकित प्रश्न संख्या ५०५ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या त्रावनकोर-कोचीन सरकार के

---

†मूल अंग्रेजी में

सामने ऐसी कोई प्रस्थापना विचाराधीन है कि गैर-सरकारी स्कूलों के प्रबन्धकों को अपनी पसन्द के लोगों के अध्यापक नियुक्त करने की स्वतंत्रता पर, यदि उनके पास शिक्षा विभाग द्वारा निश्चित की गयी आवश्यक अर्हतायें हों, कुछ रोक लगा दी जाये ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : जी नहीं :

मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियां

†**१२९२. श्री नि० बि० चौधरी** : क्या **शिक्षा** मंत्री पश्चिमी बंगाल के हुगली और मिदनापूर जिलों के अनुसूचित जातियों के उन विद्यार्थियों के नामों का एक विवरण सभा-पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि जिन को १९५५–५६ में मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियां प्रदान की गयी थीं ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ११, अनुबन्ध संख्या ११**]

आसाम का पहाड़ी सामाजिक तथा सांस्कृतिक संघ

†**१२९३. श्री रिशांग किशिंग** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आसाम के पहाड़ी सामाजिक तथा सांस्कृतिक संघ की प्रार्थना पर भारत सरकार ने १९५४ में शिलांग में एक हाल व पुस्तकालय बनाने के लिये १०,००० रुपये की राशि मंजूर की थी ;

(ख) क्या यह सच है कि धन का उपयोग नहीं हो पाया, क्योंकि वह उक्त संघ को नहीं दिया गया और इसी बीच अेक और संस्था बन गई ;

(ग) क्या वह राशि भारत सरकार को सौंप दिया गया है, या अभी भी राज्य सरकार के पास है ; और

(घ) क्या सरकार इस बात की जांच करेगी कि धन का उपयोग क्यों नहीं किया गया ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० म० मो० दास)**: (क) से (घ). जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

प्रादेशिक गवेषणा प्रयोगशालायें

†*१२९४. **श्री राम कृष्ण** : क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वैज्ञानिक तथा औद्योगिक गवेषणा परीषद द्वारा किये गये निश्चिय के अनुसार प्रादेशिक गवेषणा प्रयोगशालायें स्थापित करने की योजना का अंतिम निश्चय कर लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस वर्ष में और द्वितीय पंच वर्षीय योजना में कितनी प्रयोगशालायें और कहां कहां खोली जायेंगी ; और

(ग) इस योजना की मुख्य मुख्य विशेषतायें क्या हैं ?

†**प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) और (ख). जी हां, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक गवेषणा परिषद् द्वितीय पंच वर्षीय योजना में आसाम में एक प्रादेशिक गवेषणा प्रयोगशाला स्थापित करना चाहती है। परिषद्, ने अभी हाल में हैदराबाद स्थित वैज्ञानिक तथा

---

†मूल अंग्रेजी में

औद्योगिक गवेषणा की केन्द्रीय प्रयोगशाला को भी हैदराबाद प्रदेश के लिये उसे प्रादेशिक गवषणा प्रयोगशाला के रुप में विकसित करने के लिये अपने हाथ में ले लिया।

(ग) प्रादेशिक प्रयोगशालाओं का मुख्य कार्य अपने अपने प्रदेश के कच्चे माल के बार में गवेषणा करना और उन प्रदेशों के विद्यमान तथा नये उद्योगों के विकास तथा उनकी उन्नति में सहायता देना होगा।

काजू के कारखाने

†**१२९५. श्री वें० प० नायर** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रथम पंच वर्षीय योजना की अवधि में त्रावणकोर-कोचीन राज्य स्थित काजू के कारखानों से कितना बिक्रीकर और आयकर वसूल हुआ ?

†**राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री (श्री म० च० शाह)** : जानकारी इकट्ठी की जा रही है और प्राप्त हो जाने पर सभा पटल पर रख दी जायेगी।

सीसे और जस्ते के अयस्क

†**१२९६. श्री बलवन्त सिंह महता** : क्या **[प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार सीसे और जस्ते के अयस्क का उत्पादन बढ़ाना चाहती है ;

(ख) यदि हां, तो क्या कोई कार्यक्रम निश्चित किया गया है ;

(ग) इस समय दैनिक उत्पादन क्या है ; और

(घ) उसे किस हद तक बढ़ाने की इच्छा है ?

†**प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) से (घ). इस समय सीसे और जस्ते का दैनिक उत्पादन ३०० टन है। सरकार ने ज़ावर में काम करने वाले समवाय को परामर्श दिया है कि वह १९६० तक या उसके पूर्व ही उत्पादन बढ़ा कर १००० टन कर दे।

यूनेस्को के प्रकाशनों का अनुवाद

†**१२९७. श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यूनेस्को को सहयोग देने के लिये बने भारतीय राष्ट्रीय आयोग ने यूनेस्को के कौन कौन से प्रकाशनों को विभिन्न भारतीय भाषाओं में अनूदित करने का कार्य हाथ में लिया है ; और

(ख) किन-किन प्रकाशनों का अनुवाद किया जा चुका है ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० म० मो० दास)**: (क) और (ख). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ११, अनुबन्ध संख्या १२**]

लाहौल और स्पिती का विकास

†**१२९८. श्री हेम राज** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री ४ अप्रैल, १९५६ के अतारांकित प्रश्न संख्या ७१७ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लाहौल और स्पिती के अनुसूचित क्षेत्रों के विकास की सभी योजनाओं का अंतिम निश्चय हो गया है और उनके संबंध में पंजाब सरकार का प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो उनमें से किन-किन का अनुमोदन किया गया है ; और

(ग) क्या योजना की एक प्रति सभा-पटल पर रखी जायेगी ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : (क) से (ग). द्वितीय पंचवर्षीय योजना में लाहौल और स्पिती के अनुसूचित क्षेत्रों के विकास की सभी योजनाओं का अंतिम निश्चय हो गया है। सरदार इकबाल सिंह, सरदार अकरपुरी और श्री रा० कृ० गुप्त के ४ अप्रैल, १९५६ के अतारांकित प्रश्न संख्या ७१७ के उत्तर में सभा-पटल पर रखी गयी योजनाओं के अतिरिक्त अन्य अनुमोदित योजनाओं को इस विवरण में दिखाया गया है जो सभा-पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ११, अनुबन्ध संख्या १३**]

भारतीय वायु सेना प्रशिक्षण

†**१२९९. श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५५-५६ में कितने भारतीयों को वायूसेना के प्रशिक्षण के लिये विदेश भेजा गया ?

†**प्रतिरक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी)**: ६०

टेकनीकल ट्रेनिंग कालेज जलहाली

†**१३००. श्री राम कृष्ण** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री ९ अप्रैल, १९५६ के अतारांकित प्रश्न संख्या ८०२ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) टेक्निकल ट्रेनिंग कालेज, जलहाली में जो २० विदेशी अनुदेशक हैं उनके नाम व पद क्या हैं ; और

(ख) प्रत्येक अनुदेशक का मासिक वेतन व अन्य भत्ते क्या हैं ?

†**प्रतिरक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी)** : (क) और (ख). जानकारी का एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। [**देखिय परिशिष्ट ११, अनुबंध संख्या १४**] इन २० विदेशी अनुदेशकों में से १४ के स्थान पर भारतीय अनुदेशक रखे जा चुके हैं।

भूतपूर्व सैनिक

†**१३०१. श्री जयपाल सिंह** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५० के बाद से तीनों सेवाओं में से कितने पदाधिकारी कार्य मुक्त किये जा चुक हैं;

(ख) उनमें से कितनों को (सरकारी) असैनिक नौकरियों में रखा गया ; और

(ग) सेवा में ऐसे कितने व्यक्ति हैं जिनको असैनिक नौकरी करने की अनुमति नहीं दी गयी ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया)**: (क) १ जनवरी, १९५० से ३१ मई, १९५६ तक तीनों सेवाओं से २५३४ पदाधिकारियों को कार्यमुक्त किया गया।

(ख) ७२०।

(ग) किसी भी अनियमित पदाधिकारी को, जिसने अनुमति मांगी, असैनिक नौकरी के लिये आवेदन-पत्र देने की अनुमति रोकी नहीं गयी। सशास्त्र सेनाओं के नियमित कमीशन-प्राप्त पदाधिकारियों को नियमानुकुल असैनिक नौकरियों के लिये आवेदन-पत्र देने की अनुमति सामान्यतः नहीं दी जाती।

---

†मूल अंग्रेजी में

अध्यापकों का प्रशिक्षण

†१३०२ { **श्री राम कृष्ण :**
श्री मादिया गौडा :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या द्वितीय पंचवर्षीय योजना में डिग्री और डिप्लोमा-प्राप्त अध्यापकों को बहु प्रयोजनीय और जूनियर टेकनिकल स्कूलों के लिये प्रशिक्षण देने की योजना का अंतिम निश्चय कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो योजना की मुख्य मुख्य बातें क्या हैं ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० म० मो० दास)**: (क) और (ख).मांगी गयी जानकारी का एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ११, अनुबन्ध संख्या १५**]

सेना में अस्पृश्यता

१३०३. **श्री बाल्मीकी :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय सेना से अस्पृश्यता का निवारण करने के लिये क्या प्रयत्न किये जा रहे हैं ; और

(ख) क्या सरकार भारतीय सेना में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों की संख्या में वृद्धि करने के लिये कुछ सक्रिय कार्यवाही कर रही है ?

प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) सशस्त्र बल में अस्पृश्यता नहीं है और इस लिये इसके निवारण करने का प्रश्न नहीं उठता।

(ख) भर्ती करने वाले कर्मचारीगण को हिदायत कर दी गई है कि इस बात का अच्छी तरह ध्यान रखें कि सभी बातें समान होने पर, अनुसूचित जाति और अनुसूचित आदिम जाति के लोगों को तरजीह दी जाय।

पंजीबद्ध विदेशी

†१३०४. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५६ में अभी तक भारत में कुल कितने विदेशियों के नाम पंजीबद्ध हो चुके हैं; और

(ख) वे किन-किन देशों के रहने वाले हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : (क) और (ख). जैसा कि श्री कृष्णाचार्य जोशी के ८ अगस्त, १९५६ के अतारांकित प्रश्न संख्या ५०७ के उत्तर में बताया गया था, वर्ष १९५६ की जानकारी उपलब्ध नहीं है। १९५५ में पंजीबद्ध विदेशियों का एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ११, अनुबन्ध संख्या १६**]

सीमा शुल्क विभाग

†१३०५. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **वित्त** मंत्री लोक सभा पटल पर एक विवरण रखने की कृपा करेंगे जिसमें बताया गया हो कि :

(क) वर्ष १९५५ की अवधि में सीमा शुल्क विभाग के पदाधिकारियों के विरूद्ध भ्रष्टाचार की कितनी शिकायतें प्राप्त हुई थीं ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) शिकायतों के कितने मामलों की अब तक जांच की जा चुकी है और अंतिम निर्णय किया जा चुका है ; और

(ग) इन शिकायतों के फलस्वरूप कितने प्राधिकारियों को दंड दिया गया था ?

†**राजस्व और प्रतिरक्षा व्यय मंत्री (श्री अ० चं० गुह)** :(क) से (ग). सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ११, अनुबन्ध संख्या १७**]

सैनिक प्रशिक्षण

†**१३०६. श्री जयपाल सिंह** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हमारी सशस्त्र सेनाओं के कर्मचारियों द्वारा प्रशिक्षण प्रयोजनों के लिये कितने देशों की सहायता की जाती है ;

(ख) कर्मचारियों को किन निर्बन्धनों और शर्तों पर उधार दिया जाता है या प्रतिनियुक्त किया जाता है ; और

(ग) उन देशों में इन उधार दिये गये या प्रतिनियुक्त किये गये कर्मचारियों पर किस प्राधिकार द्वारा नियन्त्रण रखा जाता है ?

†**प्रतिरक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी)** (क) तीन।

(ख) भारत में जो सामान्य वेतन तथा भत्ते मिलते हैं उन के अतिरिक्त कर्मचारियों को उचित प्रतिकारात्मक भत्ता और विदेश में आवास, छुट्टी तथा यात्रा के मामले में कुछ रियायतें भी मिलती हैं।

(ग) वे संबंधित सेवा मुख्यालय के समस्त प्राधिकार और अपनी सेवा के अनुशासिक नियमों के अधीन चले आते हैं।

पुस्तकें

†**१३०७. श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत में १९५५–५६ की अवधि में विभिन्न भाषाओं में कुल कितनी पुस्तकें प्रकाशित की गई हैं ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० म० मो० दास)**: जानकारी एकत्रित की जा रही है और यथा समय उसे सभा पटल पर रख दिया जायेगा।

तम्बाकू

†**१३०८. श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५१ से १९५६ तथा प्रत्येक वर्ष में पृथक रुप से पंजाब के होशियारपुर जिले में कितनी भूमि पर तंबाकू की खेती की गई ; और

(ख) इन वर्षों में पृथक रुप से, तंबाकू पर उत्पादन शुल्क द्वारा कुल कितनी रकम प्राप्त हुई थी ?

†**राजस्व और प्रतिरक्षा व्यय मंत्री (श्री अ० चं० गुह)** : (क) और (ख). सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है जिसमें अपेक्षित जानकारी दी गई है [**देखिये परिशिष्ट ११, अनुबन्ध संख्या १८**]

---

†मूल अंग्रेजी में

सीमा शुल्क विभाग

†१३०९. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सीमा शुल्क विभाग में १९५४–५५ और १९५५–५६ के वर्षों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के सदस्यों के लिये कितने पद सुरक्षित रखे गये थे ; और

(ख) उस अवधि में उन्हें कितने पदों पर नियुक्त किया गया था ?

†**राजस्व और प्रतिरक्षा व्यय मंत्री (श्री अ० चं० गुह)** : (क) तथा (ख). जानकारी एकत्रित की जा रही है और यथा शीघ्र उसे सभा-पटल पर रख दिया जायेगा ।

बिहार में भूमि अर्जन

†१३१०. **श्री झूलन सिंह** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि साबया के हवाई अड्डे के लिये जो भूमि स्थायी रुप से अर्जित की गई थी उसके संबंध में बारह वर्ष से अधिक समय से जिला सरन (बिहार) के मीरगंज थाने में बरहेया और अन्य गावों में किसानों से अब तक किराया लिया जाता रहा है और अभी भी लिया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इसके कारण क्या है ;

(ग) उन ज़मीनों के लिये जो प्रतिकर राशि थी क्या उसकी एक काफ़ी बड़ी रकम अभी तक सरकार के ही पास है ; और

(घ) यदि हां, तो राशि वितरण करने के लिये क्या कार्यवाहियां करने का प्रस्ताव है ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया)** : (क) माननीय सदस्य द्वारा कही गई बात सरकार को मालूम नही है । यदि कोई शिकायत है तो उसे बिहार सरकार या ज़िले के कलक्टर को भेजा जाना चाहिये ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

कर्नाटक और मैसूर में शिलालेखों की सूची

†१३११. **श्री मादिया गौडा** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुरातत्व विद्या संबंधी केन्द्रीय मंत्रणा समिति द्वारा दी गई सिफ़ारिशों के अनुसार कर्नाटक और मैसूर में शिलालेखों की कोई समेकित स्थानवृत संबंधी सूची तैयार की गई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उसे प्रकाशित किया गया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो कारण क्या है ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) भारतीय शिलालेखों की एक समेकित सूची तैयार करने के संबंध में यथा समय कर्नाटक और मैसूर में स्थानवृत्त संबंधी शिलालेखों की सूचियों के संकलन के प्रश्न पर भी कार्यवाही की जायेगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

सहायक सेना छात्र दल शिविर

†१३१२. **श्री मादिया गौडा :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५५–५६ में प्रत्येक सहायक सेना छात्र दल शिविर में कितना प्राक्कलित कार्य किया गया था तथा प्रशिक्षण दिया गया था ?

†**प्रतिरक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी)** : सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ११, अनुबन्ध संख्या १९]**

पुरातत्व संबंधी शिष्ट मंडल

†१३१३. **सरदार इकबाल सिंह :**
सरदार अकरपुरी :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार की, विदेशों को पुरातत्व संबंधी शिष्टमंडल भेजने की एक योजना है ; और

(ख) यदि हां, तो उन देशों के नाम क्या हैं और इस संबंध में कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० म० मो० दास) :** (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

पंजाब और पेप्सू में महिला कल्याण

†१३१४. **सरदार इकबाल सिंह :**
सरदार अकरपुरी :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सामाजिक कल्याण बोर्ड ने १९५६–५७ के लिये पंजाब और पैप्सू में कल्याण के लिये निम्न मदों के अन्तर्गत जो विस्तृत योजना बनाई है, वह क्या है :—

(१) ग्रामसेविकाओं के प्रशिक्षण के लिये कितने प्रशिक्षण केन्द्र चलाये जायेंगे ;

(२) इन प्रशिक्षण केन्द्रों में कितने अध्यापक रखे जायेंगे और उनका वेतन-क्रम क्या होगा ;

(३) गांवों में कितनी कल्याण विस्तार परियोजनायें चलाई जायेंगी और उनमें से प्रत्येक के लिये कितना धन दिया जायेगा ;

(४) ग्राम सेविकाओं को इन केन्द्रों में कितना वेतन और भत्ता दिया जाता है ; और

(५) ज़िला संयोजकों को कितना मानदेय और भत्ता दिया जाता है ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० म० मो० दास) :**

(१) पंजाब	१
पेप्सू	१

†मूल अंग्रेजी में

(२) अपेक्षित जानकारी एकत्रित की जा रही है और यथाशीघ्र सभा-पटल पर रखी जायेगी।

(३) पंजाब २६
पेप्सू १६

एक कल्याण विस्तार परियोजना पर पांच वर्षों के लिये प्रतिवर्ष आवर्तक व्यय अनुमानतः २९,४८० रु० और अनावर्तक व्यय २०,००० रु० होता है।

(४) पंजाब ५०—३—८०—४—१०० रु०
पेप्सू ५०—३—८० रु०

तथा ऐसे अन्य भत्ते जो संबंधित सरकारों के उतना ही वेतन पाने वाले व्यक्तियों को मिलते हैं।

(५) जिला आयोजकों को कोई मानदेय नहीं दिया जाता है किन्तु यदि वे एक परियोजना की निगरानी करते हैं तो वे सरकारी कार्य से सम्बन्धित खर्च के—व्यय को ६०० रुपये वार्षिक से अधिक नहीं होना चाहिये—पुनः भुगतान का दावा कर सकते हैं। प्रत्येक अतिरिक्त परियोजना के लिये उन्हें २०० रुपये अतिरिक्त मिलते हैं।

भारतीय समवाय अधिनियम का प्रवर्तन

†१३१५. **सरदार इकबाल सिंह :**
सरदार अकरपुरी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब और पेप्सू में भारतीय समवाय अधिनियम के अधीन इस समय कितने समवायों के कार्य की, सरकारी निरीक्षकों के द्वारा जांच की जा रही है;

(ख) क्या इन निरीक्षकों के द्वारा कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है; और

(ग) उक्त निरक्षक किस के आदेश से नियुक्त किये जाते हैं ?

†**राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री (श्री म० च० शाह)**: (क) छ,।

(ख) चार मामलों में निरीक्षकों ने प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है।

(ग) उक्त सभी मामलों में निरीक्षकों को भारतीय समवाय अधिनियम १९१३ की धारा १३७ (५) के अधीन समवायों के पंजीयक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर नियुक्त किया गया है।

तेल शोधन का कारखाना

†१३१६. **श्री देवेन्द्र नाथ सर्मा :**
श्री रिशांग किशिंग :

क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री ३ अगस्त १९५६ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ६९७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नहरकटिया क्षेत्र में बिना विशेष शर्तों पर आसाम तेल समवाय को तेल को खोजने की अनुज्ञप्ति दी गई है; और

(ख) क्या तेल खोजने की अनुज्ञप्ति मंजूर करने और नया तेल शोधक कारखाना खोलने में आसाम की सरकार से भी परामर्श किया गया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)**: (क) और (ख). अपेक्षित सूचना देने-वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है [**देखिये परिशष्ट ११, अनुबन्ध संख्या २०**]

अनुसूचित क्षेत्रों में शिक्षा

†**१३१७. श्री हेमराज** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अनुसूचित क्षेत्रों के विद्यार्थी शिक्षा संस्थाओं में निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने के अधिकारी हैं;

(ख) क्या यह सच है कि लाहौल और स्पिति (पंजाब) के अनुसूचित क्षेत्रों के विद्यार्थियों से शुल्क लिया जाता है ;

(ग) यदि हां, तो उसका कारण क्या है ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : (क) अपने क्षेत्रों के मामले को राज्य सरकारें ही निर्णय करती हैं।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

नोटों का चोरी से लाना ले जाना

१३१८. श्री रघुनाथ सिंह : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनवरी, १९५६ से अब तक भारतीय नोटों के चोरी से पाकिस्तान ले जाने के कितने मामले पकड़े गये हैं और इस बारे में कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है ?

राजस्व और प्रतिरक्षा व्यय मंत्री (श्री अ० चं० गुह) : जनवरी १९५६ से ३१ जुलाई १९५६ तक, भारतीय नोटों के चोरी छिपे पाकिस्तान ले जाने के प्रयत्न के १४२ मामलों का पता लगा । इस सम्बन्ध में कोई गिरफ्तारी नहीं हुई ।

सुरंग हटानेवाले जहाज (माइनस्वीपर)

१३१९. श्री रघुनाथ सिंह : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि भारतीय नौ-सेना को सुदृढ़ बनाने के लिये चार सुरंग हटाने वाले जहाज और दो 'फ्रिगेट' जहाज खरीदे जा रहे हैं ?

प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया): भारतीय नौसेना के लिये कुछ सुरंगें हटाने वाले और 'फ्रिगेट' जहाज प्राप्त किये जा रहे हैं। इनमें से चार तटीय सुरंगें हटाने वाले जहाज अभी अभी यू० के० में आयुक्त किये गये हैं और भारतीय समुद्रसीमा में जल्दी ही पहुंच जायेंगे। दो 'फ्रिगेट' जहाजों के १९५७ में शामिल होने की आशा है ।

पश्चिम बंगाल में तेल की खोज

१३२०. श्री० खू० चं० सोधिया : क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल के कुछ क्षेत्रों में तेल की खोज करने के लिये स्टैण्डर्ड वैकुअम कम्पनी के साथ जो करार किया गया है उसकी मुख्य शर्तें क्या हैं; और

(ख) क्या करार की एक प्रति संसद पुस्तकालय में रख दी गयी है ?

प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) : (क) तथा (ख). इस जानकारी को अभी प्रकट करना जन साधारण के हित में नहीं है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

टेक्निकल अध्यापकों के वेतन

१३२१. **श्री खू० चं० सोधिया** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है की अखिल भारतीय टेक्निकल शिक्षा परिषद् की समन्वय समिति ने टेक्निकल संस्थाओं में भिन्न-भिन्न श्रेणियों के अध्यापकों के लिये भिन्न भिन्न वेतन-मान निश्चित किये हैं ;

(ख) यदि हां, तो इन वेतन-मानों का ब्योरा क्या है;

(ग) क्या सरकार इन वेतन-मानों को लागू करने के लिये उन सभी संस्थाओं को कुछ विशेष अनुदान देना चाहती है;

(घ) यदि हां, तो कुल कितनी तथा प्रत्येक संस्था को अलग-अलग कितनी राशि दी जायेगी; और

(ङ) इस अनुदान से कुल कितनी संस्थायें लाभान्वित होंगी ?

शिक्षा उपमंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) और (ख). समन्वय समिति टेक्निकल संस्थाओं के अध्यापकों के वेतन-मान के प्रश्न का फिर से परीक्षण कर रही है और अन्तिम सिफारिशें अभी तक नहीं आई हैं।

(ग) समिति की अन्तिम सिफारिशें प्राप्त होने पर इस विषय पर विचार किया जायेगा।

(घ) और (ङ). प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

जीवन बीमा निगम

†१३२२. **श्री बोडयार** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जीवन बीमा निगम की ज्येष्ठ सेवा समिति ने देश के विभिन्न महत्वपूर्ण केन्द्रों में निर्माण का कार्य समाप्त कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ?

†**राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री (श्री म० चं० शाह)**: (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

अनुसूचित जातियों इत्यादि के लिये छात्रवृत्तियां

†१३२३. **श्री अच्युतन** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५६–५७ में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिम जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के छात्रवृत्ति बोर्ड के पास विभिन्न वर्गों के विद्यार्थियों से राज्यवार कुल कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए; और

(ख) चुनाव कब समाप्त हो जायेगा और वितरण कब से प्रारम्भ होगा ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० म० मो० दास)**: (क) सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है **[देखिये परिशष्ट ११, अनुबन्ध संख्या २१]**

(ख) फरवरी १९५६ में यह निश्चय किया गया था कि १९५६–५७ के दौरान में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के सभी उपयुक्त विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति दे दी जाय तथा अप्रैल-मई १९५६ में संस्थाओं को शिक्षा का सत्र प्रारम्भ होने के चार महीने तक के लिये तदर्थ राशि देने के लिये धन भी दे दिया गया था।

छात्रवृत्ति के लिये अन्य पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों का चुनाव निकट भविष्य में कर लिया जायेगा। भुगतान तदुपरांत किये जायेंगे।

---

†मूल अंग्रेजी में

राजस्थान में लोहे की खान

१३२४. श्री ह० रा० नथानी: क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में लोहे की एक खान चालू है; और

(ख) यदि हां, तो वर्ष में यहां कुल कितना लोहा निकाला जाता है और क्या सरकार भविष्य में उसको विकसित करने के लिये कोई योजना बना रही है ?

†**प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) तथा (ख). आवश्यक जानकारी एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा पटल पर प्रस्तुत की जायेगी ।

त्रावणकोर विश्वविद्यालय

†**१३२५. श्री मैथ्यू** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि त्रावणकोर विश्वविद्यालय अध्यापक संघ की ओर से एक ऐसा अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है कि यदि प्रोफेसर का वेतन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा उल्लिखित राशि तक नहीं बढ़ाया जा सकता तो उसे अधिकतम १००० रुपया मासिक कर दिया जाय; और

(ख) क्या यह प्रार्थना सरकार के विचाराधीन है ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

हीरे

†**१३२६. श्री लक्ष्मैय्या** : क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह ज्ञात है कि आंध्र राज्य के वज्राकरूर और उसके आसपास वर्षा ऋतु में प्रत्येक वर्ष बहुत से हीरे पाये जाते हैं; और

(ख) क्या सरकार इस सारे क्षेत्र का विस्तृत सर्वेक्षण करने का विचार कर रही है ?

†**प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) वर्षा ऋतु के बाद वज्राकरूर से कभी कभी हीरे मिलने की सूचना प्राप्त हुई है ।

(ख) १९५६–५७ के क्षेत्रीय सत्र में भारत के भूतत्वीय सर्वेक्षण द्वारा उस क्षेत्र का विस्तृत परीक्षण करने का विचार है ।

बिहार उत्तर प्रदेश सीमा

१३२७. श्री रा० ना० सिंह : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गंग-बरार और गंग-शिकस्त की सीमा निर्धारित कर लिय जान के समान ही केन्द्रीय सरकार उत्तर प्रदेश के बलिया जिले और बिहार के आरा (शाहाबाद) जिले के प्रश्न को भी निबटा देना चाहती है; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या यह सच है कि गंगा के कटाव के फलस्वरूप जो भूमि बिहार में मिल गयी है उस पर उत्तर प्रदेश सरकार को राजस्व वसूल करने का तो अधिकार है, परन्तु उस क्षेत्र के फौजदारी सम्बन्धी मामलों को निबटाने का अधिकार प्राप्त नहीं है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : (क) उत्तर प्रदेश के पूर्व एक सुनिश्चित अन्तर-प्रदेशीय सीमा कायम करने के प्रश्न पर विचार हो रहा है। इस विषय में दोनों प्रदेशों की सरकारों द्वारा आपस में किये गये फैसले के मुताबिक, आवश्यकतानुसार जिन क्षेत्रों का उल्लेख प्रश्न में किया गया है, उन पर विचार किया जायेगा।

(ख) भारत सरकार को मालूम है कि दोनों सरकारों के बीच हुए समझौते के फलस्वरूप शियोपुर दायरा नामक जमीन के टुकड़े के सम्बन्ध में कुछ विशेष व्यवस्था की गई है।

भारतीय वायु सेना के विमान चालक

†१३२८. **श्री गि० श० सिंह** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रतिरक्षा मंत्रालय प्रति वर्ष कुछ अर्हता प्राप्त विमान चालकों को एयर इंडिया इन्टरनेशनल में स्थानान्तरित करने में सहमत हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**प्रतिरक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी)** : (क) जी हां, भारतीय वायु सेना की आवश्यकताओं का ध्यान रखते हुए इस वर्ष तथा भविष्य में भी समय समय पर एयर इंडिया इन्टरनेशनल की सेवा के लिये दे देने का विचार किया गया है।

(ख) एयर इंडिया इन्टरनेशनल की विमान चालकों की मांग पूरी करने तथा भारतीय सेना के विमान चालकों को उनकी निवृत्ति के पश्चात् भी उन्हें असैनिक विमान चालन में रहने का अवसर देने के लिये किया जाता है।

नागपुर में केन्द्रीय कार्यालय

†१३२९. **मुल्ला अब्दुल्ला भाई** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन केन्द्रीय सरकारी कार्यालयों के क्या नाम हैं जो कि राज्य पुनर्गठन के पश्चात् नागपुर से चले जायेंगे; और

(ख) केन्द्रीय सरकार के उन नये कार्यालयों के क्या नाम हैं जो कि राज्य पुनर्गठन के पश्चात् नागपुर में स्थित होंगे ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : (क) और (ख). राज्य पुनर्गठन के फलस्वरूप केन्द्रीय सरकारी कार्यालयों के स्थानान्तरण का प्रश्न विचाराधीन है।

---

†मूल अंग्रेजी में

दैनिक संक्षेपिका

[मंगलवार, ४ सितम्बर, १९५६]

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर		१६९७–१७२०
तारांकित प्रश्न संख्या		
१७२२	भू-बन्धक बैंक	१६९७
१७२३	कनाडा को प्रतिनिधि मंडल . . .	१६९७–९८
१७२४	ग्रामीण शिक्षा संस्थाओं के लिये पाठ्यक्रम . .	१६९८–९९
१७२५	अन्तर्राष्ट्रीय ज्योतिषिक संघ . . .	१६९९–१७००
१७२६	ईसाई बनाये गये लोग . .	१७००–०१
१७२७	ईसाई धर्म प्रचारक	१७०१–०२
१७२८	अमेरिका में भारतीय छात्रों द्वारा पारित किया गया संकल्प	१७०२–०३
१७२९	गन्नूर में पुरातत्वीय वस्तुओं का मिलना . .	१७०४–०५
१७३०	पटना के पास खुदाई	१७०५–०६
१७५२	त्रावणकोर-कोचीन में बेकारी .	१७०६–०८
१७३३	बर्मा को ऋण . . .	१७०८–०९
१७३४	अफगानिस्तान के पुरातत्वीय प्रतिनिधि मंडल .	१७०९–१०
१७३५	बीमा पालिसियों पर भारत-पाकिस्तान का करार .	१७१०–१२
१७३७	आधुनिक विचारधाराओं की पुस्तकें .	१७१२–१३
१७३८	रिक्शा चलाने वालों की गिरफ्तारी	१७१३–१४
१७३९	आसाम में आदिम जाति के लोग . .	१७१४–१५
१७४०	भारतीय प्रशासनिक सेवा .	१७१५–१६
१७४२	खनन तथा धातुकर्म .	१७१७
१७४३	हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड	१७१७–१९
१७४४	वित्त मंत्रालय का पुनर्गठन .	१७१९–२०
प्रश्नों के लिखित उत्तर	. . . . .	१७२०–४१
तारांकित प्रश्न संख्या		
१७३२	अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम . . .	१७२०–२१
१७३६	व्यावहारिक प्रशिक्षण वृत्तिका योजना .	१७२१

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)	विषय	पृष्ठ
तारांकित प्रश्न संख्या		
१७४१	बन्द किये गये नोट	१७२१
१७४५	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग . . .	१७२१–२२
१७४६	वैज्ञानिक और प्राविधिक शब्दावलि . .	१७२२
१७४७	भारतीय पुलिस सेवा के वेतन क्रम . .	१७२२
१७४९	करारोपण सुधार	१७२२–२३
१७५०	जल उपकर इकट्ठा करना . . .	१७२३
१७५१	दिल्ली में बम विस्फोट	१७२३
१७५३	असिस्टैंट पद की परीक्षा . . .	१७२३–२४
१७५४	युद्ध सामग्री कारखाने . . .	१७२४–२५
१७५५	नागपुर में रिजर्व बैंक का भवन . . .	१७२५
१७५६	अस्पृश्यता	१७२५
१७५७	अहमदाबाद की स्थिति . . .	१७२५–२६
१७५८	चीनी विद्यार्थी	१७२६
१७५९	तम्बाकू उत्पादन शुल्क . . .	१७२६
१७६०	विदेशों में भारतीय अध्यापकों का प्रशिक्षण .	१७२६–२७
१७६१	भारत पाकिस्तान बैंकिंग करार . . .	१७२७
१७६३	तेल शोधन का कारखाना . . .	१७२७
१७६४	बेसिक हिन्दी व्याकरण . . .	१७२७
१७६५	प्रारूप निर्वाचक नामावली . . .	१७२८
१७६६	विश्वविद्यालय के अध्यापकों का वेतन . .	१७२८
१७६७	विदेशी धर्म प्रचारक	१७२८
१७६८	अन्तर्राष्ट्रीय नाटक समारोह . . .	१७२९
अतारांकित प्रश्न संख्या		
१२८८	सरकारी स्कूलों की योग्यता छात्रवृत्तियां . .	१७२९
१२८९	खनन इंजिनियरिंग संस्थायें . . .	१७२९
१२९०	सम्पदा शुल्क	१७२९
१२९१	त्रावणकोर-कोचीन में गैर-सरकारी स्कूलों के अध्यापक	१७२९–३०

[दैनिक संक्षेपिका]

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर--(क्रमशः)		
अतारांकित प्रश्न संख्या		
१२९२	मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियां . .	१७३०
१२९३	आसाम की पहाड़ी सामाजिक तथा सांस्कृतिक संघ .	१७३०
१२९४	प्रादेशिक गवेषणा प्रयोगशालायें . .	१७३०–३१
१२९५	काजू के कारखाने . .	१७३१
१२९६	सीसे और जस्ते के अयस्क . .	१७३१
१२९७	यूनेस्को के प्रकाशनों का अनुवाद . .	१७३१
१२९८	लाहौल और स्पिति का विकास .	१७३१–३२
१२९९	भारतीय वायु सेना प्रशिक्षण . .	१७३२
१३००	टेकनिकल ट्रेनिंग कालेज जलहाली . .	१७३२
१३०१	भूतपूर्व सैनिक	१७३२
१३०२	अध्यापकों का प्रशिक्षण . . .	१७३३
१३०३	सेना में अस्पृश्यता	१७३३
१३०४	पंजीबद्ध विदेशी	१७३३
१३०५	सीमा शुल्क विभाग	१७३३–३४
१३०६	सैनिक प्रशिक्षण	१७३४
१३०७	पुस्तकें	१७३४
१३०८	तम्बाकू	१७३४
१३०९	सीमा शुल्क विभाग	१७३५
१३१०	बिहार में भूमि अर्जन	१७३५
१३११	कर्नाटक और मैसूर में शिलालेखों की सूची . .	१७३५
१३१२	सहायक सेना छात्र दल शिविर . . .	१७३६
१३१३	पुरातत्व सम्बन्धी शिष्टमंडल . . .	१७३६
१३१४	पंजाब और पैप्सू में महिला-कल्याण . .	१७३६
१३१५	भारतीय समवाय अधिनियम का प्रवर्तन . .	१७३७
१३१६	तेल शोधन का कारखाना . . .	१७३७–३८
१३१७	अनुसूचित क्षेत्रों में शिक्षा . . .	१७३८
१३१८	नोटों का चोरी से लाना ले जाना . .	१७३८

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर--(क्रमशः)		
अतारांकित प्रश्न संख्या		
१३१९	सुरंग हटाने वाले जहाज (माइनस्वीपर)	१७३८
१३२०	पश्चिम बंगाल में तेल की खोज .	१७३८
१३२१	टेक्निकल अध्यापकों के वेतन	१७३९
१३२२	जीवन बीमा निगम . . .	१७३९
१३२३	अनुसूचित जातियों इत्यादि के लिये छात्रवृत्तियां .	१७३९
१३२४	राजस्थान में लोहे की खान .	१७४०
१३२५	त्रावणकोर विश्वविद्यालय	१७४०
१३२६	हीरे	१७४०
१३२७	बिहार उत्तर प्रदेश सीमा	१७४०–४१
१३२८	भारतीय वायु सेना के विमान चालक	१७४१
१३२९	नागपुर में केन्द्रीय कार्यालय	१७४१

भा०स०मु० नासिक—वि. ३—२३८ लोक सभा—१३-१२-५७—१९०

लोक-सभा

वाद-विवाद

(भाग २—प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही)

खंड ८, १९५६

(२७ अगस्त से १३ सितम्बर १९५६ तक)

1st Lok Sabha

सत्यमेव जयते

तेरहवां सत्र, १९५६

(खण्ड ८ में अंक ३१ से ४५ तक है)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

6—257 L.S. 57.

विषय-सूची

[भाग २—वाद-विवाद खंण्ड ८—२७ अगस्त से १३ सितम्बर, १९५६]

अंक ३१—सोमवार, २७ अगस्त, १९५६ — पृष्ठ

सभा पटल पर रखे गये पत्र १४८५

समिति के लिये निर्वाचन—

लोक लेखा समिति १४८६

भारतीय डाकघर (संशोधन) विधेयक . . . १४८६

लोक ऋण (संशोधन) विधेयक १४८६

अनुपूरक अनुदानों की मांगें—(त्रावनकोर-कोचीन), १९५६–५७ . १४८७–१५०९

तोल और माप मानदन्ड विधेयक—

संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव १५०८–२८

मनीपुर के लिये विकास अनुदानों की बारे में आधे घंटे की चर्चा . १५२८–३३

दैनिक संक्षेपिका १५३४–३५

अंक ३२—मंगलवार, २८ अगस्त १९५६

विशेषाधिकार का प्रश्न . . . १५३६–३८

सभा पटल पर रखे गये पत्र १५३८

राज्य-सभा से सन्देश १५३८

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

साठवाँ प्रतिवेदन. १५३८

सभा का कार्य १५३८–४०

कार्य मंत्रणा समिति—

चालीसवां प्रतिवेदन १५४०

हैदराबाद राज्य बैंक विधेयक १५४०

त्रावनकोर कोचीन विनियोग (संख्या २) विधेयक . . . १५४०–४१

तौल और माप मानदन्ड विधेयक—

संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव १६४१–४५

पृष्ठ

राष्ट्रीय स्वंय सेवक बल विधयक—

विचार करने का प्रस्ताव १५४५–७२

खंड २ से ११ और १ . . . . . १५५९–६८

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव. . . . १५६८

समाचार पत्र (मूल्य तथा पृष्ठ) विधेयक—

राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव . . १५७२–९२

जिप्सम के बारे में आधे घंटे की चर्चा १५९२–९४

दैनिक संक्षेपिका . १५९५–९६

अंक ३३—गुरुवार, ३० अगस्त, १९५६

सभा-पटल पर रखे गये पत्र . . . १५९७

बीमे के राष्ट्रीयकरण के बारे में वक्तव्य . . १५९८–१६०२

सभा का कार्य . . . १६०२–०३

राज्य-सभा से सन्देश १६०३–०४

समाचार पत्र (मूल्य तथा पृष्ठ) विधेयक, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में १६०४–१२

खण्ड २ से ४ और १ . . १६०४–१२

पारित करने का प्रस्ताव . . . १६१२

राज्य वित्त निगम (संशोधन) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव . . . १६१४–३८

खण्ड २ से २५ और १ . . . . . १६१४–३८

संशोधत रूप में पारित करने का प्रस्ताव १६३५

खान पट्टों के प्रारूप (शर्तों का रूपभेद) नियमों के बारे में संकल्प . १६३८–४८

सरकारी रिहाई १६४८

कोयला खानें भविष्य निधि के बारे में आधे घंटे की चर्चा . . १६४८–५४

दैनिक संक्षेपिका १६५५–५६

अंक ३४—शुक्रवार, ३१ अगस्त, १९५६

सभा पटल पर रखा गया पत्र १६५७

कार्य मंत्रणा समिति—

इकतालीसवां प्रतिवेदन १६५७

राज्य-सभा से संदेश . . १६५७

पृष्ठ

प्राचीन एवं एतिहासिक स्मारक तथा पुरातत्व सम्बन्धी स्थान व अवशेष (राष्ट्रीय महत्व की घोषणा) संशोधन विधेयक . १६५८

सभा का कार्य १६५८, १६९२

खान पट्टों के प्रारूप (शर्तों का रूपभेद) नियम त्रावणकोर-कोचीन के बारे में राष्ट्रपति की उद्घोषणा से सम्बन्धित संकल्प १६५८–८०

गैर सरकारी सदस्यों के संकल्पों तथा विधेयकों सम्बन्धी समिति—

साठवां प्रतिवेदन. १६८०–८१

राज्यनीति के विदेशक तत्वों के कार्य-संचालन के बारे में समिति की नियुक्ति सबन्धी संकल्प . . . १६८०–८१, १६९३–१७००

आणविक तथा तापीय आणविक परीक्षकों सम्बन्धी संकल्प १७००–०१

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा नमक (संशोधन) विधेयक . १६९१–९२

दैनिक संक्षेपिका १७०२–०३

अंक ३५—शनिवार, १ सितम्बर १९५६

स्थगन प्रस्ताव—

दिल्ली में बम विस्फोट . १७०५–०७

सभा-पटल पर रखे गये पत्र . . १७०७

राज्य-सभा से सन्देश . १७०७–०८

सभा का कार्य . . . १७०८–१०

कार्य मंत्रणा समिति—

इकतालीसवां प्रतिवेदन . . १७०९

जन प्रतिनिधान (तीसरा संशोधन) विधेयक . . . १७१०

त्रावनकोर-कोचीन के बारे में राष्ट्रपति की उदघोषणा से सम्बन्धित संकल्प. १७११–१८

लोक ऋण (संशोधन) विधेयक १७१८–१९

विचार करने का प्रस्ताव . . . १७१८

खण्ड १ से १५ . . १७१८–१९

पारित करने का प्रस्ताव . . १७१९

पृष्ठ

भारतीय डाकघर (संशोधन) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव . . . १७१६–२६

खण्ड ८, १ और २ . . . १७१६–२६

पारित करने का प्रस्ताव . . . १७२६

अखिल भारत खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग विधेयक . १७२६–६०

विचार करने का प्रस्ताव . . १७२६

खण्ड २ से २६ और १ . . . १७५६–५६

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव १७६०

दैनिक संक्षेपिका . . १७६१–६२

अंक ३६—सोमवार, ३ सितम्बर, १६५६

स्थगन प्रस्ताव—

जड़चरला और महबूबनगर के बीच रेल दुर्घटना . . १७६३–६६

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . १७६६

राज्य-सभा से संदेश . . १७६७

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति १७६७

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

इंडियन ऐल्युमीनियम कं०लिमिटेड अल्वाई में हड़ताल . १७६७

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक (संशोधन) विधेयक— . .

विचार करने का प्रस्ताव १७६८–१८०६

खण्ड २ और १ . . . . १८०६

पारित करने का प्रस्ताव १८०६

दैनिक संक्षेपिका १८१०–११

अंक ३७—मंगलवार, ४ सितम्बर, १६५६

राज्य-सभा से सन्देश १८१३–१४

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

इकसठवां प्रतिवेदन . . . १८१४

सभा पटल पर रखा गया पत्र १८२०–२४

संविधान (७वां संशोधन) विधेयक विचार करने का प्रस्ताव . १८१४–२०, १८२४–६३

पृष्ठ

दैनिक संक्षेपिका १८६४

अंक ३८—बुधवार, ५ सितम्बर, १९५६

राज्य-सभा से संदेश. १८६५

गैरे-न्यायिक तथा न्यायालय शुल्क मुद्रांक पत्रों के बारे में याचिका . १८६५

सभा का कार्य . . . १८६६

संविधान (नवां संशोधन) विधेयक . . . १८६६–१९०६
. . . १९११–१४

खंड २ से १० . . १८८४–१०

खंड ११ से १६, २० क और २५ . . . . १८८४–१९०६
. . . . १९११–१४

जड़चरला और महबूबनगर के बीच रेल दुर्घटना सम्बन्धी वक्तव्य . १९०६–१०

दैनिक संक्षेपिका . . १८१५

अंक ३९—गुरुवार, ६ सितम्बर, १९५६

सभा-पटल पर रखा गया पत्र १९१७

शिशू सन्यास दीक्षा निरोध विधेयक सम्बन्धी याचिका . १९१७

समिति का निर्वाचन—

भारतीय कृषि गवेषणा परिषद १९१७

भारतीय प्रशुल्क (संशोधन) विधेयक १९१८

संविधान (नवा संशोधन) विधेयक १९१८–९१

खण्ड १७ से २९, और अनुसूची. . १९१८–९१

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव . १९८९

दैनिक संक्षेपिका . १९९२

अंक ४०—शुक्रवार, ७ सितम्बर, १९५६

राज्य-सभा से सन्देश . १९९३

लोक लेखा समिति—

बीसवां प्रतिवेदन १९९३

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

साईप्रस में राष्ट्र मण्डल की ओर अन्य सेनाओं का रखा जाना १९९३–९४

पृष्ठ

समिति के लिये निर्वाचन—

विश्व भारती की संसद १९९४

सभा का कार्य . . १९९४–९७

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों सम्बन्धी आदेश (संशोधन) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव . . . १९९७–२०१५

लोक प्रतिनिधित्व (तीसरा संशोधन) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव . . . २०१५–२४

खंडों पर विचार . २०१५–२४

पारित करने का प्रस्ताव २०२४

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

इकासठवां प्रतिवेदन २०२५

मजूरी का भुगतान (संशोधन) विधेयक २०२५–२६

निवारक निरोध (संशोधन) विधेयक . . . २०२६

भारतीय लाइट रेलवेज राष्ट्रीयकरण विधेयक . . . २०२६

भारतीय दण्ड संहिता (संशोधन) विधेयक और . २०२६–२७

संविधान (संशोधन) विधेयक २०२७

लोक प्रतिनिधित्व (निर्वाचक नामावलियां तैयार करना) नियम, १९५६ के

बारे में प्रस्ताव . . २०२७–४४

दैनिक संक्षेपिका . २०४५–४६

अंक ४१—शनिवार, ८ सितम्बर, १९५६

स्थगन प्रस्ताव—

कलकत्ता पत्तन की स्थिति . . २०४७–५०

सभा पटल पर रखा गया पत्र २०५०

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

दामोदर घाटी निगम परियोजना में सार्वजनिक निधि का कथित अपव्यय २०५०–५२

सभा का कार्य २०५२–५३

द्वितीय पंचवर्षीय योजना सम्बन्धी संकल्प . . २०५३–९८

दैनिक संक्षेपिका . २०९९

पृष्ठ

अंक ४२—सोमवार, १० सितम्बर, १९५६

सभा पटल पर रखे गये पत्र २१०१–०२

अतिरिक्त अनुदानों की मांग (रेलवे), १९५३-५४ . . २१०२

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति आदेश (संशोधन) विधेयक के बारे में याचिका २१०२

सभा का कार्य २१०२

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति आदेश (संशोधन) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव २१०२–०५

खण्ड २ से ७, अनुसूचित १ से ४ और खण्ड १ . . . २१०५–५०

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव . . . २१५०

भारत की शासन प्रणाली के पुनरीक्षण के सम्बन्ध में एप्पलबी प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव . . . २१५१–६८

सदस्यों की रिहाई २१६८

दैनिक संक्षेपिका २१६९–७०

अंक ४३—मंगलवार, ११ सितम्बर, १९५६

नेताजी जांच समिति के प्रतिवेदन के बारे में वक्तव्य . . . २१७१–७२

सभा पटल पर रखे गये पत्र . २१७३

राज्य-सभा से संदेश २१७३

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति २१७४

सभा की बैठक से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति—

१७वां प्रतिवेदन २१७४

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

आसाम में बाढ़ और दी गई सहायता २१७४–७५

दूसरी पंच-वर्षीय योजना के बारे में संकल्प . . . २१७६–२२२१

दैनिक संक्षेपिका २२२२–२४

अंक ४४—बुधवार, १२ सितम्बर, १९५६

स्थगन प्रस्ताव—

प्रतिरक्षा कर्मचारियों की आसन्न छंटनी . . . २२२५–२७

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . २२२७–२८,२२२९

विशेषाधिकार का प्रश्न २२२८–२९

लोक लेखा समिति—

उनीसवां प्रतिवेदन २२३०

पृष्ठ

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—
त्रिपुरा में विस्थापित व्यक्तियों का आगमन . . . २२३०
द्वितीय पंचवर्षीय योजना सम्बन्धी संकल्प . . . २२३०–७९
दैनिक संक्षेपिका २२८०–८१

अंक ४५—गुरुवार, १३ सितम्बर, १९५६

स्थगन प्रस्ताव—
स्वेज के मामले पर ब्रिटेन के प्रधान मंत्री का वक्तव्य . . २२८३–८६
जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों के वेतन क्रम और सेवा की शर्तें . २२८६–८७
उत्तर प्रदेश में बाढ़ . . . २२८७–८९
सभा पटल पर रखे गये पत्र २२८९–९०
राज्य सभा से संदेश २२९०
विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति . . . २२९०
याचिका समिति—
दसवां प्रतिवेदन २२९०
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—
टिहरी गढ़वाल में बाढ़ २२९०–९२
अनुपस्थिति की अनुमति . . २२९२
रेलवे यात्रियों पर सीमा कर विधेयक २२९२
उद्योग (विकास तथा विनियमन) संशोधन विधेयक . . . २२९३
जडचरला और महबूबनगर के बीच रेल दुर्घटना के बारे में वक्तव्य . २२९३–९५
विशेषाधिकार प्रश्न २२९५–९९
द्वितीय पंचवर्षीय योजना सम्बन्धी संकल्प . . . २२९५, २२९९–२३५५
आगामी सत्र की तिथि . . . २३५५
दैनिक संक्षेपिका २३५६–५८
१३ व सत्रकी संक्षेपिका २३५९–६१

लोक-सभा वाद-विवाद

(भाग २—प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही)

लोक-सभा

मंगलवार, ४ सितम्बर, १९५६

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

प्रश्नोत्तर

(देखिये भाग १)

१२.४ म० प०

राज्य-सभा से संदेश

†**सचिव** : श्रीमान्, मुझे राज्य-सभा के सचिव से यह दो सन्देश प्राप्त हुये हैं:—

(१) राज्य-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के अनुसार मुझे लोक-सभा को यह सूचना देनी है कि राज्य-सभा १ सितम्बर १९५६ को हुई अपनी बैठक में, लोक-सभा द्वारा २४ अगस्त, १९५६ को पारित किये गये सरकारी भूगृहादि (निष्कासन) विधेयक, १९५६ से बिना किसी संशोधन के सहमत हो गई है ।

(२) मुझे लोक-सभा को यह सूचना देनी है कि राज्य-सभा ने शनिवार, १ सितम्बर १९५६ को हुयी अपनी बैठक में लोक-सभा की इस सिफारिश से सहमत होते हुए संलग्न प्रस्ताव पारित किया कि राज्य-सभा दशमलव प्रणाली के आधार पर बाटों तथा मापों के प्रमापों की स्थापना करने वाले विधेयक सम्बन्धी सदनों की संयुक्त समिति में सम्मिलित हो । उक्त संयुक्त समिति में कार्य करने के लिये राज्य-सभा ने जिन सदस्यों को नामनिर्देशित किया है उनके नाम प्रस्ताव में दिये हुये हैं ।

प्रस्ताव

"कि यह सभा लोक-सभा की इस सिफारिश से सहमत है कि राज्य-सभा दशमलव प्रणाली के आधार पर बांटों तथा मापों के प्रमापों की स्थापना करने वाले विधेयक सम्बन्धी सदनों की संयुक्त समिति में सम्मिलित हो, और यह संकल्प करती है कि उक्त संयुक्त समिति में कार्य करने के लिये राज्य-सभा के निम्नलिखित सदस्यों को नामनिर्देशित किया जाये :—

(१) श्री एम० गोविन्द रेड्डी

---

†मूल अंग्रेजी में

1—249 L. S./56

[सचिव]

(२) श्री वी० सी० केशव राव

(३) श्रीमती के० भारती

(४) डा० एन० एस० हार्डीकर

(५) डा० डब्ल्यू० एस० बारलिंगे

(६) श्री बी० के० मुकर्जी

(७) श्री अख्तर हुसैन

(८) श्री एम० एच० एस० निहाल सिंह

(९) श्री भगीरथ महापात्र

(१०) शाह मुहम्मद उमैर

(११) प्रो० ए० आर० वाडिया

(१२) डा० रघुवीर सिंह

(१३) श्री किशन चन्द

(१४) श्री एम० गोविन्दन नायर

(१५) श्री वी० के० ढगे । "

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

इकसठवां प्रतिवेदन

†**सरदार हुक्म सिंह** (कपूरथला-भटिंडा) : मैं ग़ैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का इकसठवां प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं ।

संविधान (नवां संशोधन) विधेयक

†**गृह-कार्य तथा भारी उद्योग मंत्री (पंडित गो० व० पन्त)** : मैं प्रस्ताव करता हूं:—

"कि भारत के संविधान में और आगे संशोधन करने वाले विधेयक पर, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में, विचार किया जाये ।"

मुझे संविधान (नवां संशोधन) विधेयक को संयुक्त समिति को सौंपने के प्रस्ताव को सभा में प्रस्तुत करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था तथा मैंने उस समय बताया था कि यह विधेयक इस प्रकार बनाया गया है जिससे राज्य पुनर्गठन आयोग के प्रस्तावों को क्रियान्वित किया जा सके । उच्च न्यायालयों, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों, उनके वेतनों तथा तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति सम्बन्धी उपबन्धों के कुछ मामले थे तथा विधेयक में अनुसूचियों की प्रविष्टियों के कुछ संशोधन थे, परन्तु यह सब मामले छोटे छोटे थे ।

संयुक्त समिति, शक्तिशाली थी । उसमें ५० से अधिक माननीय सदस्य थे जो दोनों सभाओं का प्रतिनिधित्व करते थे तथा संयुक्त समिति में कुछ बड़े प्रसिद्ध व्यक्ति सम्मिलित किये गये थे । विधेयक की पूर्णतया जांच की गई थी । वहां उसका पुनरीक्षण किया गया था तथा यह संशोधित रूप में सभा में वापस आया है । जैसा कि समिति के एक प्रसिद्ध सदस्य ने कहा है, इसमें मूल विधेयक से बहुत सुधार हुये हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

मैं यह भी कह देना चाहता हूं कि विधेयक को अब समिति की सर्वसम्मति प्राप्त है। यदि आप संलग्न टिप्पणियों को देखें तो विदित होगा कि मुख्य खण्डों को कहीं से भी नहीं छेड़ा गया है तथा जो सुझाव दिये गये हैं उनसे विधेयक के ढांचे पर कोई असर नहीं पड़ा है। इसलिये मैं जो कुछ सभा के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं वह एक सर्वसम्मत विधेयक है क्योंकि एक प्रकार से, सभा के सभी दलों के प्रतिनिधियों ने अपनी स्वीकृति इसे दे दी है। इस विधेयक के पुरःस्थापित होने के पश्चात् से, राज्य पुनगठन विधेयक तथा बंगाल तथा बिहार पुनर्गठन विधेयक पारित हो चुका है। अब इस विधेयक के पारित हो जाने के पश्चात्, राज्य पुनर्गठन योजना लागू होने के लिये पूर्ण हो जायेगी। मुझे प्रसन्नता है कि योजना के अन्तिम रूप का तथा जिस प्रकार यह विधेयक में रखी गई है, उसका देश के सभी वर्गों ने स्वागत किया है। एक राज्य में कुछ थोड़ी सी गड़बड़ी हुई थी परन्तु जब मामलों का और स्पष्टीकरण किया गया तो यह पारित कर दिया गया तथा मैं आशा करता हूं कि सभी समुदाय तथा सभी राज्य सहयोग की हमारी अपील का अनुसमर्थन करेंगे।

इस विधेयक के पुरःस्थापित होने के पश्चात् से इसमें कुछ महत्त्वपूर्ण परिवर्तन किये गये हैं। इस विधेयक में हमने महाराष्ट्र, गुजरात तथा बम्बई, तीन एककों की व्यवस्था की है। बम्बई को एक क्षेत्र के रुप में रखा गया था तथा महाराष्ट्र और गुजरात स्वायत्तशासी राज्य बनाये गये थे। सभा के माननीय सदस्यों द्वारा किये गये निर्णय पर, अब द्विभाषाभाषी बम्बई राज्य बनेगा। इस प्रकार इन राज्यों से सम्बन्धित, इस विधेयक के उपबन्धों में कुछ संशोधन करना पड़ेगा।

इसी प्रकार, बंगाल तथा बिहार के सम्बन्ध में हमने विधेयक में उन क्षेत्रों को रखा था जो बिहार-बंगाल विधेयक के पारित होने से पूर्व सम्मिलित कर दिये गये थे। उस सम्बन्ध में भी कुछ परिवर्तन किये जायेंगे।

परिणाम यह होगा कि अब देश में १४ पूर्ण राज्य होंगे तथा इन में ९८ प्रतिशत से अधिक व्यक्ति रहेंगे। इसके अतिरिक्त चार प्रदेश तथा दो द्वीप समूह अन्दमान तथा निकोबार और लक्कादीप तथा माल दीप हैं। चार प्रदेश, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, मनीपुर तथा त्रिपुरा हैं। इस प्रकार यह ढांचा भली भांति तैयार किया गया है। हमें आशा है कि राज्य १ नवम्बर को कार्य करने लगेंगे। मूल योजना के अनुसार वह १ अक्तूबर को बनने थे। परन्तु कुछ कठिनाइयों तथा विचारों के कारण, सभा ने प्रारंभिक कार्य तथा तैयारी के लिये एक मास की अवधि और बढ़ा दी है। इस प्रकार जहां तक राज्यों का सम्बन्ध है वह १ नवम्बर को प्रारम्भ होंगे।

राज्यों के इस पुनर्गठन तथा १९५१ की जन गणना के परिणामस्वरूप राज्य-सभा के सदस्यों की संख्या बढ़ जायेगी। यह २०७ से २२० कर दी जायेगी। उसी प्रकार लोक-सभा में, यद्यपि प्रत्येक राज्य का कोटा नहीं बढ़ाया गया है तथापि कुल संख्या ५०१ हो जायेगी। इनमें से मेरे विचार से १४ सदस्य केन्द्रीय प्रशासित क्षेत्रों से आयेंगे।

केन्द्र द्वारा प्रशासित क्षेत्रों के संबंध में इस विधेयक के तत्संबंधी खंड का दो प्रकार से संशोधन तथा सुधार किया गया है। पहला यह है कि इन क्षेत्रों के राष्ट्रपति द्वारा प्रशासित किये जाने के लिये जो भी नियम बनाये जायेंगे वे संसद् द्वारा बनाई गई एतद्विषयक विधि के अधीन होंगे। मूल विधेयक में राष्ट्रपति के क्षेत्राधिकार अथवा प्राधिकार को सीमित करने वाला ऐसा कोई प्रतिबन्ध नहीं था। प्रत्युत, इसके विपरीत मूल विधेयक में एक ऐसा खंड था जिसमें यह उपबंधित था कि इन सब क्षेत्रों में राष्ट्रपति को स्वतः नियम बनाने का अधिकार होगा और, यदि आवश्यक हुआ तो, वह इस सम्बन्ध में संसद् द्वारा पारित विधि का भी संशोधन कर सकेंगे। इन क्षेत्रों में बंबई भी एक प्रदेश के रुप में सम्मिलित था। अब इस खंड का पूर्ण रूपेण सुधार कर दिया गया है। अब राष्ट्रपति की नियम बनाने की शक्ति केवल चार क्षेत्रों तक ही सीमित कर दी गई है; बल्कि मैं कहूंगा

[पंडित गो० व० पन्त]

यह शक्ति केवल दो क्षेत्रों तक ही सीमित है, नामतः, लक्षद्वीप और मालद्वीप तथा अंदमान और निकोबार। जहां तक अन्य क्षेत्रों का संबंध है उनके बारे में संसद् को भी विधान बनाने का अधिकार होगा।

इन क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में जानने के लिये लोगों को कुछ उत्सुकता सी रही है। यह स्वाभाविक भी थी। हमें इस मामले पर अपने निश्चयों के अनुकुल विशद विचार करने की आवश्यकता थी। मैं एक युक्तियुक्त सीमा तक इन प्रदेशों की समस्याओं का प्रबन्ध वहां के लोगों की इच्छाओं के अनुसार ही करना चाहता था। अतः मैं ने इनमें से प्रत्येक इलाके के लिये एक प्रकार की स्थाई समिति बनाई है, अथवा अगर आप चाहें तो उसे सलाहकार समिति भी कह सकते हैं। यह सलाहकार समिति वहां के कार्यों के लिये नियुक्त किये गये मंत्री को विधान संबंधी मामलों में सहायता करेगी। इन क्षेत्रों के बजट तथा अन्य नीति सम्बन्धी विधेयक संसद् द्वारा ही पारित किये जायेंगे। इन केन्द्र द्वारा प्रशासित क्षेत्रों से संसद् में आने वाले सदस्यों की संख्या भी बढ़ा दी गई है। क्योंकि अब संसद् को उनके मामलों में विधान बनाने का अनन्य अधिकार दे दिया गया है इसलिये ऐसा किया गया है। अब उन क्षेत्रों के सभी मामलों का निदेशन संसद् द्वारा ही होगा। अब लोक-सभा में दिल्ली के सदस्यों की संख्या चार से बढ़ा कर पांच कर दी गई है और राज्य-सभा में एक से तीन। इस प्रकार कुल मिलाकर ५ के स्थान पर अब संसद् में दिल्ली के ८ सदस्य हो जायेंगे। इसी प्रकार हिमाचल प्रदेश के लोक-सभा में तीन के स्थान पर चार सदस्य हो जायेंगे और राज्य-सभा में एक के स्थान पर दो। इस प्रकार हिमाचल प्रदेश के कुल ६ सदस्य हो जायेंगे। प्रत्येक क्षेत्र में वहां के संसद् सदस्य तथा कुछ प्रसिद्ध तथा उत्तरदायी व्यक्ति मिल कर वह एक समिति बनायेंगे जिसका कि मैं ने पहले उल्लेख किया है। इस प्रकार ये सब लोग मिलकर वहां के लिये नियुक्त मंत्री को विधान, नीति तथा बजट संबंधी मामलों में सहयोग देंगे।

दिल्ली में हम बंबई की भांति एक निगम बनायेंगे। इस निगम का दिल्ली तथा नई दिल्ली के अधिकांश क्षेत्रों में क्षेत्राधिकार होगा। किन्तु दिल्ली केन्ट, चाणक्य पुरी तथा ऐसे ही कुछ अन्य क्षेत्रों के लिये जो कि प्रधानतया सरकारी ढंग के क्षेत्र हैं कुछ समय के लिये, यथा पहले पांच वर्ष अथवा कुछ अधिक समय के लिये, एक पृथक् नगरपालिका आयुक्त होगा। वह ही इन क्षेत्रों की देख भाल करेगा। परन्तु हर हालत में इन क्षेत्रों की स्थिति पर पांच वर्ष के पश्चात् एक बार अवश्य फिर दोबारा विचार किया जायेगा। मेरे विचार में इस निगम के लगभग ८० सदस्य होंगे। किन्तु यह संख्या कोई निश्चित संख्या नहीं है। यह अस्थायी संख्या मात्र है। यह संख्या कम या अधिक भी हो सकती है। निगम के ये सभी सदस्य वयस्क मताधिकार द्वारा चुने जायेंगे। अर्थात् दिल्ली में रहने वाले प्रत्येक वयस्क व्यक्ति को इनके निर्वाचन में मत देने का अधिकार होगा।

इसी प्रकार थोड़े बहुत रद्दोबदल के साथ हिमाचल प्रदेश, मनीपुर तथा त्रिपुरा में भी क्षेत्रीय संस्थायें अथवा परिषदें बनाई जायेंगी। वहां भी इन संस्थाओं के सभी सदस्यों का वयस्क मताधिकार द्वारा निर्वाचन होगा और जिस प्रकार यहां दिल्ली के मामलों की यह निगम देखभाल करेगा उसी प्रकार वे संस्थायें अपने अपने क्षेत्रों के मामलों की देखभाल करेंगी। ये संस्थायें तथा कुछ अन्य संस्थायें मिल कर अपने अपने क्षेत्रों से राज्य-सभा के लिये सदस्य भेजा करेंगी। इस प्रकार इन क्षेत्रों से राज्य-सभा में जो सदस्य आयेंगे वे अपने अपने क्षेत्र के सामुदायिक रूप से भी प्रतिनिधि होंगे और साथ ही वे अपने क्षेत्र के प्रत्येक वयस्क व्यक्ति के भी प्रतिनिधि होंगे जो कि उनको उस निगम अथवा संस्था के लिये चुनेगा।

अब केवल प्रशासन का प्रश्न शेष रह गया है। यह एक छोटा सा प्रश्न है। जहां तक बड़े बड़े प्रश्नों का संबंध है मैं उनका उल्लेख कर चुका हूं। मैं चाहता हूं कि प्रशासन में गैर-सरकारी सदस्यों को भी सम्मिलित किया जा सके। और यदि यह संभव हो सके तो दिल्ली में निगम के, तथा मनीपुर, हिमाचल देश आदि में इसके समतुल्य अन्य संस्थाओं के, दो या तीन व्यक्तियों को प्रशासक के साथ दिन प्रतिदिन के वास्तविक प्रशासन में संबंध कर देना चाहिये। किन्तु मैं ने अभी तक इस प्रकार की व्यवस्था के विस्तृत विवरण तथा इसकी सभी उपलक्षणाओं पर भली भांति विचार नहीं किया है। मैं ने सभा के सामने केवल इसकी रूप रेखा ही प्रस्तुत की है।

†**डा० लंका सुन्दरम्** (विशाखपटनम्) : क्या मैं माननीय मंत्री महोदय से एक बात पूछ सकता हूं ? आप क्या इन सलाहकारों को प्रशासन के कुछ विभाग सौंपना चाहते हैं ?

†**पंडित गो० व० पन्त** : मैं चाहता तो हूं। परन्तु क्या कुछ होगा इसके बारे में अभी से अंतिम रूप से कुछ नहीं कहां जा सकता है।

†**श्री बीरेन दत्त** (त्रिपुरा—पश्चिम) : क्या वे परिषद् के सामने उत्तरदायी होंगे ?

†**पंडित गो० व० पन्त** : वे संसद् के समक्ष उत्तरदायी होंगे।

†**श्री लै० ओ० सिंह** (आन्तरिक मनीपुर) : दिल्ली के निगम के समान ही मनीपुर तथा त्रिपुरा के लिये जो निगम बनेगा उसकी परामर्शदात्री परिषद् में कितने सदस्य होंगे ?

†**पंडित गो० व० पन्त** : आप के निर्वाचकगणों के इस समय कितने सदस्य हैं ?

†**श्री ले० जो० सिंह** : ३० सदस्य।

†**पंडित गो० व० पन्त** : तब उस परामर्शदात्री परिषद् के सदस्यों की संख्या भी ३० होगी। मैं समझता हूं कि मैंने इस संबंध में एक स्पष्ट रूप रेखा दे दी है और आशा है कि इससे न ही केवल इस सभा के सदस्य संतुष्ट होंगे अपितु सभा के बाहिर वाले व्यक्ति भी, जो कि इसकी समस्याओं में रुचि लेत हैं, संतुष्ट हो गये होंगे।

†**श्री च० कृ० नायर** (बाह्य दिल्ली) : दिल्ली के देहाती क्षेत्रों की क्या स्थिति होगी और दिल्ली का कितना विस्तार होगा ?

†**पंडित गो० व० पन्त** : जहां तक दिल्ली के देहाती क्षेत्रों का संबंध है, इस समय तो यही विचार है कि देहाती क्षेत्र भी उसी निगम में सम्मिलित होंगे। परन्तु देहाती क्षेत्रों से निर्वाचित सदस्यों की एक समिति होगी जिन्हें इस संविधि के द्वारा विशेष कार्य तथा कतव्य सौंपे जायेंगे जिन के अधीन निगम स्थापित होगा, ताकि इस प्रकार के निकायों की अधिकता न हो जाये और सभी को जहां तक हो सके एक सामान्य इकाई के अधीन लाया जा सके। परन्तु मुझे आशा है कि निगम के अधीन प्रारंभिक कार्यों की देख भाल करने के लिये खंड-समितियों की भी व्यवस्था होगी जिनमें स्थानीय लोग अपने अपने क्षेत्रों की ओर से काम कर सकेंगे। जहां तक बिजली, नाली व्यवस्था तथा परिवहन आदि का संबंध है.....

†**श्री च० कृ० नायर** : क्या देहाती क्षेत्रों में पंचायतें काम करती रहेंगी ?

†**पंडित गो० व० पन्त** : पंचायतें वैसी ही चलती रहेंगी। जहां तक नाली व्यवस्था, बिजली और परिवहन आदि का संबंध है, उन्हें भी आवश्यकताके अनुसार बंबई निगम अधिनियम के प्रतिरूप के समान ही, संविधान में इस प्रकार की विशेष व्यवस्था करते हुए, इस निगम के अधीन लाया जायेगा।

मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य मेरे इस कथन से सहमत होंगे कि मैंने उनकी आकांक्षाओं को यथासंभव पूरा करने का प्रयत्न किया है और संभवत: ऐसे ऐसे काम करने का साहस किया है जिनकी उन्हें आशा भी न थी।

दूसरी महत्वपूर्ण बात भाषायी अल्पसंख्यकों के परित्राण से संबंध रखती है। हमने उस बात का बारबार निर्देश किया है। प्रारंभ में जब इस सभा में प्रतिवेदन के उपबन्धों पर विचार किया गया था, मैं ने स्पष्ट शब्दों में बता दिया था कि मैं व्यक्तिगत रूप से इस बात के लिये उत्सुक था कि इन

---

†मूल अंग्रेजी में

[पंडित गो० व० पन्त]

परित्राणों की ओर पूरा पूरा ध्यान दिया जाये। यद्यपि पहले भी प्रत्येक राज्य में भाषायी अल्पसंख्यक थे, परन्तु अब जब की देश के नकशे को अधिकतर भाषा के आधार पर पुनर्गठित किया जा रहा है, परित्राण के महत्व पर अधिक बल देना और भी आवश्यक हो गया है। आयोग ने अपने प्रतिवेदन में इन परित्राणों की सिफारिश की है। इस सारे मामले को स्पष्ट करने के लिये मैं ने एक ज्ञापन तयार किया है जिसे मैं सभा-पटलपर रख रहा हूं। यह ज्ञापन उन परित्राणों की व्यवस्था करेगा जो कि प्रतिवेदन में उल्लिखित हैं; और उन्हें मैंने स्पष्ट तथा सुतथ्य रूप में प्रस्तुत किया है। उस ज्ञापक का प्रतियां सचिवालय द्वारा परिचालित की जायेंगी।

†**श्री मात्तन** (तिरुवल्ला) : क्या इस पदाधिकारी के क्षेत्राधिकार में धार्मिक अल्पसंख्यक भी आयेंगे ?

†**पंडित गो० व० पन्त** : जी नहीं, मेरा संबंध केवल राज्य पुनर्गठन विधेयक से है।

†**श्री च० कृ० नायर** : दिल्ली निगम के कब तक स्थापित हो जान की आशा है ?

†**पंडित गो० व० पन्त** : संसद् इसे जितनी जल्दी रूप दे सके, उतनी ही जल्दी उसे स्थापित कर दिया जायेगा। हमें एक विधेयक सभा में प्रस्तुत करना होगा और उसे पास कराना होगा, परन्तु मैं यह चाहता हूं कि यदि संभव हो तो इसे नये राज्यों के स्थापित होने के थोड़ी देर बाद ही स्थापित कर दिया जाये। यदि विधेयक जल्दी पास हो सके तो बड़ा अच्छा है।

मैं भाषावार अल्पसंख्यको के परित्राणों का उल्लेख कर रहा था। यह ज्ञापन मैं सभा-पटल पर रखता हूं। मुझे आशा है कि प्रत्येक व्यक्ति इस बात से संतुष्ट होगा कि जहां तक परित्राणों के निर्धारित करने का संबंध है, इसमें कुछ भी शेष करने को नहीं रहा है। संयुक्त समिति में श्री फ्रेंक एंथनी ने यह प्रश्न पूछा था। अनुभव से यह देखा गया है कि कई बार किसी राज्य में स्थित किसी शिक्षा संस्था के लिये उस राज्य से बाहिर स्थित किसी शिक्षा निकाय से सम्बन्ध स्थापित करने में बड़ी भारी कठिनाई आती है। अतः मैंने इस ज्ञापन में उस कठिनाई को भी दूर करने की व्यवस्था की है। मुझे आशा है कि वह तथा अन्य सभी सदस्य यह अनुभव करेंगे कि समस्त उचित तथा स्वीकार्य परित्राण इस ज्ञापन में निहित हैं।

इस संबंध में कई प्रश्न पूछे गये हैं कि इन परित्राणों को लागू कैसे किया जायेगा। पहले तो नम्रता पूर्वक मैं यही कहना चाहता हूं कि 'परित्राण' शब्द स्वयं ही कोई अधिक न्यायोचित या अच्छा शब्द नहीं है। परन्तु जब हमने एक नीति बना ली है, हमें इस बात का ध्यान रखना है कि उसका पूरा पूरा अनुसरण हो।

परित्राणों के क्षेत्र में आने वाले कई और मामले भी हैं, सर्वप्रथम है मातृ भाषा में प्राथमिक शिक्षा का देना। उसके लिये हम संविधान में एक संशोधन कर रहे है। और फिर कई ऐसे परित्राण भी हैं जिनका संबंध उन क्षेत्रों में अल्पसंख्यक भाषाओं के प्रयोग से है जहां वे भाषायें जनता के एक पर्याप्त भाग द्वारा बोली जाती हैं। उसके संबंध में भी वर्तमान संविधान में एक प्राधिकार की व्यवस्था है जो कि उन परित्राणों को लागू करने के बारे में कार्यवाही करेगा। फिर हम एक ऐसी व्यवस्था भी करना चाहते हैं जिसके अनुसार नौकरी, संपत्ति या भूमि की प्राप्ति, व्यापार चलाना, ठेके करना आदि मामलों के संबंध में किसी भी व्यक्ति पर किसी विशेष क्षेत्र से बाहिर रहने अथवा बसने के कारण विपरीत प्रभाव न होगा। इन प्रयोजनों के लिये संसद् द्वारा एक विधि प्रस्तुत की जायेगी तथा पास की जायेगी। इस से अधिक और कुछ नहीं किया जा सकता, और इस दौरानम मुझे आशा है कि वे सभी राज्य, जहां इस प्रकार की बाधायें हैं, यह अनुभव करेंगे कि इस प्रकार की विधि बन रही है, और इस लिये वे स्वयं ही कोई कार्यवाही करना अच्छा समझेंगे।

---

†मूल अंग्रेजी में

फिर इस विधेयक के क्षेत्र में दो अन्य बातें भी आती हैं। उन में से एक का संबंध स्कूलों को, बाहिर की संस्थाओं से संबद्ध करने से है। उस मामले में वे उन निकायों पर, उतना ही निर्भर करते हैं जितना कि उन पर जो कि ऐसा संबंध चाहते हैं। यदि कोई विश्वविद्यालय किसी भी ऐसी संस्था को संबद्ध करना नहीं चाहता, जो कि उसके सीनेट हाल से ५ मील के अन्तर से परे है, तो उस विश्व-विद्यालय को इस निर्णय से रोका नहीं जा सकता। वह एक स्वायत्तशासी निकाय है। परन्तु हम यह चाहते हैं कि कोई भी सरकारी व्यवस्था, चाहे वह राज्य सरकार हो या इसी प्रकार की कोई अन्य संस्था हो इस प्रकार के संबंध प्रदान करने में कोई भी बाधा न डाले।

†**डा० लंका सुन्दरम्** : इस बात को ध्यान में रखते हुय कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को केन्द्रीय सरकार से इतना भारी धन मिलता है, क्या सरकार इस प्रकार के सम्बन्ध प्राप्त करने में इस आयोग की सहायता नहीं ले सकती ?

†**पंडित गो० व० पन्त** : मुझे आशा है कि वह इसकी शक्तियों का प्रयोग करेगी। जहां तक प्रेरणा की शक्तियों के प्रयोग का सम्बन्ध है, हम उनका अपनी आवश्यकतानुसार पूरा पूरा उपयोग करेंगे और उससे भारत सरकार को कई प्रकार से लाभ हो सकता है। वे उपाय भले ही जोरदार हों फिर भी उन्हे मनाने के उपाय ही कहा जायेगा। अतः इस सम्बन्ध में हर प्रकार का प्रयत्न किया जायेगा ताकि वे काम हो जाये।

आयोग ने यह सुझाव दिया है कि प्रारम्भिक शिक्षा मातृभाषा में दी जानी चाहिये, किन्तु उसने इस सम्बन्ध में संविधान में कोई वैधानिक व्यवस्था करने की आवश्यकता नहीं समझी है। हम कोई ऐसी नीति बनायेंगे जिसका इस विषय में हम अनुसरण करेंगे। हमें कई एक बातों को करना है। जैसा कि माननीय सदस्यों को ज्ञात है प्रतिवेदन में यह व्यवस्था की गई है कि राज्य का राज्यपाल इन बातों की निगरानी करेगा तथा आवश्यकता होने तथा अवसर आने पर वह इन बातों को राष्ट्रपति के ध्यान में लायेगा। इस बात पर आपत्ति की गई। एक ओर यह कहा गया कि राज्यपाल को ऐसा करने का कोई वैधानिक अधिकार नहीं है अतः राज्यपाल को, जो कि राज्य के प्रशासन से घनिष्ट रूप से सम्बन्धित हैं, रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह भी कहा गया कि राज्यपाल केवल एक वैधानिक मुखिया है। अतः उसे इस वादविवाद में घसीटना ठीक नहीं है। दूसरी ओर यह मांग की गई थी कि संसद् में इन सब बातों पर विवाद करने के लिये नियमित अवसर मिलने की व्यवस्था होनी चाहिये। संयुक्त समिति में मैंने इस बात पर सहमति प्रगट की थी कि राज्यपाल के स्थान में कोई आयुक्त हो सकता है जैसा कि अनुसूचित जातियों व अनुसूचित आदिम जातियों और भाषा सम्बन्धी अल्पसंख्यकों के लिये किया गया है किन्तु आगे और यह भी सुझाव दिया गया कि आयुक्त के प्रतिवेदन को सभा के समक्ष रखा जाय और उस पर चर्चा की जाय। अब संविधान में यह व्यवस्था होगी कि भाषा सम्बन्धी अल्पसंख्यकों के लिये एक अधिकारी होगा तथा उसके प्रतिवेदन को संसद् की इच्छानुसार कार्यवाही अथवा चर्चा के लिये सभा-पटल पर रखा जायेगा। मेरे विचार से इससे सब को संतुष्ट हो जाना चाहिये। हमें ऐसा वातावरण उत्पन्न नहीं करना चाहिये जिसमे परित्राण लागू करना कठिन हो जाय। यह बहुत कठिन मामला है, क्योंकि प्रशासन राज्यों द्वारा होगा। हमे उनकी शुभकामनायें, सहयोग प्राप्त करना है। उनसे विरोध नहीं करना है। इसलिये इन परित्राणों को प्रभावशाली बनाने और उन्हें निर्विघ्न तथा यथासंभव मैत्रीपूर्ण ढंग से क्रियान्वित करने के लिये मेरे विचार से मेरे द्वारा सुझाये तरीके पर यथासंभव उपयुक्त व्यवस्था की जायेगी। मैं आशा करता हूं आगे किसी निदेश के जारी करने सम्बन्धी मांग के अब कोई प्रस्ताव नहीं किये जायेंगे।

मैंने अपनी स्थिति स्पष्ट करने का प्रयत्न किया है जिससे कि राज्य पुनर्गठन विधेयक से सम्बन्ध रखने वाली प्रत्येक बात सभा के सम्मुख रखी जा सके। यह आवश्यक नहीं है कि सभी बातें विचाराधीन विधेयक से घनिष्ट रूप से सम्बन्धित हों। मैं इन समस्त बातों को सभा के सम्मुख

---

†मूल अंग्रेजी में

[पंडित गो० व० पन्त]

उनकी इच्छानुरूप विधि से निर्णय करने के लिये रखना चाहता हूं तथा यह चाहता हूं कि यह योजना जो कि पर्याप्त है समुदाय के प्रत्येक वर्ग तथा इस देश मे रहने वाले, चाहे वे भाषा सम्बन्धी अल्पसंख्यक हों अथवा बहुसंख्यक, के शुभेच्छा तथा आशीर्वाद से क्रियान्वित हो। तथा प्रत्येक क्षेत्र में रहने वाले व्यक्ति इस आशा तथा विश्वास से इस नये युग में प्रवेश करेंगे कि वे देश के संसाधनों का यथासंभव उपयोग करेंगे जिससे हम जन साधारण का जीवन स्तर ऊंचा कर सकें। यही मेरा निवेदन तथा प्रार्थना है।

भाषाई अल्पसंख्यकों सम्बन्धी गृह-कार्य मंत्रालय का ज्ञापन

राज्य पुनर्गठन आयोग के प्रतिवेदन के भाग १ में उल्लिखित भाषा सम्बन्धी अल्पसंख्यकों के लिये प्रस्तावित परित्राणों पर राज्यों के मुख्य मंत्रियों के परामर्श से बहुत सावधानी से विचार किया गया है और भारत सरकार की इच्छा आयोग की अधिकांश सिफारिशों को स्वीकार कर लेने की है। जो कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है वह निम्न कंडिकाओं में वर्णित है।

२. **प्रारम्भिक शिक्षा** : इस सम्बन्ध में ध्यान संविधान (नवां संशोधन) विधेयक की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसमें संविधान में, शिक्षा के प्रारम्भिक स्तर में मातृभाषा में शिक्षा देने सम्बन्धी सुविधाओं के सम्बन्ध में अनुच्छेद ३५० के जोड़ने की व्यवस्था है। संविधान के अनुच्छेद ३५० क के अधीन राष्ट्रपति द्वारा जारी किये गये अनुदेश, जिन्हें विधि में अधिनियमित किया जायेगा वह अगस्त १९४९ में प्रान्तीय शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन में स्वीकृत संकल्प के आधार पर होंगे। अभिप्राय यह है कि इस सम्मेलन में स्वीकृत व्यवस्था उन राज्यों तथा क्षेत्रों में लागू होगी जहां वह अभी लागू नहीं हुई है।

३. **माध्यमिक शिक्षा** : आयोग ने यह सिफारिश की है कि भारत सरकार को राज्य सरकारों के परामर्श से माध्यमिक स्थिति में मातृभाषा में शिक्षा देने के लिये एक स्पष्ट नीति बनानी चाहिये तथा उसे क्रियान्वित करने के लिये ठोस कदम उठाने चाहिये। आयोग ने यह दृष्टिकोण व्यक्त किया है कि माध्यमिक शिक्षा के साथ प्रारम्भिक शिक्षा से भिन्न प्रकार का व्यवहार किया जाये। इसलिये माध्यमिक स्कूल स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने के लिये वैधानिक मान्यता की सिफारिश नहीं की है।

अगस्त १९४९ में हुए प्रान्तीय शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन में स्वीकृत संकल्प में माध्यमिक शिक्षा के सम्बन्ध में निम्न व्यवस्था की गई है :

(क) यदि ऐसे विद्यार्थियों की संख्या, जिनको मातृभाषा, प्रादेशिक भाषा अथवा राज्य भाषा नहीं है, उस क्षेत्र में एक पृथक् पाठशाला खोलने के लिये काफी है, तो ऐसी पाठशाला में शिक्षा का माध्यम विद्यार्थियों की मातृभाषा होगी। गैर सरकारी ऐजेन्सियों द्वारा संगठित अथवा स्थापित ऐसी पाठशालाओं को विहित नियमों के अधीन सरकारी अनुदान देने के लिये मान्यता दी जायेगी।

(ख) सरकार ऐसी सुविधायें उन सभी सरकारी और जिला बोर्ड के स्कूलों को भी देगी जहां कि विद्यार्थियों की कुल संख्या का एक तिहाई मातृभाषा में शिक्षा प्राप्त करना चाहता है।

(ग) सरकार यह भी चाहेगी कि सहायता प्राप्त स्कूल, यदि वहां के विद्यार्थियों की एक तिहाई संख्या की यह इच्छा हो, और यदि उस क्षेत्र में उस विशेष भाषा में शिक्षा देने की कोई उपयुक्त सुविधायें न हों तो, ऐसी शिक्षा की व्यवस्था करें।

---

†मूल अंग्रेजी में

(घ) सारे माध्यमिक शिक्षा क्रम में प्रादेशिक भाषा अनिवार्य अध्ययन विषय होगी। शिक्षा सम्बन्धी केन्द्रीय परामर्शदात्री बोर्ड ने, माध्यमिक आयोग के प्रतिवेदन और अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा परिषद् के द्वारा इस विषय में पारित किये गये संकल्प पर विचार करने के पश्चात्, मातृभाषा को माध्यमिक स्तर के पाठ्यक्रम में महत्वपूर्ण स्थिति प्रदान की है जिससे भाषा सम्बन्धी अल्पसंख्यकों के विद्यार्थी अपनी मातृभाषा का अध्ययन माध्यमिक स्तर में सिखायी जाने वाली तीन भाषाओं में से एक वैकल्पिक भाषा के रूप में कर सकें। आयोग की सिफारिश के अनुसार भारत सरकार राज्य सरकारों के परामर्श से माध्यमिक शिक्षा के स्तर में मातृभाषा की शिक्षा तथा स्थान के सम्बन्ध में, स्पष्ट नीति निर्धारित करना चाहती है तथा उसे क्रियान्वित करने के लिये, सक्रिय कदम उठाना चाहती है।

५. **अल्पसंख्यकों की भाषा का उपयोग करने वाले स्कूलों और कालेजों का सम्बन्ध :** उपर्युक्त कंडिकाओं में वर्णित प्रस्तावों से सम्बन्धित एक प्रश्न नये अथवा पुनर्गठित राज्यों में स्थित शिक्षा संस्थाओं को, उपयुक्त विश्वविद्यालयों अथवा शिक्षा संस्थाओं से सम्बन्धित करने का है। निस्संदेह यह वांछनीय होगा कि इस प्रकार की व्यवस्था की जाय कि स्कूल तथा कालेज इत्यादि शिक्षा संस्थाओं को मातृभाषा की शिक्षा के लिये उसी राज्य के विश्वविद्यालयों अथवा अन्य प्राधिकारों से सम्बन्धित किया जाय। यह भी संभव है कि सदैव ऐसी व्यवस्था करना संभव न हो तथा इस प्रकार की संस्थाओं की संख्या को ध्यान में रखते हुए विश्वविद्यालयों तथा शिक्षा प्राधिकारों के तथा शिक्षा संस्थाओं के हित के लिये भी यह अधिक सुविधाजनक होगा कि वे राज्य के बाहर स्थित किसी उपयुक्त संस्था से सम्बन्ध स्थापित करें। वस्तुतः इसे संविधान के अनुच्छेद ३० में उपबन्धित व्यवस्था का अनिवार्य अंग मानना चाहिये। उक्त अनुच्छेद में भाषा सम्बन्धी अल्पसंख्यकों को अपनी इच्छानुसार शिक्षा संस्थायें में स्थापित करने और उन्हें प्रशासित करने का अधिकार है।

६. अतएव राज्य सरकारों को यह मंत्रणा देने का विचार किया गया है कि ऐसे सभी मामलों में बाहरी निकायों से सम्बन्ध की अनुमति बिना किसी कठिनाई के दे दी जाय। इस प्रकार से सम्बन्धित किसी भी संस्था को अनुदान तथा अन्य सुविधाओं के सम्बन्ध में केवल इस कारण कि शिक्षा के दृष्टिकोण से कोई संस्था उस राज्य के आन्तरिक शिक्षा प्रशासन के अन्तर्गत नहीं आती है, किसी प्रकार निर्योग्य न समझा जाय। इसलिये यह विचार किया गया है कि राज्य के भीतरी अथवा बाहरी किसी भी संस्था से सम्बन्ध का विचार किये बिना सारी संस्थाओं को उसी राज्य द्वारा सहायता दी जाय जिसमें वे स्थित हैं। इस दृष्टिकोण से आवश्यकता होने पर विश्वविद्यालयों अथवा शिक्षा संस्थाओं के विधान पर पुनर्विचार किया जा सकता है।

७. **अल्पसंख्यक भाषाओं के सरकारी भाषाओं के रूप में मान्यता देने के सम्बन्ध में अनुच्छेद ३४७ के अन्तर्गत राष्ट्रपति द्वारा निदेशों का जारी किया जाना** : संविधान के अनुच्छेद ३४७ की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है जो यह विहित करता है कि यदि राष्ट्रपति किसी ऐसी मांग के बारे में संतुष्ट हो जाय कि किसी राज्य की जनसंख्या का पर्याप्त भाग किसी भाषा विशेष के प्रयोग का समर्थक है, तो वह निदेश दे सकेगा कि ऐसी भाषा को उस राज्य में सर्वत्र अथवा उसके किसी भाग में राज्यकीय अभिज्ञा दी जाये। आयोगने सिफारिश की है कि राज्य प्रशासन के विभिन्न स्तरों पर विभिन्न भाषाओं के प्रयोग को नियन्त्रित करने के लिए भारत सरकार को राज्य सरकारों के परामर्श से एक स्पष्ट सिद्धांत अपनाना चाहिए तथा उस सिद्धांत के अनुसरण को सु-निश्चित करने के लिए अनुच्छेद ३४७ के अन्तर्गत कार्यवाही करनी चाहिये।

८. आयोग ने सुझाव दिया है कि किसी राज्य को एकभाषी राज्य केवल जब ही मानना चाहिये जब कि वहां की कुल जनसंख्या का ७० प्रतिशत या अधिक जनसमुदाय एक भाषी हो, तथा पर्याप्त अल्पसंख्यक जनसमुदाय जनसंख्या का ३० प्रतिशत भाग या अधिक हो, तो प्रशासकीय प्रयोजनों के लिये राज्य को द्विभाषी राज्य माना जाये। आयोग ने यह भी सुझाव दिया है कि यही

[पंडित गो० व० पन्त]

सिद्धांत जिलों में सफल सिद्ध हो सकता है अर्थात् यदि किसी जिल की कुल जनसंख्या ७० प्रतिशत या अधिक जन समुदाय एक वर्ग का हो जो समूचे राज्य में अल्पसंख्यक हो तो, उस जिले की सरकारी भाषा राज्य की सरकारी भाषा नहीं अपितु अल्पसंख्यक वर्ग की भाषा सरकारी भाषा होनी चाहिये ।

९. भारत सरकार इन प्रस्तावों से सहमत है और राज्य सरकारों से इन्हें अपनाने के लिये कहेगी ।

१०. किसी राज्य या जिले में जो द्विभाषी माना जाता है दो या अधिक सरकारी भाषाओं को अभिज्ञात दिये जाने के प्रयोजन के लिये किये जाने वाले प्रबन्ध उस अधिकार पर बिना किसी प्रतिकूल प्रभाव के होंगे, जो उस राज्य में रहने वाले किसी भी व्यक्ति द्वारा संविधान के अनुच्छेद ३५० के अन्तर्गत संघ या राज्य में प्रयोग होने वाली भाषाओं में से किसी का भी किसी व्यथा के निवारण के लिये अभिवेदन देने के लिए प्रयोग किया जा सकता है ।

११. आयोग ने यह भी सुझाव दिया है कि नगरपालिकाओं और तहसीलों जैसे छोटे क्षेत्रों में, जहां भाषा संबंधी अल्पसंख्या उस क्षेत्र की जनसंख्या की १५ से २० प्रति शत तक हो, महत्वपूर्ण सरकारी पूर्व सूचनाओं और नियमों को उस किसी भाषा या भाषाओं के अतिरिक्त, जिसमें ऐसे दस्तावेज़ अन्यथा सामान्य रूप में प्रकाशित होते हों, अल्पसंख्यक भाषा में प्रकाशित कराना लाभदायक होगा ।

१२. भारत सरकार का विचार राज्य सरकारों को यह सुझाव देने का है कि उन्हें उपर्युक्त प्रस्तावित प्रक्रिया प्रशासकीय सुविधा के मामले के रूप में अपनानी चाहिये ।

१३. **राज्य सेवाओं में नियुक्तियों सम्बन्धी परीक्षाओं में अल्पसंख्यक भाषाओं को माध्यम के रूप में अभिज्ञात करना** : आयोग की इस सिफारिश की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है कि उम्मीदवारों को राज्य सेवाओं (अधीनस्थ सेवाओं को छोड़ कर) में भर्ती के लिए होने वाली किसी भी परीक्षा में अंग्रेजी या हिन्दी या राज्य की जनसंख्या के १५ से २० प्रतिशत या अधिक जन-समुदाय की भाषा को परीक्षा के माध्यम के रूप में चुनने का वरणाधिकार होना चाहिये । इस स्थिति में संवरण के बाद और परिवीक्षा की समाप्ति से पहिले राज्य भाषा में विशेष योग्यता परीक्षा हो सकती है । भारत सरकार का विचार राज्य सरकारों को यह परामर्श देने का है कि जहां तक सम्भव हो इन सुझावों को अपनाया जाये । राज्य सरकारों से यह भी सिफारिश करने का विचार है कि जहां कहीं अधीनस्थ सेवा में सम्मिलित कोई पदाली किसी जिले की पदाली समझी जाये, तो ऐसी कोई भी भाषा जो जिले में सरकारी भाषा के रूप में अभिज्ञात हो गई है, जिलों में प्रतियोगिता परीक्षाओं के प्रयोजन के लिए माध्यम के रूप में अभिज्ञात की जाये । अन्तिम कथित सुझाव, इस टिप्पणी के कंडिका ८ में निर्दिष्ट आयोग की सिफारिशों की स्वीकृति के फलस्वरूप एक प्रासंगिक आवश्यकता समझा जायेगा ।

१४. **निवास नियमों तथा आवश्यकताओं का पुनरीक्षण** : आयोग ने इस बात पर जोर दिया है कि कुछ राज्यों में प्रचलित आधिवास परीक्षाओं से अल्पसंख्यक वर्गों को अलाभ होता है तथा सिफारिश की है कि भारत सरकार को निवास संबंधी आवश्यकताओं को उदार बनाने के लिए संविधान के अनुच्छेद १६ (३) के अन्तर्गत विधान बनाना चाहिये । भारत सरकार ने उन विभिन्न सुझावों पर ध्यानपूर्वक विचार किया है जो अनुच्छेद १६(३) के अधीन संसद् द्वारा अधिनियमित किये जाने वाले विधान के रूप के बारे में समय समय पर दिये गये हैं । उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला है कि, समूचे रूप में, आजकल निवास के प्रसंग में राज्य सेवाओं की किसी शाखा या पदाली में कोई प्रतिबन्ध लगाना न तो आवश्यक है और न उचित ही ।

१५. तिलिंगाना क्षेत्र में अभेदभाव के सामान्य नियम में हो सकता है कि कुछ अपवाद करने पड़ें तथा हो सकता है कि कुछ पिछड़े हुए क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों के संबंध मे विशेष उपबन्ध करने के प्रश्न पर विचार करना पड़े । फिर भी, आशा है कि ये अन्तरिम प्रबन्ध अन्तर्कालीन काल के बाद जारी नहीं रहेंगे ।

१६. भारत सरकार का विचार कथित आधार पर स्थिति के स्पष्टीकरण के लिए यथाशीघ्र विधान बनाने का है। इस बीच में राज्य सरकारों से कहा जायेगा कि वे कंडिका १४ में वर्णित स्थिति को ध्यान में रखते हुए राज्य सेवाओं में भर्ती संबंधी नियमों का पुनरीक्षण करें।

१७ **ठेकों, मीन-क्षेत्रों, आदि के बारे में निजी अधिकारों का निर्बन्धन** : संविधान में व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता तथा अवसर समता के अधिकार संबंधी संगत उपबन्धों की ओर भारत सरकार का ध्यान आकर्षित किया जाता है, तथा यह सुझाव दिया जा रहा है कि विद्यमान निर्बन्धनों का पुनरीक्षण इस दृष्टि से किया जाना चाहिये।

१८. **अखिल भारतीय सेवाओं में नये भर्ती होने वालों में कम से कम पचास प्रतिशत व्यक्तियों का राज्य के बाहर से लिया जाना** : इस प्रश्न पर राज्यों में मुख्य मंत्रियों के साथ अनौपचारिक रूप से चर्चा हो चुकी है। इस संबंध में कठोर नियमों का होना आवश्यक नहीं समझा जाता, परन्तु अखिल भारतीय सेवाओं के लिये भावी बटवारा करने में आयोग द्वारा की गई सिफारिश का ध्यान रखा जायेगा।

१९. **राज्य के बाहर से तिहाई न्यायाधीशों का भर्ती किया जाना** : आयोग की सिफारिशों के बारे में भारत के मुख्य न्यायाधिपति को बताया जा रहा है। कुछ मामलों में इन सिफारिशों को कार्यान्वित करने में कठिनाइयां हो सकती हैं, परन्तु आशय यह है कि भावी नियुक्तियां करने में यथासम्भव इनका ध्यान रखा जाये।

२०. **दो या अधिक राज्यों के लिए लोक-सेवा आयोग की रचना** : इस प्रस्ताव का कि राज्यों में लोक सेवा आयोगों का सभापति और सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किये जायें, राज्य सरकारों ने स्वागत नहीं किया है। अतः इस दिशा में और प्रगति नहीं हुई है। दो या अधिक राज्यों के लिये लोक सेवा आयोगों की रचना करने के लिये संविधान के अनुच्छेद ३१५ में पहिले ही उपबन्ध कर दिया गया है। इस अनुच्छेद में निर्धारित प्रक्रिया का पालन, यदि दो या अधिक राज्यों के लिये लोक सेवा आयोगों की रचना करना आवश्यक हो जाये, तो बाद की अवस्था में किया जा सकता है।

२१. **परित्राणों को लागू करने के लिये व्यवस्थापन** : राज्य पुनर्गठन आयोग ने सिफारिश की है कि भाषा संबंधी अल्पसंख्यकों के लिए परित्राणों को लागू करने के लिए राज्यों के राज्यपालों की सेवाओं का उपयोग करना चाहिये। आयोग ने राज्यपालों को कोई स्वविवेकीय काम देने पर विचार नहीं किया है तथा उन्होंने सिफारिश की है कि एक साधारण प्रक्रिया की, जो वर्तमान संविधानीय व्यवस्था के ढांचे में ही अपनाई जा सकती है, फिर भी, दोनों संयुक्त प्रवर समिति और संसद् में राज्य पुनर्गठन विधेयक और संविधान (नवां संशोधन) विधेयक पर जो विचार प्रकट किये गये हैं उनकी दृष्टि से अब भारत सरकार का विचार केन्द्र में एक अल्पसंख्यक आयुक्त नियुक्त करने का है। यह आयुक्त अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों संबंधी आयुक्त के नमूने पर नियुक्त किया जायेगा। यह पदाधिकारी ऐसी अन्तरावधि पर अल्पसंख्यक भाषा वर्गों के लिये परित्राणों की कार्यान्विति के बारे में राष्ट्रपति को प्रतिवेदन देगा जिसका वह निदेश दे, तथा उसका प्रतिवेदन संसद् की प्रत्येक सभा में रखा जायेगा।

२२. समाप्त करने से पहिले, भारत सरकार राज्य पुनर्गठन आयोग के विचारों का, जो उसके प्रतिवेदन के निम्न अंश में हैं, समर्थन करना चाहती है :

> "यह जोर देना चाहती है कि किसी राज्य सरकार की प्रत्येक प्रकार की भेदभावपूर्ण नीति के विरुद्ध किसी भी प्रतिभूति (गारन्टी) से अल्पसंख्यकों को प्राप्त नहीं किया जा सकता। राज्य के आधार पर सरकारी कार्यवाही का प्रभाव व्यक्ति के जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में पड़ता है, तथा लोक-तन्त्रात्मक सरकार को जनता के नैतिक और राजनीतिक स्तरों का प्रतिनिधित्व अवश्य करना चाहिये। अतः यदि सत्तारूढ़ वर्ग अल्पसंख्यकों का शत्रु बन जाता है, तो अल्पसंख्यकों को विवश

[पंडित गो० व० पन्त]

होकर ऐसा बनना पड़ेगा जिनसे ईर्ष्या न की जा सके। स्वयं को ऐसे तत्वों के अनकूल बनाने के लिये बहुसंख्यकों की ओर से न्याय्य व्यवहार के विचार और अल्पसंख्यकों की ओर से तदनुरूप आभार का स्थान कोई बात नहीं ले सकती, जो राज्य की संयोजित व व्यवस्थित प्रगति के लिये महत्वपूर्ण हैं।"

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

इस विधेयक के सारे प्रक्रमों के लिए पन्द्रह घंटे नियत हैं।

समय सीमा को सदैव बढ़ाया जा सकता है। १८५ संशोधन प्रस्तुत किए गए हैं और कुछ और भी प्रस्तुत किए जायेंगे। इसलिये मैं यह अनुभव करता हूं कि हमें खंडों के लिये और समय देना चाहिए।

†**श्री क० कु० बसु** (डायमंड हार्बर) : सामान्य चर्चा के लिए सात घंटे का समय दिया जाय। खंडों पर वाद-विवाद में अधिक समय नहीं लगेगा। न्यूनाधिक संशोधन एक ही बात से संबंधित हैं जैसे कि भाषा संबंधी अल्पसंख्यकों के संबंध में लगभग ५० संशोधन हैं।

†**अध्यक्ष महोदय** : छः और सात घंटे में अधिक अन्तर नहीं है। हम आज सामान्य चर्चा समाप्त करेंगे। माननीय मंत्री को ये सभी संशोधन देखने हैं।

†**श्री कामत** (होशंगाबाद) : मंत्री महोदय कल उत्तर दे सकते हैं।

†**अध्यक्ष महोदय** : हो सकता है कि माननीय मंत्री को सामान्य चर्चा के उत्तर के रूप में अधिक कुछ न कहना हो। वह अलग अलग खंडों के सम्बन्ध अधिक समय ले सकते हैं। इसलिये हम आज विचारार्थ प्रस्ताव पर मतदान समाप्त करेंगे।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** (बसिरहाट) : आज आधे घंटे की चर्चा है। इसलिये मैं यह जानना चाहती हूं कि मतदान क्या ठीक ६ बजे होगा या उस से कुछ पहिले।

†**अध्यक्ष महोदय** : मतदान ६.०५ तक समाप्त किया जायेगा और फिर आधे घंटे की चर्चा आरम्भ होगी।

†**श्री कामत** : क्या अन्य मंत्री भी वाद-विवाद में हस्तक्षेप करेंगे ?

†**पंडित गो० व० पन्त** : यदि आप चाहते हैं तो मैं नहीं बोलूंगा।

†**अध्यक्ष महोदय** : ५.४५ और ५.५० के बीच मैं प्रस्ताव को मतदान के लिये प्रस्तुत करूंगा। श्री बसु।

†**श्री क० कु० बसु** : जैसा कि माननीय मंत्री ने अपने भाषण में कहा था संविधान के सम्बन्ध में यह विशिष्ट संशोधन, दो अधिनियमों को स्वीकार करने पर अवलम्बी है। यदि राज्यों के पुनर्गठन में भाषा सम्बन्धी सिद्धान्त को स्वीकार किया गया होता तो हम इस संविधान (संशोधन) विधेयक को सहर्ष स्वीकार कर लेते। परन्तु इस सिद्धान्त को जैसे कि बम्बई राज्य के निर्णय के मामले में पूर्णतः स्वीकार नहीं किया गया है। राज्य पुनर्गठन विधेयक पर वाद-विवाद के समय इन विशिष्ट बातों के सम्बन्ध में हम बहुत कुछ कह चुके हैं, इसलिये मैं उस विशिष्ट निर्णय के सम्बन्ध में विस्तृत रूप से कुछ न कहूंगा।

उस समय हमने इस बात पर जोर दिया था कि भाषा सम्बन्धी अल्पसंख्यकों की समस्या को कम करने के लिये एक सीमा आयोग नियुक्त किया जाना चाहिये। गृह-कार्य मंत्री ने कहा है कि भाषा सम्बन्धी राज्यों के सिद्धांत पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया है। परन्तु भाषा सम्बन्धी

---

†मूल अंग्रेजी में

अल्पसंख्यकों की अत्यधिक प्रतिशतता अभी भी शेष है । इनकी समस्या के समाधान के लिये प्रयत्न किया जाना चाहिये था क्योंकि अल्पसंख्यकों की समस्या, अन्य प्रशासकीय समस्याओं की भांति, बनायी गयी है । इसलिये अग्रेतर सुधार की हमको चाहे कितनी ही इच्छा थी, जहां तक पुनर्गठन का सम्बन्ध है, जो स्थिति आज है उस में संविधान संशोधन विधेयक का बहुत कम महत्व रह जाता है ।

राज्यों के नामों की समस्या के मामले में हम समझ नहीं सके कि सरकार उन पुरानो नामों को क्यों बनाये रखना चाहती है जो कि अंग्रेजों द्वारा या किसी सामन्त राजा द्वारा दिया गया है । जैसे कि हमने राज्य पुनर्गठन विधेयक पर चर्चा के समय कहा था कि मद्रास राज्य का नाम तामिलनाड होना चाहिये क्योंकि यह तामिल भाषा भाषिओं का घर है । इसी प्रकार कर्नाटक का नया राज्य मैसूर के पुराने जिलों, हैदराबाद के पुराने राज्य के कर्नाटक क्षेत्रों और बम्बई के पुराने राज्य के कुछ जिलों को मिला कर बनाया गया है । इसलिये इसका नाम मैसूर राज्य की अपेक्षा कर्नाटक राज्य होना चाहिये था । सबसे महत्वपूर्ण बात अंदमान और निकोबार द्वीपों के नामकी है। हमारे राष्ट्रीय आन्दोलन की अवधि में यह विशिष्ट टापू एक दाण्डिक बस्ती थी। यहां क्रांतिकारियों को आजीवन कारावास के लिये भेजा जाता था। यही वह स्थान है जहां नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के नेतृत्व में इंडियन नेशनल आर्मी ने पहली बार भारतीय राष्ट्रीय झंडा फहराया था । कुछ समय हुआ इस टापू का नाम नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के नाम पर रखने के सम्बन्ध में वाद-विवाद भी हुआ था । इसलिये इस टापू का नाम बदल देना चाहिय । मैं इस बात पर इस समय अधिक कुछ न कहूंगा क्योंकि मैंने इस विशिष्ट खंड के सम्बन्ध में एक सशोधन प्रस्तुत किया है ।

एक और महत्वपूर्ण बात राज्यपरिषद् में स्थानों के बटवारे की है । कुछ क्षेत्रों को, संघ क्षेत्र होने के कारण राज्य परिषद् में प्रतिनिधान का अधिकार नहीं है । लकादीव और मीनीकाय टापू, जो पहले पुरानें मद्रास राज्य का भाग थे, अब उन्हें संघ क्षेत्र के अन्तर्गत रखा गया है और अब उनका कोई भी प्रतिनिधि न होगा । अन्दमान और निकोबार टापुओं के सम्बन्ध में यह अनुभव किया गया था कि प्रतिनिधि सरकार से वहां पर प्रशासन कार्य नहीं चलाया जा सकता इसलिये संविधान में उन्हें भाग (घ) के राज्यों में रखा गया है, परन्तु संविधान के अधीन सरकार को यह देखना चाहिये कि यदि पहले उस समय प्रतिनिधि सरकार की स्थापना सम्भव नहीं थी तो अब लोगों को शिक्षा दे कर और कुछ प्रशासकीय सुधारों द्वारा उन क्षेत्रों में भी प्रतिनिधि सरकार की व्यवस्था की जानी चाहिये परन्तु अब हम देखते हैं कि संसद् में या मद्रास विधान सभा में उसके प्रतिनिधान का अधिकार भी छीन लिया गया है और उसे संघ प्रदेश बना दिया गया है । संयुक्त समिति में इस बात पर चर्चा हुई थी और हमें बताया गया था कि १५,००० या २०,००० व्यक्तियों के लिये प्रतिनिधान की व्यवस्था करना अत्यन्त कठिन है । अन्दमान और निक़ोबार टापुओं के मामले में वर्तमान संविधान के एक उपबन्ध के अधीन लोक-सभा के लिये एक सदस्य मनोनीत किया जाता है । इसी प्रकार लंकादीव और मीनीकाय टापुओं के मामले में भी उन्हें राज्य परिषद् में प्रतिनिधान का अधिकार प्राप्त होना चाहिये । जैसा कि माननीय मंत्री ने कहा है ऐसा निर्वाचक-गण या किसी और विधि द्वारा किया जा सकता है परन्तु इस सम्बन्ध में कोई उपबन्ध अवश्य होना चाहिये ।

इस सम्बन्ध में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि संविधान के वर्तमान उपबन्धों के अधीन जिन संघ क्षेत्रों को केन्द्र द्वारा शासित करने का प्रस्ताव है या जो केन्द्र द्वारा शासित होते हैं उनके प्रशासन में जनता का भी सम्बन्ध होना चाहिये । विशिष्ट क्षेत्र पर लागू होने वाली विधि पर संसद् को चर्चा करने का अधिकार नहीं था । अब संसद् ऐसा कर सकती है और संसद् यह भी निर्णय करेगी कि विशिष्ट क्षेत्र का प्रशासन किस प्रकार हो । माननीय मंत्री ने अभी अभी जो टिप्पण सभा के सामने रखा है यदि उसे पहले रखा गया होता तो हम इस प्रस्ताव पर भली भांति विचार कर सकते थे । परन्तु उनके भाषण से मैं यह समझ सका हूं कि बेहतरी के लिये कुछ परिवर्तन किया गया है । मैं यह कहना चाहता हूं कि जिन सीमित अधिकारों को देने का प्रस्ताव है, चाहे नगर निगम के रूप में या जिला बोर्ड के रूप में, उनमें ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिये कि विशिष्ट क्षेत्र की जनता प्रशासकीय तथा अन्य मामलों में अत्यधिक भाग ले सके । यदि हम द्वितीय पंचवर्षीय योजना को सफल बनाना चाहते हैं तो उसमें लोगों का सहयोग अनिवार्य है ।

[श्री क० कु० बसु]

मैं पिछले दिनों समाचार पत्र में चीन गये दल के एक सदस्य का लेख पढ़ रहा था। उसमें यही कहा गया था कि भारत में सबसे महत्वपूर्ण जिस बात की कमी है वह है योजना के लक्ष्यों को पूरा करने में जनता का भाग तथा सहयोग। योजना की सफलता अधिकांशतः प्रशासी ढांचे पर निर्भर होती है और इस बात पर भी निर्भर होती है कि हम किस प्रकार जनता से व्यवहार करते हैं ताकि वह यह समझे कि जो कुछ किया जा रहा है वह जनसाधारण के लाभ के लिये है। त्रिपुरा और मनीपुर के मामले में प्रशासक, तीन या चार सलाहकारों की सहायता से शासन करेगा। मेरा अपना यह विचार है कि इस समय विधि तथा व्यवस्था के मामले और वित्त के सम्बन्ध में कुछ निर्बन्धनों को छोड़ कर समस्त प्रशासकीय ढांचे का कार्य उस विशिष्ट क्षेत्र की जनता को सौंपा जाना चाहिये। त्रिपुरा और मनीपुर स्वयं पहले प्रशासी इकाइयां थीं। उनकी अपनी न्यायिक व्यवस्था थी, अपना उच्च न्यायालय था। हिमाचल प्रदेश और दिल्ली में वर्तमान संविधान के अधीन भी सीमित अधिकारों की विधान सभायें हैं। हम चाहते हैं कि सभी राज्यों को, चाहे वे कितने ही छोटे क्यों न हों, भारत के किसी अन्य भाग की भांति एक ही स्तर पर रखा जाये। मैं कह नहीं सकता कि सरकार ऐसा क्यों नहीं करना चाहती है।

सरकार ने १९४७ या १९५० के बाद से क्या किया है? उसने उन क्षेत्रों की जनता को प्रशिक्षित करने के लिये ताकि वह अपने क्षेत्रों के मामलों का प्रबन्ध स्वयं कर सकें, क्या किया है? आज यह कहना कि लोग अधिकार दिये जाने और अपने मामलों का प्रबन्ध करने का उत्तरदायित्व संभालने के योग्य नहीं हैं बेकार सी बात है।

मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वह किसी बड़े राज्य या बम्बई या कलकत्ता की भांति नगर निगम के अधिकारों को चाहे सीमित कर दें परन्तु लोगों को और अधिक अधिकार दिये जाने चाहिये ताकि वे स्थानीय स्वशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य और सभी बातों की व्यवस्था स्वयं कर सकें।

हमें बताया गया है कि केन्द्र में एक मंत्रणा समिति या स्थायी समिति गठित की जायेगी। हम जानते हैं कि मनीपुर और त्रिपुरा सीधे केन्द्रीय प्रशासन के अधीन रहे हैं। इस विशिष्ट क्षेत्र के मामलों पर वाद-विवाद के सम्बन्ध में इस संसद् को कितने दिन अवसर प्राप्त हुआ है? आयव्ययक सत्र में भी उन मामलों पर चर्चा के लिये कोई विशेष दिन बंटित नहीं किया जाता है। उस क्षेत्र के प्रतिनिधियों द्वारा ज़ोर देने पर वर्ष भर में पांच या छः घंटे वाद-विवाद होता है। वहां के लोग अपनी समस्याओं को जानते हैं और वही प्रभावकारी रूप से स्थानीय समस्याओं का समाधान भी कर सकते हैं।

एक और महत्वपूर्ण बात अल्पसंख्यकों की समस्या है। माननीय मंत्री ने स्वयं कहा है कि संयुक्त समिति के अधिकांश सदस्यों ने इस समस्या के समाधान के सम्बन्ध में चिन्ता प्रकट की है। जहां भाषा सम्बन्धी अल्पसंख्यक हैं वहां औद्योगिक क्षेत्र और सीमा क्षेत्र भी होंगे। हम जानते हैं कि संविधान अनुच्छेद ३४७ के अधीन यह उपबन्धित है कि किसी विशिष्ट प्रदेश के प्रशासन के मामले में यदि उस विशिष्ट प्रदेश का जनसमुदाय चाहे तो वह राष्ट्रपति को अभ्यावेदन कर सकता है और राष्ट्रपति अनुमति देगा कि उस विशिष्ट प्रदेश में उस विशिष्ट भाषा को प्रशासकीय कार्य में उपयोग किया जाये। बिहार के कुछ लोगों ने अभ्यावेदित किया है और उस विशिष्ट क्षेत्र में बंगला भाषा बोली जाती है परन्तु हम जानते हैं कि हमारे संविधानिक प्रमुख को मंत्रियों की मंत्रणा पर कार्य करना होता है। प्रायः गलत या ठीक किसी विशिष्ट राज्य के मंत्रियों के विरुद्ध यह आरोप लगाया जाता है कि वे अल्पसंख्यकों के हित में जिस प्रकार उन्हें कार्य करना चाहिये, वे नहीं कर रहे हैं। इसलिये न्याय पाना अत्यन्त कठिन है। संयुक्त समिति में हम सभी का यही विचार था कि राज्यों से बाहर ऐसा कोई स्वतंत्र निकाय होना चाहिये जो संसद् को प्रतिवेदित कर सके और जहां तक विभिन्न राज्यों का सम्बन्ध है अल्पसंख्यकों के हितों की देखभाल कर सके।

श्री एन्थनी ने सम्बन्ध का प्रश्न उठाया है। हमें अभी माननीय मंत्री द्वारा बताया गया है कि ऐसा कोई सुझाव विचाराधीन है। ऐसी समस्याओं से प्रायः कठिनाइयां उत्पन्न होती हैं। समस्त राज्य की व्यवस्था के संदर्भ में बहुत कम अल्पसंख्यकों के लिये शिक्षा का प्रबन्ध करना किसी विशिष्ट राज्य के लिये कठिन हो सकता है। विश्व विद्यालय के नियम हैं। इन अल्पसंख्यक वर्गों के हितों को सुरक्षित करने के लिये सरकार स्वायत्तशासी निकायों पर प्रभाव डाल सकती है।

जब तक ज्ञापन को न देखा जाये तब तक हम प्रस्थापनाओं में सुधार करने के लिये कोई सुझाव नहीं दे सकते हैं परन्तु यह बात स्पष्ट हो जानी चाहिये कि संसद् चाहे जो भी सिद्धान्त निर्धारित करे उनस भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के शिक्षा, सेवाओं और उस क्षेत्र विशेष में उसे सरकारी भाषा के रूप में काम में लाने के अधिकार सुरक्षित रहने चाहिये। राज्य से बाहर विशेषतः केन्द्र में कोई ऐसी प्रबन्ध व्यवस्था अवश्य बनानी होगी जो राज्य पुनर्गठन को कार्यान्वित करे और यह देखे कि उस संहिता को, उस अधिकार को कहां तक परित्राण दिया गया है और अल्पसंख्यक वर्गों ने उस अधिकार से कहां तक लाभ उठाया है।

आपको विदित है कि राज्य पुनर्गठन समिति ने छठी अनुसूची के बारे में इसलिये कोई सिफारिश नहीं की कि एक गैर-सरकारी सदस्य ने इस संबंध में एक विधेयक पुरःस्थापित किया है। परन्तु दुर्भाग्य से वह विधेयक वापस ले लिया गया है। इस से हमारी स्थिति बड़ी विचित्र हो गई है। हम चाहते हैं कि सरकार यह सुझाव दे कि वह इस अनुसूची में किस सीमा तक संशोधन करना चाहती है ताकि हमें पता चल जाये कि सरकार क्या करना चाहती है।

अब मैं आंध्र और पंजाब में प्रादेशिक परिषदों की प्रस्थापना की बात को लेता हूं। यह ठीक है कि कुछ क्षेत्रों में प्रादेशिक हितों को संरक्षण दिये जाने की आवश्यकता है, परन्तु इसे केवल दो राज्यों में ही क्यों लागू किया गया है? बिहार में श्री जयपाल सिंह ने झारखंड की मांग की। हम इस मांग के विरुद्ध हैं, परन्तु फिर भी आदिम जातियों के हितों के संरक्षण के लिये और उनकी समस्याओं को सहानुभूति पूर्वक हल करने के लिये प्रादेषिक परिषद् जैसी किसी संस्था की आवश्यकता थी। इसी प्रकार दार्जिलिंग क्षेत्र के नेपाली निवासी भी चाहते हैं कि उनके हितों की रक्षा की जाये। परन्तु इन स्थानों पर प्रादेशिक परिषदों की व्यवस्था न करते हुए केवल एक या दो राज्यों में ही किसी समुदाय विशेष को प्रसन्न करने के लिये ऐसा किया गया है, मैं इसके विरुद्ध हूं।

मैं इस बात का विरोध करता हूं कि आंध्र में १९६२ तक निर्वाचन न किये जायें। यदि इस प्रकार का कोई समझौता किया गया है तो ठीक परन्तु संविधान में यह उपबन्ध क्यों किया जा रहा है कि आंध्र प्रदेश में अमुक वर्ष पूर्व निर्वाचन नहीं किये जायेंगे। यह सब कुछ एक दल विशेष की सत्ता बनाये रखने के लिये किया जा रहा है। समस्त भारत में १९५७ में निर्वाचन किये जायेंगे। कहा जाता है कि यहां केवल दो वर्ष पहले ही निर्वाचन किये गये हैं और फिर से निर्वाचन नहीं किये जा सकते। राज्य पुनर्गठन विधेयक में यह उपबन्ध किया गया है। मेरा कहना है कि आप अपने लाभ के लिये संविधान में इस प्रकार का संशोधन न करें। आप ने १९५७ में निर्वाचन करने का जो निश्चय किया है उसे न बदलें परन्तु संविधान में संशोधन करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

मैं आयु वार्धक्य प्राप्त न्यायाधीशों को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त किये जाने के खिलाफ हूं। मैं एक न्यायाधीश के बारे में जानता हूं जो मुस्लिम लीग और अंग्रेजी शासन काल में बड़ी ईमानदारी और स्वतन्त्रता से कार्य करता रहा था परन्तु सेवा-निवृत्ति के पश्चात् अब वह नौकरी प्राप्त करने के लिये भारत सरकार के संयुक्त सचिवों के पास चक्कर लगाया करता है। इन्हें न्यायिक जांच के लिये भले ही नियुक्त कर दिया जाये परन्तु नियुक्ति उच्च न्यायालय अथवा उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति द्वारा की जानी चाहिये और आयु वार्धक्य के पश्चात् नियुक्त किये जाने के बजाये उनकी सेवा-निवृत्ति को आयु को बढ़ा कर ६२ वर्ष कर देना बेहतर होगा।

एक और उपबन्ध है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन बढ़ाये बिना उनका स्थानान्तरण किया जाये। इस समय उनकी सहमति से स्थानान्तरण किया जाता है और उन्हें प्रतिकारात्मक भत्ता भी दिया जाता है। राज्य पुनर्गठन आयोग ने यह सिफारिश की है कि प्रत्येक उच्च

[श्री क० कु० बसु]

न्यायालय में कुछ न्यायाधीश दूसरे राज्यों के होने चाहिये। हम उच्च न्यायालय का कार्य भी प्रादेशिक भाषा में चलाना चाहते हैं परन्तु यदि मद्रास के किसी न्यायाधीश को कलकत्ता भेज दिया जाये तो वह प्रादेशिक भाषा में कार्य नहीं चला सकेगा और अंग्रेजी भाषा में कार्य करने से खर्च अधिक होगा, क्योंकि सभी दस्तावेजों आदि का अंग्रेजी में अनुवाद कराना पड़ेगा। हम चाहते हैं कि न्यायाधीश उसी प्रदेश के हों। बिना सहमति के स्थानान्तरण करने का यह अर्थ होगा कि यदि किसी राज्य की कार्यपालिका से उसकी न पटे तो उसका स्थानान्तरण कर दिया जाये। हमने देखा है कि अंग्रेजी शासन काल में न्यायपालिका का जो सम्मान था वह अब नहीं रहा है। कलकत्ता उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश ने वहां की पुलिस के बारे में किसी कठोर शब्दावलि का प्रयोग किया तो तुरन्त उस से इसकी पूछ ताछ की गई। हम चाहते हैं कि न्यायपालिका की मान प्रतिष्ठा अक्षुण्य रहे और न्यायाधीशों का स्थानान्तरण न किया जाये। साथ ही मुझे यह भी कहना है कि न्यायाधीशों की सेवा-निवृत्ति की आयु बढ़ा दी जाये और उन्हें एक से दूसरे उच्च न्यायालय में तब तक न भेजा जाये जब तक वे स्वयं न जाना चाहते हों।

अतः अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं कि हमें संघ राज्य क्षेत्रों में प्रतिनिधि शासन के और संविधान की छठी अनुसूची द्वारा नियन्त्रित क्षेत्रों में अधिकारों की व्यवस्था करनी चाहिये और मुझे आशा है कि गृह-कार्य मंत्री इस पर सहानुभूति से विचार करेंगे और यह ध्यान रखेंगे कि संविधान में एक ही बार में ऐसे संशोधन कर दिये जायें जो देश के सभी नागरिकों के लिये लाभदायक हों।

†**डा० लंका सुन्दरम्** : मैं गृह-कार्य मंत्री को इस विधेयक को पुरःस्थापित करने पर बधाई देता हूं क्योंकि उन्होंने राजप्रमुखों को हटा कर वह कार्य पूरा कर दिया है जिसे सरदार पटेल जैसे कूटनीतिज्ञ न आरंभ किया था।

राज्य पुनर्गठन विधेयक संविधान संशोधन विधेयक और बंगाल-बिहार विधेयक संबंधी तीनों संयुक्त समितियों का सदस्य होने के नाते मैंने गृह-कार्य मंत्री की जिस सहनशीलता और कर्तव्य भावना का अनुभव किया है वह वास्तव में प्रशंसनीय है।

राज्य पुनर्गठन की प्रक्रिया अपने अंतिम क्रम पर पहुंच चुकी है और दो या ढाई दिन में लोक-सभा इस विधेयक को पारित कर देगी, परन्तु मुझे अब भी कुछ शंकायें हैं और यह शंकायें उस अनुभव पर आधारित हैं जो मुझे गत कुछ वर्षों में इस समस्या के निकट संपर्क में रहने से प्राप्त हुआ है।

राज्य पुनर्गठन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक की संयुक्त समितियों में हम ने सीमा आयोग के प्रश्न को उठाया था। जब राज्य पुनर्गठन विधेयक पर चर्चा हो रही थी उस समय यह आशा थी कि यह प्रश्न हल हो जायेगा। यदि गृह-कार्य मंत्री राज्य पुनर्गठन विधेयक के संबंध में दिये गये संशोधनों की सूची देखें तो उन्हें अनेक संशोधन ऐसे मिलेंगे जिनमें सीमा आयोग की मांग की गई है।

आंध्र और मद्रास सरकारों के बीच बड़ी गंभीर स्थिति उत्पन्न हो गई है। गत मास की १४ तारीख को मद्रास विधान सभा में आंध्र सरकार की इस बात पर निन्दा की गई कि आंध्र के राज्यपाल ने सीमा विवादों के बारे में जो कि मद्रास और आंध्र राज्यों में चल रहे हैं, कुछ कह दिया था। मद्रास विधान सभा के नेता श्री सुब्रह्मण्यम् ने कहा कि आंध्र के राज्यपाल को अपने अभिभाषण में आंध्र-मद्रास सीमा विवाद का उल्लेख नहीं करना चाहिये था। इसके चार दिन पश्चात् श्री गोपालन रेड्डी ने इसका उत्तर देते हुए कहा कि "इसी कारण हम ने भारत सरकार से ऐसे सीमा विवादों का निबटारा करने के लिये कोई एकरुप सिद्धांत बनाये जाने के लिये कहा है।"

यह बात मैं इसलिये अभिलेख में लाना चाहता हूं कि मैंने लोक-सभा में और संयुक्त समिति में कई बार कहा कि इन सीमा विवादों का निबटारा उभय पक्षीय चर्चा द्वारा नहीं हो सकता है।

---

†मूल अंग्रेजी में

आंध्र और मद्रास सरकारें तीन वर्ष तक प्रयत्न करने पर भी इस समस्या को हल नहीं कर सकी हैं और अन्त में उन्हें अपनी असमर्थता प्रकट करना पड़ी और दोनों ने आयोग की स्थापना की मांग की है। हाल ही में मैसूर सरकार ने भी यह मांग की है।

माननीय गृह-मंत्री कहेंगे कि राज्य पुनर्गठन विधेयक में जोनल परिषदों की व्यवस्था की गई है, परन्तु यह मामला आपके सामने है जब कि एक ही राजनैतिक दल की दो राज्य सरकारें कोई समझौता नहीं कर सकी हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या वे आयोग नियुक्त करेंगे या दोनों सरकारों को ज़ोनल परिषदों की प्रतीक्षा करने के लिये कहेंगे ?

सीमा आयोग नियुक्त किये बिना इन समस्याओं को मैत्रीपूर्ण ढंग से हल नहीं किया जा सकेगा और इस विषय में राज्य पुनर्गठन विधेयक और इस विधेयक में यह कमी रह गई है जिसे अवश्य पूरा किया जाना चाहिये।

हम में से कोई भी स्थानीय जनता की भावनाओं को व्यक्त करना अथवा सीमा विवाद वाले क्षेत्रों में जन आन्दोलन प्रारंभ नहीं करना चाहता है, परन्तु गृह-कार्य मंत्री यह बात स्वीकार करेंगे कि आंखें मूंद लेने से कोई समस्या हल नहीं हो जाती है, इस विधेयक में संशोधन करके अथवा संविधान के अनुच्छेद ३ और ४ के आधार पर एक आयोग नियुक्त करना ही पड़ेगा।

अब मैं भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के बारे में कुछ कहूंगा। गृह-कार्य मंत्री ने सभा-पटल पर जो नोट रखा है उसे देखने से मुझे बड़ी निराशा हुई है। मुझे आशा थी कि भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिये परित्राणों की व्यवस्था करने संबंधी भारत सरकार की प्रस्तावित कार्यवाही अधिक कठोर होगी।

यह बड़े दु:ख की बात है और गृह-कार्य मंत्री इससे इन्कार नहीं कर सकते कि सभी भारतीय राष्ट्रजनों को एक प्रकार की नागरिकता प्राप्त नहीं है। एक भी राज्य ऐसा नहीं है जो अल्पसंख्यक वर्गों के जीवन को अरक्षित बनान के लिये उत्तरदायी न हो। मेरा अभिप्राय आंध्र सरकार द्वारा तामिल अल्पसंख्यक वर्गों पर की गई कार्यवाही से है। उड़ीसा के बारे में भी यही कहा जा सकता है। इस प्रकार के कई उदाहरण है जहां भाषाई अल्पसंख्यकों के साथ ऐसा व्यवहार किया गया ह।

मुझे इस बात से बड़ी प्रसन्नता हुई कि गृह-कार्य मंत्री ने अल्पसंख्यक वर्ग आयुक्त नियुक्त करने के बारे में दिये गये मेरे सुझाव को स्वीकार कर लिया है परन्तु केन्द्र द्वारा बिना कोई निदेशक जारी किये, जिस से कि अल्पसंख्यक वर्गों की यह मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रिया हो कि उनके अधिकार सुरक्षित हैं, प्रस्तावित कार्यवाही देश की आशानुकुल नहीं होगी। टिप्पणी की कंडिका २२ में राज्य पुनर्गठन आयोग का यह उद्धरण दिया गया है कि अल्पसंख्यक वर्गों को किन्हीं भी प्रत्याभूतियों द्वारा राज्य सरकार की भेदभावात्मक नीति से नहीं बचाया जा सकता है। इस वक्तव्य को देख कर मुझे बहुत दु:ख हुआ है। गृह-मंत्री को इसे अपनी टिप्पणी में सम्मिलित नहीं करना चाहिये था क्योंकि इस से राज्य सरकारों का रास्ता खुल जायेगा। इस वक्तव्य में सरकार का इरादा स्पष्ट किया गया है और यह विधेयक अथवा संयुक्त समिति के प्रतिवेदन का अंग नहीं है। यह म केवल इतना कहना चाहता हूं कि जब तक देश में भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के चार करोड़ सदस्यों को यह आश्वासन प्राप्त नहीं होता कि वे प्रथम श्रेणी के नागरिक हैं, द्वितीय श्रेणी के नहीं, तब तक राज्य पुनर्गठन की समस्या हल नहीं होगी। कदाचित् मेरे मित्रों ने मेर तर्कों को ठीक प्रकार से समझा नहीं है।

भाषाई अल्पसंख्यकों के विरुद्ध प्रशासनिक भेदभाव किये जाते हैं, उनकी मातृ भाषा को स्थानीय न्यायालय या पाठशालाओं में स्थान नहीं दिया जाता है। नौकरी के लिये भी प्रतिबंध हैं, तथा अधिवास संबंधी नियमों के द्वारा भेदभाव किया जाता है। मुझे प्रसन्नता है कि गृह-कार्य मंत्री ने अधिवास संबंधी अधिकारों की स्थिति के बारे में यथाशीघ्र विधान बनाने का आश्वासन दिया है। इन प्रशासनिक प्रतिबन्धों के कारण अनेक भाषाई अल्पसंख्यकों की स्थिति गौण नागरिकों जैसी हो गई है। मैं इस का विरोध करता हूं। जब तक भाषाई अल्पसंख्यक आयुक्त का पद नहीं

[श्री क० कु० बसु]

बनाया जाता और वह राष्ट्रपति को प्रतिवेदन नहीं देता, तथा संसद् में उस पर चर्चा नहीं होती और तदनुसार सरकार उसे अनुदेश नहीं देती, तब तक देश की जनता संतुष्ट नहीं हो सकती है। संविधान के अनुच्छेद ३५० ख में जो संशोधन करने का विचार किया गया ह, मैं उस से संतुष्ट नहीं हूं।

गृह-कार्य मंत्री ने कहा है कि संघ-राज्य क्षेत्रों के बारे में वह लोकमत को महत्व देंगे। परन्तु प्रश्न यह है कि वहां स्थापित किये जाने वाले निगमों के लिय चुने गये व्यक्तियों या सलाहकारों के अधिकार और शक्तियां क्या होंगी और क्या उन्हें कुछ विभागों का प्रभार सौंपा जायेगा। क्या उन्हें कर लगाने और व्यय करने के अधिकार होंगे ? दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मनीपुर और अंदमान निकोबार आदि द्वीपों की स्थिति में अत्यधिक अन्तर है। अतः इनके लिये कोई एक रूप व्यवस्था नहीं की जा सकती।

मैं मानता हूं कि गृह-कार्य मंत्री प्रजातंत्र में विश्वास रखते हैं, परन्तु इन क्षेत्रों के संघ क्षेत्र घोषित किये जाने के कारण उनके हाथ बंध गये हैं। तथापि मैं कहूंगा कि अन्य देशों में केन्द्रीय प्रशासित क्षेत्रों का प्रशासन पृथक् ढंग का होता है, उदाहरण के लिये वाशिंगटन को लीजिये, वहां का प्रशासन शेष अमरीका के प्रशासन से भिन्न है। परन्तु हमें अभी तक मालूम नहीं हुआ कि यहां प्रशासन चलाने में लोक मत को किस प्रकार प्रतिनिधित्व दिया जायेगा।

माननीय मंत्री को इस का स्पष्ट चित्र उपस्थित करना चाहिये, क्योंकि प्रजातंत्र के इस युग में हम संघ क्षेत्रों को लोकप्रिय प्रतिनिधियों के सहयोग पर आधारित प्रशासनिक व्यवस्था से वंचित नहीं रख सकते। अतः इस बीच के समय में ऐसी कोई व्यवस्था करने के लिये कार्यवाही की जानी चाहिये।

संयुक्त समिति में भी स्थायी प्रादेशिक समितियों की धारणा में परिवर्तन कर दिया गया था, पहले पंजाब के बारे में फिर आन्ध्र के बारे में। पंजाब के संबंध में इस योजना को संयुक्त समिति के प्रतिवेदन का अंग बना दिया गया था तथा आंध्र संबंधी योजना, एक अल्प सूचना प्रश्न के प्रसंग में सभा पटल पर रखी गई थी। गृह-कार्य मंत्री ने दिल्ली राज्य के समस्त ग्रामीण क्षेत्रों के लिये भी एक प्रादेशिक समिति बनाये जाने की बात कही है।

†**पंडित गो० व० पन्त** : यह प्रादेशिक समिति बिल्कुल भिन्न है। निगम के सदस्यों में से कुछ सदस्यों की ग्रामीण क्षेत्रों के लिये एक समिति बना दी जायेगी।

†**डा० लंका सुन्दरम्** : अब मैं आंध्र की प्रादेशिक समिति के बारे में कुछ कहूंगा क्योंकि आंध्र और तेलंगाना के कुछ कांग्रेसी नेताओं के बीच हुए एक समझौते से कुछ भ्रांति पैदा हो गई है। इस समझौते में यह तय हुआ था कि मंत्री मंडल में ६० और ४० के अनुपात से आंध्र और तेलंगाना के मंत्री रहेंगे और तेलंगाना के मंत्रियों में एक मंत्री मुसलमान होगा।

†**श्री वि० घ० देशपांडे** (गुना) : साम्प्रदायिकता के आधार पर सुरक्षण होगा।

†**डा० लंका सुन्दरम्** : इस समझौते में एक बात यह तय हुई थी कि यदि मुख्य मंत्री आन्ध्र का होगा तो उपमुख्य मंत्री तेलंगाना का होगा और गृह-कार्य, वित्त, राजस्व, योजना और विकास तथा वाणिज्य और उद्योग विभागों में से दो विभाग तेलंगाना के मंत्रियों को दिये जायेंगे।

गृह-कार्य मंत्री ने आश्वासन दिया है कि सरकार ने इस समझौते को मान्यता नहीं दी है। यद्यपि इस समझौते को सभा पटल पर रखे गये टिप्पण में सम्मिलित नहीं किया गया, परन्तु इसकी सब बातें, अर्थात् विभागों और पदों का आवंटन, पहले से कर ली गयी हैं। मुझे इस पर आपत्ति है।

---

†मूल अंग्रेजी में

अभी कुछ ही दिन हुए आन्ध्र के कुछ मंत्री दूसरे मंत्रियों को निकाल देने के लिये एक हस्ताक्षर आन्दोलन चला रहे थे। मैं गृह-कार्य मंत्री से यह आश्वासन चाहता हूं कि वह इस ढंग से आन्ध्र राज्य के निर्माण की अनुमति नहीं देंगे। इस प्रकार की प्रादेशिकता के परिणाम बहुत बुरे होंगे। मैं इस की ओर सभा का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और आशा करता हूं कि सभा ऐसा नहीं होने देगी।

इस समझौते में यह भी तय किया गया था कि आन्ध्र की प्रादेशिक समिति की सलाह साधारणतया सरकार और राज्य विधान मण्डल द्वारा स्वीकार की जाएगी। मेरा यह मत है कि विधान मण्डल को कैसे इस प्रकार के समझौते से बाध्य किया जा सकता है ?

प्रादेशिक समिति की स्थापना का मूल विचार यह है कि जो क्षेत्र मिलाये गये हैं उनको पर्याप्त और उचित संरक्षण दिया जाये। परन्तु मैं इस प्रकार के समझौते का पूर्ण रूप से विरोध करता हूं।

मैं उनसे अपील करूंगा कि यह कोई दलीय विवाद नहीं है, बल्कि इसका समस्त जनता पर प्रभाव पड़ेगा। अब जब विधेयक पर चर्चा की जा रही है इस पर विचार किया जाना चाहिये।

दूसरे सदन के कार्यों और अधिकारों के बारे में दो या तीन वर्ष पूर्व मैंने प्रश्न उठाया था ; परन्तु इसमें कुछ और ही बात है। यह एक सिद्धान्त का प्रश्न है और हमें इस पर विचार करना चाहिये।

जब राज्य पुनर्गठन विधेयक संबंधी संयुक्त समिति ने विधेयक पर विचार समाप्त किया तब मध्य प्रदेश के लिये दूसरे सदन का कोई उपबंध नहीं था। परन्तु कुछ बातें ऐसी हुईं कि एक संशोधन के द्वारा दूसरे सदन का उपबंध किया गया। मुझे मालूम है कि इसके लिये केन्द्रीय सरकार और गृह-कार्य मंत्री पर बहुत जोर डाला गया था। भारतीय राष्ट्रीयता के वर्तमान प्रसंग में हमें नवीन राज्यों में दूसरे सदनों का उपबंध नहीं करना चाहिये।

दूसरे सदन की स्थापना के पीछे कोई युक्ति नहीं है। केवल उन लोगों को, जो निर्वाचनों में परास्त हो जाते हैं, स्थान देने के लिये दूसरे सदन की व्यवस्था करना श्रेयस्कर नहीं है। इस समय भी ऐसे बहुत से सदस्यों को दूसरे सदनों में स्थान मिला हुआ है। यह युक्तियुक्त नहीं है। मैं आशा करता हूं कि गृह-कार्य मंत्री दूसरे सदन की इस मांग का विरोध करेंगे।

भाषावार राज्यों का सिद्धान्त स्वीकार हो चुका है और हो सकता है कि इस आवेश के समाप्त हो जाने पर महाराष्ट्रीय और गुजराती महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों का निर्माण कर सकें। परन्तु बम्बई के लिये जो व्यवस्था की गई है हम उस में कोई बाधा नहीं चाहते। गृह-कार्य मंत्री ने जिस प्रकार इन तीनों विधेयकों का संचालन किया है, उसके लिये मैं उनकी प्रशंसा करता हूं।

†**श्री बी० कि० रे** (कटक) : गृह-कार्य मंत्री ने फिर से इस विधेयक में सहायक और छोटा भाग बताया है उसी की ओर मैं सभा का ध्यान आकर्षित करूंगा।

भाषाई अल्पसंख्यकों की शिक्षा दीक्षा और उनकी भाषा तथा नौकरियों में उनको उचित प्रतिनिधित्व दिये जाने के बारे में गृह-कार्यमंत्री ने राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों को कार्यान्वित करने की ओर विशेष ध्यान दिया है। अतः मैं इस बारे में कुछ नहीं कहूंगा।

न्यायपालिका की संविधान के निर्माण से अब तक उपेक्षा ही की गई है। कोई इस की ओर ध्यान नहीं देता है। मैं चाहता हूं कि हमें इस के महत्व को समझना चाहिये।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री बी० कि० रे]

अमेरिका के मुख्य न्यायाधिपति ने भारत के अपने दौरे में कहा है कि स्वतंत्र विधि जीवी संघ और स्वतंत्र न्याय-पालिका स्वतंत्र जीवन के दो आधार हैं। मैं आशा करता हूं कि हमारी सरकार और इस सभा का प्रत्येक सदस्य इसे स्वीकार करेगा और देश में एक सुदृढ़ न्यायपालिका की आवश्यकता का अनुभव करेगा। जब तक संविधान द्वारा दिये गये मूल अधिकारों और आभारों की रक्षा के लिये स्वतंत्र और सुदृढ़ विधि-जीवी संघ नहीं है, तब तक इन अधिकारों का कोई लाभ नहीं है।

संविधान के निदेशक तत्वों में कार्यपालिका से न्यायपालिका को पृथक करने का विचार प्रकट किया गया है। परन्तु यदि सेवा-निवृत्त होने के बाद आजीविका के लिये न्यायाधीशों को कार्यपालिका के सहारे रहना पड़ा, तो इस पृथक्करण का कोई लाभ नहीं होगा। अतः मैं माननीय मंत्री का ध्यान इस ओर आकर्षित करता हूं कि संविधान के इस संशोधन में इस शाखा की उपेक्षा नहीं की जानी चाहिये।

ब्रिटिश शासन काल में यहां ब्रिटिश नमूने पर उच्च न्यायालय स्थापित किये गये थे, जिनमें न्यायाधीश तब तक काम कर सकते थे, जब तक कि वे शारीरिक रूप से असमर्थ नहीं हो जाते थे। अमेरिका में भी यही प्रथा है। बाद में अंग्रेजों ने कुछ न्यायाधीश भारतीय सिविल सर्विस में से भरती करने शुरु किये, उनकी सेवा-निवृत्ति की आयु ६० वर्ष होती थी। इस प्रकार विधि व्यवसाइयों में से भरती किये गये और भारतीय सिविल सर्विस से लिये गये न्यायाधीशों की सेवा-निवृत्ति की आयु निर्धारित हो गई।

सेवा-निवृत्ति वेतन के बारे में मुझे अधिक मालूम नहीं है, परन्तु सेवा से निवृत्त होने के पश्चात् न्यायाधीश विधि-व्यवसाय कर सकते थे। उदाहरण के लिये, श्री पी० आर० दास पटना उच्च न्यायालय से सेवानिवृत्त होने के उपरांत अब तक वहां वकालत कर रहे है।

इसके बाद यह प्रथा हो गई कि स्थायी न्यायाधीश सेवा-निवृत्त होने के बाद उसी न्यायालय या उसके अधीनस्थ न्यायालयों में विधि व्यवसाय नहीं कर सकते थे। यह केवल प्रथा थी और किसी नियम या अधिनियम में उपबंधित नहीं थी।

उसे यह बचन देना पड़ता था कि सेवा निवृत्त होने के पश्चात् वह उस न्यायालय में अथवा अधीनस्थ न्यायालय में वकालत नहीं करेगा। सेवा निवृत होने की आयु ६० वर्ष रखी गयी थी और इसके साथ ही साथ एक नियम यह भी था कि भारत सरकार केवल दो अवस्थाओं में ही किसी के सेवा काल को बढ़ा सकती थी। एक उस अवस्था में जब कि यह डर हो कि उस न्यायाधीन के सेवा-निवृत्त हो जाने से उस योग्यता का कोई व्यक्ति मिलना कठिन होगा और न्यायालय के काम में वाधा पड़ेगी। दूसरे उस अवस्था में सेवा काल बढ़ाया जा सकता है जब कि किसी का सेवा काल इतना हो कि उसे सम्माननीय निवृत्ति-वेतन प्राप्त न होता हो। उस समय अधिक से अधिक निवृत्ति वेतन की राशि १२०० रुपये और कम से कम ८०० रुपये थी, और प्रयत्न यह होता था कि न्यायाधीश को १२०० अथवा १००० रूपया निवृत्ति वेतन मिल जाय।

यह प्रक्रिया चलती रही, परन्तु संविधान के निर्माण से कुछ समय पूर्व इस नियम को रद्द कर दिया गया। माननीय सदस्यों को यह समझ लेना चाहिये कि संविधान निर्माताओं ने काफी विचार करने के पश्चात् ६० वर्ष की आयु निश्चय की थी, और उस व्यक्ति के स्तर के संबंध में उन्होंने यह निश्चय किया था कि वह किसी न्यायालय, प्राधिकार अथवा किसी न्यायाधिकरण के समक्ष विधि व्यवसाय नहीं करेगा। इस लिये हम इस में परिवर्तन क्यों करें? अब हमारी सरकार यह समझ सकी है कि यह गलत नीति थी। इसके लिये मैं मंत्री महोदय को धन्यवाद देता हूं कि वह कुछ सुधार करने का प्रयत्न कर रहे हैं। मेरा इससे भी इतना संबंध नहीं है जितना कि यह जानने से है कि

इस सदन के कुछ माननीय मित्रों की विचार धारा किस ओर जा रही है। कई सदस्यों ने इस आशय के संशोधन प्रस्तुत किये है कि सेवा-निवृत्त न्यायाधीशों को जो अवसर दिये जा रहे हैं वे न दिये जाये। मैं अभी उनके समक्ष कुछ उदाहरण प्रस्तुत करूंगा ताकि उन्हें पता लग सके कि संविधान में इसकी व्यवस्था क्यों की गयी थी।

वास्तविक बात यह है कि जब हमारे संविधान निर्माताओं नें यह व्यवस्था की थी कि सेवा-निवृत्त होने के पश्चात् न्यायाधीशों को कहीं भी विधि व्यवसाय करने की अनुमति न हो, तो उनका यह विचार था कि विधान मंडल इस बात का ध्यान रखेगा कि न्यायाधीशों को उचित निवृत्ति-वेतन मिले। उनके समक्ष एक यह भी लक्ष्य था कि न्यायपालिका पूर्णरूप से स्वतन्त्र रहे। इस-लिये वे चाहते थे कि सेवा-निवृति होने के पश्चात् न्यायाधीशों का मुकदमे बाजी के संसार से कोई संबंध न रहे। कुछ माननीय सदस्यों ने संविधान सभा में यह सुझाव भी प्रस्तुत किया था कि किसी न्यायाधीश को सेवा-निवृत्त होने के बाद कोई प्रशासनिक पद न दिया जाये ताकि उसके मन में कभी यह लालच ही उत्पन्न न हो कि वह कार्यपालिका के लिये लाभदायक सिद्ध हो सकता है। उनके सामने इंगलैंड, अमेरिका तथा दूसरे कई देशों के उदाहरण थे जिनमें कि यही सिद्धान्त चलता है कि एक बार न्यायाधीश बन जाने वाला व्यक्ति हमेशा न्यायाधीश ही रहता है, क्योंकि वहां यह नियम है कि सेवा-निवृत्त होने के पश्चात् न्यायाधीश को वही वेतन निवृत्त-वेतन के रूप में मिलता है और उसे विधि व्यवसाय करने अथवा कार्यापालिका पद ग्रहण करने की अनुमति नहीं है। इसके साथ ही वह तब तक सेवा-निवृत्त नहीं होता जब तक कि शारीरिक और मानसिक रूप से वह न्यायाधीश के रूप में काम करने में असमर्थ नहीं हो जाता है। यह उन देशों की अवस्था है जहां विधिवत शासन ही राष्ट्रीय जीवन का आधार है।

प्रारूपण समिति के सभापति ने स्वयं इस ओर संकेत किया था कि इस संबंध में समुचित व्यवस्था की जानी चाहिये, और न्यायाधीशों को सेवा-निवृत्त होने पर अच्छा निवृत्ति-वेतन मिलना चाहिये। प्रोफैसर के० टी० शाह ने अपने संशोधन में यह कहा था कि किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो पांच वर्ष तक सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश रह चुका हो भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के अधीन किसी भी पद पर नियुक्त नहीं किया जायेगा। इस के अतिरिक्त, मंत्री, राजदूत उच्चायुक्त इत्यादि पदों पर रहने की एक लंबी सूची थी, उसकी नियुक्ति नहीं की जा सकती थी। चाहते थे कि उन्हें विधि व्यवसाय करने अथवा सरकारी प्रशासनिक पदों को लेने की अनुमति न हो।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

श्री शाह को उत्तर देते हुए श्री अम्बेडकर नें कहा कि हम अपनी न्यायपालिका के लिये यह व्यवस्था इस पद को धारण कर रहे व्यक्तियों को ध्यान में रख कर नहीं कर रहे है। हम उन्हें ६० वर्ष की आयु में सेवा-निवृत्त कर देते हैं। इंगलैण्ड में तो वह ७० वर्ष तक काम कर सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और इंगलैण्ड में तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश-पद जीवन काल के लिये होता है और उसका निवृत्ति-वेतन भी वेतन के ७०—८० प्रतिशत के बराबर होता है। हमारे नियमों के अनुसार उसे ६० वर्ष की आयु में सेवा-निवृत्त हो जाना पड़ता है। इन सेवा निवृत्ति नियमों से उन पर भार ही पड़ता है और अब तो निवृत्ति-वेतन को भी ८०० रुपये से कम करके ५०० रुपये कर दिया गया है। प्रस्तावित संशोधन को स्वीकार कर लेने से न्यायपालिका की सेवा को स्वीकार करना उस व्यक्ति के लिये भारी बोझ हो जायेगा। इस अवस्था में अनुच्छेद २२० बनाया गया। सब को यह स्वीकार्य नहीं था, जिन्होंनें इसे स्वीकार किया उनका विचार यही था कि निवृत्ति-वेतन के संबंध में भी वही नियम होने चाहिये जो कि इंगलैंड और अमेरिका में प्रचलित है। प्रो० शिब्बन लाल सक्सेना का भी यही विचार था कि सेवा-निवृत्त न्यायाधीश को विधि व्यव-साय करने की अनुमति नहीं होनी चाहिये। उन्होंनें यह भी कहा था कि इन न्यायाधीशों को इतना निवृत्ति-वेतन मिलना चाहिये जिससे कि वह अपने जीवन के सम्मानपूर्वक स्तर को कायम रख सके। श्री महाबीर त्यागी ने कहा था....

†**उपाध्यक्ष महोदय** : यदि इस प्रकार उस समय दिये गये सभी भाषण पढ़े जायेगें तो काफी समय लगेगा ।

†**श्री बी० कि० रे** : मैं शीघ्र ही समाप्त कर दूंगा, सौभाग्य है कि आप पीठासीन हैं, मैं आपके भाषण से कुछ उद्धृत देता हूं ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : मेरे भाषण को दोहराने की आवश्यकता नहीं है, परन्तु उल्लेख किया जा सकता है ।

†**श्री बी० कि० रे** : मेरा आशय यह है कि जिसने भी इस वैधानिक व्यवसथा की स्वीकृति दी उसका यही मत था कि निवृत्ति-वेतन पूरा अथवा वेतन के ७०—८० प्रतिशत से कम नहीं होना चाहिये । श्री महावीर त्यागी ने भी यही कहा था कि एक बार न्यायाधीश बना हुआ व्यक्ति हमेशा न्यायाधीश होता है और उसे अपने निवृत्ति-वेतन से सन्तुष्ट होना चाहिए । यह भी एक सुझाव था कि उसे उन उच्च न्यायालयों में विधि व्यवसाय करने की आज्ञा न हो जहां कि वह न्यायाधीश रह चुका हो । सरदार हुकम सिंह ने संविधान के अनुच्छेद १९६ के संबंध में एक संशोधन प्रस्तुत किया था । इस अनुच्छेद की संख्या बाद में २२० हो गई थी जिसका कि लगभग यही अर्थ था कि जहां कोई व्यक्ति न्यायधीश रहा हो वहां उसे विधि व्यवसाय करने की अनुमति नहीं होनी चाहिये । श्री कामत ने सरदार हुकम सिंह के संशोधन का समर्थन किया था, और कहा था कि न केवल उसी उच्च न्यायालय में प्रत्युत उसके नीचे के न्यायालयों में भी उसे विधि व्यवसाय करने की अनुमति नहीं होनी चाहिये । एक बम्बई के श्री बी० एम० गुप्ते ने भी यह कहा था कि चालू प्रथा को समाप्त नहीं कर देना चाहिये । सम्मान के दृष्टिकोण से और इस दृष्टिकोण से कि पद का अनुचित प्रयोग करने का अवसर भी प्राप्त न हो, यह जरूरी है कि उन्हें केवल सम्बद्ध उच्च न्यायालय और उसके सभी अधीनस्थ न्यायालयों में विधि व्यवसाय करन की अनुमति नहीं होनी चाहिये । यह कहने के पश्चात् उन्होंने सदन से पूछा था कि जब चालू प्रथा में कोई दोष नहीं निकला तो उसमें परिवर्तन करने का प्रश्न ही कैसे उत्पन्न होता है? परिवर्तन नहीं होना चाहिये । प्रारूप समिति ने अनुच्छेद १९३ की टिपणी में लिखा है कि श्रेष्ठ वकील न्यायाधीश के पद को स्वीकार नहीं करते हैं क्योंकि उन्हें ध्यान रहता है कि ६० वर्ष की आयु हो जाने पर उन्हें पूरा निवृत्ति-वेतन नहीं मिल सकेगा । न्यायापालिका की स्वतन्त्रता के लिए यह आवश्यक है कि ऐसी अवस्थायें पैदा की जायें कि योग्य व्यक्ति इन पदों की ओर आकृष हों ।

श्री क० मा० मुन्शी नें जो कि विधि व्यवसाय करने के अधिकार के दिये जानें के कट्टर विरोधी थे कहा था कि न्यायाधीशों को दिया जाने वाला निवृत्ति-वेतन काफी नहीं है और इस मामले पर विधान मंडल द्वारा विचार किया जाना चाहिये । श्री मुंशी ने यह भी कहा था कि उन्हें सर्वोच्च न्यायालय में भी तदर्थ न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त किया जा सकेगा । परन्तु तदर्थ न्यायाधीशों संबंधी व्यवसथा को तो समाप्त किया जा रहा है, और इस प्रकार का उदाहरण भी केवल एक ही है ।

संविधान द्वारा न्यायापालिका के वेतन को चार हजार रुपये से कम करके ३५०० रुपया कर दिया गया है । मुख्य न्यायाधीश का वेतन चार हजार रुपया है । सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का वेतन चार हजार रुपये है । इस लिये यदि आप चाहते हैं कि न्यायापालिका स्वतन्त्र रूप से काम करें और यह न्यायाधीश राज्य और प्रजा के बीच होने वाले झगड़ों का निर्णय न्यायपूर्वक करें तो उन्हें सुविधायें देनी होंगी । परन्तु यदि आपनें यह किया कि वे ६० वर्ष की आयु में सेवा-निवृत्त हो जायें, ५०० से ७००—८०० रुपये तक का निवृत्ति-वेतन लें, और विधि व्यवसाय भी कहीं न करें, तो इन हालात में श्रेष्ठ व्यक्ति कार्यपालिका की ओर आकर्षित हुए बिना नहीं रहेंगे ।

---

†मूल अंग्रेजी में

इस संबंध में कई माननीय सदस्यों ने संशोधनों की सूचना दी है और सम्मान के प्रश्न पर भी विचार किया है । श्री बी० एम्० गुप्ते नें कहा था कि सम्मान का प्रश्न तो केवल उसी न्यायालय अथवा उसके आधीनस्थ न्यायालयों में विधि व्यवसाय करने पर उत्पन्न होता है। अन्यथा यहां उस प्रश्न का क्या अर्थ है?

आज हम उस भारत में हैं जहां सभी व्यक्ति समान हैं और श्रमिक को भी सम्मान प्राप्त है।

न्यायालय चाहे कोई भी हो उसमें पहुंचने से किसकी प्रतिष्ठा को ठेस लग सकती है।

मैंने संशोधन की सूचना दे रखी है और उस पर चर्चा करते समय और कुछ कहूंगा ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव (गुड़गांव): जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, यह बिल जो इस वक्त हाउस में पेश है यह रिआर्गेनाइज़ेशन आफ स्टेटस बिल (राज्य पुनर्गठन विधेयक) के पास हो जाने के बाद आया है और जो कुछ तबदीलियां हुई हैं उन पर मुहर लगाने की गरज़ से इसे लाया गया ह। कुछ ऐसी बातों का प्राविजन (उपबंध) करने के लिये भी इस बिल को लाया गया है जिन का जिक्र उस बिल की बहस के दौरान में किया गया था और जिन का प्राविजन उस बिल में हो सका। इस बिल के अन्दर ज्यादा जोर से जो नई समस्या पैदा हो गई है यानी लिंग्विस्टिक माईनोरिटीज़ (अल्पसंख्यक भाषाभाषी) की उसका खास तौर से ज़िक्र किया गया है । सच यह है कि जब कांस्टीटयूशन (संविधान) बनाया गया था उस वक्त भी लिंग्विस्टिक माईनोरिटीज (अल्पसंख्यक भाषाभाषी) को सेफगार्ड (सुरक्षा) दिये जाने पर इतना जोर नहीं दिया गया था जितना कि सिटिज़ंस (नागरिकों) के राइट (अधिकार) पर दिया गया था। जो कुछ लिंग्विस्टिक माइनोरिटीज़ को सेफगार्ड दिए गए थे वह उनको सोशल माइनोरिटीज़ (सामाजिक अल्पसंख्यक) या रिलिजस माइनोरीटिज़ (धार्मिक अल्पसंख्यक) समझ कर दिए गये थे और उनको कुछ राइट दिए गए बहैसियत सिटिज़ंस के। ये ऐसी माइनोरीटीज़ (अल्पसंख्यक) थी जिन का कोई नाम रखा नहीं गया था। चुनाचे माइनोरिटीज़ के राइटस के बारे में जो दफायें कांस्टीटयूशन में हैं वे हैं, ३३५, ३३६ और ३३७ । जो ऐंग्लोइंडियन जैसी माइनोरीटीज़ सेफगार्ड के लिए सैकशन (धारायें) हैं वे हैं २९ और ३० । जो लिंग्विस्टिक माइनोरीटीज़ के वास्ते सेफगार्ड रखे गए हैं वे हैं सक्रिप्ट (लिपी) के बारे में, कल्चर के बारे में और एजुकेशनल इंस्टीटयूशंस (शिक्षा संस्थायें) के बारे में। एक रेजिड्युरी सैक्शन रखा गया है नम्बर ३४७ जिस के अन्दर प्रेजिडेंट (राष पति) साहब को अख्तियार दिया गया है कि अगर किसी स्टेट के लोग यह चाहते हैं कि उनकी लेंगुएज (भाषा) को फरोग (उन्नति) मिले तो वह इसके बारे में भी कुछ कदम उठा सकते हैं, चाहे वह इसके लिये कोई डायरेक्टिव (आदेश) इशू (जारी) करें चाहे कुछ और करें लेकिन लोगों की ख्वाहिश के मुताबिक वहां पर लैंगुएज को फरोग दिया जाए। इसके अलावा एक जैनरल सैक्शन (सामान्य धारा) इसमें है और वह डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स (निदेशक तत्व) में भी था जिस का मतलब यह लगाया गया कि यह सिर्फ शेड्यूल्ड कास्टस (अनुसूचित जातियां) के लिए है और शैड्यूल्ड ट्राइबज़ (अनुसूचित आदिम जातियां) के लिए है। यह जो सैक्शन है इसे ज्यादा वसीह अलफाज़ में रखा गया है और यह है सैक्शन ४६। इसमें लिखा है कि राज्य पिछड़े हुए लोगों की विशेष रूप से शिक्षा और आर्थिक हितों की उन्नति करेगा और ऐसी उन्नति के लिये अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों का ध्यान रखेगा और उनकी सामाजिक अन्याय तथा शोषण से रक्षा करेगा।

इस सैक्शन पर मैं समझता हूं किसी जगह भी और कहीं भी अमल नहीं किया गया है और यह एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल के तौर पर ही रहा है और उसी तरह से इस पर अमल किया गया है । जब स्टेटस रिआर्गेनाइजेशन का मामला आया तो इसमें जो स्टेटस रिआर्गेनाइजेशन कमिशन (राज्य पुगर्गठन आयोग) ने काम किया है और जो रिपोट पेश की है, उसमें भी उन्होंने बड़ा जोर दिया है और कहा है कि यह सवाल अब एक तरह से ज्यादा प्रामिनेंस (महत्वपूर्ण) में आ गया है और इसके ऊपर

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

उन्होंनें एक खास चैपटर डिवोट किया है। इस चैपटर को लिखते हुए उन्होंने ज्यादातर लैंगुएज (भाषा) को ही सामने रखा है लेकिन साथ ही यह भी कहा है कि सारे हिन्दुस्तान में लोगों की तरफ से यह शिकायत की गई है । उन्होंने कहा है कि ये शिकायतें एग्ज़ेग्रेटिड हैं । मुम्किन है कि ये शिकायतें दुरुस्त हों और यह भी मुम्किन हैं कि गलत भी हों । लेकिन यह माना गया है कि शिकायतें हैं और सारे हिन्दुस्तान के लोग चाहते हैं कि इस तरह से अरेंजमेंट (प्रबन्ध) हो, इस तरह से स्टेटस बनें कि किसी लिंग्विस्टिक माइनोरिटी को कोई शिकायत करने का मौका न रहे। उन्होंनें कुछ तजवीजें भी पेश की हैं और उनके उपर अपनी राय भी लिखी है। इस कमीशन के जो मैम्बर थे उनके बारे में मैं पहले अर्ज कर चुका हूं कि उन्होंनें बड़ी मेहनत से तथा बड़ी इमानदारी से काम किया है । अपने ख्याल के मुताबिक उन्होंने सब कुछ किया । लेकिन बदकिस्मती से उन तीनों मैम्बरों में से शायद कोई ऐसा आदमी नहीं था जिसको पता हो कि लिंग्विस्टिक माइनोरिटीज़ की जो तकलीफात होती हैं, वह किस तरह की होती हैं। एक कहावत मशहूर है 'जिस के पैर न फटे बिवाई, वह क्या जाने पीर पराई' उनको यह पता ही नहीं था कि इस तरह की उनकी तकलीफात होती हैं और जब तक किसी के साथ इस तरह का सलूक नहीं होता तब तक उसको यह पता नहीं लग सकता है कि उनकी कौन कौन सी तकलीफात होती हैं । एक ही स्टेट में रहना और वह भी इनफीरियर सिटिज़न की हैसियत से और उनके राइटस के साथ इस तरहसे खेलना और उनको यह महसूस कराना कि जैसे वे हिन्दुस्तानी नहीं हैं, किसी के लिये कितना मुश्किल होता है, इसका आप खुद अंदाजा कर सकते है । यह चीज उन तक नहीं पहुंची और इसे उन्होंने अच्छी तरह से महसूस नहीं किया और जो सेफगार्डस (सुरक्षा उपबन्ध) लिखे हैं वे मेरे विचार में काफी नहीं हैं। मैंने पिछली दफा भी अर्ज किया था कि ये सेफगार्ड ना काफी हैं और जो सेफगार्ड हो सकते थे वे उनके दिमाग में ही नहीं आ सकते थे और जो लिंग्विस्टिक माइनोरीटीज़ की तकलीफात होती हैं वे उनके दिमाग में ही नहीं आ सकती थी ।

मेरे दोस्त लंका सुंदरम् साहब ने अभी कहा कि हैदराबाद तेलेंगाना में आपसी राजीनामा हो गया है और उसे उन्होंनें पढ़ कर भी सुनाया । इस राजीनामें के अंदर उन्होंने कैबिनेट में सीटों का बटवारा कर लिया है, पोर्टफोलियोज़ (विभागों) का बटवारा कर लिया है, पानी का बटवारा कर लिया है और यहां तक की जो सर्विसिस हैं उनका भी बटवारा कर लिया है । मैं इस चीज के हक में नहीं हूं । मैं नहीं चाहता कि किसी स्टेट में जो लोग बसते हैं उनको वाटर टाइट कम्पार्टमेंटस (संकीर्ण क्षेत्रों) में बांट दिया जाये । लेकिन ताहम लोग जो कि लिंग्विस्टिक माइनोरिटी में होते हैं वे यह महसूस करते हैं कि अगर हमें सेफगार्ड न मिले तो हमारा क्या बनेगा और एक्चुअल रीएलटी (वास्तविकता) में जो उनके साथ बीतती है उसकी ही बिना पर वे इस चीज को महसूस करते हैं। इस के मायने ये हैं कि वे शिकायतें जरूर हैं। आप उनका इलाज क्या करते हैं, वह अलग बात है, लेकिन उन लोगों की शिकायतों की मौजूदगी से इन्कार नहीं किया जा सकता है ।

दफा २२ में रिजनल कमेटीज़ (प्रादेशिक समितियां) का प्राविजन (उपबंध) है। रिजनल कमेटीज़ दो जगह बनाई जा रहीं हैं--आन्ध्र प्रदेश और पंजाब में । लेकिन उसमें महाराष्ट्र का भी जिक्र आया है । उसमें लिखा है कि विदर्भ, मराठवाड़ा और शेष राज्य के लिये तीन पृथक विकास बोर्ड स्थापित किये जायें और इन में से प्रत्येक के कार्य सम्बन्धी एक प्रतिवेदन प्रतिवर्ष राज्य विधान सभा को प्रस्तुत किया जाए । सारे राज्य में प्रविधिक प्रशिक्षण और व्यवसायिक प्रशिक्षण के साथ साथ सेंवाओं में नियुक्तियों संबंधी अवसर देने के समानता के भाव से प्रबन्ध करते हुए प्रत्येक विकास बोर्ड में विकास के लिए समान निधि नियत की जाए । इसका मतलब यह है कि जिन चीजों का उन लोगों की लाइफ से बड़ा इन्टीमेट ताल्लुक है-जैसे सर्विसिज़, फंडज़, डेवेलपमेंट बोर्डस् वगैरह--उन का उन्होंने बंटवारा किया है । वहां पर तीन टुकड़े कर दिये गए हैं। तीन डेवेलपमेंट बोर्ड (विकास बोर्ड) बना दिए गए हैं। इस वक्त हमारे होम मिनिस्टर साहब और डिप्टी होम मिनिस्टर साहब यहां पर मौजूद नहीं है । मैं जानता हूं कि मेरी बात उन तक नहीं पहुंचेगी । मैं पहले भी इस सिलसिले में कई बार अर्ज कर चुका हूं लेकिन गवनमेंट ने कभी भी उस को कनसिडर (विचार करना) नहीं किया है और न

ही कोई वाजिब जवाब दिया है। गवर्नमेंट इस मामले में अपने कान बन्द कर के बैठी हुइ है और किसी की बात सुनने के लिये तैयार नहीं है। यह मैं मानता हूं कि गवर्नमेंट नहीं चाहती कि इस तरह का झगड़ापैदा हो और न हम चाहते हैं, लेकिन जो हालत पैदा हो गई है, उसका इन्तज़ाम करना तो गवर्नमेंट का फर्ज़ है। इस बारे में चुप चाप बैठ कर गवर्नमेंट अपना फर्ज अदा नहीं कर रही है। मैं कई बार अर्ज कर चुका हूं कि पंजाब के जिस इलाके से मैं आया हूं, उसके साथ इन्साफ नहीं किया गया है। मैं यह फिर कह देना चाहता हूं कि मैं दूसरों की शिकायत नहीं कर रहा हूं। मैं किसी किस्म की बिटरनैस (कड़वाहट) पैदा करना नहीं चाहता हूं, क्योंकि उस में कोई फायदा नहीं है। मैं तो चाहता हूं कि पंजाब के सब लोग एक मां के बच्चों की तरह प्रेमसे रहें। लेकिन सवाल यह है कि जो हालत इस वक्त है और जो कुछ वाकयात पहले हो चुके हैं, उनको कैसे नजर-अन्दाज किया जा सकता है। आज से सौ बरस पहले हम लोगों ने गवर्नमेंट के बरखिलाफ बगावत की थी। १३ तारीख को वल्लभगढ़ में महाराजा नाहर सिंह की १८५७ में की गई खिदमात के सिलसिले में एक काफेरेंस होने वाली है। गुड़गाव में आज भी वह पेड़ मौजूद है, जहां उस इलाके के राजा को फांसी दी गई थी। हिसार में आज भी वह जगह मौजूद है, जहां लोगों को तोपों के सामने खड़ा कर के उड़ा दिया गया था। आज भी झज्जर के नवाब की कहानी मशहूर है, जिस ने निहायत शानदार काम किया था। मैं इन बातों की याद इस लिये दिलाना चाहता हूं कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ बगावत करने की वजह से जो सजा हम को उसवक्त दी गई थी, वह आज भी रिपीट (दोहराना) हो रही है। मुल्क को आजाद हुए नौ बरस हो चुके हैं, लेकिन किसी ने नहीं देखा कि तुम्हारे मुंह में कितने दांत हैं। पिछली दफा मैंने सर्विसिज (सेवाओं) में हरियाना के रिप्रेजेन्टेशन (प्रतिनिधित्व) के बारे में फिगर्ज पेश की थी। आज मैं उनको दौहराना नहीं चाहता हूं। मुझे यह कहने में शर्म आती है कि जिस स्टेट में मैं रहता हूं, वहां मुझे इन्फीरियर स्टेटस (घटिया स्थान) दिया गया है—मुझे यही स्टेटस दिया गया है, जो कि अमेरीका में निग्रोज़ को दिया गया है। लेकिन मैं यह अज करना चाहता हूं कि अगर वहां के लोगों की शिकायत आज न की जायेगी तो फिर कब की जायेगी। तीन बार मैं इस बारे में अर्ज कर चुका हूं, लेकिन हाउस ने कभी भी उस पर तवज्जह नहीं की। न उस वक्त प्राइम मिनिस्टर मौजूद होते हैं और न होम मिनिस्टर। आजमेरे सामने एक कागज का टुकड़ा रख दिया गया है, जिस में लैंगुएज के बारे में कहा गया है कि लोगों को उन की मदर-टंग में पढ़ाने का इन्तजाम किया जायेगा और स्कूल खोले जायेंगे, वगैरह। लेकिन उसमें उस बात का कोई ज़िक्र नहीं है, जिस की हम को शिकायत है। हम पंजाबी पढ़ने के लिये तैयार हैं। आप पंजाब को बाइलिंगुअल (द्विभाषी) कर दीजिये। हम उसको मानने के लिये तैयार हैं। इस में लिखा है कि आल-इंडिया सर्विसिज (अखिल भारतीय सेवायें) होंगी, लेकिन क्या किसी ने शिकायत की है कि आल-इंडिया सर्विसेज न हों? इन छः सफों में एक लफ्ज़ भी ऐसा नहीं है, जो कि उस बात से डील (संबंध) करता हो, जिस की शिकायत मैं इतनी दफा कर चुका हूं। अब तो वह शिकायत मुझे अकेले की नहीं है। मैं हरियाना प्रांत के ३३ मेम्बरान के दस्तख़त करा कर होम मिनिस्टर साहब की खिदमत में पेश कर चुका हूं। मैंने जो अमेंडमेंट (संशोधन) दी है, चौदह एम० पीज़० ने उनपर दस्तखत किए हैं और जिन्होंने नहीं किए हैं, उन की राय मैं जानता हूं। वे हमारी बात से इतिफ़ाक करते हैं। जनाबवाला, मैं आप की राय भी जानता हूं। आप भी हम को सपोर्ट करते हैं और श्री बहादुर सिंह भी हम को सपोर्ट करते हैं। पंजाब और पेप्सू के १८ मेंम्बरान मुझे सपोर्ट करते हैं। वे महसूस करते हैं कि स्टेट में तब तक सब के साथ इंसाफ नहीं होगा, जब तक कि हरियाना के लोग अपने हकूक को नहीं पा लेंगे। जो लोग हरियाना प्रान्त के नहीं हैं, मैं उन को मुबारकबाद देता हूं कि वे हम को स्पोर्ट करते हैं और हमको सहूलियत और इन्साफ देनां चाहते हैं। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि सारा पंजाब हमारी बात में शामिल है, फिर भी आप उसको मंजूर करनें के लिये तैयार नहीं हैं। आप पंजाब के रिप्रेज़ेन्टेटिवज़्स (प्रतिनिधियों) से पूछ लीजिए। जो हमारी बात में शामिल नहीं हैं, उनको पूछ लिजिए। जनसंघ वाले या दूसरे लोग क्या कहते हैं? वे भी कहते हैं कि हरियाना प्रान्त वालों के साथ हम जुल्म होता नहीं देखना चाहते। सिख भाईयों के लिये यह सब कुछ किया गया और उसका बाई-प्राडक्ट (परिणाम) हम को भी मिल गया। हमारा भी डिलिवरेंस हो गया। उनका तो जो झगड़ा था, वह तो था ही, हमारा तो ज्यादा झगड़ा था। हम तो ज्यादा खुश हैं, लेकिन यह खुशी चन्द-रोजा है। हरियाना प्रान्त के लोग

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

आज चुप चाप पड़े हुए हैं और वे बिलकुल पेशेन्ट (संतोषी) हैं। अंग्रेजी में एक फिक्रा है--एक संतोषी व्यक्ति के क्रोध से बचिये अगर हरियाना प्रान्त के लोगों के लिये सेफगार्ड नहीं रखे गये, तो वह मुनासिब नहीं होगा। मैं खुद सब से साइलेंट आदमीं हूं। गवर्नमेंट का लायल हूं, लेकिन अगर आप मुझ से ठीक सलूक नहीं करना चाहते हैं और जो कुछ मैं कहता हूं, उसको आप सुननें के लिये तैयार नहीं हैं, तो ऐसा करके आप गलती करेंगे और आप को वह नहीं करना चाहिये ।

उपाध्यक्ष महोदय : पेशेन्ट तो हम मान सकते हैं, लेकिन साइलेंट नहीं ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : मैं यह कहना नहीं चाहता था लेकिन जनाबवाला, आप ने मुझ से ज्यादा गवर्नमेंट की क्रिटिसिज्म (आलोचना) की है । मैं आप की मेहरबानी का मशकूर हूं कि आप ने मुझे ठीक तरह से कन्स्टू फ़रमाया है ।

जो कुछ तेलंगाना और मराठावाड़ा वगैरह के लिए प्रोवाइड (उपबंध) किया गया है, मैं उसको नहीं मांगता हूं। मैं तो वह सेफगार्ड चाहता हूं, जो कि पहले से कांस्टीटयूशन में मौजूद हैं। मैं भी कांस्टीटयूशन के बनाने मे हिस्सेदार हूं। उसके बनाने में हम लोगों नें बड़ी एहतियात से काम लिया है। मैं महसूस करता हूं कि मांग के आधिक्य से उसका प्रयोजन समाप्त हो जाता है। इस लिये मैंनें अपनी डिमांड को इतना छोटा रखा है—इतना-सोच-विचार कर रखा है कि आप को उसके माननें सें ज़रा भी तकलीफ नहीं हो सकती। कांस्टीटयूशन की दफा १४ और १५ के मुताबिक सब को बराबरी के हक्क दिए गए हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि जो हकूक इन्डिविजुअल को दिए गए हैं, लिंगुइस्टिक माइनारिटीज़ (अल्पसंख्यक भाषा-भाषीयों) को उनसें महरूम न किया जाय। हमारी सिर्फ यही डिमांड है और इससे आप इनकार नहीं कर सकते। कम से कम जबानी तौर पर तो आप इससे इन्कार नहीं कर सकते—अमल उस पर आप करेंगे नहीं। अगर आप इन्साफ चाहते हैं, तो आप सब बैकवर्ड एरियाज़ और बैकवर्ड क्लासिज़ (पिछड़ी जातियों) को बराबर की लाइफ बसर करने का मौका दीजिए। आप जबान से यह बात कहते हैं, लेकिन इस पर अमल करने के लिये तैयार नहीं हैं। जब से स्टेटस-री-आर्गनाइज़ेशन का सिलसिला शुरू हुआ है, तब से प्राइम मिनिस्टर साहब और पन्त जी नें सैंकड़ों स्पीचिज़ में कहा है कि हम यह करेंगें, वह करेंगे, सेफगार्ड देंगे, लेकिन मैं देखता हूं कि इस में सेफगार्ड का नाम नहीं है। गरीबनवाज़ मैं यह सेफगार्ड चाहता हूं। पंजाब में हिसार, गुड़गांव और करनाल वगैरह को हरियाना प्रान्त कहते हैं। हम लोग वहां पर ४० परसेंट है। हम ६६ लाख हैं और दूसरे ९३ लाख के करीब हैं। हमारा किसी से कोई गिला नहीं है। हम सिर्फ यह चाहते हैं कि सौ बरस से ब्रिटिश गवर्नमेंट नें और उसके बाद नौ बरस से आप के एजिस में जो जुल्म हम पर किया गया है, आप उसका कुफ़ारा करें। जनाब, मैं आप की तवज्जह इस तरफ दिलाना चाहता हूं कि पंजाब के तेरह ज़िलों में एक भी डिप्टी कमिशनर भी ऐसा नहीं है, जो कि हरियाना प्रान्त का हो। एक भी सुपरिन्टेंडेंट आफ पुलिस हरियाना प्रान्त का नहीं है। मैं १९५४ की फ़िगर्ज़ का ज़िक्र कर रहा हूं। मुमकिन है कि अब कोई एक आध आ गया हो ।

श्री दी० चं० शर्मा (होशियारपुर) : होशियारपुर का डिप्टी कमिशनर हिसार का था।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : कौन था?

श्री दी० चं० शर्मा : चौधरी रत्न सिंह ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : जैसा कि मैंने कहा है, बाद में कोई एक आध आ गया होगा और बहर हाल वह स्थायी उपायुक्त नहीं है। और फिर जनाबवाला, उनके इंटरप्शन से तो मेरा ही केस साबित होता है कि २० ज़िलों में से केवल एक आदमी का नाम बतला सके हैं ।

यहां कौंसिल आफ स्टेट (राज्य परिषद) में आप हरियाना का एक भी नुमायन्दा नहीं पाते हैं जब कि वहां पर आठ आदमी मौजूद हैं। इसी तरह पंजाब लेजिसलेटिव कौंसिल (विधान परिषद) में जहां कि नामिनेशन होता है वहां पर हमारे हरियाना प्रान्त के प्रतिनिधित्व का क्या हाल है। वहां पर १० आदमियों में से केवल ४ हरियाना के हैं। मिनिस्टर्स (मंत्री), स्पीकर (अध्यक्ष), चेअरमैन (सभापति), और पार्लियामेंटरी सेक्रेटरीज़ (सभा सचिव) कुल मिला कर १२ आदमी हैं जिन में से २ हरियाना प्रान्त के हैं। मैं कई मरतबा पहले आपको वह लिस्ट सुना चुका हूं और इस वक्त उसको दुहराकर हाऊस का समय बर्बाद नहीं करना चाहता। मैं यह मानता हूं कि हमारा हरियाना का इलाका एजुकेशन में जालंधर डिविज़न के मुकाबले पिछड़ा हुआ है और जालन्धर डिविजन के लोग एजुकेशन में हम से आगे बढ़े हुए है और एडवान्स्ड हैं। मेरी यह शिकायत नहीं है कि मुझे उनके बराबर दिया जाये और ४२ परसेंट दे दिया जाये, इस के लिये मेरी शिकायत नहीं है। मुझे तो शिकायत यह है कि आपने इस हरियाँने के इलाके को बिलकुल महरूम कर दिया है और एक आदमी भी क्या आपने इस काबिल नहीं समझा जो इन सर्विसेज़ में लिया जा सकता था। यह चीज़ आपकी उसूलन गलत है कि आप हम सब को इनफीरियरिटी कम्प्लैक्स (हीनता ग्रंथी) देना चाहते हैं और हमेंशा के वास्ते हमको मफतूं बना कर रखना चाहते हैं.....

प्रतिरक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी) : उन सर्विसेज़ में तो पबलिक सर्विस कमिशन से लोग लिये जाते हैं।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : मैं पूछता हूं कि यह पबलिक सर्विस कमिशन (लोक सेवा आयोग) कहां से आता है? इसी जालन्धर डिविजन से आता है। मैं तो समझता था कि त्यागीजी जो कि मुझ से ज्यादा जोरदार आवाज़ रखते हैं वे वह मुझे इन्साफ दिलानें में मदद करेंगे। मैं पूछता हूं कि आपनें शेडयूल्ड कास्ट (अनुसूचित जाति) के लोगों की बेहतरी के वास्ते २० करोड़ रुपया दिया हुआ है, तब हमारे हरियाना के इलाके के लिये जो कि एक पिछड़ा हुआ इलाका है उसके लिये आपनें क्या प्राविजन रखा है, जालन्धर में हरियाना के मुकाबिले ज्यादा एजुकेशन है तो आप के लिये यह रुख अख्तियार करना वाजिब है कि हमको एजुकेशन भी न दो और उसे बदनाम करके समाप्त कर दो। हमें एजुकेशन (शिक्षा) नहीं दी और एजुकेशन से महरूम रखा है, जितने स्कूल हैं उनका पूरा हिसा न दिया जाय और फिर हमें यह कहा जाय कि हम क्या करें, आपके वहां हमको काम लायक आदमी ही नहीं मिलते। जहां तक हमारे इलाके से लायक आदमियों के मिलनें का सवाल है मैं बतलाना चाहता हूं कि पहला चीफ जस्टिस जो सारे हिन्दुस्तान में मशहूर हुआ, सर शादीलाल, ज़िला गुड़गांव के थे और चौधरी छोटूराम रोहतक के थे जिन्होंनें कि जिन्ना साहब तक के दांत भी खट्टे कर दिये थे। मैं मानता हूं कि मेरा इलाका एजुकेशन के लिहाज़ से बैकवर्ड रहा है लेकिन इसके यह तो माने नहीं है कि आप हमको हमशा के लिये बैकवर्ड रक्खें। मुझे समझ में नहीं आया कि त्यागी साहब इस तरह की बातें कैसे बोल पड़े, उनको तब उलटे मेरा काज (प्रक्ष) लेना चाहिये था और मैं समझता हूं वह मुझ से ज्यादा कामयाबी के साथ उस बदनसीब इलाके के लोगों का केस प्लीड कर सकते थे। मैं आपको बतला रहा था कि सर्विसेज़ में हमको हम तरह अलग रखा गया है। मेरा क्लेम तो यह है कि हमारे लोगों को सर्विसेज़ लेजिस्लेचर्स (विधान मंडलों) और लोकल सैल्फ गवर्नमेंट वगैरह में रिजनेब्ल रिप्रेजेंटेशन (उचित प्रतिनिधित्व) दिया जाये। मैं यह मांग नहीं करता कि हमको एकौर्डिन्ग टू पापुलेशन (जन संख्या के अनुसार) दो। फर्स्ट आफ आल एफिशिएंसी आफ दी एडिमिनिस्ट्रेशन (प्रशासन की कार्य दक्षता) की तरफ आपको ध्यान देना है। एक भला आदमी जालंधर डिविजन का काम ही नहीं सारे पंजाब का काम और सारे हिन्दुस्तान का काम ठीक तरीके से चला सकता है। महात्माजी हालांकि गुजरात में पैदा हुए थे, पंजाब में पैदा नहीं हुए थे लेकिन हम सब उनको कितनी इज्जत की निगाह से देखते हैं। पंजाब में आठ मिनिस्टर्स हैं जिनमें पिछले दिनों तक हरियाना डिविजन का एक मिनिस्टर था, दिस इज़ नौट फेयर (यह न्यायोचित नहीं)। मेरा क्लेम यह नहीं है कि आप हरियाने वालों को ४० परसेंट रिप्रेज़ेंटेशन दे दीजिये.....

विधि कार्य मंत्री (श्री पाटस्कर) : आप इस कांस्टीट्यूशन अमेंडमेंड बिल में इस तरह का प्राविजन कराना चाहते हैं?

पंडित ठाकुर दास भार्गव : मुलाहिजा फरमाया जाय कि मुझे जवाब क्या मिलता है, उस सख्ती का मुलाहिज़ा फरमाया जाय जो मिनिस्टर साहब ने अपने जवाब में रक्खी है। मेरे एमेंडमेंट को मुलाहिजा फरमाया जाय कि उसके जरिये मैंनें क्या चाहा है। मैं सारे पंजाब में एकौर्डिंग टू पापुलेशन नहीं मांगता। मुझ से पूछा जाता है कि क्या आप डिस्ट्रिक्टवाइज़ रिप्रेज़ेंटेशन (ज़िला अनुसार प्रतिनिधित्व) चाहते हैं। मैं पूछता हूं कि मैंने कब डिस्ट्रिक्टवाइज़ के लिये कहा है। मैंनें रीज़नवाइज़ के लिये कहा है। मैं सर्वप्रथम प्रशासन में कार्यदक्षता चाहता हूं और फिर उचित प्रतिनिधित्व और मैं नहीं समझ सकता कि इस में आपको क्या हर्ज है। मैं उमीद करता हूं कि मिनिस्टर महोदय जो कि यहां इस समय अकेले ट्रेजरी बेंच पर मौजूद हैं मेरी इस रीज़नेबल डिमांड के बारे में जो कुछ उन्होंने फरमाया है उसको मैं बतौर एक ऐश्योरेंस (आश्वासन) के समझता हूं।

इसके अलावा दूसरी चीज़ जिसकी कि और मैं हाउस और गवर्नमेंट का ध्यान दिलाना चाहता हूं वह है बिजली और पानी कि सुविधा हमारे हरियाना प्रान्त को दिये जाने का सवाल। हालांकि हमारा हरियाना भी जैसे और पंजाब के हिस्से हैं वैसे वह भी एक है लेकिन ताहम मैं बराबरी के हिस्से के लिये ज़िद नहीं करता हूं। भले ही ऐसे इलाके जहां पानी की ज़रूरत ज्यादा समझी जाय वहां आप पानी ज्यादा सपलाई करें लेकिन साथ ही ऐसा भी न करें कि दूसरा इलाका बिलकुल पानी बिजली से महरूम ही रह जाय। कई वर्ष हुए किदवाई साहब ने हमारे इलाके के वास्ते ढाई करोड़ रुपया देने का वायदा किया था और यह कहा था कि तुम्हारे व्रास्ते हम बड़ी तादाद में कुएं खुदवाना शुरू कर देंगे लेकिन हम देखते हैं कि अभी तक कुछ नहीं हुआ और हमारी बदकिस्मती से श्री किदवाई साहब का इतकाल भी हो गया। आज तक किसी ज़िम्मेदार आदमी नें यह तक नहीं जाकर देखने की तक्लीफ गबारा की कि गुड़गांव बसता कहां है। गुड़गावां से होकर नहरें जाती हैं लेकिन तमाम पानी आगे को चला जाता है और गुड़गावां पानी के लिये तरसता रह जाता है, पानी का बहुत थोड़ा सा हिस्सा उस को मिलता है। मैं पूछता हूं कि यह कहां का इन्साफ है कि सारे पंजाब को तो पानी मिले और गुड़गावां को उसकी जरूरत के लायक पानी न मिले। वह साढ़े चार करोड़ रुपया भी अभी तक नहीं मिल सका है। पंजाब के एक मिनिस्टर साहब जब हमारे इलाके में तशरीफ लाये तो उन्होंने फरमाया कि मैं इधर साढ़े तीन वर्ष इस लिये नहीं आया क्योंकि मेरे पास देने को कुछ नहीं था अब आया हूं। खैर वह हमारे यहां आये और तशरीफ भी ले गये और परमात्मां की ऐसी कृपा हुई कि वह डिसमिस भी हो गये।

इसी तरह बिजली का सवाल देखिये तो आप पायेंगे कि उसमें भी हमारे इलाके के साथ नाइंसाफी बर्ती गई है। भाखड़ा डैम से हमको पानी देने का वायदा किया गया था लेकिन वह वायदा पूरा नहीं किया गया और हमारी ज़रूरत के लायक हमको पानी नहीं मिलता है और जिसकी कि वजह स हमारे वहां खुशहाली नहीं है। अब आप ज़रा हिस्सार के जमींदारों की हालत देखिये और बराबर में फिरोज़पुर और दूसरे इलाके के जमींदारों की हालत को देखिये तो आप पाईयगा कि हिसार की बनिस्बत दूसरे इलाकों के जमींदार कहीं अधिक खुशहाल हैं। मैं चाहता हूं कि यहां के जो जमींदार हैं और जो काश्तकार हैं उनको उनकी ज़रूरत भर का पानी मिले जिससे कि वे अपनीं खेतीबाड़ी का काम ठीक तरह से कर सकें। हमारे पिछड़े हुए भाईयों को तालीम दिलाने के लिये स्कूलों का तो इंतज़ाम कीजिये। अब एक घर में जो कर्ता होता है वह सारे घर भर के लोगों के इंटेरेस्ट (हित) को देखता है। जो कमजोर और गरीब बच्चा होता है उसको दूध दिया जाता है और बाकियों को रोटियां दी जाती हैं लेकिन यहां पर उलटी बात हो रही। मेरे पास तमाम फिगर्स (आंकड़े) मौजूद हैं जिनके कि जरिये मैं यह साबित कर सकता हूं कि कम्युनिकेशंस (संचार) के बारे में भी हमारे साथ किस तरह से बेइंसाफी की गई। २४२ मील की सड़कें वहां पर बनाई गई जब कि हमारे यहां केवल २६ मील की सड़कें बनीं। अब यह किस का कसूर है, यह किसी का

कसूर नहीं है बल्कि यह सिस्टम का कसूर है । जहां तक यह प्रविंशयल लिंग्विज्म (प्रांतीय भाषावाद) की बात है मेरा कहना है कि मैं तो इसके सख्त बरखिलाफ हूं, मैं तो इंटैगरेशन (एकीकरण) चाहता हूं, मैं पंजाब का बुरा नहीं चाहता लेकिन मैं यह चाहता हूं कि आप जो बेइंसाफी हमारे साथ पिछले सौ वर्षों से होती चली आ रही है उसको दूर कीजिये । मेरा तो इतना ही कहना है कि ५, १० वर्ष में आप इस रीज़न को पंजाब के दूसरे हिस्सों के बराबर ला दीजिये और उसके बाद हमको हमारी किसमत पर छोड़ दीजिये । इसके लिये हमारे पंजाब के सिक्ख भाइयों नें और दूसरे भाइयों नें दस्तखत किये हैं और श्री डी० सी० शर्मा जो कि होशियारपुर से आते हैं उनके भी इसमें दस्तखत हैं और कोई भी शख्स इसके बरखिलाफ नहीं है तब मैं नहीं समझता कि आपको इसको मानने में क्या हर्ज़ है । और पंजाब स्टेट पर इसकी जिम्मेदारी क्यों नहीं डालते.....

श्री हेमराज (कांगड़ा): आप कांगड़े का नाम तो लेते ही नहीं ।

उपाध्यक्ष महोदय : वह आप ले लेंगे जब आपकी बारी आयेगी । अभी पहले हरियाने को तो मिल जानें दीजिये।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : मैं इस बात को मानता हूं कि कांगड़ा अब हिन्दी रीजन में आया हैं और उसको भी अभी तक काफी नेगलैक्ट किया गया है और वह काफी बैक्वर्ड रहा है लेकिन यह बात नहीं है कि उसने काबिल आदमीं नहीं पैदा किये। यह हमारे बख़्शी टेकचंद और श्री मेहर चंद महाजन कांगड़े के तो ही हैं । हम तो फकत यह चाहते हैं कि हमारे साथ बेइंसाफी न हो और हम भी आराम से अपनी ज़िन्दगी बसर करे और यही वजह है कि हम अनसर्टनटी और आयन्दा के झगड़ों को दूर करनें के वास्ते हम अपना रीजन बनायें । अब ला एंड आर्डर किस के पास रहैगा और उसकी पर्स किस के पास है यह साफ नहीं है । रीजन्स में यही लिखा हुआ है कि रूटिन एक्सपेंसेज़ या किसी स्कीम को रीजन वाले भेजें तो भेज दें लेकिन उसका कोई असर नहीं पड़ने वाला है, यह अख्तयार स्टेट गवर्नमेंट को ही रहेगा कि कितना पैसा किस को दिया जाय। तो यह रीजन जो बनाये हैं इस में खूबसूरती यही है कि हम एक ही स्टेट के और एक ही हाईकोर्ट (उच्च न्यायालय) के मातहत हैं । अब लोकल एटानिमी (स्थानीय स्वायत्त शासन) किन चीजों में दी गई है उसकी मैरिट (अच्छाई) यह है । और हम इस मैरिट को रिअलाइज़ करते हैं । बावजूद इसके कि गवर्नमेंट ने हमारी कोई बात नहीं मानीं, हम मानते हैं कि जो कुछ उसनें दिया है वह सही है । लेकिन मुझे दो तीन बातों से इख्तिलाफ है । यह मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूं, उसको दूहरानें से कोई फायदा नहीं । लेकिन मैं अदब से अर्ज़ करना चाहता हूं कि आप कर क्या रहे हैं । यह चीज़ें जो कि बहुत मैटर करती हैं उनको आप नहीं दे रहे हैं । हमारे यहां लोग इस रीजनल स्कीम पर कूद रहे हैं और वे अकाली भाईयों से भी ज्यादा खुश हैं क्यों कि यह बात उनके दिमाग में है कि इस स्कीम से उनको इन चीजों में कुछ न कुछ हिस्सा मिलेगा। अगर उनको यह मालूम हो गया कि आप इन चीजों के लिये कोई प्रावीज़न करनें को तैयार नहीं हैं तो आप यकीन मानियें कि उन लोगो में बड़ा रिवल्शन होगा ।

मैंने अपनी एक अमेंडमेंट दी है, नम्बर ५६, जिसके बारे में मैंने यह थोड़ा सा अर्ज किया । मैंने इसमें यह चाहा है कि जो आप दस साल या पांच साल मुकर्रर करें, इस अर्से में जो हमारी तरक्की करने के लिये बोर्ड बनाया जाये उसमें हमारे चीफ मिनिस्टर हो और डेवलपमेंट मिनिस्टर (विकास मंत्री) हो और अगर डेवलपमेंट मिनिस्टर हरियाने का न हो तो एक तीसरा आदमी हरियाने का रखा जाये । आपने जो रिपोर्ट दी है उसमें जहां रीजनल ग्रीवसेज (प्रादेशिक शिकायतों) का जिक्र आया है वहां पर एक बाडी के बारे में सफा २२७ पर यह लिखा है कि प्रस्तावित निकाय को दो काय करने चाहिये । एक तो उसे गलत धारणाओं को दूर करना चाहिये और दूसरे विभिन्न क्षेत्रों की उचित शिकायतों को दूर करना चाहिये । यदि इसमें योजना आयोग के सदस्य हो और वे राष्ट्रीय विकास परिषद को अपनी उपपत्तियां प्रस्तुत करें तो बहुत लाभ हो । मैंने इसी

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

बेसिस पर यह लिखा है, ताकि इसको कोई कम्युनल चीज न समझे, कि जो प्रेसीडेंट (सभापति) हो वह प्लानिंग कमीशन (योजना आयोग) का आदमी हो और वह सरकार से रुपया पैसा भी ले, चाहे वह रुपया सेंटर दे या स्टेट गवर्नमेंट दे, और हमको ऊपर लाने के वास्ते वह काम करे और गवर्नर साहब प्रेसीडेंट साहब को रिपोर्ट भेजें कि कहां तक तरक्की हुई है।

मैं एक बात अर्ज कर देना चाहता हूं कि पंत जी साहब इस खूबसूरती के साथ स्पीच करते हैं कि सबको अपने साथ खींच लेते हैं। लेकिन एक चीज ने मुझे थोड़ा सा इंजर किया है। उन्होंने फरमाया है कि ये सब चीजें वहीं खत्म हो जायें, कोई चीज सेंटर को न करनी पड़े। मैं इसका सख्त मुखालिफ हूं। मैं अदब से अर्ज करना चाहता हूं कि अगर आप बिजनेस मीन करते हैं तो इन मैटर्स में सेंटर की जिम्मेदारी रखियेगा। मैं चाहता हूं कि जितनी लिंग्विस्टिक माइनारिटीज हैं, और शिड्यूल्ड कास्ट और बैकवर्ड कम्युनिटीज हैं उनकी जिम्मेदारी खास तौर से सेंटर को लेनी चाहिये। अगर आप चाहते हैं कि जिनके खिलाफ लिंग्विस्टिक माइनारिटीज ठीक सलूक न करने की शिकायत करें उनको ही जज बना दिया जाये तो फैसला कैसे होगा। यह गलत बात है। चाहिये तो यह कि सेंटर या प्रेसीडेंट इनकी पूरी जिम्मेवारी ले, और उनकी तरफ से काम करे गवर्नर। आपने जो यह रखा है कि अगर रीजनल काउंसिल में और एडमिनिस्ट्रेशन में झगड़ा हो तो उसका फैसला गवर्नर करे, तो मैं अदब से अर्ज करना चाहता हूं कि पंजाब में ऐसी हालत पैदा हो जायेगी कि गवर्नर झगड़े में फंस जायेगा और वह ठीक तरह से इंसाफ नहीं कर सकेगा और हमारे देश में गवर्नर और एडमिनिस्ट्रेशन (प्रशासन) में झगड़ा होने लगेगा। किसी वक्त यहां पर यह प्रोपोजल (प्रस्थापना) था कि प्रेसीडेंट की तरह गवर्नर भी इलेक्ट किया जाया करे, लेकिन इसको इसी वजह से नहीं मंजूर किया गया कि उसमें यह अन्देशा था कि एडमिनिस्ट्रेशन के साथ गवर्नर का झगड़ा हो सकता था। क्योंकि एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकतीं। मैं चाहता हूं कि इन मामलात में सेंटर (केन्द्रीय सरकार) का फैसला फाइनल समझा जाये। गवर्नर सेंटर का एजेंट हो, वह उन शिकायतों को सुने, उनकी तहकीकात करे और उसकी रिपोर्ट सेंटर को भेज दे, इससे ज्यादा कुछ न करे। खुद सेंटर को फैसला करना चाहिए। चुनांचे इसके मुताल्लिक भी मैंने तरमीम भेजी है।

उपाध्यक्ष महोदय : अपने अमेंडमेंट में तो आपने गवर्नर ही रखा है।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : मैंने उस तरमीम की एक और तरमीम दे दी है और उसके जरिये इसको ठीक कर दिया है। जो तरमीम मैंने दी थी उसमें किसी तरह से यह गलती रह गयी, जिसको मैंने अब दुरुस्त कर दिया है।

इसके अलावा मुझे एक तजवीज करनी है कि जो डेवेलपमेंट काउंसिल्स (विकास परिषद्) बनायी जायें उनको हमारे डेवेलपमेंट के लिए इन्साफ के साथ रुपया दिया जाये। यह म नहीं कहता कि सबको बराबर रुपया या एलोकेशन्स (नियत) दिये जायें लेकिन जो कुछ दें वह इन्साफ के साथ दे। इसमें जो आपने रीजनल कमिटीज रखी हैं उनका एक हिस्सा कानून बनाने के वास्ते भी लिखा है। लेकिन पंजाब का तो रेग्यूलेशन प्राविंस ही रहेगा जैसा कि पुराना था। हमें आपने अपेंडिक्स में रख दिया है, शिड्यूल में रखना चाहिये था ताकि हमारे भी कांस्टीट्यूशनल राइट्स (संवैधानिक अधिकार) होते और हम फील करते कि हमारे ये राइट्स हैं। इस रेग्यूलेशन प्राविंस (विनियमन उपबंध) में तो यह होगा कि जो उन्होंने फैसला कर दिया वही हो गया।

मुझे एक और शिकायत है और मैं इसको कई दफा हाउस में कह चुका हूं। मैंने दफा ३४७ देखी है और दूसरी दफात भी अपने कांस्टीट्यूशन की देखी हैं। उनसे मालूम होता है कि न प्रेसीडेंट साहब को, न गवर्नर को, न सेंट्रल मिनिस्ट्री को और न लोकल असेम्बली को यह अख्तियार है कि किसी कम्युनिटी पर किसी स्क्रिप्ट की जबरदस्ती लाद दे। ये जो दफात कांस्टीट्यूशन में दिये

हैं ये स्पोकिन लेंग्वेज के बारे में हैं। दफा ३४७ स्पोकिन लेंग्वेज (बोली) के बारे में है रिटिन लेंग्वेज (लिखित भाषा) के बारे में नहीं है ।. इसके मानी यह नहीं है कि मैं गुरुमुखी के खिलाफ हूं । जो मेरे भाइयों को पसन्द है उसकी मैं भी कद्र करता हूं । लेकिन मैं जिस चीज की कद्र नहीं करता वह यह बात है कि उनको सब कुछ मिल गया लेकिन उन्होंने मैगनेनिमिटी (महत्ता) का जेस्चर नहीं किया । जो उनके बड़े बड़े लीडर्स थे उनकी खिदमत में मैंने यह अर्ज किया कि वे इस तरह का जेस्चर करें । शायद ऐसा न करने का सबब यह हो कि जेस्चर कराने वालों का एटीट्यूड (प्रवृत्ति) वह जेस्चर कराने के वास्ते कंड्यूसिव नहीं है । लेकिन मैं समझता हूं कि जहां इंडीवीजअुल्स (व्यक्ति) का मामला नहीं है, बल्कि जहां बड़ी बडी कम्युनिटीज का मामला है वहां ऐसी मैगनेनिमिटी की उनसे उम्मीद की जाती है । मैं चाहता हूं कि इस तरह की चीज चाहे गवर्नमेंट करे और चाहे हमारे भाई खुद करें, ताकि देश में जो कलह है वह खत्म हो जाये । वह कलह भी ऐसी नहीं है जो कि किसी फंडामेंटल बात पर हो । अगर यह चीज जबरदस्ती की गयी तो मुनासिब नहीं होगी और मैं समझता हूं कि कोई पंजाबी भाई इसको पसन्द नहीं करेगा । मैं खुद गुरुमुखी पढ़ने या पढ़ाने के खिलाफ नहीं हूं । मुझे उसके पढ़ने में कोई ऐतराज नहीं हैं। लेकिन मेरे इलाके के लोग इस चीज को उनपर जबरदस्ती लादा जाना पसन्द नहीं करते । इसलिए मैं अर्ज करता हूं कि यह अनकांस्टिट्यूशनल है । मैं चाहता हूं कि ऐसा न किया जाये ।

दूसरी बात यह है कि पंजाब की एक ही स्टेट में आप दो-दो फार्मूले लागू करना चाहते हैं, एक सच्चर फार्मूला और दूसरा पेप्सू फार्मूला । इसके मानी यह हैं कि "आप न्यायवादी नहीं, आप झुक रहे हैं जो कुछ आपको करना है आप ओपनली करें, हम उसको मानने को तैयार हैं । मैं हरियाना में पैदा हुआ हूं और हरियाना में मैंने अपनी उम्र गुजारी है । जहां तक हरियाना का सवाल है हम किस सवाल को नैरो प्वाइंट आफ व्यू (संकीर्ण भाव) से नहीं देखते । बहुत दिनों हमने दूसरे लोगों के जुल्म सहे हैं । लेकिन आज हमारा किसी से झगड़ा नहीं है । अगर हमारे सिख भाइयों-पर अरबन हिन्दूज जुल्म करेंगे तो हम सिख भाइयों का साथ देंगे, और अगर सिख भाई हिन्दुओं पर जुल्म करेंगे तो हम हिन्दुओं का साथ देंगे, और अगर दोनों मिल कर हम पर जुल्म करना चाहेंगे तो हम दोनों का मुकाबला करेंगे । लेकिन हमारी डिमांड पर तो सब भाइयों के दस्तखत हैं क्योंकि हम इस सवाल को जस्टिस की निगाह से देखते हैं । लेकिन मेरी समझ में नहीं आता कि गवर्नमेंट को इसे मंजूर करने में क्यों तकलीफ होती है । अगर गवर्नमेंट इन सेफगार्डस् (सुरक्षा) को मान ले तो मेरे इलाके के लोगों में खुशी की वह लहर दौड़ेगी कि जिसका आप अन्दाजा नहीं लगा सकते । लेकिन आप जब तक ऐसा नहीं करते और वही पुराना सौ साल का ढर्रा चलता रहेगा और हमको रगड़ा जाता रहेगा तब तक हम खुश नहीं हो सकते । अगर आप सही मानों में हमको कुछ देना चाहते हैं तो हमारी तकलीफ को देखिये । मैं ६७ लाख लोगों की तरहफ से मुअद्बाना अर्ज करना चाहता हूं कि मेहरबानी करके अपने कानों के परदे को खोलें । मैं चाहता हूं कि आप हमारी तकलीफ को देखें और उनको दूर करने की कोशिश करें । यह ठीक है कि यहां हाउस में आप जो कानून चाहे पास करवा सकते हैं, लेकिन आपको अन्दाजा नहीं है कि इसका मुल्क में क्या असर होगा ।

मैं आपको एक बात बतलाना चाहता हूं, जब तक आप का प्लान बना भी नहीं था, तब भी मैं अपनी कांस्टिटुएन्सी (निर्वाचन क्षेत्र) में जाता था, हरियाना में भी जाता था, मेरी साफ राय थी कि हमें पंजाब के साथ रहना है, लेकिन हमारे भाई कहते थे गुड़गांव के कि हमें मालदीव और लकादीव के साथ मिला दो, हमें अंडमान के साथ मिला दो, हम पंजाब के साथ नहीं रहेंगे ।

पंडित कृ० चं० शर्मा (जिला मेरठ-दक्षिण) : मेरठ के साथ लगा दो ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : मेरठ तो खुद हमारे साथ आना चाहता है, मैं वह सारा किस्सा नहीं बताना चाहता ।

मैं अर्ज करना चाहता हूं कि जब रीजनल कमेटी (प्रादेशिक समिति) बनी तो यह फीलिंग बनी और जब मैं वहां पर जाता हूं तो लोग कहते हैं कि हम तो निहाल हो गये कि रीजनल कमेटी बनाई गई है । आपने जो यह फीलिंग क्रिएट की है अगर उसे आप सस्टेन (जीवित रखना) करना चाहते हैं, अगर उसमें जान डालना चाहते हैं तो उसका तरीका यह है कि जो कुछ मेरे अमेंडमेंट

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

नं० ५६ की डिमांड है, उसको आप मंजूर करें। यह खाली मेरी ही डिमांड नहीं है, हमारे चीफ मिनिस्टर साहब और हमारे कांग्रेस के सरदार गुरुमुख सिंह साहब की भी है जो कि १२ जिलों में खुद कहते फिरे हैं कि यह तुम्हारा चार्टर है जो कि रीजनल कमेटी बनी है, तुम्हें बराबर के हक दिये जायंगे। मेरे सब सिख भाइयों ने यह यकीन दिलाया है कि यह मुत्तफिका डिमांड है। जब सब लोग इस पर पूरा यकीन रखते हैं तो मेरी समझ में नहीं आता कि आप इसको क्यों कबूल नहीं कर सकते। आपको इसमें क्या एंतराज है और आप इसको क्यों सही रूप में नहीं दखते। मैं इस चीज को इस गरज से नहीं कहता कि इसमें पंजाब इन्वाल्व्ड (सम्बद्ध) है। आप ने पंजाब की जिम्मेदारी इस हाउस में ले ली है। आज गुजरात वाले भी इसी हालत में है, वह भी आज एक तिहाई के करीब है, मैं जानता हूं कि गुजराती बड़े बहादुर हैं, कांग्रेस की डिसिप्लिन को मानते हैं। लेकिन मैं तो यह कहता हूं कि यहां पर सवाल इंसाफ का है न कि मांगने का। आप को सारी लिंग्विस्टिक माइनारिटीज का खयाल करना चाहिये। हमारे तैलंगाना और आन्ध्र वाले बड़े होशियार हैं, जो हमें सबक पढ़ा सकते हैं। उन्होंने एक एक फैसला कर डाला। मैं आज इस तरह के फैसलों को पसन्द नहीं करता, हमारे दोस्त भी इसको पसन्द नहीं करते हैं, लेकिन जो चीजें दुःख-दायी हैं उनको वहां के लोगों ने अच्छी तरह से हल करने की कोशिश की, फैसले गलत हों या सही, लेकिन उन्होंने एक दूसरे के नजदीक आने की कोशिश की। मैं नहीं कहता कि हरियाना के लिये एक अलग हाई कोर्ट कर दो.....

†**डा० लंका सुन्दरम्** : मैं समझ नहीं सका कि आप क्या चाहते हैं। क्या आप आंध्र-तेलंगाना का निर्माण समाप्त करना चाहते हैं?

पंडित ठाकुर दास भार्गव : मुझे अफसोस है कि आप यहां पर मौजूद नहीं थे जब मैं स्प्वायल्स के मुताल्लिक जो आप की फीलिंग है, वह मेरी फीलिंग नहीं है। कुछ अर्ज कर रहा था, लेकिन मै अर्ज करता हूं कि जितनी फीलिंग आप की इसके मुताल्लिक है, मेरी उससे कम फीलींग (भावना) नहीं है। फिर भी मैं यह कहना चाहता हूं कि उन लोगों को रिप्रेजेन्टेशन (प्रतिनिधित्व) दिया जाय। कैबिनेट में, लोकल बाडीज में, कहीं भी सही, उनको मौका दिया जाय। मैं यह नहीं कहता कि ऐडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी के लिहाज से दिया जाय, आप किसी तरह से दीजिये। यह नहीं कि आप उनको बिल्कुल नजरअन्दाज कर दें और वह यह फील करने लगें कि वह इन्फीरिअर सिटिजेन हैं। मैं कोई नई बात नहीं कह रहा हूं। आप स्विटजरलैण्ड को जाकर देखिये, कैनाडा को जाकर देखिये कि वहां पर क्या चीज की हुई है। वहां के लोग तो फिर भी एलिएन्स हैं, हम एलिएन्स नहीं हैं, हम इस देश के अन्दर आपस में काफी मिले जुले हैं। जहां पर कोई नीग्रोज या योरोपियन्स का सवाल नहीं है, हम एक जमाने से एक साथ रहते रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि जिन की तादाद एक तिहाई की हो, उनको एक भी मिनिस्टर न मिले?

डा० लंका सुन्दरम् : मैं पहले से बांटने के खिलाफ हूं।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : मैं यह अर्ज कर रहा था कि आज यह सिर्फ एक यूनिटरी गवर्नमेंट नहीं है। हम सबसे पहले गुजरात की तरफ अपनी जिम्मेदारी महसूस करते हैं। मैं भी उनमें से हूं जिन्होंने इस बहस में हिस्सा लिया था और हमने गुजरात को महाराष्ट्र के साथ शामिल कर दिया। ऐसी हालत में हमारा फर्ज है कि वहां की लिंग्विस्टिक माइनारिटीज को जो सेफगाड्स देने चाहिये, वह हम उनको जरूर दें, चाहे वह उनको मांगें या न मांगे। यहां सिर्फ बाईलिंग्वल स्टेट्स का ही सवाल नहीं है, यह सवाल हर जगह पैदा होता है, यूनिलिंग्वल स्टेट्स में भी यह सवाल पैदा हो सकता है। इसलिये हमको इसकी मेरिट्स को देखकर मुनासिब चीज करनी चाहिये। हमने लिंग्विस्टिक माइनारिटीज की डेफिनिशन भी दी है जिसमें कि वह लोग आ सकते हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

जो फिल वाकया माइनारिटीज हैं जिनको बचाना हमारा फर्ज है, उनकी तरफ उनको जरूर ध्यान देना चाहिये, चाहे वह रिलिजस माइनारिटीज हों, चाहे लिंग्विस्टिक माइनारिटीज हों, या दूसरे किस्म की हों, क्योंकि हम जानते हैं कि जब तक देश के अन्दर सबको सैटिस्फैक्शन नहीं होगा, और यह फीलिंग नहीं होगी कि उनके साथ इंसाफ हुआ है, तब तक आपने स्टेट्स रिआर्गेनाइजेशन के लिये जो कुछ भी किया हो, वह कामयाब नहीं समझा जा सकता।

मैं आपका बहुत मश्कूर हूं कि आपने मुझे जरूरत से ज्यादा वक्त दिया।

†**श्री मुहीउद्दीन** (हैदराबाद नगर) : स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद भारत के मानचित्र बनाने की यह अन्तिम अवस्था है। यह काम बड़ा ही दुःखदायी रहा है। इस सम्बन्ध में पिछले डेढ़ दो वर्ष में जो कुछ भी हुआ है, उससे हमारे नाम को बट्टा ही लगा है। अब हमें इन सब बातों को भूल कर अपनी आशा के नव भारत का निर्माण करने में लग जाना चाहिए।

भारत सरकार और आयोग ने नये भारत का मानचित्र बनाने में केवल भाषा को ही आधार माना है। परन्तु भाषा ही कोई एकमात्र कसौटी नहीं हो सकती है। यह बात ठीक नहीं है। भाषा के नाम पर किसी राज्य का नाम नहीं रखा जाना चाहिए।

†**डा० लंका सुन्दरम्** : भाषा के साथ जाति का नाम क्यों नहीं लिया जाता ?

†**श्री मुहीउद्दीन** : जातिका नाम लेना तो भाषा से भी बुरा है।

हमनें राज्य पुनर्गठन की प्रारम्भिक अवस्था में भी कहा था कि राज्यों के नाम उनमें बोली जाने वाली मुख्य भाषाओं के नाम पर नहीं रखे जाने चाहिएं। इस आधार पर ही मैसूर और मद्रास नाम रखे गये हैं। मध्य प्रदेश के नाम से यह संकेत नहीं मिलता कि यह नाम बहुमत की भाषा के अनुसार रखा गया है। बम्बई को द्विभाषी राज्य बनाये जाने के निश्चय से गुजरात और महाराष्ट्र के राज्यों के निर्माण का विचार समाप्त कर दिया गया और अब यह क्षेत्र बम्बई के द्विभाषी राज्य का अंग बन गये हैं।

†**श्री पाटस्कर** : केवल बम्बई राज्य 'बम्बई का द्विभाषी राज्य नहीं'।

†**श्री मुहीउद्दीन** : बंगाल और पंजाब के राज्य बहुत दिनों से हैं और उनके नामों का सम्बन्ध उन क्षेत्रों विशेष से है भाषाओं के नाम से नहीं है। केवल केरल और आन्ध्र ही दो ऐसे राज्य हैं जिनके नामों का सम्बन्ध वहां बोली जानेवाली भाषा से नहीं है।

उस नवीन राज्य के लिये आन्ध्र प्रदेश नाम पसन्द किया गया है, मेरा सुझाव यह है कि इस नाम को बदल दिया जाये। मेरा सुझाव है कि राज्य के नाम का सम्बन्ध भाषा के नाम से नहीं होना चाहिये। मेरे विचार से मेरे आन्ध्र के मित्र इससे सहमत होंगे।

भारत के मान चित्र को फिर से बनाये जाने के परिणाम स्वरूप भाषाई अल्प संख्याकों की समस्या हमारे समक्ष आई है। उनको सुरक्षण दिया जाना भी अत्यावश्यक है। राज्य पुनर्गठन आयोग ने यह ठीक ही कहा है कि जो सुरक्षण दिये जायें वे केवल बहु संख्याक वर्ग की सद्भावना से ही लागू किये जा सकते हैं। बहुसंख्यक वर्ग की सद्भावना नितान्त रूप से आवश्यक है। पर तो भी इन सुरक्षणों को लागू करने के लियें संविधान में उपबन्ध किये जाने चाहियें। यह संविधानिक उपबन्ध किस प्रकार लागू किये जायेंगे यह भी एक समस्या है जिसे हल किया जाना चाहियें। अतः केन्द्र को यह अधिकार होना चाहिए कि सद्भावना के अभाव में अथवा सुरक्षणों के लागू न किये जाने की स्थिति में वह आवश्यक कार्यवाही कर सके। यह उपबन्ध संविधान में किया जाना चाहिये।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री मुहीउद्दीन]

मेरे विचार से प्रस्तावित उपबन्ध इस प्रकार के हैं कि जिनके द्वारा केन्द्र इन सुरक्षणों को लागू करने के लिये आवश्यक कार्यवाही कर सकता है।

पंडित ठाकुर दास भार्गव नें इस बात पर जोर दिया है कि अल्पसंख्यकों से सम्बन्धित प्रश्न का उत्तरदायित्व केन्द्र पर होना चाहिये। यह उचित नहीं होगा परन्तु जब कभी भी उचित हो और आवश्यक हो केन्द्र के अधिकारों और शक्तियों का उपयोग अवश्य होना चाहिये।

हैदराबाद विधान सभा और आन्ध्र विधान सभा ने संविधान संशोधन में द्वितीय सदन का उपबन्द किये जाने का जो प्रस्ताव किया है, डा० लंका सुन्दरम् नें उसकी चर्चा की है। इस प्रस्ताव को न तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम में और न ही संविधान (संशोधन) विधेयक में स्थान दिया गया है। डा० लंका सुन्दरम् की इस बात पर मुझे आश्चर्य हुआ था कि द्वितीय सदन की बात तर्क-संगत नहीं है। तर्क का उपबन्ध तो वर्तमान संविधान में है अर्थात् संबंधित विधान सभा के सदस्यों की विशिष्ट संख्या को इस सम्बन्ध में संकल्प पारित करना चाहिए। यही तर्क है और दोनों विधानसभायें स्पष्ट रूप से संकल्प स्वीकार कर चुकी हैं। मुझे आशा है कि डा० लंका सुन्दरम् को अब यह विश्वास हो गया होगा कि हैदराबाद विधान सभा और साथ-ही आन्ध्र विधान सभा में जब तीन चौथाई बहुमत है.....

†**डा० लंका सुन्दरम्** : उन्होंने स्वयं ही भविष्य के लिये व्यवस्था की है।

†**श्री मुहीउद्दीन** : मुझे आशा है कि इन राज्यों की स्थापना के बाद शीघ्र ही एक विधान परिषद् की स्थापना की जायगी। परन्तु मेरा यह प्रस्ताव है कि विधान परिषद् की स्थापना इस सम्बन्धी उपबन्ध को इस विधेयक में ही समाविष्ट किया जाना चाहिए।

†**श्री आनंदचंद** (बिलासपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, यद्यपि इस विधेयक में कुछ त्रुटियां हैं तथापि संयुक्त समिति के सदस्य के नाते मैं इस विधेयक के उपबन्धों का सामान्यतया समर्थन करता हूं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें सीमा आयोग के सम्बन्ध में किसी प्रकार का सम्बन्धित उपबन्ध होना चाहिए था। यद्यपि हम अन्तर्राज्य सीमा विवादों का उत्तरदायित्व प्रादेशिक परिषदों को सौंप रहे हैं तथापि मैं यह अनुभव करता हूं कि ये समस्यायें तब तक समाप्त नहीं होंगी जब तक कि हम इन समस्याओं के सम्बन्ध में किसी प्रकार की न्यायिक घोषणा नहीं करते हैं। लोग न्यायाधिकरण के समक्ष सुनवाई से सन्तुष्ट नहीं होंगे। अब भी माननीय गृह-कार्य मंत्री एक ऐसा उपबन्ध समाविष्ट कर सकते हैं जिससे संविहित सीमा आयोग दो राज्यों में समस्या का समाधान कर सके।

एक और त्रुटि प्रादेशिक समितियों की है। इन समितियों में से एक आन्ध्र में और एक पंजाब में स्थापत की जायेगी। इस समय तक हमें इन प्रादेशिक समितियों की भौगोलिक सीमायों के सम्बन्ध में कुछ मालूम हो जाना चाहिए था। जहां तक तेलंगाना का सम्बन्ध है मैंने पढ़ा है कि वहां तेलंगाना क्षेत्र है। हम इसे कहां तक तेलंगाना क्षेत्र कह सकते हैं.....

†**डा० लंका सुन्दरम्** : वर्तमान हैदराबाद राज्य से अलग किया हुआ और विद्यमान आन्ध्र राज्य में जोड़ा हुआ तेलंगाना क्षेत्र।

†**श्री आनन्दचन्द** : धन्यवाद, जहां तक पंजाबी भाषा भाषी या हिन्दी भाषा भाषी प्रदेश का सम्बन्ध है, मेरे विचार में वह अधिक स्पष्ट है क्योंकि वे भाषा प्रतिरूप का अनुसरण करते हैं।

†**श्री हेमराज** : यह सच्चर सूत्र के अनुसार स्पष्ट है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री आनन्दचन्द** : जी हां, सच्चर सूत्र के अतिरिक्त कुछ अन्य शर्तें भी हैं, जिन्हें सम्बन्धित पक्षों की इच्छा से कार्यान्वित किया जायगा। आज मैं संघ प्रदेशों की चर्चा करना चाहता हूं। आपको याद होगा, राज्य पुनर्गठन विधेयक पर चर्चा के समय मैंने कहा था कि संघ प्रदेशों के प्रशासन में जनता के सम्बन्ध की पंचायतों या निर्वाचित निकाय के आधार पर नहीं बल्कि वयस्क मताधिकार के आधार पर व्यवस्था की जानी चाहिए। मैं गृह-कार्य मंत्री के इस कथन पर उन्हें बधाई देता हूं कि ये प्रादेशिक परिषदें वयस्क मताधिकार पर आधारित होंगी। यदि मैं उनकी बात ठीक समझ सका हूं तो इन प्रादेशिक परिषदों के सदस्यों में से ही दैनिक प्रशासन में सहायता देने के लिए सलाहकार या परामर्शदाता लिये जायेंगे। परन्तु दूसरी ओर लोक-सभा या राज्यसभा के संसद् सदस्य भी हैं जो इन संघ प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करते हैं। यदि मैं योजना को ठीक प्रकारसे समझ सका हूं तो विचार यह है कि संसद् सदस्य तथा अन्य गैर सरकारी व्यक्तियों की मिल कर एक प्रकार की स्थायी मंत्रणा समिति होगी जो गृह-कार्य मंत्रालय को न केवल इन संघ प्रदेशों के आय-व्ययक सम्बन्धी तथा अन्य वित्तीय उपबन्धों पर बल्कि उन विधायिनी कार्यवाहियों तथा नीति सम्बन्धी बातों के सम्बन्ध में भी मंत्राणा देंगे जिनके सम्बन्ध में वे यह समझते हैं कि यहां संसद् में उन्हें प्रख्यापित करना अनिवार्य है या लाभदायक है। इस प्रस्ताव में त्रुटि यह है कि संसद् सदस्यों और दैनिक प्रशासन के बीच कोई सम्बन्ध न होगा। इसलिए मैंने यह सुझाव दिया था कि संसद् सदस्यों को भी प्रादेशिक परिषद् में या उसके कार्यकरण में सम्मिलित किया जाना चाहिए, निःसन्देह उन्हें सलाहकार के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकेगा, परन्तु संघ प्रदेश के मामलों पर गृहकार्य मंत्रालय को मंत्रणा देने के लिए परिस्थितियों का उन्हें पूरा ज्ञान होना चाहिये।

दूसरी बात यह है कि इन संघ प्रदेशों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों की जनसंख्या अत्यधिक है। त्रिपुरा और मनीपुर में आदिम जातियों के व्यक्ति बड़ी संख्या में हैं और हिमाचल प्रदेश में एक तिहाई से अधिक जनसंख्या अनुसूचित जातियों के लोगों की है। निर्वाचक-गणों की वर्तमान पद्धति के अधीन त्रिपुरा और मनिपुर, दोनों के लिए तीस तीस सदस्य हैं और जहां तक हिमाचल प्रदेश का सम्बन्ध है वर्तमान विधान सभा में ४१ सदस्य हैं, जहां तक मनीपुर का सम्बन्ध है मेरे विचार में आदिम जाति क्षेत्रों से सदस्यों की कुछ संख्या निर्वाचक-गणों में निर्वाचित होती है। परन्तु वे भौगोलिक सीमांकन की विधि द्वारा आते हैं। उन क्षेत्रों का सीमांकन इतना अनानम्य है कि आदिम जातियों के व्यक्तियों के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों के निर्वाचन का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है। परन्तु हिमाचल प्रदेश जैसे क्षेत्र में ये लोग इतने फैले हुए हैं कि यदि हमें इन प्रादेशिक परिषदों को वयस्क मताधिकार के आधार पर गठित करना है तो ऐसी कोई योजना बनानी होगी जिससे कि उन्हें भी प्रतिनिधान मिल सके। मेरा निवेदन यह है कि यह योजना द्विसदस्य निर्वाचन क्षेत्र नहीं बल्कि कुछ और होनी चाहिये। वही स्थानीय अनुसूचित जातियों या आदिम जातियों के सच्चे प्रतिनिधि हैं। इसलिए माननीय गृह-कार्य मंत्री को योजना निर्धारित करते समय इस बात को ध्यान में रखना चाहिये।

अब मुझे दो बातें और कहनी है। एक अन्तरिम अवधि की है। जैसा कि सदस्यों को ज्ञात है पहली नवम्बर के बाद दिल्ली या हिमाचल प्रदेश में कोई विधान सभा कृत्यकारी नहीं होगी, न हीं मनीपुर या त्रिपुरा में सलाहकार या मंत्रणा परिषदें ही होंगी। प्रश्न यह है कि अन्तरिम अवधि में क्या होगा। मैं कह नहीं सकता कि क्या भारत सरकार संशोधित अनुच्छेद २३९ के अधीन संसदीय मंजूरी के बिना भी निकाय स्थापित कर सकती हैं। अनुच्छेद २३९ में जिस 'अन्य प्राधिकारी' की चर्चा है सम्भवतः इस का अर्थ प्रादेशिक परिषदें आदि भी लगाया जा सकता है। मेरे विचार में यह गलत निर्वचन होगा। यदि मैंने इस अनुच्छेद को ठीक समझा है तो गृह-कार्य मंत्री द्वारा दृष्टिपात की गई या बताई गई योजना को क्रियान्वित करने से पहिले संसद् के समक्ष किसी प्रकार की विधायिनी क्रिया को अवश्य प्रस्तुत करना होगा। संसद का सत्र १३ सितम्बर को स्थगित किया जा रहा है। इसलिए निश्चित तिथि के बाद इन क्षेत्रों के प्रशासन के लिए परिनियम-पुस्त पर कोई भी संसदीय विधि नहीं होगी, यह सच है कि राष्ट्रपति को अध्यादेश

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री आनंदचन्द]

निर्गमित करने की शक्ति प्राप्त है। इस सदन में बाद में उस पर चर्चा भी की जा सकती है। मैं कह नहीं सकता कि क्या अध्यादेश के अधीन अन्तरिम अवधि में एक बिल्कुल नई संरचना उद्धकसित की जा सकती है। इसलिए संसद् के अगले सत्र में यथासम्भव शीघ्र ही एक समेकित विधेयक प्रस्तुत किया जाना चाहिए और फिर उसे परिनियम पुस्त में स्थान देना चाहिए। अन्तरिम अवधि इतनी कम है कि उससे कुछ लाभ भी होगा क्योंकि यह भावना बढ़ेगी कि भाग 'ग' के राज्यों में एक परिवर्तन हुआ है और अब वह पुराना 'ग' राज्य नहीं है बल्कि सीधे केन्द्र द्वारा शासित है। भारत सरकार के मंत्रालय, अब सभी व्यवहारिक प्रयोजनों के लिए इन संघ प्रदेशों के मंत्रालय भी होंगे। मेरे विचार में इस अन्तरिम अवधि के सम्बन्ध में कोई शंका नहीं होनी चाहिये क्योंकि लोगों को मालूम हो जायगा कि घोषणा कर दी गई है और सरकार एक विधान प्रस्तुत कर रही है और उनके लोकतन्त्र में उनके हितों का उचित परित्राण हो चुका है।

†**श्री नि० चं० चटर्जी** (हुगली) : हमने राज्य पुनर्गठन विधेयक पारित कर दिया है परन्तु हमने उस समस्या के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं को बहुत उलझा दिया है। मैंने गृह-कार्य मंत्री और प्रधान मंत्री से यह अपील की थी कि उस विधेयक को कुछ दिनों के लिये स्थगित कर दिया जाए और एक संशोधक विधेयक प्रस्तुत किया जाए जिसे गुजरात और द्विभाषी बम्बई कहे जाने वाले क्षेत्र की जनता के लिए भेजा जाए, परन्तु ऐसा नहीं किया गया था। परिणाम स्वरूप वहां स्थिति अस्तव्यस्त हो गई थी और जब अहमदाबाद में अशान्ति थी तो गृह-कार्य मंत्री, प्रधान मंत्री और बम्बई के मुख्य मंत्री में से कोई भी वहां नहीं गया था, लोगों की इच्छा और भावना की अवहेलना की गई है, वास्तव में यदि ८ तारीख को वहां कांग्रेस दल के कार्यालय के सामने गोली न चलाई गई होती तो यह गड़बड़ी बिल्कुल न फैलती।

अब संविधान में संशोधन करते समय हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिये कि कोई ऐसी बात न हो जिससे कि देश की एकता को कोई खतरा पैदा हो। हमें राज्यों को उपराष्ट्र मानने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन नहीं देना चाहिये। हम तब तक पंचवर्षीय योजना को सफल नहीं बना सकते या विकास नहीं कर सकते या आयोजित अर्थ व्यवस्था सम्भव नहीं है जब तक कि हम इस धारणा को नहीं छोड़ते कि इस प्रादेशिक भावना का अर्थ उन उपराष्ट्रों के प्रति किसी प्रकार की निष्ठा है जो एक संघ के अन्तर्गत संगठित हैं। जब कि विदेशी राष्ट्र और हमारे पड़ौसी जो विदेशी प्रभावों के अधीन हमारी हानि के लिए कार्यान्वित हैं और काश्मीर की ओर ललचाई दृष्टि से देख रहे हैं और दोनों ओर हमारी सीमाओं को खतरा है, हमें इन संकुचित निष्ठाओं को प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए।

अब मैं संघ प्रदेशों के संबंध में यह कहना चाहता हूं कि हम संयुक्त समिति में भी उस संबंध में कोई संतोषजनक सूत्र नहीं ढूंढ़ सके थे। मैंने विमति टिप्पणी में भी कहा था कि सभी प्रदेशों को एक ही स्तर पर नहीं रखा जाना चाहिये जैसे कि दिल्ली को अन्दमान और निकोबार टापुओं के स्तर पर रखना युक्तियुक्त न होगा। दिल्ली नगर के लिए कोई ठीक ठीक संविधानिक सिफारिश करना अभी भी उचित है। दिल्ली का इतिहास सहस्रों वर्ष पुराना है। आप दिल्ली के संबंध में वाशिंग्टन या कैनबेरा का उदाहरण नहीं अपना सकते। हमें इस विधेयक में कम से कम दिल्ली, त्रिपुरा और अन्य राज्यों के लिये जन साधारण की भावनाओं और इच्छाओं को अभिव्यक्त करने के लिए कोई लोकतन्त्रीय कार्यव्यवस्था अधिनियमित करनी चाहिए और इस संबंध में मंत्रियों की कोई परिषद् होनी चाहिये। कोई संविधानिक प्रमुख होना चाहिये। अन्य संघ प्रदेशों के संबंध में भी ऐसी ही व्यवस्था की जानी चाहिये।

अब मैं विधेयक के खंड २२ के संबंध में यह कहना चाहता हूं कि मैं इस से बिलकुल भी सहमत नहीं हूं। यदि इस प्रादेशिक सूत्र ने पंजाब की समस्या का समाधान किया होता तो मुझे प्रसन्नता होती परन्तु ऐसा नहीं हुआ है, बल्कि लोगों की अत्यधिक संख्या ने इसे स्वीकार नहीं किया है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**सरदार इकबाल सिंह** (फ़ाजिल्का–सिरसा) : केवल कुछ व्यक्तियों ने, अत्यधिक ने नहीं।

†**चौ० रणवीर सिंह** (रोहतक) : मुझे इस पर आपत्ति है।

†**श्री नि० चं० चटर्जी** : सत्य यही है और मेरे माननीय मित्र जानते हैं कि जनता के बहु-संख्याक भाग नें इसे स्वीकार नहीं किया है। अब मैं मूल बात यह कहना चाहता हूं कि अकाली नेता तथा अकाली दल के साथ जो समझौता हुआ है उस पर मंत्रीगण संतुष्ट हैं और मुझे आशा है कि यह सच्चा समझौता हुआ होगा परन्तु प्रश्न यह है कि आप की योजना क्या है ? आप प्रादेशिक सूत्र के खंड ५ को देखिये। मैंने उसमें अपनी विमति टिप्पणी संलग्न की है।

मैं सम्पूर्ण उत्तरदायित्व से यह बात कह सकता हूं कि इस खंड को पारित करने से आप समस्त प्रजातंत्रात्मक सिद्धांतों पर आघात कर रहे हैं। क्योंकि इसके अनुसार राष्ट्रपति बहुमत की उपेक्षा कर के भी कानून पारित कर सकता है और कह सकता है कि केवल ३१ सदस्य समस्त विधान सभा कि कार्यवाही चला सकते ह; भले ही पंजाब विधान सभा के १३० सदस्यों मे से १२५ सदस्य उसके विरोधी हों। आपने यह भी कहा है कि मतभेद के मामले में राज्यपाल का निर्णय अनिवार्य रूप से मान्य होगा। मुझे इसपर बहुत आपत्ति है। इसका यह तात्पर्य कदापि नहीं कि मैं किसी विशेष सम्प्रदाय के विरुद्ध हूं। वस्तुतः मैं सिखों को हिन्दू धर्म का ही अंगमात्र समझता हूं। मेरे मत से हिन्दू धर्म के मूलभूत सिद्धांतों की रक्षा के लिये ही सिखधर्म का प्रादुर्भाव हुआ था। अतः मेरे विचारसे ऐसा करना प्रजातंत्र के विरुद्ध और मंत्रीमंडल को विधान सभा पर हावी होने की शक्ति देना है। यह नितांत अनुचित है। वस्तुतः यह पंजाबी प्रदेश तथा हरियाना प्रदेश के हितों के भी विरुद्ध है और एक प्रकार की तानाशाही है जो हमारी संविधान की भावना के नितांत विरुद्ध है।

संविधान में राज्यों को राज्य सूची के विषयों पर विधान बनाने के पूर्ण अधिकार प्राप्त है लेकिन आप एक कार्यकारी आदेश द्वारा राज्यों के इन विशेषाधिकारों को ले लेना चाहते हैं। यह बिल्कुल अनुचित है कि आप एक कार्यकारी आदेश द्वारा संविधान के मूलभत सिद्धांतों पर इस प्रकार आघात करें। यदि आप कंडिका ६ के अन्तर्गत विषयों को देखें, तो प्रादेशिक समितियों के अन्तर्गत वे सभी विषय आ जाते हैं जो कि वस्तुतः इन विषयों के अन्तर्गत आने चाहियें। उदाहरणार्थ धार्मिक संस्थायें, सहकारी समितियों, स्थानीय निकाय, सुधार प्रन्यास, जिला बोर्ड तथा अन्य प्राधिकारियों के संबंध में सारे अधिकार प्रादेशिक समिति को दे दिये गये हैं और राज्य विधान सभाओं को वस्तुतः अधिकारहीन कर दिया गया है। पंडित पंत नें यह भी कहा है कि मैंने खंड १ की ओर ध्यान नहीं दिया है वस्तुतः यह बात नहीं है। मैंने यह खंड पढ़ा है। उसमें सारे पंजाब में एक विधान सभा और एक राज्यपाल होने की बात कही गई है। लेकिन यह एक थोथी घोषणा है क्योंकि वास्तव में विधान सभा को कोई अधिकार प्राप्त नहीं है क्योंकि यदि विधान सभा हरियाना प्रान्त के ३० सदस्यों की बात से सहमत नहीं होगी तो इस मतभेदों का राज्यपाल को निर्देश किया जायेगा और विधान सभा भंग हो जायेगी। इस प्रकार राज्यपाल को अत्यधिक शक्ति दी गई है जो कि प्रजातंत्र के सिद्धांतों के विचार से आपत्तिजनक है।

अतः आप राष्ट्रपति को यह अधिकार न दें। आप राष्ट्रपति के पद को संविधान सभा का स्थान मत दें। मेरे विचार से मास्टर तारासिंह का भी यह अभिप्राय नहीं होगा क्योंकि खंड ७ में कहा गया है कि "समुचित केन्द्रीय संविधि के अधीन राष्ट्रपति को प्रादेशिक समितियों के बनाने का अधिकार दिया जायगा।"

मेरे विचार से केन्द्रीय संविधि का तात्पर्य संसद् से है। अतः यह अधिकार संसद् को मिलना चाहिये।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री नि० चं० चटर्जी]

मैंने पंडित ठाकुर दास के वैकल्पिक संशोधन को पढ़ा है। उन्होंने इस संशोधन में कुछ खंड पंजाब प्रादेशिक सूत्र के लिये हैं लेकिन खंड ९ और १४ को नहीं लिया गया है। वस्तुतः खंड ९ असंवैधानिक है। उच्चतम न्यायालय ने भी मनोहरसिंह के बाद में यह निर्णय दिया था कि जब दो राज्यों का विलीनीकरण हो जाता है और फलस्वरूप एक राज्य बन जाता है, तो एक ही विषय के संबंध में एकीकृत राज्य के विभिन्न भागों में भिन्न भिन्न विधियां लागू नहीं हो सकती हैं। कारण यह है कि इससे संविधान के अनुच्छेद १४ का उल्लंघन होता है।

उन्होंने खंड १४ पर भी आपत्ति की है। खंड १४ में उल्लिखित है कि भारत सरकार "समस्त प्रादेशिक भाषाओं को उन्नत करने के प्रयोजन से प्रोत्साहन देने की अपनी नीति का अनुसरण करते हुए पंजाबी भाषा की उन्नति और विकास को प्रोत्साहन देगी"।

आपत्ति का आधार यह है कि खंड १४ एक प्रकार का साम्प्रदायिक पंचाट है। साम्प्रदायिक पंचाटों से सदैव हानि ही हुई है और भेदभाव बढ़ा है। राज्य पुनर्गठन आयोग नें एकमत होकर यह कहा है कि पंजाब में भाषा की कोई समस्या नहीं है थी और जो भी वह विभाजन के पश्चात् समाप्त हो गई है वस्तुतः वहां समस्या केवल लिपि की है।

अतः मेरा निवेदन है कि किसी भी राज्य का साम्प्रदायिकता के आधार पर विभाजन नहीं होना चाहिये। दो प्रदेश बनाने की मांग साम्प्रदायिक है। संस्कृति और भाषा की समस्या इसको छिपाने के लिये खड़ी की गई है। आयोग नें स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि पंजाब में भाषा सम्बन्धी कोई समस्या ही नहीं है तथापि सारा झगड़ा केवल लिपियों के संबंध में है।

अब मैं अल्पसंख्यकों की समस्या को लेता हूं। यद्यपि मैं स्वयं इस समस्या के लिये कोई वैकल्पिक सूत्र नहीं निकाल पा सका तथापि हमें इस संबंध में बहुत सावधान रहना चाहिये और अल्पसंख्यकों को पर्याप्त परित्राण दिये जाने चाहिये तथापि उन्हें आवश्यकता से अधिक अधिकार नहीं दिये जाने चाहियें। मैं पंडित ठाकुर दास भार्गव की इस बात से सहमत नहीं हूं कि उन्हें मंत्रिमंडल में विशेष प्रतिनिधित्व दिया जाय। निःसंदेह उन्हें उचित प्रतिनिधित्व अवश्य दिया जाना चाहिये। श्री फ्रैंक एन्थनी इससे संतुष्ट नहीं हैं। लेकिन उन्हें अब अपने सम्प्रदाय को अंग्रेजी या फ्रैंच बोलने वाला अल्पसंख्याक सम्प्रदाय न मान कर अपने को भारतीय जनता में घुला मिला देना चाहिये। तभी उनकी उचित मांगें स्वीकार की जायेंगी।

आयोग न यह सिफारिश की है कि राज्यपाल केन्द्रीय सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कार्य कर सकता है। मेरे विचार से इस प्रयोजन के लिये एक विशेष अधिकारी नियुक्त करने से कोई लाभ न होगा क्योंकि उसके पास शिकायतों का तांता बंध जायेगा और उनमें बड़ी बड़ी और अत्युक्तिपूर्ण मांगें रखी जायेंगी जिनसे विभेद बढ़ेगा। और अधिक जटिलतायें उत्पन्न हो जायेंगी।

†**श्री दशरथ देब** (त्रिपुरा–पूर्व) : इस विधेयक से भाग ग राज्यों को जिन्हें संघ क्षेत्र बनाया जा रहा है बड़ी निराशा हुई है। आज माननीय गृहमंत्री जी की घोषणा सुनकर भी मुझे संतोष नहीं हुआ है न त्रिपुरा और मनीपुर की जनता को ही इससे संतोष होगा। उन्होंने कहा कि वहां एक परिषद् बनायी जायेगी लेकिन उन्होंने उस परिषद् की रूपरेखा के संबंध में कुछ भी नहीं कहा है। न हमें प्रशासन के आकार का ही कोई संकेत दिया है। लेकिन इतना स्पष्ट है कि वहां विधान सभा नहीं बनायी जायेगी, इस प्रकार हमारी राजनैतिक आकांक्षाओं की अवहेलना की गई है। हमनें जब भी भाग 'ग' राज्यों में पूर्णरूपेण विधान सभा में बनाने का प्रश्न उठाया है, तब ही सरकार नें हमारे साथ कैसा व्यवहार किया है। आज भी विधेयक प्रस्तावित करते समय माननीय गृहकार्य मंत्री नें यह नहीं बताया कि राज्य क्षेत्रीय संस्थाओं या परिषदों को क्या अधिकार और प्रशासकीय क्षमतायें दी जायेंगी जिन्हें वह संघ राज्यक्षेत्रों में परिवर्तित करना चाहते हैं। इसमे संदेह नहीं कि यह एक

---

†मूल अंग्रेजी में

महान निराशा है। यह तर्क देना बेकार है कि वे छोटे छोटे स्थान हैं, जन संख्या बहुत थोड़ी है और भौगोलिक स्थिति आदि जैसे अन्य विचार हैं जिनके कारण वहां विधान सभायें नहीं बनाई जा सकती है। यह संसद् जब मामलों में क्षमता रखते हुए भी इन सब भाग 'ग' के राज्यों साथ न्याय नहीं कर सकी है। यहां तक कि आय व्ययक सत्र में भी गृहकार्य मंत्रालय में सारे भाग 'ग' राज्यों को मिला कर एक साथ रख दिया तथा उस आय व्ययक पर चर्चा के लिए घंटा भी नियत नहीं किया गया। हमारे छोटे राज्यों की समस्याओं को अन्य समस्या के साथ मिला दिया गया और सम्भवतः हमारी समस्यायें यहां पेश नहीं की जा सकी हैं। इन परिस्थितियों में यह अत्यधिक उचित है कि इन सब राज्यों में अपने विधान मंडल हों। आप जानते हैं कि पिछले चार या पांच वर्ष में त्रिपुरा और मनीपुर तथा अन्य भाग 'ग' राज्यों के लोग, अपने ज्ञापनों, सार्वजनिक बैठकों और अन्य प्रदर्शनों तथा अन्य साधनों द्वारा अधिकारों की मांग करत रहे हैं। परन्तु अब भी सरकार उन राज्यों में विधान सभायें बनानें को तैयार नहीं है। इस समय मैं सभा को यह अवश्य बता देना चाहता हूं कि यदि इस विधेयक में उन राज्यों में विधान सभायें बनानें के लिये कोई उपबन्ध नहीं किया जाता है तो सरकार उन राज्यों के लोगों के अन्याय करने की अपराधी होगी।

पिछली बाढ़ के समय जिला दण्डाधिकारी और मुख्यायुक्त नें अगरतला में 'बाढ़ सहायी समिति' बनायी थी और लोगों का सहयोग व सुझाव मांगे थे। हमारे सदस्यों ने उसमें भाग लिया और कुछ समस्यायें उसके समक्ष रखीं परन्तु वस्तुतः कुछ भी स्वीकार न किया गया। यदि यह केवल मंत्रणा परिषद है और इससे अधिक कुछ नहीं तो यह वस्तुतः एक धोका है दूसरी ओर आपको यह अवश्य याद रखना चाहिये कि हमारा देश द्वितीय पंचवर्षीय योजना आरम्भ कर रहा है। यदि आप राष्ट्र निर्माण कार्य में भाग लेने का लोगों को पूर्ण अवसर नहीं देते हैं, तो इस योजना में सफल नहीं हो सकते। मैं जानता हूं कि माननीय गृहकार्य मंत्री और कैबिनट अब भी हमें विधान सभा क्यों नहीं बनानें देत। वे जानते हैं कि यदि मनीपुर और त्रिपुरा में विधान सभा बन गई तो उनका दल अर्थात कांग्रेस दल वहां बहुसंख्या में न रह सकेगा तथा त्रिपुरा राज्य में साम्यवादी दल और मनीपुर में कदाचित समाजवादी दल बहुसंख्या में रहेगा।

दूसरी बात मैं अल्पसंख्यकों की भाषाओं के बारे में कहना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि संविधान में उल्लिखित भाषाओं के अतिरिक्त, अल्पसंख्यक भाषाओं को भी मान्यता दी जानी चाहिये। हमारे राज्य में आदिमजाति के लोगों को अपनी भाषा है, हमारी अपनी विशेष संस्कृति है। परन्तु हमारी भाषा को संविधान में मान्यता नहीं दी गयी है और इसी कारण हमें कोई सुविधा नहीं दी जा रही है। अतः संविधान में उल्लिखित १४ अल्पसंख्यक भाषाओं के साथ और भाषायें भी सम्मिलित की जानी चाहियें। त्रिपुरा राज्य में कुछ सीखना बहुत मुश्किल है क्यों कि हमारे विद्यार्थियों को अपना पाठ बंगला में पढ़ना पड़ता है जब कि हमारी मातृ भाषा त्रिपुरी है। इस प्रकार स्वाभाविक है कि उन्हें अपने पाठ याद करनें में बहुत कठिनाई होती है। इसके अतिरिक्त व्यापार में या दस्तावेजों आदि पर हस्ताक्षर करानें में बड़ी कठिनाई होती है। आदिमजाति के लोग महा निर्धन हैं और वे महाजनों से ऋण लेते हैं, जो झूठे दस्तावेजों पर दस्तखत करानें बाद में उनका सब कुछ छीन लेते हैं।

अन्त में, मैं प्रार्थना करता हूं कि इन सब संघ प्रदेशों में विधान सभायें बनाई जायें। भाषा सम्बन्धी अल्पसंख्यकों को पर्याप्त परित्राण दिये जायें। अल्पसंख्यकों की समस्याओं और शिकायतों की जांच करने के लिये कुछ पदाधिकारी नियुक्त किये जायें। जो राष्ट्रपति को अपना प्रतिवेदन दें। प्रतिवेदन पर इस सभा में चर्चा होनी चाहिये और तत्पश्चात राष्ट्रपति उन राज्यों को निदेश दें जो उनके लिये बन्धनकारी हों।

श्री राधा रमण (दिल्ली नगर) : उपाध्यक्ष महोदय, यह विधेयक जिसके द्वारा हम अपने विधान में संशोधन करनें जा रहे हैं, बहुत अर्से से हमारे मुल्क के सामनें है और यह बड़ी खुशी की बात है कि हम एक ऐसी मंजिल पर आ पहुंच हैं कि इसके पास हो जानें के बाद देश के अंदर

[श्री राघा रमण]

एक चर्चा जो बहुत दिनों से राज्यों के पुनर्गठन के बारे में चल रही थी, वह खत्म होगी और हम भारत का एक ऐसा नक्शा बना सकेंगे और ऐसे राज्य कायम कर सकेंगे जिसकों सबकी सम्मति प्राप्त होगी। पहलें तो यह एक उम्मीद ही थी लेकिन अब यह यकीनी बात होती जा रही है।

इस विधेयक पर चर्चा के समय कई बातें इस सदन के सामनें आयी हैं। सबसे पहले मैं अपने विचार उन यूनियन टैरिटरीज़ (संघ क्षेत्रों) के बारे में इस सदन के सामनें रखूगां जिसमें दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, मनीपुर और त्रिपुरा, इन चार इलाकों को गरदाना गया है। आज हमारे गृहमंत्री जी ने इस सदन में इन टैरिटरीज़ के बारे में जो घोषणा की है उससे बहुत कुछ अन्धेरा दूर हो गया है और यह चीज कुछ प्रकाश में आ गयी है। यह बात एक बार नही कई बार इस सदन के सामने दोहराई गयी है और ऐंसा करते समय हकीकत और सचायी को ही सामने रखा गया है। आज भारतवर्ष एक विधान के मातहत और एक ही तरह से शासित होने जा रहा है। लेकिन दुर्भाग्यवश यह चार या छः इलाके ऐसे हैं कि जिन्हें इस काबिल नहीं समझा गया कि यहां पर भी उसी प्रकार का शासन प्रबन्ध लागू किया जाय जिस प्रकार का की दूसरे राज्यों में लागू किया जा रहा है। जब हमारी अस्थायी पालियामेंट थी उसमें इस प्रश्न पर विचार कर के और सारी ऊंच नीच को देखकर एक ऐसा नक्शा इन इलाकों के लिये रखा गया था कि जिसमें जैसा शासन प्रबन्ध बाकी दूसरे प्रान्तों में था, वह इन को नहीं दिया गया लेकिन फिर भी लोगों को कुछ सांत्वना थी, कुछ भरोसा था और उसके द्वारा यहां पर शासन होता था। उम्मीद यह की जाती थी कि जब राज्यों का पुनर्गठन होगा तो इन इलाकों के लोगों को और भी ज्यादा अधिकार देने के लिये कुछ सुधार किये जायेगे। मगर ऐसा नहीं हो सका। इसके बजाय दिल्ली, हिमाचल, मनीपुर और त्रिपुरा को युनियन टैरिटरीज़ का नाम देकर उनसे प्रजातंत्रीय हक वापस लिये जा रहे हैं। इसका दुख हमें हमेशा रहेगा और मैं समझता हूं कि यह एक ऐसा अन्याय है कि जिसको अब नहीं तो आगे चल कर हमारे सदन को खत्म करना होगा। यह बात कई बार कही जाती है कि इन इलाकों को इसलिये अलग रखा जाता है कि ये कुछ पिछड़े हुए इलाक हैं यह इनको कुछ ऐसा स्थान प्राप्त है कि जिसमें यह जरूरी है कि इनके शासन प्रबन्ध में केन्द्रीय सरकार का हाथ रहे। इस बात को मानते हुए भी यह बात कभी हमारे दिल में नहीं आयी कि इन राज्यों को उस प्रजातांत्रीय शासन से जिसके द्वारा कि अन्य प्रदेश शासित होते हैं, वंचित किया जा सकता है। मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि दिल्ली एक ऐसा स्थान है, एक ऐसा ऐतिहासिक नगर है कि जिसको हम राजधानी तो कहतेही हैं मगर इसका इतिहास भी बहुत पुराना है। यहां की आबादी भी जैसे आप जानते हैं हर साल एक लाख के करीब बढ़ जाती है और बहुत सम्भव है कि इसकी आबादी अगली ससस तक ३० लाख के करीब हो जाय। यहां पर जो लोग रहते हैं उनमें से कुछ ऐसे लोग हैं जो इतने ज्यादा शासन से परिचित हैं, इतनी ज्यादा लोक प्रिय संस्थाओं से उनका सम्बन्ध है तथा इतना ज्यादा यह लोकप्रिय शासन उनके दिमाग में जमा हुआ है कि अगर उनको इससे वंचित कर दिया जायेगा तो इससे उनको निस्संदेह असंतोष ही होगा। इसलिये मैं बार बार यह कहना चाहता हूं कि अव्वल तो मैं, जो नाम इन टैरिटरीज़ को दिया गया है, यानि यूनियन टैरिटरीज़, इसको बहुत पसन्द नहीं करता क्योंकि यह नाम इस भावना को हमारे दिल में जागत करता है कि ये इलाके कुछ पिछड़े हुए हैं, इन इलाकों में सुझ बूझ वाले या बहुत अक्लमन्द लोग नहीं हैं। इसलिये इनको टैरिटरीज़ गरदाना गया है। अब एक और नाम इसके साथ रखा गया है और वह यह कि टैरिटरीज़ को एक एडमिनिस्ट्रेटर के जरिये से शासित किया जायगा। यह कुछ और भी चुभने वाली चीज है क्योंकि आमतौर पर एडिमिनिस्ट्रेटर एक ऐसी ज़गह का होता है जहां के लोग शासन करने के नाकाबिल होते हैं या उनके द्वारा शासन होना सम्भव नहीं मालूम होता है। ऐसी सूरत में एक ऐडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर कर दिया जाता है। इसलिये इस शब्द से मुझे कुछ बहुत ज्यादा संतोष नहीं होता है और मैं यह कहूंगा कि यह शब्द भी बड़ा अनुचित शब्द है और उसी तरह से खराब है जैसे कि शब्द "यूनियन टैरिटरीज़" खराब है। ऐसे ही सेंट्रली एडमिनिस्टर्ड एरिया का शब्द इसके अन्दर निकाला गया है। मेरी राय यह है कि अगर सदन इस बात पर तुल गया है कि यह मुनासिब समझता है कि इन एरियाज़ को उस लोकप्रिय शासन से वंचित किया जाये जो अब यहां पर है तो मैं यह कहूंगा कि कम से कम इस शब्द को तो यहां से बिल्कुल हटा दिया जाना चाहिये। मैंने एक संशोधन दिया है जिसको मैं कल पेश करूंगा जिसमें मैंने यह चाहा है कि

बजाय इसके कि आप एडमिनिस्ट्रेटर रखें, अगर गवर्नर या लेफ्टिनेंट गवर्नर का नाम रख दें तो मैं इसे ज्याद पसन्द करूंगा। आपने जो विधेयक इस समय पेश किया है उसमे यह विचार भी सामने रखा है कि एडिमिनिस्ट्रेटर कोई बराबर के सूबे का गवर्नर हो सकता है। अगर यही बात है तो समझ में नहीं आता कि इस शब्द को हटा कर अगर आप गवर्नर शब्द या लैफ्टिनंट गवर्नर शब्द रख दें तो इसमे क्या दिक्कत की बात होगी। हां, उनको एक संतोष यह जरूर मिलेगा जो कि सैन्ट्रली एडमिनिस्टर्ड एरियाज़ से होगें या यूनियन टैरिटरीज़ (संघ क्षेत्र) से होगें, उन एरियाज़ के लोगों को यह संतोष होगा कि वे किसी तरह से और इलाकों से कमजोर या शासन के नाकाबिल नहीं समझे जाते बल्कि स्ट्रैटेजिक (आपातकालिक) ख्याल को सामनें रख कर या ऐसे ख्यालात को अपने सामनें रख कर जिससे कि केन्द्र ज्यादा मजबूत हो सकता है उसको उन्होने सामने रखा है।

एक बात जो आज घोषित की गयी है और जिसके लिये कि मैं माननीय गृह-मंत्री को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज उन्होंनें कई बातों पर ऐसा प्रकाश डाला है कि जिससे बात साफ नजर आती है कि आगे भविष्य में देहली या और जो टैरिटरीज़ हैं उनका शासन किस प्रकार से होगा। दिल्ली के बारे में उन्होंने यह कहा है कि यहां पर एक फुल फ्लेज्ड कारपोरेशन कायम होगी, लेकिन उसमें से कुछ हिस्सा नयी दिल्ली का निकाला जायेगा। यह बात वह स्पष्ट नहीं कर सके कि नयी दिल्ली के वह कौन से हिस्से होंगे जो इस कारपोरेशन के क्षेत्र से बाहर निकाले जायेगे। उन्होंनें दिल्ली कैंटूनमेंट और डिप्लोमैटिक इनक्लेव (चाणक्यपुरी) यह दो शब्द जरूर कहे हैं। यहां दिल्ली की सारी राजनैतिक संस्थाओं की और नागरिकों की यह एक मांग थी कि दिल्ली में एक पूर्ण अधिकार प्राप्त कारपोरेशन (निगम) की स्थापना की जानी चाहिये और उसके अन्दर नई दिल्ली का सार भाग आना चाहिये। यह बहुत अंशो में मंजूर किया गया लेकिन फिर भी उसमें यह एक चीज अपवाद रक्खी गयी कि नई दिल्ली के कुछ हिस्से को उसमें से निकाला जायेगा। उसमें एक अच्छी बात रक्खी गयी है कि यह पांच साल के बाद विचार किया जायेगा कि इस हिस्से को भी इस कारपोरेशन में डाल दिया जाये। मेरी अपनी राय यह है कि जब आप दिल्ली वालों को कारपोरेशन देने चले हैं तो और आपनें यह भी निश्चय कर लिया कि दिल्ली के लोगों को एक ऐसी कारपोरेशन मिले जो बम्बई की टाईप की हो, बम्बई की कारपोरेशन को हिन्दुस्तान भर में सबसे अव्वल कहा जाता है बल्कि दुनियां की अन्य कारपोरेशनों में भी उसकी एक नुमाया जगह है और बम्बई की कारपोरेशन को बहुत ज्यादा अधिकार प्राप्त हैं और यह भी स्पष्ट किया गया है कि तीन स्टैचुटेरी बौडीज (संविहित निकाय) जो अभी तक अलग अलग काम करती थी और जिसके कि कारण अनेक किस्म की कठिनाईयां हम लोगों को देखनी पड़ती थीं, वे भी अब खत्म हो जायेगीं क्योंकि वे सब बौडीज इसके अधीन आ जायेगीं तब मेरी यह समझ में नहीं आया और मुझे इसका औचित्य नहीं मालूम पड़ा कि इस नई दिल्ली के थोड़े से इलाके को इस कारपोरेशन से क्यों अलग रखा जाता है। मेरी अपनी राय यह है और मैं समझता हूं कि यह राय मेरी ही नहीं बल्कि दिल्ली की जनता की राय है और उन तमाम प्रतिनिधियों की राय है जो चुन कर किसी न किसी लोकल बौडी में बैठे हुए हैं कि दिल्ली के अन्दर एक ही कारपोरेशन होनी चाहिये और उसके क्षेत्र से कोई भी हिस्सा अलग न होना चाहिये। यह कारपोरेशन जब कि सेंटर के मातहत काम करेगी और जब यह भी नजर आ रहा है कि पार्लियामेंट के जो मेंबरान होगें वे उसके शासक होंगे तब फिर कोई वजह समझ में नहीं आती कि किस बात का आपको डर है कि जिसकी वजह से इसको निकाला जा रहा है।

तीसरी बात जो मैं अर्ज करना चाहता हूं वह यह है कि गृह मंत्री जी ने जो यह कहा कि इस तरह की कारपोरेशन बनेगी और साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि इसे हम जल्दी से जल्दी अमल में लायेंगे मगर मेरी अपनी राय यह है कि इस सम्बन्ध में जल्दी से जल्दी का मतलब साफ हो जाना चाहिये। मेरी अपनी राय में यह कारपोरेशन अगर उस वक्त से पहिले आ जाय कि जब सारे देश के अन्दर चुनाव होंगे तो वह ज्यादा बेहतर होगा और उससे कई फायदे होने वाले हैं। एक तो यह कि जो आम चुनाव होंगे और जो सदस्य लोक-सभा के लिये चुनें जायेगें उनका इस तरह से जोड़ हो जाये और कारपोरेशन के मेम्बर भी और पार्लियामेंट के मेम्बर भी साथ साथ चुनें जा सकेगें। दूसरा फायदा यह होगा कि

[श्री राधा रमण]

जो एक नई शक्ल यहां पैदा होगी और उसके अन्दर जो अपवाद होंगें वे भी खत्म हो जायेंगे । मिसाल की तौर पर मैं आपको बतलाऊं कि आपनें राज्य-सभा के तीन सदस्यों को इस विधेयक के मुताबिक दिल्ली को दिया है । अगर कारपोरेशन को उसका एलेक्टोरल कौलिज होना है तो ऐसा क्यों न हो कि इससे पहले कि वह चुनाव हो यह कारपोरेशन भी बन जाये और उसको यह हक हो कि वह तीन सदस्य राज्य-सभा के चुन सके । अगर ऐसा नहीं होगा तो इसका नतीजा यह होगा और हमें इस बात की स्पष्टता होनी चाहिये और हमें बताना चाहिये कि उस दरमियान में यानि १ नवम्बर को यहां की विधान सभा आप खारिज कर देंगे , उसका वजूद खत्म हो जायेगा, तो १ नवम्बर से लेकर उस वक्त तक जब तक कि नई पार्लियामेंट नहीं बनती है , राज्य-सभा में जो ३ सदस्य आपने रखे हैं , उनका चुनाव किस प्रकार से होगा , आया उसका फायदा दिल्ली वालों को मिल सकता है या अगर मिल सकता है तो किस प्रकार से मिल सकता है , इसको साफ किया जाना चाहिये । मेरी अपनी राय इस प्रकार की है कि अगर कारपोरेशन के चुनाव साथ साथ हों तो पार्लियामेंट और कारपोरेशन के चुनाव में होने वाले खर्च में भी कमी होगी और यह अपवाद भी दूर हो जायेगा और जो एक नई शक्ल दिल्ली की बनने वाली है जिसके कि अन्दर लोक-सभा और राज्य-सभा के सदस्य ८ की तादाद में आयेगें, वह भी पूरा हो जायेगा । अगर ऐसा नहीं होता तो फिर मैं यह कहूंगा कि जैसा कि अभी राजा बिलासपुर नें कहा कि यह मालूम होना चाहिये कि इस इंटैरिम पीरियड (अन्तरीम-कालावधि) में, इस गैप पीरियड में क्या होने वाला है । देहली को राज्य-सभा में जो तीन सीटें मिली हुई हैं वे किस प्रकार से चुनी जायेंगी या उसकी जो विधान सभा है उसके द्वारा दो मेम्बर चुनें जायेगें और वह वहां भेज सकती है, अगर यह हो तो मुझे इसमें भी कोई आपत्ति नहीं है लेकिन मैं यह जरूर समझता हूं कि इंटैरिम पीरियड का कोई नक्शा हमारे सामने आना चाहिये कि किस प्रकार से शासन होगा उस दरमियान में, एक नवम्बर के बाद और जब तक कि नया विधान हमारे सामनें नहीं आ जाता ।

फिर जो एक विचार गृह मंत्री महोदय ने रखा है कि दिल्ली में एक ऐडवाइजरी कौंसिल बनायी जायेगी और एडवाइजरी कौंसिल (मंत्रणाकार परिषद) उन लोगों की होगी कि जो कारपोरेशन के चुने हुए लोग होंगे और उनमें शायद २, ४ ऐसे भी हो सकते हैं जिनको कि नामजद किया जाय । अगर यह एडवाइजरी कौंसिल एक जगह बनती है और उसके पार्लियामेंट के मेम्बरों की स्टेंडिंग कमेटी बनती है तो इसका और उसका आपसमें क्या रिश्ता होगा, इसे भी साफ कर दिया जाना चाहिये क्योंकि अगर पार्लियामेंट (संसद) के मेम्बरों को तीन बातों में अपने विचार प्रकट करनें हैं, एक तो यह कि वे लेजिस्लेट (विधान बनाना) करें, दूसरे यह कि पालिसी प्रोग्राम पर अपने विचार प्रकट करें और तीसरे यह कि बजट बनायें, तो अगर कुछ काम उन एडवाइजरी कमेटी के पास होगा और कुछ इस स्टैंडिंग कमेटी (स्थायी समिति) के पास होगा तो इन दोनों का सामंजस्य या इन दोनों का समन्वय किस प्रकार से होगा, उसका नक्शा भी सामने रखना जरूरी था, मैं समझता हूं कि इस चीज को साफ करना जरूरी है ।

मैं दो मिनट का समय और आप से चाहूंगा । इस विधेयक को पढ़ने के पश्चात जो दो तीन बातें मेरी समझ में नहीं आयीं हैं , और जिन पर कि मैं प्रकाश चाहूगां वे यह हैं कि संविधान की धारा २१ और २२ को जो हमने इसमें संशोधित किया है तो उसमें एक नुकसान जो मैंनें देखा वह मैं आपके सामनें रखना चाहता हूं और वह यह है कि यहां पर लिखा है कि जो क्षेत्र भारत में होंगे परन्तु किसी राज्य में नहीं होगें उनका प्रतिनिधित्व संसद द्वारा उपबन्धित विधि के अनुसार होगा । अब यह आपने हटा दिया है । मैं यह देखता हूं कि हो सकता है कि हिन्दुस्तान में चाहे आज स्टेट के नाम से कोई टैरिटरी न हो लेकिन कल शायद जुड़ जानें वाली है या कोई ऐसी जगह रह सकती है कि जो इन तमाम इलाकों के अन्दर और स्टेट के अन्दर नहीं आती तो उसके लिये यह प्राविजन रखा था, अब इसको हटा देनें के बाद हमें उसका जो एक फायदा मिलने वाला था वह हट जाता है । । मैं मिसाल को तौर पर कहता हूं कि मान लीजिये कि आज गोवा हिन्दुस्तान की स्टेट में शामिल नहीं है लेकिन कल कोई ऐसा मौका आ सकता है जब कि गोवा भी हिन्दुस्तान का एक हिस्सा बन जाये और जैसा कि हम सब लोग चाहते हैं ।

कई माननीय सदस्य : गोवा भारत का हिस्सा है ।

श्री राधा रमण : बिल्कुल ठीक । मैं भी तो यही कह रहा हूं कि गोवा हिन्दुस्तान का एक हिस्सा है और वह हिन्दुस्तान का हिस्सा सही मानों में है । मेरा कहना यह है कि अगर गोवा हमारे अन्दर आता है तो उस सूरत में अगर यह प्राविजन संविधान से आप हटा लेते हैं तो फिर उसका कोई प्रतिनिधि लोक-सभा में लाना कठिन मालूम होता है । इसलिय यह बात मेरी समझ में नहीं आयी है कि इस प्राविजन को क्यों हटाया गया है ।

इसी तरह ८२ धारा में भी यह रक्खा गया था कि :

अनुच्छेद ९१ खण्ड (१) में कुछ होते हुए संसद विधि द्वारा प्रथम सूची के भाग "ग" में विहित किसी राज्य के लोगों अथवा भारत के अन्य ऐसे क्षेत्रों के जो किसी राज्य में नहीं, लोगों को खंड के उपबन्ध से विभिन्न ढंग पर प्रतिनिधित्व देगा ।

यह दोनों क्लाज ऐसे हैं जो कि इस किस्म के इलाकों के लिये फायदेमन्द हो सकते थे, लेकिन इनको निकाल देने से हमें इस चीज का नुकसान हो सकता है कि अगर कल इस किस्म का कोई इलाका इस में शामिल हो, तो उसका प्रतिनिधित्व हमारी लोक-सभा में या राज्य-सभा में किस प्रकार से होगा, यह स्पष्ट नहीं होता । मैं चाहता हूं कि यह और स्पष्ट किया जाना चाहिये ।

इसके अलावा जो यह संशोधन विधेयक पेश किया गया है उसमें हमने हर जगह पर कौंसिल आफ स्टेटस (**राज्य परिषद**) और **हाऊस आफ दी पीपल** (**लोक सभा**) शब्दों का प्रयोग किया है । मैं यह समझता हूं कि जब सारे देश में हमनें पार्लियामेंट को दो नामों से परिचित किया है, यानि राज्य-सभा और लोक-सभा, और जितने हमारे कागबात आ रहे हैं, उन में भी यही नाम आ रहे हैं, तो अच्छा होता कि इसी संशोधन विधेयक में **कौंसिल आफ स्टेटस्** और **हाउस आफ दी पीपल** के नामों का भी संशोधन हो जाता, जिस में कि आगे चल कर हम इसके लिये और संशोधन विधेयक लाने की जरूरत न पड़े ।

मैं एक अर्ज और करना चाहता हूं और वह यह कि यहां पर लिंग्विस्टिक माइनारिटीज (अल्प-संख्याक भाषा भाषी) का बहुत जिक्र किया गया और खासतौर से उनके सेफगार्डस के लिये स्टैटुटरी प्राविजन (संविधि उपबन्ध) करने के लिये कहा गया । हमनें लैंग्वेज के नाम पर काफी तमाशा देखा है और लग्वेज के नाम पर ही नहीं, तरह तरह के नाम लेकर, हमारे मुल्क के अन्दर एक नया वातावरण पैदा किया गया है जिस से इस देश की यूनिटि में ही कमी नहीं हुइ है,बल्कि आपस में झगड़े फसाद भी काफी हुए हैं । इसलिये मैं समझता हूं कि हमें इन बातों की चर्चा कम कर देनी चाहिये और देश को और उसमें रहनें वाले सभी लोगों को चाहे वह किसी जबान के बोलनें वाले क्यों न हों, इस बात का यकीन होना चाहिये, साथ ही उनको इस बात का भरोसा भी मिलना चाहिये, कि बजाय इसके कि वह कांस्टिटयूशन (संविधान) में सेफगार्डस (सुरक्षा) की मांग करें या किसी विधेयक में इस बात के लिये स्टैटुटरी प्राविजन करायें, बेहतर यह है की हम आपसके व्यवहार से, मेल जोल से और भाई चारे से ऐसा वातावरण पैदा करें जिस में कि उनकों यह मांग करनें की जरूरत ही न पड़े, क्योंकि जहां पर इस किस्म के कांस्टिटयुशनल प्राविजन्स किये जाते हैं, वहां नतीजा यही होता है कि आपस में भेद या मनमुटाव पैदा हो जाता है, कम से कम हमारे साथी उस तरफ चलने जरूर लगते हैं । जिन लोगों को इस बात का डर है कि लिंग्विस्टिक माइनारिटिज पर किसी किस्म का आघात आयेगा, या उनकों नुकसान पहुंचेगा,उनको थोड़ा भरोसा करके काम करना चाहिये और इस बात का यकीन करना चाहियें कि हिन्दुस्तान बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, और उनको इन तमाम चीजों को आपसी एकता से आहिस्ता आहिस्ता निकालना है, जिन चीजों के जरिये हम एक दूसरे से कुछ अलग से रहते हैं, या एक

[श्री राधा रमण]

दूसरे के दिल में मनमुटाव पैदा हो जाता है, या आपस में नाराजगी और बदमग्जीगी पैदा हो जाती है, उनको हमें निकालना चाहिये। मैं इस चीज को बिल्कुल गैर मुनासिब समझता हूं और नुकसान देह समझता हूं। जैसा मैं पहले भी कह चुका हूं, हमें इन चीजों से गुरेज करना चाहिय और कोशिस करनी चाहिये कि हम अपन व्यवहार से, अमल से, अपनें रोजाना के एतबार से एक दूसरे के साथ मिलकर चलना सीखें और अपनें मुल्क को एक कौम बना कर इस एकता को आगे बढ़ायें जिसके जरिये हम आज की दुनिया में जितनें शानदार मुल्क कहलाते है, उससे ज्यादा शानदार मुल्क कहलायें।

इन शब्दों के साथ मैं गृह मंत्री जी का एक बार फिर धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने कुछ प्रकाश डाला उन इलाका कें ऊपर जो अब तक एक तरह से भुलाये हुए थे या जिन के भावी शासन के विषय में बहूत कुछ खामोशी सी थी। मुझ इस बात का विश्वास है कि गृह मंत्री जी न जो कुछ कहां है, वह भी आखिरी बात नहीं है, बल्कि इस पर वह आगे भी विचार करेंगे और कम से कम जो दो बाते मैंने कहीं हैं एक तो यह कि एडवाइजरी कौंसिल (मंत्रणाकार परिषद) को अगर हो सके तो वह कोई दूसरा नाम दै, मैट्रोपालिटन कौंसिल (सार्वभौमिक परिषद), ऐडमिनिस्ट्रेटिव कौंसिल (प्रशासनिक परिषद) या इसी तरह की कोई और चीज दूसरे एडमिनिस्ट्रेटर की बजाय वहां के अधिकारी को लैफ्टेनेंट गवर्नर की पदवी दे दें, उनको मान लें। में समझता हूं कि अगर इस प्रकार का सुधार हो गया तो हम दिल्ली के अन्दर एक अच्छी और संतोषप्रद भावनापैदा करने और स्वस्थ वातावरण बनानें में सफल हो सकेंगे।

इन शब्दों के साथ मैं फिर गृह-मंत्री महोदय को धन्यवाद देता हूं और इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

†**डा० जयसूर्य** (मेदक) : मेरा ख्याल है कि राज्य पुनर्गठन आयोग ने बातों को गड़बड़ कर दिया है और हम उस गड़बड़ को वैध बना रहे हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग एक सन्तुलित बम्बई राज्य बनाना चाहता था जब कि अब एक असन्तुलित बम्बई राज्य बन गया है। वे चाहते थे कि 'सम्पूर्ण' पंजाब हो, परन्तु अब पंजाब तीन भागों में बंटा हुआ है। अतः हमें किसी प्रकार इन कमजोरियों को दूर करना है। इससे स्वभावतः कुछ विरोधाभास तथा यहां तक कि कुछ संविधानिक दोष उत्पन्न हो जाते हैं। उदाहरणार्थ, यदि उन्होंने स्पष्ट और सच्चे ढंग से कहा होता कि "हम पंजाब को दो भागों में–पंजाबी भाषी और हरियाना व कुछ अन्य क्षेत्रों सहित हिन्दी भाषी भागों–बांट दें," तो कुछ और ही बात होती। मैं द्विभाषी और तृभाशी राज्यों के लिए तो प्रादेशिक परिषदों का औचित्य तो समझ सकता हूं, परन्तु आंध्र प्रदेश जैसे एकभाषी राज्य के लिए इसका होना मेरी समझ में नहीं आता। बात यह है कि हम एकता के लिए प्रयत्न कर रहे हैं और ये प्रादेशिक स्थायी समितियां एकता भंग कर रही हैं। निश्चय ही मैं इस बात से सहमत हूं कि विशेष प्रयोजनों के लिए परित्राणों का होना बहुत अच्छा है, परन्तु मैं इसके लिए एक विकास बोर्ड का सुझाव दूंगा। संविधान की दृष्टि से समझौता का खंड ५ समझ में नहीं आता जिसमें उल्लेख है :

"प्रादेशिक समिति द्वारा दी गई मंत्रणा साधारणतया सरकार और राज्य विधान मंडल द्वारा स्वीकार की जायेगी।"

मेरी समझ में नहीं आता कि आप विधान मंडल के प्रभुत्व को किस साधन से भंग करेंगे। आपका यह कहना तो मेरी समझ में आता है कि प्रादेशिक समिति सरकार से या कार्यपालिका से सिफारिश कर सकती है और सरकार, कुछ परिस्थितियों में, राज्य विधान मंडल से इसकी सिफारिश कर सकती है। जब तक विधान मंडल विधि बनाने की एकमात्र संस्था है, तब तक आप किसी भी अभिसमय के अन्तर्गत इस बात को अनिवार्य नहीं बना सकते कि संस्था का एक छोटा दल उसे यह आदेश दे कि उसे क्या करना चाहिये और क्या नहीं करना चाहिये। अतः मेरा विचार है कि

---

†मूल अंग्रेजी में

इसमें कुछ विरोधाभास है। इसलिए निश्चय ही मेरा सुझाव है कि आप प्रादेशिक समितियों संबंधी सूत्र के खंड ५ से "राज्य विधान मंडल" शब्द हटा दें, क्योंकि यह असंविधानीय है, और इसके रहने देने से विधान मंडल को दिए गए अधिकारों का दुरुपयोग होता है। सीमा संबंधी प्रश्नों के बारे में मैं चाहता हूं कि वे स्वयं राज्यों द्वारा मैत्रीपूर्ण ढंग से सुलझाने जायें। इस पुनर्गठन के बाद बहुत बड़े बड़े राज्य क्षेत्र, जिनकी अनेकों समस्यायें हैं। अल्पसंख्यक समस्यायें, भाषा संबंधी समस्यायें, आदि-बन गये हैं। जब १९३६ में उड़ीसा का छोटा सा राज्य बना था तो राजस्व विभाग को राजस्व प्रणाली के बारे में विनिश्चय करने में तीन वर्ष लगे थे। मैं नहीं जानता कि अब इन राज्यों के बनने के बाद हमें काम करने की स्थिति में होने में कितने वर्ष लगेंगे। सीमा आयोग बनाने में क्या हानि है।

अन्त में अल्पसंख्यकों की समस्यायें हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग के अनुसार, रूस ने इसे बहुत ही अच्छे ढंग से सुलझाया है। यह सरकार पर छोड़ दिया गया है कि वह इसका अध्ययन करे कि रूसी प्रणाली क्या है और वह हमारे लिये लाभदायिक होगी या नहीं। यद्यपि मैं माननीय गृह-कार्य मंत्री का और उनकी बुद्धि का बहुत सम्मान करता हूं, परन्तु हम तथ्यों की उपेक्षा नहीं कर सकते। समस्यायें सुलझायी जानी चाहियें, परन्तु यदि इन समस्याओं के संबंध में कुछ कठिनाई अनुभव करें तो वे निःसंकोच भाव से इन्हें स्थगित कर सकते हैं।

†**श्री फ्रैंक एन्थनी** (नाम निर्देशित आंग्ल-भारतीय) : उपाध्यक्ष महोदय, पिछली बार मैंने राज्य पुनर्गठन विधेयक पर बोलते हुए माननीय गृह-कार्य मंत्री को उनके सुन्दर ढंग के लिए बधाई दी थी। अब भी मैं उन्हें सराहना व धन्यवाद की बहुत सच्ची श्रद्धांजली अर्पित करता हूं। माननीय गृह-कार्य मंत्री ने मेरे उस प्रस्तावका दो तिहाई भाग स्वीकार कर लिया है जो मैंने मूल रूप में संयुक्त समिति के समक्ष रखा था। मैं प्रार्थना करता हूं कि वह मेरे शेष प्रस्ताव को भी स्वीकार कर लें।

अल्पसंख्यक आयुक्त नियुक्त करने के लिए जिसका प्रतिवेदन संसद् के समक्ष रखा जायेगा, इस उपबन्ध का संविधान में निगमित किया जाना बहुत बड़ी प्रगति है। परन्तु मुझे अब भी विश्वास है कि जब तक हम एक ऐसा अन्तिम खंड निगमित नहीं करते जिससे केन्द्रीय सरकार को अपने विवेक से काम लेते हुए अन्तिम निर्णय के बाद निदेश जारी करने का अधिकार दिया जा सके, संविधानिक उपबन्ध से कोई लाभ नहीं होगा। यदि केन्द्र को निदेश देने का अधिकार नहीं मिलता तो यह उपबन्ध बेकार हो जाता है। यदि अल्पसंख्यक पूर्णतया केन्द्र के नियंत्रण में आ जाते हैं तो मैं किसी भी उपबन्ध के लिए नहीं कहूंगा क्योंकि अल्पसंख्यकों के प्रति केन्द्र का व्यवहार ऐसा रहा है जिससे विश्वास उत्पन्न होता है।

मैं माननीय गृह-कार्य मंत्री को धन्यवाद दे चुका हूं कि उन्होंने उक्त मंत्रालय के परिपत्र में ऐसा उपबन्ध किया है जिससे सम्बन्ध संस्थाएं राज्य से बाहिर की किसी परीक्षा में विद्यार्थी भेज सकेंगी। मैंने उन्हें बताया था कि त्रावणकोर-कोचीन राज्य में मेरे समुदाय के स्कूल को केम्ब्रिज महाविद्यालय से सम्बन्ध कायम करने की अनुमति नहीं दी जाती है। यह परीक्षा केन्द्रीय सरकार द्वारा अभिस्वीकृत है। यद्यपि संविधान के अनुच्छेद संख्या ३९ में आपने मुझे शिक्षा संस्थाओं की स्थापना करने और उनके प्रशासन कार्य चलाने का अधिकार दिया है तो भी त्रावणकोर-कोचीन सरकार अवैध रूप से ऐसा करने में बाधा डालती है। ऐसी परिस्थिति में मेरे लिए और कोई उपाय नहीं रह जाता कि मैं उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय तक पहुंच करूं।

गृह-कार्य मंत्रालय के परिपत्र में उपबन्ध के होते हुए भी त्रावणकोर-कोचीन सरकार किसी संस्था को बाहिर की परीक्षा लेने के अभिप्राय से सम्बद्ध होने से मना कर सकती है। उस अवस्था में भी न्यायालय में जाने की आवश्यकता पड़ेगी। इसी कारण मैं चाहता हूं कि केन्द्रीय सरकार इस शक्ति को अपने हाथ में ले।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री फ्रैंक एन्थनी]

त्रावणकोर-कोचीन सरकार जहां हमें एक उच्च स्तरीय परीक्षा में नहीं बैठने देती, वहां उसने एक बहुत निम्नस्तरीय परीक्षा की व्यवस्था कर रखी है। त्रावणकोर-कोचीन राज्य में जो पुस्तकें पाठ्यक्रम के लिए नियत हैं, वे केवल मल्यालम भाषा से लिप्यापरिवर्तित हैं। इससे कोई समुदाय अपनी भाषा विशेष को संरक्षित नहीं कह सकता। संविधान के अनुच्छेद २९ का इससे अतिक्रमण होता है। मेरी माननीय गृह-कार्य मंत्रालय से प्रार्थना है कि वह यह शक्ति अपने हाथ में ले। केन्द्र इस शक्ति का अनुत्तरदायित्व की भावना से प्रयोग नहीं करेगा। राज्य पुनर्गठन आयोग नें भी अपने प्रतिवेदन में यह स्पष्टतया सिफारिश की है कि केन्द्रीय सरकार को राष्ट्रपति के माध्यम से निदेश जारी करने की शक्ति प्रदान की जाये। मैं निवेदन करता हूं कि गृह मंत्रीजी इस सिफारिश को स्वीकार कर लें। यह एक मौलिक विषय है और मैं चाहता हूं कि सभा के सदस्य इसके महत्व को समझें। मैं पूछना चाहता हूं कि भाषा संबंधी अल्पसंख्यकों का अन्ततः अभिरक्षक कौन होगा? मैं यह स्वीकार करता हूं कि उनके हितों के प्रारम्भिक अभिरक्षक तो राज्य सरकारें होंगी, परन्तु प्रश्न यह है कि उनका अन्तिम रूप से अभिरक्षक कौन होगा? राज्य पुनर्गठन आयोग ने तो इस संबंध में स्पष्ट सिफारिश दे दी है। दिल्ली के मेरे मित्र नें यह कहा है कि इससे कई नयी समस्यायें उत्पन्न हो जायेंगी। परन्तु, इसमें तो नई समस्याओं का कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता। यह एक पुरानी समस्या है जिसे हल करने का अब प्रयत्न किया जा रहा है। राज्य पुनर्गठन आयोग ने स्पष्ट रूप से बताया है कि लोगों से शिकायतें आई हैं कि संविहति आश्वासनों के संबंध में भेद-भाव पूर्ण नीति का अनुसरण किया जाता है।

[पंडित ठाकुरदास भार्गव पीठासीन हुये]

आयोग ने स्पष्टतया लिखा है कि भाषा संबंधी अल्प संख्याकों की समस्या एक राष्ट्रीय समस्या है, इसलिये इस संबंध में राज्य सरकारों का प्रजातंत्रीय शासन केन्द्रीय प्रजातन्त्रीय शासन के अधीन होना चाहिये। अतः मेरा निवेदन है कि मेरे इस सुझाव को स्वीकार कर लिया जाये।

राज्य पुनर्गठन आयोग द्वारा इस संबंध में की गयी सिफारिशों के अतिरिक्त हमारा संविधान भी इसी बात का समर्थन करता है। गृह-कार्य मंत्री जी के इस विचार से मेरा मतभेद है कि भाषा संबंधी अल्पसंख्यक समस्या का संबंध केवल मात्र राज्यों से है। यह तो सच है कि इस संबंध में प्रारम्भिक उत्तरदायित्व तो राज्य सरकारों का है, परन्तु अन्तिम उत्तरदायित्व केन्द्रीय सरकार का ही है। इस सिद्धांत को न केवल राज्य पुनर्गठन आयोग ने माना है अपितु संविधान के अनुच्छेद २९ तथा ३० में भी इसे स्वीकार कर लिया गया है जिसमें भाषा संबंधी अल्पसंख्याकों के हितों की समस्या को केवल राज्यों को ही न सौंपते हुए यह कहा गया है कि मौलिक अधिकार संबंधी अध्याय संख्या ३ के अधीन इन हितों की पूरी रक्षा की जायेगी और उन्हें वादयोग्य बनाया जायेगा ताकि उनके मामले उच्चतम न्यायालय में भी लाये जा सकें। अतः मैं भी गृह-कार्य मंत्री जी से यह निवेदन करता हूं कि वे राज्य पुनर्गठन आयोग तथा संविधान द्वारा अभिस्वीकृत सिद्धांतों को स्वीकार कर लें।

जहां तक अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों का संबंध है उन्हें कई अधिकार दिये गये हैं और संविधान के अनुच्छेद संख्या ३३८ तथा ३३९ के अधीन उन्हें भी वही स्थान दिया गया है जो कि भाषा संबंधी अल्पसंख्यकों तथा सांस्कृतिक अल्पसंख्यकों को दिया गया है। परन्तु उनके अधिकार मौलिक अधिकारों में सम्मिलित नहीं किये गये हैं, उनके संबंध में राष्ट्रपति के द्वारा निदेश जारी करने की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। मैं इसके पक्ष में नहीं हूं। मैं चाहता हूं कि राष्ट्रपति को अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के संबंधमें भी निदेश जारी करने का अधिकार दिया जाये। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के हितों की रक्षा करने का उत्तरदायित्व केन्द्रीय सरकार का है। अतः गृह-कार्य मंत्री जी से मेरा यह सबल निवेदन है कि वे इस अन्तिम उपखंड को भी स्वीकार कर लें ताकि विधेयक का वास्तविक उद्देश्य पूर्ण हो सके।

मेरी प्रार्थना है कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के हितों की रक्षा करने का उत्तरदायित्व केन्द्रीय सरकार को सौंप दिया जाये। मेरे इस सुझाव के पक्ष में लगभग सभी सदस्य हैं और मुझे आशा है कि वे इसका समर्थन करेंगे। कांग्रेसी सदस्य भी बहुसंख्या में मेरे साथ ही हैं।

फिर मैं एक और बात की ओर भी निर्देश करना चाहता हूं। श्री नि० चं० चटर्जी ने मुझे यह उपदेश दिया है कि मैं अंग्रेजी छोड़ कर सच्चा हिन्दुस्तानी बन जाउं। इस प्रकार का उपदेश पहले कुछ एक और लोगों ने भी मुझे दिया था, अब श्री चटर्जी भी उन्हीं लोगों में सम्मिलित हो गये हैं।

श्री चटर्जी का उपदेश कल्पना पर आधारित है। उनका यह कहना है कि मैं अंग्रेजी छोड़ दूं। यदि श्री चटर्जी बंगला छोड़ हिन्दी को अपना लें तो मैं भी अंग्रेजी छोड़ दुंगा। अंग्रेजी तो मेरी मातृ-भाषा है, वह कैसे छोड़ी जा सकती है? श्री चटर्जी भ्रम में पड़े हुए हैं। वे तो केवल उसी व्यक्ति को सच्चा भारतीय मानते ह जो हिन्दू महासभा दल का सदस्य है।

महाराजा पटना नें जिस संशोधन की पूर्वसूचना दी है, वह भ्रमोत्पादक है। उन्होंने उस संशोधन में यह कहा है कि केवल उन्हीं अल्पसंख्यक भाषाओं को अभिस्वीकार किया जाये जो अष्टम अनुसूची में सम्मिलित हैं। बहुत से लोग विशेषकर राजनीतिक लोग इसी भ्रम में ग्रस्त हैं। अष्टम अनुसूची में १४ भाषायें उल्लिखित हैं, और बड़े दुःख की बात है कि इनमें अंग्रेजी भाषा का वर्णन नहीं है। और इसलिये बहुत से लोग अंग्रेजी को एक विदेशी भाषा कह कर उसका विरोध कर रहे हैं। परन्तु इस संबंध में न्यायाधिकारी छगला ने स्पष्टतया कहा है कि यद्यपि अंग्रेजी भाषा मूल रूप से एक विदेशी भाषा है, परन्तु अब तो वह भारत की ही बन गयी है। वह तो अष्टम अनुसूची में सम्मिलित उन १४ भाषाओं में से भी श्रेष्ठ है। अतः अंग्रेजी भाषा को छोड़ देने का विचार एक भ्रम पूर्ण विचार है। अपने मुख्य विषय पर आते हुए मैं गृह-कार्य मंत्री जी से पुनः निवेदन करता हूं कि वे अल्प संख्यकों के अधिकारों की रक्षा करने का उत्तरदायित्व केन्द्रीय सरकार को प्रदान करने का प्रयत्न करें।

†**श्री न० रा० मुनिस्वामी** (वान्दिवाश) : मैं ने आज प्रातः गृह-कार्य मंत्री जी के भाषण को बड़े ध्यान पूर्वक सुना है जिसमें उन्होंने इस संशोधन विधेयक पर विस्तारपूर्वक प्रकाश डाला है। उन्होंने हमें यह बताया था कि लोक सभा के कुल ५०१ सदस्य होंगे जिनमें १४ संघ प्रदेशों से होंगे। परन्तु इस विधेयक के खंड ४ में यह लिखा हुआ है कि अनुच्छेद ३३१ के उपबन्धों के अधीन रहते हुये लोक सभा में ५०० सदस्य प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र से चुने जायेंगे,तथा कि २५ सदस्य संघ प्रदेशों से होंगे। और अनुच्छेद ३३१ में यह भी कहा गया है कि लोक सभा में दो आंगल–भारतीयो का भी नाम-निर्देशन किया जायेगा। तो इस प्रकार से सदस्यों की कुल संख्या ५२७ बनती है। मैं समझ नहीं सका कि गृह-मंत्री जी कैसे कहते हैं कि सदस्यों की कुल संख्या ५०१ होगी। जहां तक परिसीमन का संबंध है, उसके भी कोई ठीक ठीक आंकडे नहीं दिये गये हैं।

फिर गृह-मंत्री जी ने यह कहा है कि संघ प्रदेशों के प्रभारी मंत्रियों की सहायता करने के लिये एक संविहित समिति या परामर्शदात्री समिति होंगी। मैं चाहता हूं कि गृहमंत्रीजी इस बात पर पूर्णतया प्रकाश डाले कि वह समिति निर्वाचित होगी या नाम निर्देशित?

जहां तक उच्चन्यायालय का संबंध है, मैं संयुक्त समिति के प्रतिवेदन की सराहना करता हूं जिसमें यह कहा गया है कि उच्चन्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश उच्च न्यायालय में व्यवसाय न चलायें। परन्तु इस संबंध में एक बात कह देना चाहता हूं, और वह यह है कि उनकी अवकाश प्राप्ति की आयु ६० वर्ष से बढ़ाकर ६२ वर्ष कर दी जाये। उच्चतम न्यायालय में आयु ६५ वर्ष है, अतः उच्चन्यायालयों में कम से कम ६२ वर्ष तो अवश्य होनी चाहिये। न्यायाधीशों के वेतन के मामले में भी किसी प्रकार का विभेद नहीं किया जाना चाहिये।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री न० रा० मुनिस्वामी]

राज्य पुनर्गठन आयोग के प्रतिवेदन पर जब प्रारंभ में चर्चा हुई थी, उस समय सभा में बड़ी उत्तेजना थी। हमनें देखा है कि बम्बई और पंजाब के संबंध में सभा में विशेष कर बड़ा भयंकर विवाद था। परन्तु अब इस अधिनियम के पारित हो जाने से वातावरण कुछ शान्त हो गया है, और बंबई तथा पंजाब संबंधी समस्यायें हल हो गयी हैं।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये]

अतः अब कोई विशेष समस्या नहीं हैं। श्री चटर्जी ने पंजाब सूत्र को एक त्रुटिपूर्ण सूत्र कहा है और मास्टर तारा सिंह तथा श्री नेहरू के मिलन को एक अन्धा गठजोड़ कहा है। इस प्रकार के भ्रम मूलक आरोप अनुचित हैं।

श्री चटर्जी ने वीटो शक्ति का जो उल्लेख किया है वह पूर्ण रुपेण अनुचित तथा भ्रममूलक है, क्योंकि यहां पर वीटो शक्ति जैसी कोई व्यवस्था नहीं है। वास्तव में बात यह है कि पंजाब के लोग कोई एक सूत्र चाहते थे, अब यह सूत्र प्रस्तुत कर दिया गया है। यदि यह सूत्र विधान मंडल द्वारा स्वीकार न कया गया, तो राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल उस सूत्र के सिद्धांत के विरुद्ध तो कोई काम करेंगे नहीं। वास्तव में वहां की राजनैतिक परिस्थितिया इस प्रकार की हैं कि हमें इस प्रकार का सूत्र तैयार करना पड़ा है। वहां के दोनों दल अलग अलग आस्तित्व चाहते थे, इसलिये इस सूत्र में एक ही प्रशासन के अधीन दो अलग अलग राज्यों की व्यवस्था की गयी है। मैं समझता हूं कि यह सूत्र एक सर्वोत्तम सूत्र है, और वहां के लोगों में जब तक मानात्मक एकता उत्पन्न नहीं होती तब तक इसे ही लागू किये रखना उचित है। यह सारा प्रबंध राजनैतिक कठिनाइयों के दूर करने की दृष्टिसे ही किया गया है। अतः स्थिति की दृष्टि में यह सूत्र सराहनीय है।

जहां तक भाषा संबंधी अल्प संख्यकों का संबंध है, गृह-कार्य मंत्री जी नें एक संशोधन सुझाया है जिसमें यह कहा गया है कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त के समान भाषा संबंधी अल्पसंख्यकों के हितों का रक्षा के लिये भी एक विशेष पदाधिकारी नियुक्त किया जाये जो कि उस संबंधमें अपना प्रतिवेदन सभा में प्रस्तुत किया करेगा। विशेष पदाधिकारी संविधान के चौथे अध्याय में उल्लिखित अन्य प्रत्याभूतियों की जांच करेगा और देखेगा कि निदेशक तत्वों को कहा तक क्रियान्वित किया जा सकता ह और उन्हें कहां तक क्रियान्वित किया गया है और उनके बारे में प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा।

साधारणतया मैं विधेयक का स्वागत करता हूं। संघ क्षेत्रों के बारे में मैं इतना ही अनुरोध कर सकता हूं कि किसी मनोनीत मंत्रणा समिति को रखने के बजाय निर्वाचित सदस्यों के एक निकाय को रखना अधिक अच्छा होगा और इस प्रकार वे अन्ततोगत्वा लोगों के प्रति उत्तरदायी होंगे।

†**पंडित गो० ब० पन्त** : मेरा ख्याल है कि चर्चा के दौरान जो बातें उठाई गई है, उनका उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है। संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रुप में इस विधेयक में जो प्रस्ताव किये गये हैं उनके बारे में माननीय सदस्योंने जो रुख अपनाया है उसके लिये मैं कृतज्ञ हूं। आज सूबह मैं ने जिन प्रस्तावों की रुप रेखा प्रस्तुत की उनके बारे में सदस्यों ने जो रुख अपनाया है, उसके लिये भी मैं उनका आभारी हूं। मैं यह देखता हूं कि सदन में जो कुछ प्रस्तुत करने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ उसके पक्ष में सामान्यतया सहमति है।

जहां तक मुख्य बातों का संबंध है, मैं आशा करता हूं कि उन विषयों से संबंध रखनेवाले संशोधन इस सभा में प्रस्तुत किये जायेंगे। इस अवस्था में श्री फ्रैंक एंथनी का पूर्ण रुपसे मत परिवर्तन करने की आशा मैं नहीं करता।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री फ्रैंक एन्थनी :** मुझे आपका मत परिवर्तन करने दीजिये ।

†**पंडित गो० व० पन्त :** किन्तु मैं ने उनके भाषण को ध्यानपूर्वक सुना और मेरे प्रति उन्होंने जो शब्द कहे हैं उनके लिये मैं वास्तव में उनका आभारी हूं । मैं इतना ही कह सकता हूं कि भाषावार अल्पसंख्यकों के कल्याण और नागरिकता के अधिकारों से वे पूर्ण लाभ उठा सकें इसके लिये उन्हें जितनी चिन्ता है, उतनी ही मुझे भी है । मैं यह भी महसूस करता हूं कि वे न केवल अपनी विशिष्ट जाति के बारे में वरना देश के और ऐसी कई अन्य भाषावार अल्पसंख्यकों के बृहत्तर हितमें कह रहे हैं जिनके साथ हमें अब प्राय: प्रत्येक राज्य में आस्था और उदारता के साथ व्यवहार करना होगा । मैं केवल यही चाहता हूं कि संविधान में जो संशोधन करने का विचार मैं रखता हूं उसका पूरा आशय वह समझते । एक विशेष अधिकारी होगा । उसका प्रतिवेदन सदन को प्रस्तुत किया जायेगा। उसपर चर्चा होगी । किसी समुदाय के लिये इससे और अच्छा परित्राण क्या हो सकता ह कि उस समुदाय से संबंध रखने वाली बातों पर इस सदन मे समय समय पर चर्चा हो । क्या देशकी जनता, और देश के राज्यों द्वारा उन विचारों की उपेक्षा की जा सकती है जो यहां व्यक्त किये गये हों ? क्या कोई भी व्यक्ति ऐसे मतों को अस्वीकार कर सकता है जिन के बारे में देश के किसी भी भाग में सर्व सहमति हो ? हमारे प्रजातंत्र का क्या अर्थ है ? इस सदन में जिन बातों पर चर्चा की जाती है और स्पष्ट मत व्यक्त किये जाते हैं उनकी उपेक्षा यदि राज्यों अथवा देश के अन्य लोगों द्वारा की जाये तो हमारा प्रजातंत्र कैसे कार्य कर सकता है ? इसका अर्थ यह होगा कि संसद् के पास उसकी अपनी कोई अन्तर्विष्ट शक्ति नहीं है । मैं यह बात स्वीकार नहीं कर सकता । इसलिये मेरी अपनी भावना यह है कि जो परित्राण मैंने प्रस्तावित किये हैं वे विशेषकर मौजूदा परिस्थितियों में सर्वोत्तम हैं ।

मेरी अब भी यह धारणा है कि हमें राज्यों को अपने साथ लेकर चलना है । हमें उन्हें गलत रास्ते पर नहीं ले जाना चाहिये । हमारा संविधान संघानीय है । कई मामलों में राज्यों स्वायत्त हैं । उन्हें क्या करना चाहिये इसके बारे में हम निदेश दे सकते हैं । ऐसी बातें असंख्य है जो भाषावार अल्पसंख्यकों को खटक सकती हैं और यदि राज्यों ने उनके बारे में न्यायोचित रुख न अपनाया तो वे असीमित हानि कर सकती हैं । मेरी इच्छा यह नहीं है कि उनके मन में नाराज़ी की भावना पैदा हो या उनकी यह धारणा हो कि भाषावार अल्पसंख्यकों के हम एकमात्र परिपालक हैं और उनके हितों की रक्षा उन राज्यों के विरुद्ध करने का भार हमनें अपने उपर लिया है जो कि हमारे विचार में विरोधी हैं । मैं यह अभिधारण नहीं करता । ऐसे करना खतरनाक होगा । तब भी मैं किसी ऐसे तरीके का उपबन्ध करना चाहता हूं जिससे कि राज्यों को बुरा मानने का कोई कारण न देकर और राज्यों की सीमाओं के भीतर भाषावार अल्पसंख्यकों के प्रति स्वयं राज्यों के दायित्व को वैसा ही रखकर हम अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा कर सकें । इसलिये मैं अब भी यह आशा करता हूं कि श्री एंथनी अपना संशोधन प्रस्तुत न करेंगे । वास्तव में, जब हमने इस मामले पर संयुक्त समिति में चर्चा की उस समय ही मुझे यह आशा हुई थी । प्रारंभ में ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं था । उन्होंने ऐसा एक प्रस्ताव किया और जब मैंने इस प्रकार का एक संशोधन करने का प्रयत्न किया--तब मैं ने यह जिम्मेदारी नहीं ली थी कि प्रतिवेदन सभा पटल पर रखा जायेगा, तो उन्होंने अपने संशोधन पर ज़ोर न देकर अत्यंत उदारता का परिचय दिया और अब मेरा ख्याल है कि मैं उनसे हाथ मिला सकता हूं, यद्यपि वे हम दोनों के बीच के टेबुल से कुछ दूर बैठे हैं । इस प्रस्तावपर हमें सर्वसम्मति से सहमत होना चाहिये इससे हमारा उद्देश्य पूरा होगा ।

उन्होंनें राज्य पुनर्गठन आयोग के प्रतिवेदन का उल्लेख किया है । प्रतिवेदन में क्या कहा गया है ? उसमें यह कहा गया है कि हम केवल एक उपबन्ध चाहते हैं और वह यह है कि प्राथमिक शिक्षा मातृ भाषा के माध्यम में दी जाये और इस बात का स्पष्ट उल्लेख संविधान में किया जाये । उन्होंने कहा है कि जहां तक माध्यमिक शिक्षा का संबंध है, ऐसी कोई बात न की जाये । संविधान में हमारे पास कई बातो के बारे में उपबन्ध हैं । संविधान में अनुच्छेद २९ और ३० हैं । अनुच्छेद

†मूल अंग्रेजी में

[पंडित गो० व० पन्त]

३४७ भी है और जहां तक राज भाषाओं का संबंध है, इसके अन्तर्गत हम आदेश दे सकते हैं। इसलिये, हमारे ज्ञापन में राज भाषाओं के बारे में जो कुछ कहा गया है वह अनुच्छेद ३४७ की परिधि में आ सकता है और राज भाषाओं के प्रयोग संबंधी मामलों के बारे में यदि हम निदेश देते हैं, तो यह अनाधिकार चेष्टा कदापि नहीं होगी।

यही महत्वपूर्ण बात है। प्राथमिक शिक्षा का भी मामला है। अन्य बातों के बारे में हम विधि पारित करेंगे। उसके बाद जो कुछ रह जाता है वह उन अन्य बातों की तुलना में कोई महत्व नहीं रखता, जिनके लिय भाषावार अल्पसंख्यकों को राज्योंपर निर्भर करना होगा। इसलियें मेरी अपील है कि वे कुछ धैर्य रखें। मैं आशा करता हूं कि हाल के कुछ वर्षों के कतिपय अनुभवों के कारण श्री एंथनी को जो मानसिक व्यथा हुई होगी वह दूर हो जायेगी और उन्हें यह देखकर सन्तोष होगा कि सब बातों ठीक ढंग से हो रही हैं और सभी नागरिकों को, किसी और से हस्तक्षेप के अभाव में, अपने अधिकारों का पूर्ण प्रयोग करने का अवसर मिला रहा है। फिर भी इसके लिये धैर्य की आवश्यकता होती है। और हमें यह ध्यान में रखना है कि आयोग नें यह कहा है कि अल्पसंख्यकों को राज्यों में रहना होगा और कोई ऐसी बात नहीं की जानी चाहिये जो उनमें फूट पैदा करे या कि उनमें यह धारणा उत्पन्न हो कि वे तभी सुरक्षित हो सकेंगे यदि हम प्रत्येक बात के लिये निदेश देने के अधिकार अपने हाथों में ले लें और मैं ऐसी किसी बात का समर्थन नहीं करुंगा। हम ऐसा नहीं कर सकते; न यह संभव है; यह एक सीमित क्षेत्र है और इस में ऐसी कोई बात नहीं की जा सकती है। वर्तमान संविधान और उन उपबन्धों के द्वारा जो मैं करना चाहता हूं यही उद्देश्य पूरा हो सकता है। मैं आशा करता हूं कि इस सिलसिले में मैंने जो कुछ कहा उसके कारण किसी को निराशा नहीं होगी।

डा. लंका सुन्दरम ने एक विशिष्ट करार का उल्लेख किया है। यहां मेरा सम्बन्ध केवल उस भाग से है जो सभा पटल पर रखा गया था। जहां तक उसका सम्बन्ध है, मेरा ख्याल है कि वह और हम उसे स्वीकार कर लेने पर सहमत हुए थे। जहां तक अन्य बातों का सम्बन्ध है, वे इस विधेयक अथवा उससे सम्बन्धित पत्रों की परिधि में नहीं आती।

मेरा ख्याल है कि पंजाब के प्रादेशिक सूत्र अथवा तदविषयक उन बातों के बारे में कुछ कहना आवश्यक नहीं है जिनका उल्लेख पंडित ठाकुर दास भार्गव नें किया था। मैं आशा करता हूं कि हरियाना के लोगों के साथ न्यायपूर्ण व्यवहार किया जायेगा। संभव है कि शिकायत करने के लिये उनके पास पर्याप्त बातें हैं। खैर, किसी भी ओर से शिकायत के ऐसे रुख को मैं पसंद नहीं करता। शिकायत अधिकारों पर ज़ोर देने और उन्हें प्राप्त करने के प्रति उपेक्षा भाव भी दर्शाती है। किन्तु अब हम यह आशा करते हैं कि शेष पंजाब उनके साथ आस्था और उदारतापूर्वक व्यवहार करेगा; वहां वे अल्पसंख्यक हैं।

मैं यह भी आशा करता हूं कि प्रादेशिक भेदभाव केवल वहीं नहीं वरना सारे देशभर में दूर होगा। जहां कहीं आवश्यक है, वहां विकास बोर्ड स्थापित किये जायें और पिछड़े क्षेत्रों के विकास पर विशेष ध्यान दिया जाये। यह हमारी घोषित नीति है और मैं आशा करता हूं कि जब कभी राज्य अपनी योजनाओं को क्रियान्वित करेंगे या उन्हें योजनाओं को फिरसे बनाने अथवा उनका पुनरीक्षण करने का अवसर मिलेगा तब वे इस नीति को सदा अपने समक्ष रखेंगे।

मैं इस सदन को पुनः धन्यवाद देता हूं और आशा करता हूं कि यह प्रस्ताव सदन के सभी सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से पारित किया जायेगा।

†**अध्यक्ष महोदय** : अब प्रस्ताव पर सभा की राय, मत-विभाजन द्वारा ज्ञात की जायेगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

प्रश्न यह है कि :

"संविधान में और आगे संशोधन करने वाले विधेयक पर, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में, विचार किया जाये।"

लोकसभा में मत-विभाजन हुआ; पक्ष में ३४३; विपक्ष में शून्य

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**अध्यक्ष महोदय** : यह प्रस्ताव इस सभा की समस्त सदस्य-संख्या के बहुमत से तथा इस के उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों की दो-तिहाई से अन्यून बहुमत से, पारित हुआ है।

खंडवार विचार कलतक के लिये स्थगित किया जायेगा। अब आधे घंटे तक चर्चा और होनी है। क्या सदस्य बैठने के लिए तैयार है ?

†**कई माननीय सदस्य** : नहीं, नहीं।

†**अध्यक्ष महोदय** : यह चर्चा, अगले सत्र की किसी अन्य उपयुक्त तिथि तक स्थगित] की जायेगी।

इसके पश्चात, लोकसभा, बुधवार ५ सितम्बर १९५६ के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

---

†मूल अंग्रेजी में

दैनिक संक्षेपिका

[मंगलवार ४, सितम्बर, १९५६] पृष्ठ

राज्य-सभा से संदेश १८१३--१४

सचिव ने राज्य-सभा से प्राप्त निम्न दो संदेशों की सूचना दी :

(१) कि राज्य-सभा १ सितम्बर, १९५६ की अपनी बैठक में लोक-सभा द्वारा २४ अगस्त, १९५६ को पारित सरकारी भूगृहादि (निष्कासन) संशोधन विधेयक से बिना किसी संशोधन के सहमत हो गई है।

(२) कि राज्य-सभा १ सितम्बर, १९५६ की अपनी बैठक में लोक-सभा की इस सिफारिश से सहमत हो गई है कि बाटों तथा मापों के प्रमाप विधेयक सम्बन्धी दोनों सभाओं की संयुक्त समिति में राज्य-सभा सम्मिलित हो, एवं उसने उक्त संयुक्त समिति में कार्य करने के लिये नाम-निर्देशित १५ सदस्यों के नाम भेजे हैं।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन उपस्थापित १८१४

इकसठवां प्रतिवेदन उपस्थापित किया गया।

सभा-पटल पर रखा गया पत्र . . . १८२०–२४

भाषाई अल्पसंख्यकों सम्बन्धी गृह-कार्य मंत्रालय का ज्ञापन सभा-पटल पर रखा गया।

विधेयक विचाराधीन . . . १८१४–२०, १८२४–६३

गृह-कार्य तथा भारी उद्योग मंत्री (पण्डित गो० ब० पंत) ने संविधान (नवां संशोधन) विधेयक पर, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में, विचार करने के लिये प्रस्ताव प्रस्तुत किया। चर्चा के पश्चात लोक-सभा में मत-विभाजन हुआ। पक्ष में ३४३ मत प्राप्त हुए। विपक्ष में एक भी मत नहीं था ; और प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

बुधवार, ५ सितम्बर, १९५६ के लिये कार्यावलि—

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में संविधान (नवां संशोधन) विधेयक पर खण्डवार विचार।

भा.स.मु.ना.—भाग ३—२४९ लोक-सभा—२३-१२-५७—१९०